राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8] दसवीं विधान सभा के आठवें सत्र का 54वां दिवस [संख्या : 9

शुक्रवार,

14 मार्च, 1997

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

मांग

माननीय सदस्यों का निलम्बन व उनके विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही वापस लेने की मांग

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल । माननीय जितेन्द्रजी ।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सत्ता पक्ष से बहुत नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि 6 घंटे विधान सभा चलेगी उसमें पोने छह घंटे सत्ता पक्ष मर्जी आए जो बोले हम बाधा नहीं डालेंगे लेकिन मेहरबानी करके प्रतिपक्ष के प्रतिनिधि की हैसियत से मुझे 15 मिनट आप बोलने दें और बाधा नहीं डालें ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : बाधा डालने के लिए शेर का दिल चाहिए ।

श्री चन्दनमल बैद : मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हो सकता है कि मेरे भाषण से गतिरोध का कोई हल निकल जाए/ इस वास्ते मैं आपसे नम्र शब्दों में प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके मुझे 10-15 मिनट बोलने दें, व्यवधान नहीं डालें और सदन के उप नेता से मैं प्रार्थना करता हूं कि अपनी पार्टी को वे इस बात के लिए समझाएं ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप 15 मिनट बोलें तो 15 मिनट सुनने की भी कोशिश करें। यह आश्वासन आप दे दें। (व्यवधान) हम आपको एक घंटा सुनेंगे । (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : ये स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे हैं, इनको कहिये स्पीड ब्रेक नहीं करें । बैठिये । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) :यह स्पीड ब्रेकर बीच में आ जाता है जिससे गाड़ी रूक जाती है । (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : हम तो आपको पौने छह घंटा लॉबी में बैठकर सुनते हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माग जाते हैं आप। (व्यवधान) आप विधान सभा की अवमानना करते हैं। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : आप मेहरबानी करके मुझे 15 मिनट का समय भी नहीं देना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : कृपया बोलने दें।

श्री चन्दनमल बैद : अगर यही आपकी हालत है, अगर यही प्रजातन्त्र है और इसी की आप हिमायत कर रहे हैं तो मुझे बड़ा अफसोस है। (व्यवधान)

श्री किशनगोपाल कोगटा (मसूदा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रजातन्त्र की दुहाई दे रहे हैं और प्रश्नकाल कितना आवश्यक है। हर रोज प्रश्नकाल का महत्वपूर्ण समय है इसको इधर उधर कर रहे हैं। एम. एल. एज का अपना खुद का टाइम है, एम. एल. एज को जो महत्वपूर्ण विषय पूछने हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये। कोगटा जी, विराजें। कृपया बोलने दें, बैद जी पहली बोल रहे है। (व्यवधान)

श्री किशनगोपाल कोगटा : बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नकाल का समय है उसको आप रोज खाते है, रोज एक बात कह देते हैं। एक बार तय कर लीजिए क्या करना है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस सेशन में पहली बार आप फरमा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, ये सदन की कोई मान-मर्यादा रखेंगे ? सदन की सारी मर्यादा कम कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : ये सदन में व्यवधान पैदा कर रहे है, इन गति अवरोधों को रोकिये, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री किशनगोपाल कोगटा : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : ये सदन को शांति से नहीं चलने देना चाहते, अध्यक्ष महोदय, आप इनको रोकिये। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : अध्यक्ष महोदय प्रश्नकाल बड़ा महत्वपूर्ण होता है। प्रश्नकाल चलाना है, प्रश्नकाल चलना चाहिए। प्रश्नकाल के बाद इनको बुलवाइये। हम प्रश्नकाल का इंतजार करते रहते हैं। (व्यवधान)

श्री किशनगोपाल कोगटा : बाद में एक घण्टा दीजिये इनको कोई दिक्कत नहीं है। (व्यवधान) प्रश्नकाल क्योंकि महत्वपूर्ण विषय है इसको पूर्ण करने के लिए पहले प्रश्नकाल लिया जाए उसके बाद तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य को एक घंटा सुनेगें। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : पहले प्रश्नकाल पर चर्चा होगी। अध्यक्ष महोदय यह गलत बात है। (व्यवधान)....

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : अध्यक्ष महोदय, यह नयी परम्परा पैदा हो गयी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है कि सत्ता पक्ष.... (व्यवधान)...

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, यह तो एक नयी परम्परा कायम हो रही है। (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : पहले प्रश्नकाल शुरू होगा उसके बाद में आप दो घंटे का समय दीजिये।

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, कहावत है, आज जहां खरगोश निकला हैं, कल इस रास्ते से शेर भी निकलेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जाएं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, ये + + + प्रजातन्त्र के हिसाब से सदन को नहीं चलने दे रहे हैं। (व्यवधान) आप बैठ जाइये। (व्यवधान) हमारे नेता महोदय बोल रहे हैं। (व्यवधान) शर्म आने की बात है। आप अकेले ही खुश हो तो ठीक है, आपकी मर्जी है। (व्यवधान) बैठ जाइये आप। (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय अध्यक्ष महोदय, तारानगर से आने वाले विधायक बहुत पुराने सदस्य हैं, हम लोग नये हैं, सदन की कार्यवाही का निर्वहन करें और प्रश्नकाल इतना आवश्यक है उसको पहले लें। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : सीखिये इनसे कुछ। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय सदस्यों को बैठाइये। माननीय कालीचरण जी, बैठिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप, माननीय बैद जी को बोलने दें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इस प्रकार से व्यवधान उचित नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। (व्यवधान) क्या कहना चाहते है आप ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप सदन में खराब परम्पराएं न डालें, बैठिये आप।.... (व्यवधान) ...

श्री चन्दनमल बैद : मैं तो हल बता रहा हूं, आप सुनना ही नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सत्र का इंतजार

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(5)

(श्री कालीचरण सराफ)

करते रहते हैं, अपने क्षेत्र के प्रश्नों को यहां पर लगाते हैं। (व्यवधान) ऐक घंटे का टाइम है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : आप बाहर क्यों नहीं निकालते इनको ? (व्यवधान) जो व्यवधान डाल रहे हैं उनको आप बाहर निकाल दीजिये। ये बार-बार व्यवधान डाल रहे हैं, बोलने नहीं देते हैं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : आप पहले प्रश्नकाल लीजिये उसके बाद उनकी बात सुनिये। यह गलत बात है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला (बैराठ) : स्पीकर साहब के आदेश तो मानिये। आप सत्ता पक्ष के लोग ही स्पीकर साहब का आदेश नहीं मान रहे हैं तो हम से क्या कह रहे हो।... (व्यवधान)....

श्री शैलेन्द्र जोशी : इस तरह से सदन में अमर्यादित व्यवहार करना, असंसदीय परम्पराओं का निर्वहन करना शर्मनाक बात है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैदजी बोलें।

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : ज्ञानवर्धन होगा, सुनिये तो सही। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप गलत परम्पराएं डाल रहे है सदन में। (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : सदन के नियमों का घोर उल्लंघन कर रहे हैं। प्रश्नकाल पहले शुरू होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, पहले प्रश्नकाल लीजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप साफ कहिये, सुनना नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, यह नयी परम्परा कायम हो रही है। आज खरगोश निकला है कल इस रास्ते से शेर निकलेगा इसलिए नयी परम्परा कायम नहीं करें। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : बड़े घबरा रहे हो, निकलेगा तो निकलेगा। (व्यवधान) सत्ता पक्ष वाले इनका तो आदेश मानें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ये पहली बार बोल रहे हैं। पहली बार फरमा रहे हैं, बोलने दें आप। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 20, 21, 22 तारीख की घटनाओं के लिए कोई एक पक्ष जिम्मेवार नहीं है, जिम्मेवारी....

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल समाप्त नहीं कर सकते। (व्यवधान) महत्वपूर्ण प्रश्न है...(व्यवधान)....

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, हम नये आशा रखते हैं कि पुरानी पीढ़ी से कुछ सीखें। हम नये-नये हैं, इस

(श्री रामप्रताप कासनियां)

तरह का सदन में व्यवहार होगा तो हम इन्हीं के पद चिन्हों पर चलेंगे। (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, प्रश्नों में सारा प्रशासन लगता है, ... (व्यवधान).... बात तो एक घंटे बाद भी हो सकती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोगटा जी, बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : सदन को विधिवत नहीं चलने देते हो। जबरदस्ती व्यवधान डाल रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, उनको कुछ कहना नहीं चाहते। आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं ये लोग। शर्म आने की बात है, अध्यक्ष जी की बात को भी नहीं मान रहे हैं। बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह क्या तरीका है बात करने का? इस तरह से अध्यक्ष के साथ आचरण करेंगे तो इसका परिणाम ठीक नहीं होगा।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सहन नहीं किया जाएगा। बैठ जाइये अब। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : नहीं बैठेंगे। (व्यवधान) जबरदस्ती व्यवधान डालते हो आप लोग, + + + आप लोगों को। (व्यवधान) विरोधी पक्ष के सदस्यों.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरा सब से निवेदन है कि शांति बनाये रखें और बैद जी को बोलने दें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, हम 6 तारीख से लगातार सुनते ही आ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, 6 तारीख से सुनते ही आ रहे हैं उनको। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैदजी को बोलने दें।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल चलाइये।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय का निर्देश तो मानिये, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : ... (व्यवधान)....यह शांतिलाल जी चपलोत का सवाल नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, 6 तारीख से सुनते ही चले आ

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(एक माननीय सदस्य)

रहे हैं, अब कब तक सुनते रहेंगे ? (व्यवधान)

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय का निर्देश तो मानिये । ....(व्यवधान)....

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, यह रोजाना एक तो नेता बदल-बदल कर भाषण करने की जो परम्परा है....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के सदस्यों को नियंत्रित कीजिये । आपकी नियंत्रण सीमा के बाहर जा रहे हैं, इनको नियंत्रित कीजिये । (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां । अध्यक्ष महोदय, रोजाना नये नेता बदलते हैं भाषण करने के लिए....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैदजी को बोलने दें । (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, 6 तारीख से सुनते ही आ रहे हैं, कौनसी बात इसमें नयी आती है ? रोज गतिरोध बना रहता है । (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : बैदजी को सुनिये ।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें । सिंघवी साहब, बिराजें आप । बैदजी को बात कहने दो । हो गयी, आप बिराजें । (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मेरे नम्र निवेदन के बावजूद भी अगर सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष को 15 मिनट भी नहीं देना चाहता है .. (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : महत्वपूर्ण समय प्रश्नकाल का है, आप फिर एक घंटा बोलिये । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बात तो पूरी करने दें इन्हें । कोगटा जी, बिराजें आप । (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : मैं निवेदन कर रहा था कि 20, 21, 22 तारीख की घटनाओं के लिए कोई एक पक्ष जिम्मेवार नहीं है । भूलें सब से हुई है सत्ता पक्ष से भी भूलें हुई हैं, प्रतिपक्ष से भी भूलें हुई हैं और, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत नम्रता के साथ आपका सम्मान और इज्जत करता हुआ निवेदन करना चाहता हूं कि+++ (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : बहुत सम्मान के साथ आपका अपमान भी करते हैं । (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ये लगातार आसन के खिलाफ अवमानना कर रहे हैं । मैं पुराने सदस्यों से यह अपेक्षा नहीं

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

रखता। (व्यवधान) नियमों में व्यवस्था है ...(व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : आप सत्ता पक्ष को नियंत्रित कीजिये। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : ये मुख्य सचेतक जी ही नियंत्रित नहीं हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये ही अनियंत्रित हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : तो नियम 272 (10) में यह व्यवस्था है कि आसन के ऊपर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की जा सकती सिवाय इसको छोड़कर....

श्री चन्दनमल बैद : मैंने कोई टिप्पणी नहीं की है।

श्रीमती कमला : ये अभी तो सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। कोई टिप्पणी नहीं की है, सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मुझे इसका अफसोस है, लगातार यहां विधान सभा के कर्मचारियों पर, विधान सभा अध्यक्ष पर जिस प्रकार से प्रहार हो रहे हैं, इस संसदीय इतिहास में आज तक नहीं हुए। और मुझे अफसोस है....(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : अभी तो बात ही शुरू नहीं की है। (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल (हिण्डोली): अध्यक्ष महोदय, यह महावीर जैन साहब ने जो आरोप लगाया है कि....

श्री महावीर प्रसाद जैन : हम कल की लोक सभा की कार्यवाही को देखें....

श्री शांति कुमार धारीवाल : माननीय चन्दन मल जी बैद ने....(व्यवधान).... मेरा नम्र निवेदन है, आपसे हम यह चाहते हैं कि आप निष्पक्ष रूप से.... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के इतिहास में आज तक किसी की टांग नहीं तोड़ी गयी इन्होंने हमारी टांग तक तोड़ दी। और कहते हैं कुछ नहीं हुआ। (व्यवधान) इससे बड़ी बात और क्या होगी। (व्यवधान) और आप ही हम पर लांछन लगा रहे हैं। आप लोग तो +++ हैं। जनतंत्र के आधार पर इस सदन को आप किसी भी तरह चलने नहीं देते (व्यवधान) इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी। राजस्थान की विधान सभा में 21 तारीख को जब हम बिजली की मांग कर रहे थे उस समय आपने हमारी टांग पर प्रहार किया और टांग तक को तोड़ दिया। (व्यवधान) इस सदन को नहीं चलने देते। आप बैठ जाइये, शांति

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

से सुनिये । आप व्यवधान क्यों पैदा करते है ? (व्यवधान) इसी राजस्थान के सदन में आपने हमारी टांग को तोड़ा है जब हम किसानों की मांग कर रहे थे । (व्यवधान) इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी ? (व्यवधान) बैठ जाइये आप ।

श्री अध्यक्ष : कृपया शांति बनाये रखें । (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह किसी भी तरह शोभनीय नहीं है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शांति बनाये रखें, बैद जी को सुनें । (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाइये आप । (व्यवधान) इतना महत्वपूर्ण प्रश्नकाल है विधान सभा का, उसके बारे में आपकी क्या राय है ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह जो नई पीढ़ी है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैदजी को बोलने दें आप । (व्यवधान) मैंने बैदजी को बोलने के लिए कह दिया ।

श्री किशन गोपाल कोगटा : यह तो हर रोज का मामला है । यह तो हर रोज 15 मिनट और आधा घंटा....

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये ना, पांच मिनट बात सुन लीजिये । इतना टोलरेंस रखें, बात सुनें इनकी ।

श्री चन्दनमल बैद : मैं इस बात की तारीफ करूंगा कि...

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, माननीय चन्दन मलजी ने एक शब्द भी अध्यक्ष महोदय के खिलाफ नहीं कहा; कोई भी ऐसी बात नहीं कही है और उसके पहले ही माननीय सचेतक महोदय खड़े होकर आरोप लगा रहे हैं चन्दन मलजी के ऊपर । मुख्य सचेतक को तो जिम्मेदारी से अपना काम करना चाहिए । (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : आप लगातार आक्षेप लगा रहे है । 6 तारीख से लेकर लगातार आक्षेप लगा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : बैदजी कोई बात कह रहे हैं (व्यवधान) बैदजी ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सत्ता पक्ष के इशारे पर आपने किया ही क्या है ? यह क्या है ? (व्यवधान)

श्रीमती कमला : एक शब्द भी नहीं बोले हैं चन्दन मल जी तो अभी ।

श्रीमती बीना काक : अभी तो बोले ही नहीं । एक शब्द भी नहीं बोला है चन्दन मलजी ने अभी । (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : +++ यह क्या है ?

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्रीमती कमला : आपने ठेका ले रखा है क्या सारे प्रजातन्त्र का ? +++ (व्यवधान) हर चीज में बीच-बीच में खड़े हो रहे हैं (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, आप बैठाइये। सचेतक महोदय के व्यवहार को नियन्त्रित कीजिये। (व्यवधान) आपका काम सदन को चलाना है।....(व्यवधान)....

श्री महावीर प्रसाद जैन : ....ये कोई गलती करें तो....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजिये। विराजिये, विराजिये। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : सचेतक महोदय, ये सब आपके कारनामे हैं। ये आपके ही किए हुए कार्य हैं सारे। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : ....नई पीढ़ी को आप क्या शिक्षा देने जा रहे हैं ?

श्रीमती बीना काक : आप सुनिये तो सही, नई पीढ़ी, आप सुनिये तो सही।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह जो दृश्य उपस्थित किया है विधान सभा में, इसके लिए तो यदि +++ होती तो मैं समझता हूं, आज तक धरती फट गयी होती। (व्यवधान) बिल्कुल +++ खो दी आप लोगों ने।

श्रीमती कमला : +++ तो सारी आपने ले ली। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है ?

श्री राधेश्याम गंगानगर : +++ तो आपको नहीं है, सचेतक महोदय, जो सदन में खड़े होकर कुछ न कुछ कहने लग जाते हो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या +++ बची है कोई ? यह गंगानगर की यू. आई. टी. नहीं है, नगर परिषद नहीं है। यह राजस्थान विधान सभा का हाउस है। (व्यवधान) सबसे बड़ा मन्दिर है। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : अध्यक्ष महोदय, यह कोई आर. एस. एस. की शाखा नहीं है। यह सदन है, सदन सचेतक महोदय। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : जरा सी भी +++ होती तो....(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपके पास +++ आप.... +++? (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : +++ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं सुन रहा हूं आप

+++ अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री अध्यक्ष)

सबको । सब खड़े हो गये । (व्यवधान) माननीय, बिराजिये सब ।

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप परमिशन देने के पहले यह भी तय करें कि हम भी 15 मिनट बोलेंगे, वे भी सुनें, तब तो है ।

श्री अध्यक्ष : है ?

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, पहले यह तो तय करवालें कि यह सदन परम्परा के अनुकूल चलेगा या इस तरह से जबरदस्ती....

श्री दलजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल में कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं होता, आप तो बिराजें । बोलने दें आप । बिराजिये । (व्यवधान)

श्री दलजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर यह है कि यह जो ऊपर टी. वी. कैमरा है, केवल प्रतिपक्ष की तरफ ही कैमरा लगा रहे हैं कि जैसे जो कुछ भी शोर-गुल्ला हो रहा है वह केवल कांग्रेस की तरफ से हो रहा है । यह दोनों तरफ क्यों नहीं लगाया जा रहा है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा राज्य मंत्री) : आप खूबसूरत ज्यादा हैं इसलिए आपकी फोटो छाप रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : ऐसा नहीं है । बिराजिये, बिराजिये । आप फरमाएं । कोगटाजी, बिराजिये आप । आप बोलने दीजिये ना । (व्यवधान) कृपया शांति बनाये रखें और माननीय बैदजी को सुनें आप । माननीय बैदजी ।

श्री चन्दनमल बैद : आप बैठ जाएं तो मैं दो-एक मिनट में अर्ज कर लूं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया आप बिराजिये ।

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, पहले यह तो तय हो जाए, माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय 15 मिनट बोलें, 20 मिनट बोलें, फिर 20 मिनट हमें भी बोलने का मौका दें । सुनने का माद्दा रखें, पहले आप यह कमिटमेंट करवा लें । अध्यक्ष महोदय, इनसे कमिटमेंट करवाइं ।

श्री चन्दनमल बैद : आपसे हम कमिटमेंट कराने नहीं आएंगे । पूरे दिन भर बोलिये ।

श्री रामप्रताप कासनियां : आप सुनने का माद्दा रखें । अध्यक्ष महोदय, पहले आप कमिटमेंट करवाएं सुनने का 15 मिनट कम से कम, उसके बाद हम कोई बाधा नहीं डालेंगे । (व्यवधान)

श्री किशनगोपाल कोगटा : अध्यक्ष महोदय, आप यह तो देख लें कि इनका नेता कौन है । (व्यवधान) तय तो करो विपक्ष का नेता कौन है ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये । हो गया, बहुत हो गया । बिराजिये आप ।

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, बाद में हम कोई बाधा नहीं डालेंगे चाहे एक घंटा बोलें। 15 मिनट का समय सत्ता पक्ष के सदस्य को भी बोलने के लिए दिया जाए।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की जो परम्परा है उनका निर्वाह कीजिये। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, कासनियांजी ने भंवरलाल जी से कमिटमेंट किया था, उसका क्या हुआ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप किसी को नियन्त्रित नहीं कर पा रहे हैं। आप नियन्त्रित नहीं कर पा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : भंवरलाल जी से आपका कमिटमेंट हुआ था, उसका क्या हुआ?

श्री किशन गोपाल कोगटा : अध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी मिली है क्या कि आप....

श्री शैलेन्द्र जोशी : जानकारी क्या दें, आपके अनियन्त्रित व्यवहार को अध्यक्ष महोदय नियन्त्रित नहीं कर पा रहे हैं। यह बड़े +++की बात है कि सदन में सारी मर्यादाओं को ताक में रख दिया गया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। बैदजी को बोलने दें, बिराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप नियन्त्रित कीजिये।

श्री किशनगोपाल कोगटा : आप लोग बैठ जाइये, मर्यादा शुरू हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष : मैं आग्रह करूंगा।

श्री रामप्रताप कासनियां : कमिटमेंट मैंने तो किया है या नहीं किया है, आप जरूर करते हो। मैं कमिटमेंट करने वालों में नहीं हूं, आप ध्यान रखें।

श्री अध्यक्ष : मैं सत्ता पक्ष से और विपक्ष से, दोनों से आग्रह करूंगा कि बैदजी की बात सुनें।

श्री चन्दनमल बैद : मैं इस डैडलाक को खतम करने का कोई तरीका बताना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि हम सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठकर विधान सभा की कार्यवाही चलाएं लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे हाथ जोड़कर, प्रार्थना करने पर, विनम्र निवेदन करने पर भी आज सत्ता पक्ष मेरी बात सुनना नहीं चाहता है। इससे ज्यादा और मैं क्या कर सकता हूं? (व्यवधान)

+++शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(५)

श्री अध्यक्ष : विराजिये। कोगटाजी, कृपया चुप रहें। कोगटाजी, विराजिये आप। (व्यवधान)

श्री किशनगोपाल कोगटा : हमारा विषय प्रश्नकाल का था।

श्री अध्यक्ष : क्या हो रहा है आपको, बैठिये आप। इनको सुनने दें आप। बोलने दें इनको।

श्री चन्दनमल बैद : मैं यह समझता हूं कि इस विधान सभा में कुल 2-3 ही सदस्य ऐसे हैं जो सन् 1952 से हैं। उनमें से एक मैं भी हूं, आपके मुख्य मंत्रीजी भी एक हैं। उन 1952 वाले सदस्यों की बात भी आप सुनना नहीं चाहते हैं और व्यवधान डालना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिना बोले भी बाहर जा सकता हूं। मुझे कोई बोलने का मर्ज नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : Old is gold.

श्री चन्दनमल बैद : लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भूलें सब तरफ से हुई हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे....

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : विपक्ष से भूल हुई है, सत्ता पक्ष से कोई भूल नहीं हुई है।

श्री किशन गोपाल कोगटा : विपक्ष से भूल हुई है, टी. वी. बता रहा है, अखबार बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, विराजिये आप। कोगटाजी, आप समय जाया नहीं करें। आप बैठिये।

श्री किशनाराम नाई : इनका क्या रोल रहा था ?

श्री चन्दनमल बैद : मैं पूछना चाहता हूं, 6 तारीख को जब विधान सभा फिर मिली उसके पहले इस सदन में पुलिस के लोगों को बुलाकर और माननीय सदस्यों की सीटों पर बैठाकर जो रिहर्सल कराई गई...

श्री किशन गोपाल कोगटा : नो नो। गलत।

श्री चन्दनमल बैद : यह सही बात है। सैक्रेटरी साहब कह दें कि नहीं कराई गई ऐसी....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह सही बात है। इसके सबूत हैं हमारे पास।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बेबुनियाद बात है। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : क्या यह भूल नहीं है ? मैं आपको कहना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ी भूल थी, और यह किसने कराई ? यह सरकार ने कराई और किसने कराई ? (व्यवधान) और इस सदन को अपवित्र किया आप लोगों ने और आप कहते हैं कि कोई भूल नहीं की हमने ? मैं तारीफ करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब की कि 16 तारीख की घटना के बाद वे सद्भावना के साथ हमारे उपनेता के घर गये और उन्होंने एक प्रस्ताव दिया....

श्री कालीचरण सराफ : फिर भी आप नहीं माने ।

श्री चन्दनमल बैद : और हमारी भी सदाशयता थी कि हमने भी यह नहीं कहा कि हम आपके प्रस्ताव को रिजैक्ट करते हैं । यही कहा कि हम वर्किंग कमेटी में आपका प्रस्ताव रखेंगे, उसके निर्णय से आपको अवगत कराएंगे । वर्किंग कमेटी ने दूसरे दिन मीटिंग की, उनके प्रस्ताव पर गम्भीरता के साथ विचार किया और हमारे उप नेता से कहा कि आप भी टेलीफोन पर नहीं मुख्य मंत्रीजी के घर जाकर बताइये कि हमारे क्या रिएक्शन्स हैं । तो सदाशयता जो करेगा, जो शराफत करेगा उसकी हम तारीफ करेंगे लेकिन जो भूलें करेंगे, हमारा फर्ज है कि बिना डरे, बिना खौफ के हम उन भूलों को भी आपको बताएं । मैं पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, बड़ी नम्रता के साथ, मैं आपका बहुत बड़ा रैसपैक्ट करता हूं, 24 तारीख को हमने तय किया था कि धन्यवाद के प्रस्ताव पर हम बहस करेंगे । जो डिसीजन था उसको बदलने का आपको पूरा अधिकार है, मैं उस अधिकार को चुनौती नहीं देता हूं उसको आप बदल सकते हैं लेकिन मेहरबानी करके हमें बताते तो जरूर कि उस अधिकार को मैंने बदल दिया है और अब 22 तारीख को ही वोटिंग कराऊंगा । हमें मालूम ही नहीं है कि 22 तारीख को वोटिंग होने वाली है और मेरे जैसे बीमार आदमी तो घर खाना खाने चले गये ...

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मन्त्री): आप सुनने को तैयार थे क्या ? आप सुनने को भी तैयार नहीं थे । हल्ला मचाया (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : हम तैयार थे या नहीं थे, आप....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपने जिस तरह का दृश्य पैदा किया, जिस तरह के हिंसात्मक कदम इस सदन में उठाये गये, जिस तरह से आपने सुरक्षाकर्मियों को मारा, जिस तरह से आपने मन्त्रियों के थप्पड़ मरवाया और जिस तरह से (व्यवधान) आपने पैदा किया और अध्यक्ष महोदय की बात सुनने को तैयार नहीं थे, एक शब्द भी आपने (व्यवधान) कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थे ।

श्रीमती बीना काक : शेखावत साहब की तरह सुनने का भी माद्दा रखिये । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह चूरू का पानी बोल रहा है ।

श्रीमती बीना काक : शेखावत साहब से सीखिये कुछ आप, उप मुख्य मंत्रीजी ।.... (व्यवधान) तसल्ली से बात सुनना सीखिये शेखावत साहब से । ....(व्यवधान)....

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप विराजिये, विराजिये । उप नेता महोदय, आप विराजिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : हमारे नेता महोदय, बोल रहे हैं, आप विराजिये । (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : ... मुताबिक सदन नहीं चल रहा है ।

(5)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, उप नेता महोदय, को कहिये हमारे नेता महोदय, बोल रहे हैं उसके बाद ही...(व्यवधान)... उप मुख्य मंत्री महोदय, आप विराजिये ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप एक मिनट सुनने को तैयार नहीं थे । ....(व्यवधान)....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ...क्योंकि आप यह जानते थे कि राजसमन्द का माइन्स का मामला आने वाला है इसलिए जानकर आपने ऐसे हालात पैदा किये (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, अब प्रतिपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है । (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : रंगे हाथ पकड़े जा रहे थे आप, इसलिए आपने ऐसा किया है यह सारा । (व्यवधान) आपने माहौल इस तरह का करना चाहा ताकि विपक्ष के पास कुछ चारा न रहे ।....(व्यवधान)....

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : इनमें हिम्मत है तो रुकें । ये मैदान से भाग रहे हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भाभड़ा साहब का और बैदजी का ही अंकित करें और कोई अंकित नहीं हो ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री शांतिकुमार धारीवाल : XXX

श्री अध्यक्ष : धारीवाल साहब, अभी बात कोई सोहार्दता की हो रही है, कमेंट करने सबको आते हैं । यहां पर जितने भी पधारे हैं वे नेता हैं और भाषण देकर ही यहां आये हैं । आप विराजिये, बात सुनें ।

श्रीमती बीना काक : XXX

श्री शांतिकुमार धारीवाल : XXX

श्री कन्हैयालाल बैद : अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष को यह मालूम था कि बिजली के बारे में प्रतिपक्ष कितना आंदोलित है और तीन बार किसानों के डिमोंस्ट्रेशन....

श्री महावीरप्रसाद जैन : XXX

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : XXX

श्री महावीरप्रसाद जैन : XXX

श्रीमती तारा भण्डारी : XXX

श्रीमती कमला : XXX

श्रीमती तारा भण्डारी : XXX (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें, विराजें ।

श्रीमती कमला : XXX

श्री राजेन्द्र चौधरी : XXX

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री चन्दनमल बैद : मेरी बहन तारा मण्डारी को इस बात का अफसोस है कि हमने गोपीचन्द गुर्जर को वाघेला क्यों बनाया, उनको वाघेला क्यों नहीं बनाया। घबराइये मत, आपका भी नम्बर आएगा।

श्री अध्यक्ष : अब आपको और कुछ कहना है क्या ?

श्रीमती कमला : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री कालीचरण सराफ : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्रीमती तारा मण्डारी : ×××

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री कालीचरण सराफ : ×××

श्री अध्यक्ष : शांति बनाएं, शांति बनाएं, शांति बनाएं।

श्री कालीचरण सराफ : ×××

श्री अध्यक्ष : शांति बनाएं। (व्यवधान) अभी लेंगे।

श्री कालीचरण सराफ : ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर : ××× (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री जोगेश्वर गर्ग : ×××

श्री कालीचरण सराफ : ×××

श्री अध्यक्ष : विराजें, विराजें। माननीय, विराजें आप।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ×××

श्री टीकमचन्द कांत : ×××

श्री अध्यक्ष : कृपया आप....(व्यवधान)

श्री किशनगोपाल कोगटा : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री चन्दन मल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को संक्षिप्त करता हुआ.... (व्यवधान)

श्री किशनगोपाल कोगटा : ×××

श्री राजेन्द्र चौधरी : ×××

श्री टीकम चन्द कांत : ×××

श्री किशनगोपाल कोगटा : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री किशनगोपाल कोगटा : ×××

श्री रामप्रताप कासनियां : ××× (व्यवधान)

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : फरमाएं आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री महावीरप्रसाद जैन : XXX

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री कालूलाल गूजर : XXX (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शांति बनाएं। शांति बनाएं।

श्री महावीरप्रसाद जैन : XXX

श्री राधेश्याम गंगानगर : XXX

श्री रामप्रताप कासनियां : XXX

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। बिराजें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री महावीरप्रसाद जैन : XXX (व्यवधान)

श्री किशनगोपाल कोगटा : XXX

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX (व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : आपसे विनम्र अनुरोध करने के बाद भी अगर सत्ता पक्ष.... (व्यवधान)

श्री महावीरप्रसाद जैन : XXX

श्री टीकम चन्द कांत : XXX

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री अध्यक्ष : बिराजें, बिराजें आप। शांति बनाएं। प्लीज शांति बनाएं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कांत : XXX

श्री अध्यक्ष : कृपया शांति बनाएं।

श्री रामप्रताप कासनियां : XXX

श्री महावीरप्रसाद जैन : XXX

श्री रामप्रताप कासनियां : XXX (व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : आप मेहरबानी करके बैठ जाइये।

श्री रामप्रताप कासनियां : XXX

श्री टीकम चन्द कांत : XXX

श्री अध्यक्ष : बिराजें, बिराजें।

श्री शिवनाथ सिंह : XXX

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री रामप्रताप कासनियां : ××× (व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : एक सौ ग्यारह साल के इतिहास में कांग्रेस ने, (व्यवधान) इतने समय में कभी माफी नहीं मांगी, आप से क्या माफी मांगेंगे। आप जैसे लोगों से माफी मांगेंगे, क्या समझते हैं आप अपने को ? आपकी तरह से +++ नहीं हूं मैं।

श्री शिवनाथ सिंह : ×××

श्री महावीरप्रसाद जैन : ×××

श्री शिवनाथ सिंह : ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन : ×××

श्री शिवनाथ सिंह : ×××

श्रीमती कमला : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री महावीरप्रसाद जैन : ××× (व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : .... इसको पवित्र करने के लिए, जो इन्होंने अपवित्र किया है इसको पवित्र करने के लिए आपको गंगा-जल से इसको धुलवाना पड़ेगा....

श्री शिवनाथ सिंह : ×××

श्री चन्दन मल बैद : और सरदार पटेल के शब्दों में मैं कहना चाहता हूं, जब जयनारायणजी व्यास ने हीरालाल शास्त्री पर अविश्वास का प्रस्ताव रखा तो सरदार पटेल ने कहा था (व्यवधान)....

श्री कालीचरण सराफ : ×××

श्री चन्दन मल बैद : आज जो आप हल्ला मचा रहे हैं, this is a scar upon you.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ले रहा हूं।

श्री चन्दन मल बैद : यह याद रखियेगा।

श्री महावीरप्रसाद जैन : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ××× (व्यवधान)

श्री महावीरप्रसाद जैन : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजे। अब तो कोई सुनना नहीं चाहता। दोनों ही पक्ष नहीं सुन रहे हैं अभी। ... (व्यवधान) ...

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। अब आप विराजें, आगे लेने दें।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : अब मैं प्रश्नकाल ले रहा हूं। (व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात कह कर रहूंगा ....

श्री अध्यक्ष : आप बोल चुके न। श्री जितेन्द्रजी नीनामा।

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया।)

श्री चन्दन मल बैद : नहीं नहीं, मैं अपनी बात बोलूंगा। यह नहीं हो सकता। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं....(व्यवधान)....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : बांसवाड़ा जिले में सड़क सीमा निर्धारित करने से पूर्व विभागों द्वारा सरकारी भवनों का निर्माण कराया गया.... (व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : मैं साफ शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की कार्यवाही कि आप किसी को, प्रतिपक्ष को बोलने भी न दें, यह बहुत बेजा कार्यवाही है, यह प्रजातंत्र की हत्या है और हम .... (व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जो वर्तमान में सीमा निर्धारित करने के उपरान्त सड़क सीमा में आ गये हैं। सूची परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

श्री चन्दन मल बैद : इस वास्ते हम इस सदन से बहिष्कार करते हैं और हम इस निंदनीय कार्य की जितनी बुराई कर सकते हैं, करते हैं और भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वह सत्ता पक्ष को, इनको सद्-बुद्धि दे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : (2) इस प्रकार के निर्मित भवन अतिक्रमण की परिभाषा में नहीं आने के कारण किसी के विरूद्ध कार्यवाही करने का राज्य सरकार का विचार नहीं है।

(प्रश्नोत्तर के लिये परिशिष्ट-1 देखें)

(प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करते हुए बहिर्गमन।)

प्रश्न संख्या-52

श्री अध्यक्ष : श्री शांतिकुमारजी धारीवाल।

(अनुपस्थित:कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 53

श्री मोहनलालजी (अनुपस्थित)
श्री हरजीरामजी बुरड़क

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें।)

श्री भीखा भाई।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : इनको कोई मतलब नहीं हैं, +++

प्रश्न संख्या–54

श्री अध्यक्ष : श्री भीखा भाई ।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : प्रश्न संख्या 53

श्री अध्यक्ष : आप कैसे पूछ रहे हैं ? नहीं, नोट अलाउड ।

श्री भीखा भाई, (अनुपस्थित)

(**अनुपस्थित : कृपया आगे देखें**)

श्री जयन्ति लालजी कोली ।

अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा स्वीकृत ऋण/अनुदान

55. **श्री जयन्ति लाल कोली** (रेवदर) **एवं श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर) : क्या समाज कल्याण राज्य मन्त्री यह बतने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा विगत तीन वर्षों में किस-किस योजनान्तर्गत कुल कितने व्यक्तियों को ऋण एवं अनुदान से लाभान्वित किया गया ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) इन तीन वर्षों में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम से राजस्थान अनुसूचित जाति विकास निगम को कुल कितनी राशि प्राप्त हुई ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित योजनाओं में ऋण विवरण का कार्य बंद कर रखा है ? यदि हां, तो क्यों तथा कब से ?

राज्य मन्त्री, समाज कल्याण (श्री मदन दिलावर) : (1) राजस्थान अनुसूचित जाति-जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा संचालित योजनाओं से विगत तीन वर्षों में ऋण एवं अनुदान प्रदान कर वर्ष 1993-94 में 48,600, वर्ष 1994-95 में 84,077 एवं वर्ष 1995-96 में 79,218 कुल 21,1,895 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है । योजनावार, वर्षवार एवं जिलेवार लाभान्वितों की सूचना परिशिष्ट 1,2 एवं 3 पर उपलब्ध है ।

(2) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम से राजस्थान अनुसूचित जाति-जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम को वर्ष 1993 94 से वर्ष 1995-96 तक गत तीन वर्षों में 159·07 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है । वर्ष 1993–94 में 120.44 लाख रुपये एवं वर्ष 1994-95 में 38.63 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं तथा वर्ष 1995-96 में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है ।

(3) जी नहीं । निगम द्वारा संचालित योजनाओं में राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त 200 लाख रुपये की रिवाल्विंग गारण्टी

+++ **अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।**

(२०)

(श्री मदन दिलावर)

सीमा में ऋण प्रदान करते हुए व्यक्तियों को लाभान्वित करने की कार्यवाही निरन्तर जारी है।

(सूचना विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह जो एन. एस. एफ. डी. सी. की योजना है उसमें 1993-94, 1994-95 में तो पैसे प्राप्त हुए हैं, 1995-96 में नहीं मिले और जहां तक मुझे जानकारी है 1996-97 में भी नहीं मिले, यह पैसा क्यों नहीं मिल रहा है हमको ? इसके पीछे क्या कारण है, मैं मंत्री महोदय से एक तो यह स्पष्ट जानना चाहूंगा।

दूसरा यह कि एन. एस. एफ. डी सी. की जितनी भी योजनाएं लागू हुई हैं, पिछले 5-6 सालों में, तीन साल का तो रिकार्ड इस प्रश्न के साथ में है उससे पहले का हमने मांगा नहीं था, लेकिन मुझे व्यक्तिगत जानकारी है कि जोधपुर सम्भाग इसमें लगभग पूरा नदारद है। कहीं जोधपुर शहर में दो-चार लोन मिल गये तो मिल गये बाकी पूरे जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर जिलों के सारे ग्रामीण क्षेत्र और छोटे नगरीय क्षेत्र सारे के सारे अपेक्षित हैं। इस पूरे योजना काल में पूरे जालोर जिले में सिर्फ एक या दो लोन मिले हैं उससे ज्यादा किसी को लाभान्वित नहीं किया गया है जबकि जयपुर में सैंकड़ों की संख्या में हो गये। सारा का सारा पैसा जयपुर में वितरित किया गया, बाकी सारे जिले उपेक्षित रहे हैं। इसका क्या कारण है ? दो बात।

तीसरी बात यह है कि जो अपना निगम है, लगातार पिछले 5-6 सालों से मैं इसके बारे में प्रश्न उठा रहा हूं, सवाल बोल रहा हूं, अपने विभिन्न भाषणों में बोल रहा हूं, सदन में बोल रहा हूं, माननीय मंत्री महोदय से चर्चा हुई है, लिखित में मैंने दिए हैं उसके बावजूद भी इसकी कार्य-प्रणाली में सुधार होता मुझे नजर नहीं आया, अब भी काम करने का तरीका वही है। बहुत नियम विरुद्ध तरीकों से सारे काम करने का इस निगम का स्वभाव बन गया है। इसके सुधार की दृष्टि से, माननीय मंत्री महोदय, आप क्या प्रयास कर रहे हैं ? और यदि आपने प्रयास किए हैं और सफल नहीं हो रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण हैं ? कृपया बताएं।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, जालोर से आने वाले माननीय सदस्य ने निगम के बारे में कुछ कहा और जानकारी चाही कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास निगम ने पिछले सालों से पर्याप्त ऋण क्यों नहीं उपलब्ध करवाये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के जो अनुसूचित जाति के लोग हैं निश्चित रूप से पिछड़े हुए हैं और हम चाहते हैं, पूरे मन से चाहते हैं, सरकार भी चाहती है कि हम उनका हमारी विभिन्न रोजगार योजनाओं में ऋण देकर उत्थान करें। जैसा मैंने कहा कि

(श्री मदन दिलावर)

केन्द्र सरकार इसमें हमनें लोन उपलब्ध करवाती है और जैसा मैंने इस प्रश्न के जवाब में बताया है कि केन्द्र सरकार ने हमें लगभग दो करोड़ रुपये दिए हैं और उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था इसमें कर दी कि अलग-अलग स्कीम के अन्तर्गत अलग-अलग पैसा। जैसे पर्टीकुलर "ए" स्कीम है, "ए" स्कीम में हमें पाँच लाख रुपये खर्च करने हैं और "बी" स्कीम है तो उसमें सात लाख रुपये खर्च करने हैं, अलग-अलग डिवाइड कर दिया है सारे दो करोड़ रुपयों को।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ स्कीम्स तो ऐसी हैं जिनकी डिमाण्ड बहुत है और हम चाहते भी थे देना क्योंकि सक्सेस है लेकिन हमारे बार-बार लिखने के बाद भी वे अनुमति नहीं देते। इस प्रकार की स्कीम्स में हमें अनुमति मिली हुई है जिनका कोई उपयोग नहीं है। आज हमने ये खोल रखी हैं, हमारे पास पैसा भी उपलब्ध है, हम लोगों को ऋण भी देना चाहते हैं लेकिन इस प्रकार की स्कीम्स हैं कि इनमें लोग लेना नहीं चाहते क्योंकि वे यहां वायेबल नहीं हैं। फिर शर्तें भी इतनी कठोर कर दी हैं कि कोई दो सरकारी कर्मचारी उनकी जमानत दें। यदि वे जमानत दे देते हैं और वह पैसा नहीं लौटाता है तो उनके वेतन से पैसा काटा जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के कड़े प्रावधान करने के कारण हम लोन नहीं दे पा रहे हैं और इसी कारण लोग लोन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि काफी कठोरता बरती गयी है। अनुसूचित जाति के लोग गरीब हैं अतः मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की कठोरता बरतना ठीक नहीं है। इन लोगों की दो सरकारी कर्मचारी कहाँ से जमानत देंगे? किन-किन को देंगे? आज हमारे बार-बार लिखने के बावजूद भी लोग इस प्रकार के आवेदन कम्पलीट करके नहीं ला पा रहे हैं इसलिए निश्चित रूप से मैं यह मानता हूं कि केन्द्र सरकार की गलतियों के कारण यहां के अनुसूचित जाति के लोगों का विकास अवरूद्ध हो रहा है। माननीय सदस्य की भावना से मैं सहमत हूं, इनको जितना दर्द है उतना ही मेरा है और मैंने भी इसमें केन्द्रीय समाज कल्याण मन्त्री जी को चिट्ठी लिखी थी कि इसमें छूट होनी चाहिए। इसमें मैं फिर दुबारा छूट के लिए केन्द्र सरकार को लिखूंगा कि इसमें शिथिलता बरती जाए ताकि लोगों को हम आसानी से धन उपलब्ध करवा सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें यह भी छूट होनी चाहिए कि यहां राजस्थान में कौन-सी स्कीम वायेबल है उसको हम तय करें और हम स्वीकृति निकालें। तय करने भी वहां जाना पड़ता है और छः-छः महीने तक आता नहीं है। फिर उसमें वे स्वीकृति देते कि नहीं देते, किसको काटते कि नहीं काटते, वहां दिल्ली के ऑफिस में बैठकर इस प्रकार के निर्णय होते हैं। इसके कारण से हमें दिक्कत आ रही है। मैं चाहूंगा कि इसमें शिथिलता मिले और सब माननीय सदस्यों का सहयोग भी मुझे प्राप्त होगा इसकी मुझे आशा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी, आप तो यह बताएं कि 1995-96 और 1996-97 में क्यों नहीं मिल रहा है ? जोगेश्वर जी ने प्रश्न पूछा है उसका कोई उत्तर है क्या ?

श्री जोगेश्वर गर्ग : मन्त्री महोदय, तीन प्रश्न पूछे थे तीनों का जवाब दीजिये, अभी एक का ही जवाब दिया है।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न बनता है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : पहले मेरे प्रश्न पूरे होने दें उसके बाद में पूछ लें आप।

श्री अध्यक्ष : आपका जो प्रश्न था उसमें यह आया था कि 1995-96 में भी नहीं आया और 1996-97 में भी आने की सम्भावना नहीं है। इसके बारे में कुछ बता सकते हैं क्या आप ?

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है जो माननीय सदस्य ने कहा है कि इन वर्षों में हमें राशि प्राप्त नहीं हुई है। केन्द्र सरकार गारण्टी चाहती है और गारण्टी देने का निर्णय मंत्रिमण्डल और राज्य सरकार दोनों के विचाराधीन है, मंत्रिमण्डल की जो उप समिति है उसने अपना निर्णय दे दिया है। परन्तु जो मैं बता रहा हूं कि गारण्टी देने के बाद भी जो समस्याएं आएंगी हमारे सामने, उनका भी निराकरण नहीं हुआ अतः गारण्टी देने के बावजूद भी हम लोगों को पैसा उपलब्ध नहीं करा पाएंगे।.... (व्यवधान)....

श्री जोगेश्वर गर्ग : पहले गारण्टी तो दीजिए आप।

श्री महावीर भगोरा : अभी तक राज्य सरकार ने गारण्टी नहीं दी तो लोन मिलेगा कहां से ?

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, गारण्टी देने में कोई हिचक नहीं है लेकिन यह भी सच है कि बहुत सारा पैसा रिटर्न होने की सम्भावना कम है। अनुसूचित जाति के लोगों का विकास करना केन्द्र सरकार और राजस्थान सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है, इस नाते हमने उनको चिट्ठी लिखि है कि रिस्क फंड बना लें और रिस्क फंड के आधा राजस्थान सरकार और आधा केन्द्र सरकार रखें तो मैं समझता हूं कि वह ठीक रहेगा। लेकिन केन्द्र सरकार इसका भी जवाब नहीं दे रही है। उनकी नीयत ठीक नहीं है। लगता है कि राजस्थान सरकार की उपेक्षा करके यहां के अनुसूचित जाति के लोगों का विकास वह नहीं चाहती है। फिर भी जैसा राज्य सरकार के विचाराधीन है, मैं निवेदन करूंगा कि गारण्टी शीघ्र दी जाए। परन्तु गारन्टी देने के बावजूद भी हमें दिक्कतें आएंगी, उनके समाधान के लिए मैं माननीय सदस्यों का सहयोग चाहूंगा।

श्री टीकमचन्द कांत : अध्यक्ष महोदय; माननीय मंत्री जी ने जो चित्रण प्रस्तुत किया है उसके अनुसार तो केन्द्रीय

(श्री टीकमचन्द कान्त)

निगम और केन्द्र सरकार अपने-आप में नहीं चाहते हैं कि अनुसूचित जाति को यह लाभ मिले। बड़े कानून वगैरह ये सब कुछ हैं। गारण्टी देने की बात अभी ही नहीं इससे पूर्व भी इस सदन में उठी थी और उस समय यह आश्वासन मिला था कि हम शीघ्र ही गारण्टी दे देंगे। लेकिन अन्य राज्य जिन्होंने इस निगम से बहुत उचित मात्रा में पैसा लिया है, उन्होंने क्या ये शर्तें केन्द्र सरकार के सामने रखीं थी ? उसका किसी प्रकार का कोई आधार अगर उन्होंने रखा था तो मेरा प्रश्न है कि क्या आपने उन राज्यों का अध्ययन किया ? क्योंकि अन्य राज्य इसका लाभ ले रहें हैं और अनुसूचित जातियों को इसका लाभ मिल रहा है। 4 प्रतिशत और 8 प्रतिशत की ब्याज दर से मिलने वाली रकम से स्वभावतः उन लोगों की उन्नति और विकास सम्भव है। जहां तक मेरा ख्याल है, इस प्रकार की योजना से यहां की अनुसूचित जाति को भी लाभान्वित करने के लिए, माननीय मन्त्री महोदय, भले ही वह मन्त्रीपरिषद् की उप समिति हो, मन्त्रीपरिषद् हो तुरन्त इसमें निर्णय लें और नहीं तो व्यक्तिगत रूप से जाकर भी केन्द्रीय मन्त्री से मिलकर कम से कम इसके बारे में वार्तालाप करें, नहीं तो बेमतलब यहां का अनुसूचित जाति वर्ग लाभान्वित होने से वंचित रह जाएगा।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने दूसरे राज्यों के यहां से भी जानकारी प्राप्त की है। उन राज्यों ने गारण्टी दी है और पर्याप्त पैसा भी उठाया है परन्तु, माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो कठोरता से पालन करवाया है उसका केन्द्रीय सरकार को, मुझे एक्जैक्ट जानकारी नहीं, पर वे आश्वासन देकर उसकी अनुपालना नहीं कर रहे हैं, अनुशासन भंग कर रहे हैं। जान बूझकर हमसे अनुशासन भंग करवाना केन्द्र सरकार चाहती है ताकि वह ऊपर बनी रहे तो हम यह नहीं चाहते कि जानबूझकर अनुशासन भंग करें। एक अच्छे तरीके से इसमें वे छूट दें ताकि छूट देने के बाद हम ठीक तरह से लोगों को पर्याप्त ऋण दे सकें। ऐसी व्यवस्था की जाए तो ठीक है। माननीय सदस्य ने जो कहा है कि चार प्रतिशत, 8 प्रतिशत, मेरी जानकारी में यह है कि अभी इन्ट्रेस्ट 12 प्रतिशत कर दिया है।

श्री टीकमचन्द कांत : कोई दिक्कत नहीं है, 18 से कम है, 24 से कम है।

श्री मदन दिलावर : एक किश्त भी चूक जाती है तो उस पर डबल ब्याज हो जाता है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, यह 12 प्रतिशत ब्याज कब से किया गया और किसने किया, एक तो मंत्री महोदय यह बताएं। दूसरा, जब मंत्री महोदय ने यह कहा है कि यह मामला मंत्रिमण्डल के विचाराधीन है तो मैं माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कृपया फरमाएं कि वह निर्णय कब तक हो जाएगा ?

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

मुझे भी इजाजत दें पूछने के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कारपोरेशन एस. सी. को ही नहीं जनजाति अभ्यार्थियों को भी लोन देता है लेकिन आज तक जनजाति के किसी भी आशार्थी को इन्होंने लोन नहीं दिया। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या मंत्रिमण्डल की कमेटी या मंत्रिमण्डल की बैठक में जनजाति के लिए कोई प्रस्ताव रखा गया था ? यदि रखा था तो गारण्टी क्यों नहीं दी गयी ? उसके पीछे क्या कारण हैं ?

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने 12 प्रतिशत का जो कहा है उसमें एक किस्त ड्यू होते ही 12 प्रतिशत हो जाता, यानी पैनल्टी स्वरूप इतना प्रतिशत हो जाता है। तो कई बार एक किश्त भी चूक जाएं तो, यह सारी दिक्कत हो जाती है। गारण्टी का जो चाहा है माननीय सदस्य ने एस. टी. के लिए, मैं कहना चाह रहा हूं कि अभी पिछले वर्षो से ही जनजाति को इसमें शामिल किया है, मूलत: यह अनुसूचित जाति विकास निगम था, अब जनजाति को भी शामिल किया है। और उसके बाद जब एस. सी. को गारण्टी मिलेगी, एस. टी. और ओ. बी. सी., दोनों इसमें शामिल है, इनको एक साथ ही गारण्टी देने का निर्णय होगा।

प्रश्न संख्या--56

श्री अध्यक्ष : श्री राधेश्याम जी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या--57

श्री लक्ष्मण सिंह रावत।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री रमाकान्त शर्मा।

जिला अलवर में निर्बन्ध योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य

58. श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निर्बन्ध योजना 1995-96 के तहत अलवर जिले में कितनी धनराशि के कार्य स्वीकृत हुए ?

(2) उक्त धनराशि में से कितनी राशि के कार्य थानागाजी पंचायत समिति में कराये गये ?

(3) क्या यह सही है कि इसमें असन्तुलन है ? यदि हां, तो सरकार दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही किये जाने का विचार रखती है ?

अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न विशिष्ट सेवा संगठन से सम्बन्ध रखता है इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको स्थगित करके विशिष्ट सेवा संगठन से जवाब दिलाया जाए।

श्री अध्यक्ष : वह गलती से इधर हो गया। इस प्रश्न को ट्रान्सफर किया है। दे रहे है ? जवाब दे रहे हैं क्या आप ?

श्री रमाकान्त शर्मा : इसमें बहुत सप्लीमेंटरीज हैं, नहीं दे सकेंगे । और देखिये आप, मैं सैटिस्फाई नहीं होऊंगा, मैं जानता हूं इसके बारे में ।

श्री अध्यक्ष : विशिष्ट सेवा वाले कोई दे रहे हैं ?

श्री रमाकान्त शर्मा : पिछली बार भी इस तरह की बातें हो चुकी हैं, सप्लीमेंटरीज का जवाब नहीं आता है इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको स्थगित करके ट्रांसफर कर दिया जाए ।

श्री अध्यक्ष : यह पी. डब्ल्यू. डी. का नहीं है, यह विशिष्ट सेवा संगठन में अनंगकुमार जी का है । दे रहे हैं क्या आप ? आपका जवाब तैयार हो तो दे दें आप ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मेरे सवालों से सम्बन्धित तो मैं दे ही दुंगा ।

श्री रमाकान्त शर्मा : मैंने निवेदन किया है कि इसको स्थगित करके ट्रान्सफर किया जाए, इसमें बहुत सप्लीमेंटरीज हैं । इसमें बहुत अन्याय हुआ है थानागाजी के साथ में । बड़ी भारी उपेक्षा हुई है, पैसा खर्च नहीं होता है निर्बन्ध योजना का थानागाजी के अन्दर । मैं बाकायदा आपके सामने निवेदन करूंगा कि कहां पर क्या चीज है और ये जवाब दे ही नहीं सकेंगे, इसलिए केवल मात्र प्रश्न को औपचारिक रूप से निपटाना है तो कर दीजिये आप । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न को ट्रांसफर किया जा रहा है ।

श्री रमाकान्त शर्मा : धन्यवाद ।

प्रश्न संख्या—59

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल जी मोदी ।

(अनुपस्थित; कृपया आगे देखें ।)

प्रश्न संख्या—60

श्री हरजीराम बुरड़क ।

(अनुपस्थित; कृपया आगे देखें)

श्री चुन्नीलाल धाकड़ ।

जिला चित्तौड़गढ़ में संचालित आश्वासित रोजगार योजना

61. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) चित्तौड़गढ़ में कितनी और कौन-कौन-सी पंचायत समितियों में आश्वासित रोजगार योजना लागू है ? क्या सरकार पंचायत समिति बेगूं में भी यह योजना चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में वर्ष 1990 से 1996 के बीच जवाहर रोजगार योजना एवं "30 जिले 30 काम" योजनान्तर्गत कौन-कौन-से कार्य कितनी-कितनी

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

लागत के कब-कब स्वीकृत हुए थे, उनमें से कितना व्यय किस-किस पर हो चुका, कितने पूर्ण हो चुके और जो शेष हैं वे कब तक पूर्ण हो चुके और जो शेष हैं वे कब तक पूर्ण हो जाएंगे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन (श्री अनंगकुमार जैन) : (1) चित्तौड़गढ़ जिले की 11 पंचायत समितियों में आश्वासित रोजगार योजना क्रियान्वित की जा रही है जो निम्नानुसार हैं–

1. प्रतापगढ़
2. अरनोद
3. छोटी सादड़ी
4. बड़ी सादड़ी
5. भैंसरोड़गढ़
6. निम्बाहेड़ा
7. चित्तौड़गढ़
8. भूपालसागर
9. डूंगला
10. कपासन
11. राशमी

आश्वासित रोजगार योजनान्तर्गत पंचायत समिति का चयन भारत सरकार द्वारा किया जाता है पंचायत समिति बेगूं को आश्वासित रोजगार योजनान्तर्गत चयनित करने के सन्दर्भ में प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये हुए हैं, जो भारत सरकार के पास विचाराधीन हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र बेगूं के अन्तर्गत वर्ष 1990 से 1996 तक जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कुल 657 कार्य 237.708 लाख रुपये की लागत राशि के स्वीकृत किये गये हैं। इन कार्यों पर 201.53 लाख रुपये व्यय हुए हैं। संदर्भित अवधि में उक्त क्षेत्र में 'तीस जिला तीस काम' योजना के अन्तर्गत 61.038 लाख रुपये की लागत राशि के 37 कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिन पर 36.638 लाख रुपये व्यय हुए हैं। वर्षवार-योजनावार विवरण मय कार्यों की वर्तमान स्थिति के परिशिष्ट एक पर अंकित है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से एक प्रश्न करना चाहता हूं कि बेगूं पंचायत समिति को आश्वासित रोजगार योजना के अन्दर लेने के लिए सिफारिश भारत सरकार को कब भेजी गयी ? नवम्बर दो, भारत सरकार किन मानदण्डों पर आश्वासित रोजगार योजना में किसी पंचायत समिति को लेती है ? दूसरे खण्ड में जो कार्य बताये गये हैं अपूर्ण, उनके पूर्ण होने की अवधि क्या थी ? अब जो शेष रह गये हैं उनके बारे में यह नहीं बताया गया कि वे कब तक पूर्ण हो जाएंगे, कृपया यह बताइये।

श्री अनंगकुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश के अन्दर प्रारम्भ में कुछ पंचायत समितियां आश्वासित रोजगार योजना के अन्तर्गत थीं। पिछले दो

(श्री अनंगकुमार जैन)

वर्षों के अन्दर 50 पंचायत समितियों को इस योजना के अन्दर सम्मिलित करवाया गया। लगातार पिछले 2 वर्षों से राजस्थान सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा यह लिखा जा रहा है भारत सरकार को कि राजस्थान की विषम परिस्थितियों के कारण जो बची हुई पंचायत समितियां हैं उन सभी को आश्वासित रोजगार योजना के अन्तर्गत शामिल किया जाए। भारत सरकार के अपने नार्म्स हैं लेकिन कई बार नार्म्स से हटकर भी पंचायत समितियों को वह स्वीकृत करती है, पूरे हिन्दुस्तान के लेवल पर यह तय होता है। वहां यह तय होता है कि इस वर्ष पूरे हिन्दुस्तान में कितनी पंचायत समितियों को जोड़ा जाएगा। राजस्थान प्रदेश की ओर से लगातार माननीय मुख्य मन्त्री जी के स्तर से और सचिव स्तर से इस बात का प्रयास किया जाता रहा है, उसी का प्रतिफल अच्छा प्राप्त हुआ है कि पिछले 2 वर्षों के अन्दर काफी पंचायत समितियां इसके अन्दर शामिल हो गयीं। जैसे चित्तौड़ के अन्दर 14 में से 11 पंचायत समितियां आश्वासित रोजगार योजना....

श्री अध्यक्ष : आप तो बेगूं की बात करो, बेगूं की जल्दी करवाओ बस।

श्री अनंगकुमार जैन : मैं यह निवेदन कर रहा हूं, बेगूं के लिए ही नहीं अभी तो जितनी भी बची हुई पंचायत समितियां हैं, सब के लिए लिख रखा है। मैंने स्वयं भी लगातार राजस्थान सरकार की ओर से जितने भी एम. पीज. हैं, सारे 25 एम. पीज. को अपनी तरफ से डी. ओ. लैटर लिखे और कई से मैं व्यक्तिगत रूप से मिला। इस बात के लिए उनसे कहा कि आप भी अपनी ओर से भारत सरकार के ऊपर दबाव डालें कि राजस्थान प्रदेश के अन्दर जो बची हुई पंचायत समितियां हैं उनको आश्वासित रोजगार योजना के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया जाए। इस साल भी हम लगातार इस प्रयास में हैं कि जो बची हुई पंचायत समितियां हैं वे आश्वासित रोजगार योजना के अन्तर्गत आ जाएं।

दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि जो कार्य स्वीकृत हैं वे कब तक पूरे हो जाएंगे। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, विकास की गति सतत् प्रक्रिया है, यह कभी बन्द नहीं होती, कार्य चलते हैं, फिर नये कार्य स्वीकृत होते हैं। तो वहां लगातार कार्य जारी हैं। जैसे-जैसे कार्य वहां प्रगति पर हैं, आप स्वयं भी डी. आर. डी. ए. के सदस्य हैं, आप भी उस पर निगरानी रखते हैं। उसके बावजूद भी यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी कार्य में अननेसेसरी कोई डिले हो रहा है या प्रशासनिक दृष्टि से कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताएं, मैं निश्चित रूप से उसकी व्यवस्था करूंगा।

प्रश्न संख्या—62

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन जी चौधरी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या—63

श्री रामपाल उपाध्याय।

(अनुपस्थिति, कृपया आगे देखें)

(श्री अध्यक्ष)

श्री ओमप्रकाश शर्मा ।

प्रदेश की खनिज नीति

64. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : क्या उप मुख्य मन्त्री (जन अभियोग निराकरण) यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि प्रत्येक जिले में कई प्रकार की बैठकें जिलाधीश की अध्यक्षता में होती हैं ? यदि हां, तो बूंदी, कोटा, बारां एवं झालावाड़ प्रत्येक जिले में कितनी-कितनी कमेटियां हैं एवं इनकी बैठकों का समय क्या है ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त कमेटियों की बैठकें समस्याओं के निराकरण के लिए हैं ? यदि हां, तो जिला बूंदी में 1 जनवरी, 1996 से 31 दिसम्बर, 1996 तक कितनी बैठकें बुलायी गयीं और उनमें कितनी अन्तिम समय (बैठक के ठीक पूर्व) पर स्थगित कर दी गयीं ?

(3) क्या सरकार सभी बैठकें सप्ताह में एक ही दिन तय करने का विचार रखती है ताकि सभी विभागों का कार्य सुचारू रूप से चल सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मुख्यमंत्री (श्री हरिशंकर भामड़ा) : (1) जी हां । बूंदी में 7, कोटा में 30, बारां में 30 एवं झालावाड़ में 22 कमेटियां हैं । इन कमेटियों का नाम एवं समय परिशिष्ट "क", "ख", "ग" व "घ" पर उपलब्ध है ।

(2) जी हां । बूंदी जिले में 1-1-96 से 31-12-96 तक बुलायी गयी व स्थगित की गयी स्थायी व अस्थायी बैठकों की सूची परिशिष्ट "अ" व "ब" पर उपलब्ध है ।

(3) जी नहीं । सामान्यत: बैठकों का समय जिलाधीश व कमेटियों के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श कर तय किया जाता है ।

(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, पहले प्रश्न के जवाब में ही विसंगतियां हैं, अधिकारियों की पहचान साफ हो रही है कि अधिकारी किस प्रकार काम करते हैं । बूंदी में 7, बूंदी में भी जिलाधीश हैं और कोटा में 30, कोटा के अन्दर कोई कलक्टर विदेश से आया हो, यह मुझे पता नहीं, बारां में 30 व झालावाड़ में 22 । तुलनात्मक देखिए कि किस प्रकार की मीटिंग हो रही हैं । इसके साथ ही मेरा प्रश्न है कि क्या गवर्निंग कांउसिल की मीटिंग तीन माह में बुलायी जाती है ? बूंदी में 13 महीने में मीटिंग बुलायी गयी है । अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैंने प्रश्न किया है कि जनवरी, 1996 से लेकर दिसम्बर, 1996 तक कितनी मीटिंगें गवर्निंग कांउसिल की हुई और कितनी बार स्थगित की गयीं ? नम्बर एक ।

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

नम्बर दो मेरा प्रश्न है कि प्रबंध मदिरा की दुकानें, टास्क फोर्स समिति, साक्षरता समिति, जिला स्तरीय औद्योगिक सलाहकार समिति जिला पर्या-पर्यावरण समिति, नजूल सम्पत्ति, इनकी मीटिंगें कब-कब हुईं और कितनी बार स्थगित की गयीं ? तीसरा मेरा प्रश्न है, क्या यह सही है कि जिला कमेटी के सदस्य विधायक भी होते हैं और राज्य सरकार का यह आदेश है कि जिस कमेटी में विधायक होता है वह मीटिंग शनिवार को होनी चाहिये ? आपने जवाब दिया है-जी नहीं, सामान्यतः बैठकों का समय जिलाधीश व कमेटियों के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श कर तय किया जाता है। (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कांत : जिला कलक्टर शब्द है, जिलाधीश नहीं।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : जिलाधीश लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : मेरा निवेदन है कि प्रश्न का उत्तर ही विसंगतिपूर्ण है। दूसरा, जब राज्य सरकार ने यह आदेश दे रखा है कि अंग्रेजी के बजाय हिन्दी में काम किया जाए तो तीन कलक्टर तो हिन्दी में जवाब दे रहे हैं और एक कलक्टर अंग्रजी में जवाब दे रहा है। इसमें, उप मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, वे बताएं कि क्या तरीका है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सारी बातें स्पष्ट हुई हैं, अभी दो दिन पहले उप मुख्य मंत्री जी ने स्वयं जिला कलक्टर से पूछा है कि मीटिंग उद्योग विभाग की कब बुलायी थी नजूल सम्पत्ति की कब बलायी, तो उन्होंने कहा कि चार महीने हो गये और यहां पर जवाब दे रहे हैं कि मीटिंग बुलायी गयी है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसका स्पष्टीकरण दें, जवाब पूरा दें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है उसका उत्तर तो डिटेल्स में 2-1-96 से लेकर और अब तक जितनी मीटिंगें बुलायीं जिला कलक्टर बूंदी ने, वह सारी लिस्ट आपको दी है और आप चाहे तो मैं पूरी पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष : इससे तो समय जाया करने से कोई मतलब नहीं है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यदि आपको शिकायत यह है कि जिला कलक्टर, बूंदी ने कुछ समितियों की मीटिंग समय पर नहीं बुलायी या उसके बीच में बहुत अधिक लम्बा समय हो गया या कम बुलायी, जैसा आपने मुझे आज के दो दिन पहले एक समिति के बारे में कहा कि मीटिंग नहीं बुलायी तो मैंने इमीजिएटली कलक्टर को इंसट्रक्शंस दिये कि तुरन्त मीटिंग बुलायी जाए। आप उन समितियों की लिस्ट मुझे दे दीजिए जिनकी मीटिंगें नहीं बुलायी है, हम जिला कलक्टर का जवाब भी तलब कर लेंगे और उन मीटिंगों को भी जल्दी बुला लेंगे।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। इनका तो मात्र गवर्निंग कांउसिल में नहीं बुलाया,

(श्री अध्यक्ष)

उसका प्रश्न है। गवर्निंग कांउसिल की बात कह रहे हैं आप ?

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जो मीटिंगे नहीं बुलायीं उससे बूंदी जिले में विकास का जो नुकासन हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है ? आज गवर्निंग कांउसिल मीटिंग में सारे मुद्दे तय होते हैं। अभी पैसा लैप्स हो रहा है, कौन जिम्मेदार है इसका ? मीटिंग बुला देंगे, मीटिंग हो जाएगी, पर उसका जिम्मेदार कौन है ? उस जिम्मेदार के साथ क्या किया जाएगा, यह जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलाल जी।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवरायपाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय से जानकारी चाहूंगा, जब इस प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि 13 महीने तक गवर्निंग कांउसिल की मीटिंग बूंदी में नहीं की गयी तो कैसा विकास हो रहा है ? मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान सरकार को और राजस्थान सरकार के मंत्रियों को कि राजस्थान के उन क्षेत्रों के लिये जो डांग विकास के नाम से घोषित किये गये हैं लाखों-करोड़ों का बजट दिया जा रहा है। दुःख का विषय है कि इस पूरे पुतले में कहीं भी डांग विकास की, दो साल से जब से यह योजना मंजूर हुई है-केवल मात्र 5 अगस्त, 1995 को मीटिंग हुई है उसके बाद आज दिन तक मीटिंग नहीं हुई है और सारा पैसा कलक्टर पास कर रहा है। इससे ज्यादा लज्जाजनक बात हमारे लिये और क्या हो सकती है ? वहां कलक्टर को शासन के लिये बैठा रखा है क्या ? डांग विकास क्षेत्र की आज दिन तक मीटिंग नहीं हुई है, सारा पैसा मंजूर किया गया है और विधायकों को प्रेस विज्ञप्तियां देकर बदनाम कर रहा है। क्या माननीय मन्त्री महोदय ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अंकुश लगाएंगे कि हमारी लोकप्रिय सरकार में अधिकारियों को नहीं जन प्रतिनिधियों को महत्ता दी जाए ?

श्री हरिशंकर भामड़ा : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायकों की जो शिकायतें हैं निश्चित रूप से उसके आधार पर अंकुश भी लगाया जाएगा, जवाब भी तलब किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो एक्शन भी लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : विराजें, हो गयी बात। गवर्निंग कांउसिल में बुलाएंगे अबकी बार। श्रीमती इन्दिरा मायाराम जी।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अभी अंतिम प्रश्न का जवाब नहीं आया। मैंने निवेदन किया है कि जो राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि शनिवार को ही मीटिंग बुलायी जाए वह सही है या जो जिला कलक्टर वहां तय करेंगे वह सही है; इसका जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : विराजें। श्रीमती इन्दिरा मायाराम जी।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : राज्य सरकार का आदेश तो जिला कलक्टर को मानना ही पड़ेगा और वह हमेशा सही होगा। नहीं मानेगा तो कार्यवाही करेंगे।

प्रश्न संख्या-65

श्री अध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा माया-रामजी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री अरूण सिंह जी।

जिला भरतपुर में मलेरिया प्रभावितों को मुआवजा

66. **श्री अरूण सिंह (डीग) :** क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा भरतपुर जिले में मलेरिया महामारी की रोकथाम के लिये कोई उपाय किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ?

(2) जिला भरतपुर में मलेरिया से कितनी मौते हुई ? क्या सरकार मलेरिया से मृत व्यक्तियों के परिजनों को मुआवजा देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

(3) पंचायत समिति डीग के किन-किन गांवों में मलेरिया से कितनी-कितनी मौते हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (श्री राजेन्द्र राठौड़) : (1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा भरतपुर जिले में मलेरिया की रोकथाम हेतु उपाय किये गये हैं। जिले को तीन जोन में बांटा गया जिसमें प्रत्येक जोन में उस क्षेत्र का एक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया। प्रत्येक जोन के अधीन कार्यरत् चिकित्सा अधि-कारी, प्रभारी के नेतृत्व में मलेरिया मोबाइल टीम्स बनाकर मलेरिया एवं अन्य मौसमी बीमारियों की रोकाम हेतु व्यवस्था की गयी। प्रत्येक बुखार के रोगियों की रक्त पट्टिका का संचय कर समय में ही निःशुल्क आवश्यक उपचार दिया गया। अत्यधिक वर्षा तथा बाढ़ की स्थिति से प्रभावित क्षेत्रों में मलेरिया रोग की स्थिति नियंत्रण करने हेतु 37 चल चिकित्सालय एवं 26 स्प्रे टीम लगायी गयी हैं। जिले में दिनाक 1-1-96 से 28-12-96 तक कुल 538568 रक्त पट्टिकाओं का संचयन करा कर जांच करायी गयी। जिसमें मलेरिया रोग के 62999 व्यक्ति रोगी पाये गये जिसमें पी. वी. एक्स. के 36096 एवं पी. एफ. मिक्स से प्रभावित 26 हजार के लगभग व्यक्ति पाये गये तथा जिनका निःशुल्क आमूल उपचार किया गया। जिले में 749 डी. डी. सी. केन्द्र खोलकर चालू करवाये गये।

(2) भरतपुर जिले में मलेरिया से कुल 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। मलेरिया से मृत व्यक्तियों के परिवारजनों को मुआ-वजा दिये जाने हेतु वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचारार्थ नहीं है।

(3) पंचायत समिति डीग के गांव मोड़ाको में एक, डीग कस्बे में दो कुल

(श्री राजेन्द्र राठोड़)

तीन मृत्यु मलेरिया रोग से हुई हैं। सूची रख दी गयी है।

(सूची के लिए परिशिष्ट-2 देखें)

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय के जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। पिछले साल बाढ़ के कारण जो एपिडेमिक मलेरिया भरतपुर जिले में, हरियाणा में फरीदाबाद और गुड़गांव में फैला, यह सरकार का दोष नहीं है। एक एपिडेमिक के रूप में मलेरिया स्प्रैड हुआ, ढाई हजार आदमी मलेरिया से डीग उप खण्ड में मर चुके हैं। मंत्री जी और सरकार ने पूरे प्रयास किये, मंत्री जी खुद भी वहां आये। पर एक एपिडेमिक जो स्प्रैड हुआ, सरकार को डिनाई नहीं करना चाहिये। जैसे हरियाणा विधान सभा में मुख्य मंत्री ने खुद कहा कि हरियाणा में ढाई हजार आदमी मलेरिया से मरे, मंत्री जी, आपने तीन का जिक्र किया वह सरेआम असत्य है। मलेरिया एक एपिडेमिक के रूप में वहां स्प्रैड हुआ और अब मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, सरकार को चेतावनी दे रहा हूं कि मलेरिया फिर एपिडेमिक के रूप में अप्रेल और मई में भरतपुर में स्प्रैड होगा, उसके लिये आप जरूर कोई उपाय करें।

(12.00)

श्री राजेन्द्र राठोड़ : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि लगभग ढाई हजार लोगों की मृत्यु मलेरिया से हुई है। पूरे राजस्थान के अन्दर पिछले वर्ष 95 लोगों की मृत्यु हुई थी। राजस्थान के अन्दर 9 व्यक्ति प्रति हजार प्रति वर्ष डैथ रेट है, इसके अनुसार राजस्थान में साल भर में 3 लाख 96 हजार व्यक्ति और एक दिन में 1084 व्यक्ति सामान्यतः किसी न किसी कारण से मरते हैं। इन सारे मृतकों की संख्या मलेरिया के दिनों में मलेरिया के साथ मिलाकर देखा जाना, इस देखने की वजह से जो अतिरंजित आंकड़ा आता है उसकी वजह से इस तरह का एक वातावरण बनता है।

अध्यक्ष महोदय, इस पूरे मलेरिया का मूल्यांकन और मलेरिया का कार्यक्रम जिस तरह प्रभावी रूप से राज्य सरकार ने नियंत्रित किया उसके लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक टीम 26, 27 और 28 दिसम्बर को भरतपुर गयी। उस टीम ने यह कहा कि राज्य सरकार ने त्वरित कदम उठाकर मलेरिया की रोकथाम के जो प्रबन्ध किये वे सराहनीय हैं। अगले वर्ष में मलेरिया नहीं फैले, इसके लिये हमने एक क्रैश प्रोग्राम बनाया है। उस क्रैश प्रोग्राम को भारत सरकार ने भी अंगीकार किया है, राजस्थान मॉडल मलेरिया क्रैश प्रोग्राम को दूसरे राज्य भी लागू कर रहे हैं। पर हम चिन्तित हैं और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इस बार मलेरिया से ज्यादा लोग पीड़ित न हों।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : अध्यक्ष महोदय, कच्ची बस्ती का एक प्रश्न है....(व्यवधान) बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको भी लीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कौनसा प्रश्न है ? नहीं, अब नहीं ।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : अध्यक्ष महोदय, चूंकि लेट शुरू हुआ.... (व्यवधान)

श्री पराक्रम सिंह (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, एक एड्स का प्रश्न है... (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : आधा घण्टा तो उसमें चला गया । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री राजेन्द्र गहलोत : आधे घण्टे का समय चला गया, बड़ा इम्पॉर्टेण्ट सवाल है । अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिए, विराजिए । अब के देख लेंगे, वैसे ही आपके यहां तो सब हो ही जाता है ।

श्री राजेन्द्र गहलोत : बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है....(व्यवधान) 15 मिनट का मामला है ।....(व्यवधान)

श्री पराक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, एड्स का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, नहीं आया । उसको आधे घण्टे की चर्चा में लीजिए, आप से हाथ जोड़कर विनती है ।

श्री अध्यक्ष : हां, करेंगे । यह इम्पोर्टेण्ट इश्यू है, यह मजाक की बात नहीं है ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर इस तरह के विषय पर चर्चा हाउस में होनी चाहिए. एड्स का रोग हमारे लिये बहुत बड़ी चुनौती बनकर आ रहा है । सदन के अन्दर वी. पी. सिंहजी जैसे कुछ विशेषज्ञ मौजूद है तो आपका मार्गदर्शन मिलेगा इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आधे घण्टे की चर्चा में रख लें, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : विराजिए । प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये परिशिष्ट 3 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

ग्राम चक सुदर्शनपुरा (जयपुर) की भूमि पर अतिक्रमण प्रकरण

52. श्री शांति कुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम चक सुदर्शनपुरा जिला जयपुर की भूमि खसरा नम्बर 285 रकबा 11 बिस्वा का सरकार द्वारा अधिग्रहण किया गया था ? यदि हां, तो कब किस कार्य हेतु व उसकी मुआवजे की कितनी राशि कब व किसको दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा अवैध कब्जा किया

(श्री कान्ति कुमार भारीवाल)

क्या है ? यदि हां, तो किसके द्वारा व कितनी भूमि पर ? उक्त भूमि का वर्तमान कुल बाजार मूल्य क्या है ?

(3) क्या यह भी सही है कि अतिक्रमी द्वारा बाद में बताई गई 40×20 फीट भूमि को नियमानुसार नोटिस देकर खाली कराने बाबत सिविल न्यायाधीश, जयपुर नगर पूर्व द्वारा आदेश पारित किये गये हैं ? जबकि अतिक्रमी द्वारा वास्तविक रूप से 10,000 वर्गफीट से भी अधिक भूमि पर कब्जा किया गया है ? यदि हां, तो न्यायालय द्वारा यह आदेश कब पारित किया गया एवं सरकार द्वारा उक्त अतिक्रमी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों व इस हेतु कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ? सरकार द्वारा दोषी कर्मियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि से अतिक्रमी का अवैध कब्जा हटाने हेतु किसी विभाग द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण से पत्राचार किया गया ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार उक्त अतिक्रमी के विरुद्ध राज्य हित में अब कोई कार्यवाही कर भूमि का वास्तविक कब्जा प्राप्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) खसरा नम्बर 285 ग्राम चक सुदर्शनपुरा रकबा 11 बिस्वा भूमि का अधिग्रहण लाल कोठी योजना हेतु दिनांक 9.1.64 को किया गया था। भूमि सिवायचक गैर मुमकिन आबादी थी, जिस पर निम्नांकित पांच व्यक्ति काबिज थे :—

(1) श्री रामचन्द्र पुत्र श्री लाल
(2) श्री गोविन्दराम पुत्र श्री गौरी लाल
(3) श्री सुरजन पुत्र श्री बांसी लाल
(4) श्री नाथूराम पुत्र श्री चन्दा लाल
(5) श्री नानगराम पुत्र श्री ...

अवार्ड अनुसार कब्जाधारकों को लालकोठी में ही 111 वर्ग गज के तीन भूखण्ड एवं स्ट्राक्चर्स बाबत निम्नानुसार राशि दी गई थी :—

नाम	चैक नम्बर	दिनांक	राशि
श्री नानगराम	252446	7-8-70	323.30
श्री रामचन्द्र	252442	7-8-70	527.99

(नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री)

1	2	3	4
श्री गोविन्दराम	252443	7-8-70	716.55
श्री सुरजन	252444	7-8-70	556.75
श्री नाथूराम	252445	7-6-70	972.42
		कुल योग	3097.01

(2) जी हां, उक्त भूमि पर निम्नांकित तीन व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया था (1) श्री दयाल उर्फ रामदेव पुत्र केशर लाल, लगभग 8×8 फुट में ईंटों की कोटडी टिनशेड की, जिसे दिनांक 4-1-97 को हटा दिया गया है, (2) श्री रामवतार पुत्र श्री केशरलाल, लगभग 8×10 फिट में ईंटों की कोटडी बिना छत की जिसे 4-1-97 को हटा दिया गया है, (3) श्री गणेश पुत्र श्री केशरलाल कुमावत, लगभग 10.000 वर्ग फिट में कब्जा करके उसमें 10×30 फिट का टीनशेड, 10×30 का टीनशेड, 10×10 का टीनशेड 10×10 में मन्दिर का निर्माण किया गया था।

उक्त भूमि का वर्तमान बाजारी मूल्य लगभग 9210 रू. प्रति वर्ग मीटर होना चाहिये क्योंकि लाल कोठी योजना में दिनांक 26-12-96 को आवासीय भूखण्ड की नीलामी दर 9210 रु. उच्चतम प्राप्त हुई है।

(3) जी हां। यह कि उक्त तीनों अति-क्रमियों को जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 72 के तहत दिनांक 28-12-96 को नोटिस जारी किये गये एवं श्री गणेश कुमावत की एक कोटड़ी एवं एक मन्दिर के निर्माण को छोड़कर दिनांक 4-1-97 को तीनों अतिक्रमियों का अति-क्रमण हटा दिया गया है एवं खाली कराई गई भूमि का कब्जा हाथों हाथ कनिष्ठ अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग को संभला दिया गया है। अतः किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गई है।

(4) सचिव, राजस्थान विधान सभा द्वारा पत्राचार किया गया था, इसकी अनुपालना में अवैध कब्जा उपरोक्तानुसार हटाया गया है लगभग 20×40 फीट में श्री गणेश कुमावत को जो कब्जा है उसके प्रति न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायधीश से स्थगन आदेश होने के कारण कब्जा अभी तक नहीं हटाया जा सका है जिसे निरस्त

(नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री)

करवाने हेतु प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की जा रही हैं।

(5) अतिक्रमी श्री गणेश कुमावत द्वारा न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश जयपुर से स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है, जिसमें आगामी तारीख पेशी 22-5-97 को है। उक्त स्थगन आदेश को निरस्त करवाने हेतु प्राधिकरण के प्रयास जारी है। स्थगन आदेश निरस्त होते ही अतिक्रमण हटाकर कब्जा प्राप्त कर लिया जावेगा एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग को सम्भला दिया जावेगा।

ग्राम रींगण (लाडनूं) में डी. डी. पी. योजनान्तर्गत निर्मित तालाब

53. श्री मोहन लाल बारूपाल (जायल) एवं श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि ग्राम रींगल पंचायत समिति, लाडनूं जिला नागौर में डी. डी. पी. योजना के अन्तर्गत पक्के तालाब का निर्माण कराया गया था ? यदि हां, तो कब तथा कितनी राशि से ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसका निर्माण कार्य शुरू होने पर निर्माण के घटिया होने की शिकायतें ग्रामवासियों ने की थी ? यदि हां, तो कब-कब, क्या-क्या शिकायतें और उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या इसकी जांच की गई ? यदि हां, तो किसके द्वारा कब तथा शिकायतों के बिन्दु क्या थे और जांच किस-किस बिन्दु पर की गई ?

(4) क्या यह भी सही है कि शिकायत मुख्यतया घटिया सामग्री और घटिया चुनाई की थी परन्तु इसकी जांच नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि घटिया सामग्री व घटिया चुनाई के कारण प्रथम बरसात में ही यह निर्माण कार्य टूट-फूट गया ? यदि हां, तो क्यों तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

(6) क्या इसका भुगतान पूरा कर दिया गया है ? उक्त सम्बन्ध में अब और क्या कार्यवाही की जानी शेष है जो कब तक की जा सकेगी ?

(7) इस घटिया निर्माण के लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि ग्राम रींगण प. स. लाडनूं जिला नागौर में डी. डी. पी. योजना के अन्तर्गत पक्के तालाब का निर्माण कराया गया था। कार्य दिनांक 29-3-95 से 31-8-95 तक कराया गया। इस कार्य पर 4.98 लाख रु. स्वीकृत किये

(विशिष्ट योजना संगठन राज्य मन्त्री)

किये जिसके विरुद्ध कार्य पर 4.98 लाख रु. व्यय किये गये।

(2) यह सही नहीं है कि निर्माण कार्य शुरू होने पर निर्माण के घटिया होने की शिकायतें ग्रामवासियों ने की थी। निर्माण कार्य शुरू होने के तीन माह बाद श्री कानाराम एवं पूर्णाराम गोदारा निवासी रींगण ने दिनांक 19-6-95 को विकास अधिकारी, प. स. लाडनूं को शिकायत प्रस्तुत की थी तथा प्रतिलिपि जिला कलक्टर नागौर एवं डी. आर. पी. नागौर को पृष्ठांकित की गई थी। जिला कलक्टर नागौर द्वारा विकास अधिकारी लाडनूं को पत्र संख्या 462 दिनांक 29-6-95 के द्वारा जाँच के निर्देश दिये गये। इस शिकायत की प्रति संलग्न कर श्री हरजीराम बुरड़क, विधायक लाडनूं ने भी शासन सचिव, महोदय वि. यो. संगठन को पत्र लिखा था जाँच कराने हेतु निवेदन किया। शिकायत के मुख्य बिन्दु घटिया सामग्री लगाने के सम्बन्ध में तथा निविदा में चूना गोटन से एवं बजरी रूपनगढ़ में नहीं लाकर लगाने के सम्बन्ध में थी। शिकायत की जांच पंचायत समिति लाडनूं के कनिष्ट अभियन्ता एवं विकास अधिकारी ने करके जिला कलक्टर को जाँच रिपोर्ट भिजवाई थी। जिसके अनुसार निर्माण कार्य में घटिया सामग्री नहीं लगाया जाना एवं कार्य को संतोषजनक पाया गया। विकास अधिकारी लाडनूं ने यह भी स्पष्ट किया कि कार्य के लिए सामग्री क्रय करने हेतु निविदा में यह शर्त नहीं थी कि चूना गोटन से एवं बजरी रूपनगढ़ से मंगवाई जावें। इस कार्य की जाँच सहायक अभियन्ता डी. आर. डी. ए. नागौर द्वारा भी दिनांक 17-8-95 को की गई। सहायक अभियन्ता द्वारा भी कार्य को संतोषजनक पाया गया।

(3) जी हाँ, रींगण तालाब की जाँच के सम्बन्ध में प. स. लाडनूं के कनिष्ट अभियन्ता एवं विकास अधिकारी लाडनूं द्वारा दिनांक 24-7-95 को जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तथा सहायक अभियन्ता, डी. आर. डी. ए., नागौर द्वारा इस प्रकरण के सम्बन्ध में दिनांक 17-8-95 को जाँच की गई। शिकायत का मुख्य बिन्दु घटिया सामग्री लगाने के सम्बन्ध में था। जाँच रिपोर्ट के अनुसार इस निर्माण कार्य में घटिया सामग्री नहीं लगाई गई एवं कार्य को सन्तोषजनक पाया गया।

(4) जी हाँ, यह सही है कि शिकायत मुख्यतया घटिया सामग्री और घटिया चुनाई की थी परन्तु यह सही नहीं है कि इसकी जांच नहीं की गई।

(5) जी नहीं, यह सही नहीं है कि घटिया सामग्री एवं घटिया चुनाई के कारण निर्मित कार्य प्रथम बरसात में टूट-फूट गया। अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी।

(6) जी हाँ, इस कार्य का पूरा भुगतान 4.98 लाख रु. का किया जा चुका हैं। अब इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जानी बाकी नहीं हैं।

(7) जाँच अधिकारियों ने इस कार्य को संतोषजनक पाया है तथा कार्य ग्रामीण

(राज्य मंत्री विशिष्ट योजना संगठन)

निर्देशिका के अनुसार कराया गया है। अतः घटिया निर्माण के लिये कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं हैं एवं कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की कृषि भूमियों पर सवर्णों द्वारा अवैध कब्जे

54. श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति की कृषि भूमियों पर अन्य प्रभावी एवं सवर्ण व्यक्तियों का आधिपत्य प्रदेश भर में अवैध रूप से बना हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार नये टीनेन्सी एवं लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत कोई परिमार्जन एवं परिष्कार करने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र एवं आन्ध्रप्रदेश की सरकारों ने इन वर्गों की कृषि भूमि पर से अवैध कब्जा हटा कर पुनः इन वर्गों के काश्तकारों को सुपुर्द करने का प्रावधान किया है ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 30-9-96 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 213 मामलों में गैर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों का कब्जा हटाया गया एवं पुनः कब्जा दिलाया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में नयी धारा 183(ग) वर्ष 1995 में जोड़कर यह व्यवस्था की गयी है कि उक्त व्यक्तियों की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमियों द्वारा किये गये अतिक्रमण नहीं हटाये जाने की स्थिति में उन्हें न्यूनतम एक माह एवं अधिकतम तीन वर्ष की सजा दी जा सकती है एवं इसके साथ ही 20,000/- रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे मामलों में अतिक्रमी को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि उसने ऐसा अपराध नहीं किये हैं। नया काश्तकारी विधेयक एवं भू-राजस्व विधेयक को विधान सभा में प्रस्तुत कर दिया गया है एवं सदन द्वारा इसे प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया है। प्रवर समिति का प्रतिवेदन अभी नहीं आया है।

(2) मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं आन्ध्र प्रदेश के इस सम्बन्ध में नवीनतम प्रावधान उपलब्ध नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1995 की धारा 183 (ख) में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति या लोक सेवक द्वारा ऐसे अतिक्रमियों की शिकायत करने पर अतिक्रमियों को संक्षिप्त जांच से बेदखल किया जावेगा। ऐसी जांच संक्षिप्त तौर पर की जायेगी। इसके अलावा धारा 183 (ग) में भी संशोधन कर उत्तर के भाग एक के अनुसार कठोर प्रावधान किये गये हैं। अतिक्रमियों की बेदखली पर भूमि पर कब्जा पुनः उक्त वर्ग के व्यक्तियों को दिया जाता है।

चक 15 एन. पी. (श्री गंगानगर) का बच्चों की बलि प्रकरण

56. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि चक 15 एन. पी. ग्राम जिला श्री गंगानगर में तान्त्रिकों के गिरोह द्वारा दो बच्चों की बलि चढ़ा दी गई ? यदि हाँ, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि पुलिस द्वारा इस मामले की जाँच की गई ? यदि हाँ, तो जाँच का परिणाम सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा इस मामले में दोषी पाए गए लोगों को गिरफ्तार किया गया ? यदि हाँ, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चक 15 एन. पी. जिला श्री गंगानगर में गुरुदेवसिंह पुत्र श्री अर्जुनसिंह कापड़िया निवासी 15 एन. पी. नामक व्यक्ति द्वारा अपनी तान्त्रिक विद्या की सिद्धी के लिए कुमारी चरणों उम्र ढाई-तीन वर्ष की बच्ची की हत्या करना प्रमाणित पाया गया है। दूसरे बच्चे श्री विजयसिंह उम्र 10 माह की मृत्यु के सम्बन्ध दर्ज अभियोग अभी अनुसंधानाधीन है। अब तक के अनुसंधान से यह मामला नरबलि का होना नहीं पाया गया।

(2) कु. चरणों की हत्या के सम्बन्ध में दर्ज अभियोग संख्या 39/96 दिनांक 17-3-96 अन्तर्गत धारा 302, 201 भादस थाना मुकलावा में अनुसंधान के बाद अभियुक्त के विरुद्ध चालान किया जा चुका है। चार्जशीट की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। दूसरे बच्चे श्री विजय सिंह की मृत्यु के सम्बन्ध में दर्ज अभियोग संख्या 435/96 दिनांक 17-10-96 धारा 364, 302, 34 भादस थाना रायसिंहनगर अभी अनुसंधानीय है।

(3) अभियोग संख्या 39/96 थाना मुकलावा में अभियुक्त गुरुदेवसिंह पुत्र श्री अर्जुनसिंह जाति कापड़िया नि. 15 एन. पी. को धारा 302, 201 भादस में गिरफ्तार किया जा कर चालान दिनांक 28-6-96 को न्यायालय में पेश किया गया है। विवरण परिशिष्ट "क" निहित है एवं अभियोग सं. 435/96 थाना रायसिंहनगर अभी अनुसंधानाधीन है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

राज्य के राजकीय उपक्रम

57. श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : क्या मुख्य (राजकीय उपक्रम) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य के कौन-कौन से राजकीय उपक्रमों में पिछले पाँच वर्षों में कितनी-कितनी हानि तथा लाभ हुआ ?

(2) सरकार हानि में चल रहे राजकीय उपक्रमों की स्थिति सुधारने

(40)

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

हेतु क्या-क्या उपाय करने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार किसी राजकीय उपक्रम को बन्द करने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजकीय उपक्रम ब्यूरो के अधीन उपक्रमों के गत 5 वर्षों के हानि-लाभ का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) घाटे के सार्वजनिक उपक्रमों के बारे में सरकार की नीति है कि उनके पुर्नजीवन की सम्भावना, घाटे की स्थिति, सार्वजनिक हित में उपादेयता एवं श्रमिक हित जैसे महत्वपूर्ण बिन्दुग्रों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक उपक्रम की परिस्थितियों के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाए।

(3) जी हाँ। निरन्तर घाटे में चल रहे उपक्रमों के सम्बन्ध में उनके प्रबन्धन एवं सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों द्वारा सम्बन्धित उपक्रम के घाटे की स्थिति, सार्वजनिक हित में उनकी उपादेयता, पुर्नजीवन की सम्भावना, कर्मचारियों के हित एवं अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुग्रों के परीक्षण के उपरान्त ही गुणावगुण के आधार पर उचित निर्णय लिया जाता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

राज्य के मान्यता प्राप्त बी. फार्मा एवं डी. फार्मा संस्थान

59. श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में बी. फार्मा एवं डी. फार्मा कोर्स हेतु कौन-कौन से संस्थान मान्यता प्राप्त हैं ? इनमें कितनी-कितनी सीटें हैं ?

(2) राजस्थान से बाहर के कौन-कौन से संस्थानों को बी. फार्मा एवं डी. फार्मा कोर्स हेतु राज्य सरकार ने मान्यता प्रदान कर रखी है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या बी. फार्मा एवं डी. फार्मा कोर्स हेतु छात्रों की संख्या के हिसाब से राज्य में पर्याप्त संस्थान हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार नये संस्थान खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सूचना संलग्न परिशिष्ट 1 पर है।

(2) राजस्थान सरकार द्वारा फार्मेसी संस्थानों को मान्यता नहीं दी जाती है।

(3) जी हाँ, शेष प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

नगर पालिका लाडनूं (नागौर) का वित्तीय वर्ष 1996-97 का बजट

60. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगर-पालिका लाडनूं जिला नागौर का वित्तीय वर्ष 1996-97 का आय-व्ययक राज्य सरकार द्वारा पारित किया गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा किस आधार पर तथा नगर पालिका के अध्यक्ष व अधीशासी अधिकारी द्वारा सरकार को प्रेषित पत्र की प्रति मय नगरपालिका की बैठक की कार्यवाही विवरण की प्रति के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार को नगर पालिका के अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी द्वारा यह पत्र भेजा गया है कि नगर पालिका बजट पास नहीं कर रही है ? यदि हां, तो क्यों तथा नगर पालिका में बजट पास नहीं करने सम्बन्धी प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नगर पालिका की बैठक में आंकड़ें सही नहीं होने के कारण सदस्यों ने सही आंकड़े व रेकार्ड देखने का आग्रह किया ? यदि हां, तो क्यों अध्यक्ष ने रिकार्ड दिखाने से मना किया था ? यदि हाँ, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि नगर पालिका की बजट की बैठक में रेकार्ड देखने के लिए सदस्यों को अध्यक्ष द्वारा मना कर दिये जाने पर बहुमत के द्वारा सदस्यों ने इसे आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया था ? यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई और सरकार द्वारा अध्यक्ष व अधीशासी अधिकारी द्वारा गलत सूचना देने के आधार पर बजट सीधे ही पास क्यों कर दिया गया ?

(5) क्या यह सही है कि सरकार के सामने गलत तथ्य पेश करके बजट पास कराया गया ? यदि हाँ, तो इसके लिये कौन दोषी है और उनके विरुद्ध सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हाँ, क्योंकि नगर पालिका के दैनिक व अन्य आवश्यक व्यय की सक्षम स्वीकृति के लिए नियमानुसार बजट राज्य सरकार द्वारा पारित किया जाना आवश्यक था। नगर पालिका के प्रस्ताव व मण्डल बैठक कार्यवाही की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हाँ, नगर पालिका मण्डल बैठक में बजट प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सका था। किन्तु नगर पालिका के आवश्यक खर्चों की स्वीकृति आवश्यक थी। प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं, यह सही नहीं है।

(4) जी नहीं, दूसरी बैठक में पुनः सदन द्वारा बजट प्रस्ताव पारित नहीं करते

(स्वायत्त शासन मंत्री)

हुए जब व्यवधान की मंशा से रिकार्ड देखने की बात ही की जाती रही तब नगर पालिका अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी ने उनकी बात नहीं मानी नगर पालिका द्वारा आवश्यक खर्च के व्यय के लिए सक्षम स्वीकृति प्राप्त करने हेतु बजट प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया।

(5) जी नहीं, भाग दो के उत्तर के पश्चात् यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

आयुक्त, उपनिवेशन विभाग द्वारा छोटे भू-खण्ड आवंटन के सम्बन्ध में जारी निर्देश

62. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि आयुक्त उपनिवेशन विभाग, बीकानेर ने छोटे भू-खण्ड आवंटन के सम्बन्ध में विज्ञप्ति संख्या प. 5(4) उपनि/84 दिनांक 18 जुलाई, 1984 द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये थे ? यदि हाँ, तो दिशा-निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ये दिशा-निर्देश राजस्थान उपनिवेशन नियमों के नियम 14 के अन्तर्गत स्पष्टीकरण हेतु जारी किये गये थे ?

(3) क्या यह सही है कि उपनिवेशन विभाग के सहायक आयुक्तों ने अपने-अपने क्षेत्रों में उपरोक्त दिशा-निर्देशों को मद्देनजर रख कर स्माल पेच आवंटन किये हैं ?

(4) क्या यह सही है कि राजस्व तहसीलदार, लूणकरणसर ने जनवरी, 1996 से जून, 1996 के दौरान उपरोक्त दिशा-निर्देशों के विपरीत मुरब्बे को इकाई न मानकर प्रयोग के मुरब्बों की अनुपस्थितियों को शामिल करते हुए कतिपय आवंटन को खारिज करने की सिफारिश एस. डी. ओ., बीकानेर से की ?

(5) क्या यह सही है कि उपरोक्त एस. डी. ओ. ने बिना सोचे समझे काश्तकारों को नोटिस जारी करके परेशान करना शुरू कर दिया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में काश्तकारों के जायज हकों की रक्षा के लिए उक्त प्रकरण को तत्काल समाप्त करने का आदेश देगी ?

उत्तर

(1) जी हाँ। दिनांक 18 जुलाई, 1981 के निर्देश की प्रति सदन की मेज पर रख दी है।

(2) जी हाँ।

(3) जी हाँ।

(4) राजस्व तहसीलदार लूणकरणसर द्वारा माह जनवरी, 1996 से जून 96 तक की समयावधि में एक से अधिक

(राजस्व मंत्री)

मुरब्बों में एक स्थान पर 5 बीघा से अधिक कमाण्ड एवं 10 बीघा से अधिक अन-कमाण्ड भू-भाग जो छोटी पट्टी की परिभाषा में नहीं आते, ऐसे 13 गलत आबंटनों को निरस्त करने की सिफारिश की है। उक्त आबंटन आयुक्त के आदेश क्रमांक प. 5 (ई) उप/81/बी-14677-685 दिनांक 18-7-81 में कवर नहीं होती है।

(5) जी नहीं। काश्तकारों को दिये गये नोटिस कानून और नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर द्वारा जारी किये गये थे। ये प्रकरण राजस्थान उप-निवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आबंटन व विक्रय) नियम, 1975 के अन्तर्गत विचाराधीन है और निर्णय स्टेज पर है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

प्रदेश की खनिज नीति

63. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा)। क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने "नई खनिज नीति" बनाई है? यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताओं तथा प्रदेश के लाभ का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अप्रधान खनिज रियायती नियमावली, 1986 के नियम 65 के अन्तर्गत कई मामलों में शिथिलता प्रदान की गई है? यदि हां, तो उक्त सभी इन नियमों के अन्तर्गत सुविधा प्राप्तकर्ताओं की 1 अप्रेल, 1995 से 31 दिसम्बर, 96 तक की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस नई खनिज नीति से प्रदेश के खनन क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन आया है? यदि हां, तो वर्ष 1994 से अब तक उक्त परिवर्तन की उपलब्धियों का तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान सरकार ने वर्ष 1994 में नई खनिज नीति बनाई है। यह नीति मुख्यतया इन उद्देश्यों को लेकर बनाई गई है कि प्रदेश में खनिज भण्डारों की खोज आधुनिक तकनीक अपनाकर की जाय एवं बेस मेटल्स तथा सोना-चांदी आदि जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के लिए विदेशी तकनीक व पूंजी निवेश को प्रोत्साहन दिया जाय, खनन कार्य सुव्यवस्थित तथा वैज्ञानिक तरीके से हो एवं खनिज वेस्ट को यन्त्रीकरण से यथासम्भव कम किया जाये, खनिज आधारित उद्योगों एवं खनिज निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाय एवं खनन आबंटन एवं अन्य प्रक्रियाओं में पारदर्शिता हो तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाय। खनिज नीति की घोषणा के पश्चात अब तक हुए लाभ/उपलब्धियों का संक्षिप्त में विवरण संलग्न परिशिष्ट "1" में दिया गया है।

(खनिज मंत्री)

(2) अप्रधान खनिज रियायती नियमावली, 1986 के नियम 65 के अन्तर्गत जिन-जिन मामलों में शिथिलता प्रदान की गई है, उनकी सूची इस प्रकार है :--

बिजौलिया--(1) मकरेड़ी आदिवासी ठेका सहकारी समिति (2) मेनाल आदिवासी सहकारी समिति (3) मकरेड़ी अनुसूचित जनजाति सहकारी समिति (4) ग्रामदान ग्राम सभा हेमनिवास।

राजसमन्द--(1) श्रीमती रतन देवी (2) श्रीमती रेणु देवपुरा (3) श्रीमती गीता देवपुरा (4) श्रीमती गंगा बाई पानेरी।

बांसवाड़ा--श्री मुकेश मीणा--त्रिपुरा सुन्दरी।

(3) जी हां। तुलनात्मक विवरण संलग्न परिशिष्ट "2" में दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

विधान सभा क्षेत्र सांगानेर की स्वीकृत सड़कें/राष्ट्रीय राजमार्ग

65. श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा दौसा रोड को टोंक रोड से मिलाने के लिए एक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जा रहा है? यदि हां, तो क्या उसे दांतली, विधानी जैसे बड़े-बड़े गांवों के बीच से मिलाया जा रहा है?

(2) क्या यह भी सही है कि जगतपुरा से सांगानेर जाने वाली सड़क का कार्य हवाई अड्डे के विस्तार के कारण बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य बन्द करने से पूर्व जगतपुरा से सांगानेर के लिए वाटिका की ढाणी, बुद्धसिंहपुरा होती हुई श्योपुर तक की सड़क को बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि सांगानेर की पंचायत मोहनपुरा के लिए सड़क निर्माण स्वीकृत हुए 4 वर्ष बीत चुके हैं तथा मोहनपुरा से बीलवा के लिए भी सड़क मन्जूर हुई है? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त सड़कों का निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? सरकार उक्त सड़क कार्यों को कब तक करवाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। दौसा सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग-11) व टोंक सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग-12) दोनों वर्तमान में ग्रामीण डामर सड़क से जुड़े हुये हैं। इसी सड़क को सुदृढ़ीकरण व चौड़ा करके जयपुर पूर्वी बाई पास के रूप में बनाया जाना प्रस्तावित है। यह रा. रा. मार्ग नहीं है। यह सड़क पूर्व में ही दांतली व विधानी गांव से गुजर रही है।

(2) जी नहीं। जगतपुरा से सांगानेर जाने वाली सड़क पूर्व की निर्मित डामर सड़क थी जिसे सांगानेर हवाई अड्डे के

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

विस्तार के कारण बन्द किया गया है। वैकल्पिक सड़क का निर्माण किया जा चुका है तथा वर्तमान में बाढोली की ढाणी व बुद्धसिंहपुरा होती हुई कोई सड़क निर्माण की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं। सांगानेर की पंचायत मोहनपुरा के लिये सड़क निर्माण की पिछले चार वर्षों में कोई स्वीकृति जारी नहीं हुई है। तथा यह भी सही नहीं है कि मोहनपुरा से बीलवा के लिये सड़क निर्माण हेतु कोई स्वीकृति हुई है। सड़क नीति के अनुसार मोहनपुरा (पं. मुख्यालय) कुछ भाग डामर से व शेष भाग ग्रेवल सड़क से एवं बीलवा (पं. मुख्यालय) डामर सड़क से पूर्व में ही जुड़े हुये हैं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पेन्शनरों को चिकित्सा सम्बन्धी रियायतें

86. श्री उगमराज मेहता (ब्यावर): क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या राजस्थान के पेन्शनरों को चिकित्सा रियायत देने के लिए सरकार ने राजस्थान राज्य पेन्शनर चिकित्सा रियायत योजना, 1981 में लागू की थी? यदि हाँ, तो वर्ष 1981 से अब तक इस योजना के तहत कितने मामले विभिन्न न्यायालयों में दायर किये गये तथा किन-किन मामलों में निर्णय हो चुके हैं तथा कौन-कौन से मामले अभी तक लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पेन्शनरों के उपभोक्ता मामलों के प्रकरण में श्री जी. के. जोशी बनाम राज्य सरकार में न्यासी बोर्ड, राज्य सरकार द्वारा अब तक न्यायालय में यात्रा पर तथा अन्य मदों पर कितना व्यय हो चुका है?

उत्तर

(1) जी हाँ। वर्ष 1981 से अब तक इस योजना के तहत विभिन्न न्यायालयों में 31 मामले दायर किये गये 10 मामलों में निर्णय हुए तथा 21 मामले अभी तक लम्बित है। विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) पेन्शनरों के उपभोक्ता मामलों के प्रकरण श्री जी. के. जोशी बनाम राज्य सरकार में न्यासी बोर्ड राज्य सरकार द्वारा अब तक न्यायालय व्यय में 10,600/- रुपये, यात्रा व्यय में 26,398/- रुपये तथा अन्य व्यय पेटे 5,297/- रुपये खर्चे किये जा चुके हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

राज्य कर्मचारियों पर आश्रित माता-पिता

87. श्री गोपीराम जाट (आमेर): क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(श्री गोपीराम जाट)

क्या यह सही है कि एक हजार रुपये मासिक आय सीमा वाले माता-पिता को ही राज्य कर्मचारी पर आश्रित माना गया है? यदि हां,तो पूर्व में आय सीमा का निर्धारण कब किया गया था ? क्या इसमें बढ़ोतरी का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। पूर्व में 1000/- रुपये मासिक आय की सीमा दिनांक 1-1-1991 से निर्धारित की गई। आय की सीमा में वृद्धि करने का वर्तमान में राज्य सरकार का कोई विचार नहीं है। वर्तमान सीमा केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय नियमों में निर्धारित आय सीमा से ज्यादा है।

शीघ्रलिपिकों को वरिष्ठता निर्धारण के मानदण्ड

88. श्री सोमराज मीणा (आसपुर) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सचिवालय मंत्रालयिक सेवा नियम ,1970 के नियम 29 (9) को विलोपित कर वर्ष 1981 में कनिष्ठ/वरिष्ठ लिपिक के पद से शीघ्रलिपिक के पद पर पदोन्नत किये गये शीघ्रलिपिकों की पारस्परिक वरिष्ठता का निर्धारण लोक सेवा आयोग से प्राप्त मेरिट लिस्ट को तोड़कर इसी विलोपित नियम के तहत कर दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा किस नियम के तहत किया गया ? क्या सरकार इस गलती को सही किये जाने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सचिवालय में कनिष्ठ/वरिष्ठ लिपिकों में से शीघ्रलिपिकों के पद पर पदोन्नत करते समय राजस्थान सचिवालय मन्त्रालयिक सेवा नियम, 1970 के नियम 26 (5) की अवहेलना की गई है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वरिष्ठता आयोग द्वारा निर्धारित मैरिट सूचि के अनुसार ही रखी जाती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता।

(2) जी नहीं ? इस मामले में राजस्थान सचिवालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1970 का नियम 26 (5) लागू नहीं होता है।

शासन सचिवालय में रिक्त पदों पर पदोन्नति

89. श्री सोमराज मीणा (आसपुर) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) शासन सचिवालय में वर्ष 1978 से किन-किन रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अर्हक परीक्षा आयोजित करवाकर पदोन्नति द्वारा भरा गया ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अर्हक परीक्षा में प्रविष्टि हेतु पात्रता निर्धारण के लिए राजस्थान सचिवालय मन्त्रालयिक

(मुख्य (कार्मिक) मंत्री) सेवा नियम, 1970 के नियम 26 (5) भी प्रावधित है ? यदि हां, तो क्या नियम 5 (5) के तहत कनिष्ठ लिपिक से शीघ्र लिपिक के पद पर पदोन्नत किये जाते समय इस नियम की पालना की गई ? यदि नहीं, तो क्या सरकार कार्मिक विभाग द्वारा की गई इस अनियमित कार्यवाही को नियमित किये जाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) शासन सचिवालय में वर्ष 1978 से राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अर्हक परीक्षा आयोजित करवाकर शीघ्र-लिपिक के पद भरे गये जिनका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष 1978	12
वर्ष 1980	19
वर्ष 1984	01
वर्ष 1988	04
वर्ष 1995	23

(2) जी नहीं। राजस्थान सचिवालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1970 के नियम 5 (5) के तहत नियुक्त शीघ्रलिपिकों पर नियम 26 (5) लागू नहीं होता है। अतः नियमानुसार ही कार्यवाही की गई है।

राज्य कर्मचारियों के मूल्यांकन प्रतिवेदन में समीक्षक अधिकारी की शक्तियां

90. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट): क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रतिवेदन अधिकारी द्वारा किसी राजपत्रित अधिकारी के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में उसके कार्य को 'बहुत अच्छा' मानने पर क्या समीक्षक अधिकारी उसकी श्रेणी को कम करते हुए 'अच्छा' कर सकता है ? क्या समीक्षक अधिकारी को कार्य की श्रेणी कम करने से पूर्व सम्बन्धित अधिकारी की सुनवाई कर कारणों को अंकित करना आवश्यक है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में नियमों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) एक ही वित्तीय वर्ष में एक ही राजपत्रित अधिकारी के अलग-अलग प्रतिवेदक अधिकारियों द्वारा कार्य को अलग-अलग श्रेणी में मानने पर पदोन्नति के समय कौन से प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा लिखा गया वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन वार्षिक कार्य मूल्यांकन नियमों के तहत विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में स्वीकार किये जाने का प्रावधान है ? इस सम्बन्ध में नियमों सहित स्वतः स्पष्ट विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। समीक्षक अधिकारी द्वारा कार्य श्रेणी के निम्नकरण अथवा उच्चीकरण के लिए सम्बन्धित अधिकारी को सुनवाई का कोई नियम नहीं है। इस इस सम्बन्ध में अनुदेशों की छाया प्रति संलग्न है।

(2) विभागीय पदोन्नति समिति के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई नियम/दिशा

(मुख्य (कार्मिक) मंत्री)

निर्देश नहीं बनाये गये हैं जो समिति के लिए वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों के समग्र मूल्यांकन करने के लिए बाध्यकारी हों। विभागीय पदोन्नति समिति की हैसियत न्यायिक स्तर की होने के कारण समिति अपने स्वः विवेक से इस तरह के मामलों में स्वयं निर्णय लेती है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

कर्मचारियों को चयनित वेतनमानों का लाभ

91. श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डों एवं स्वायत्तशाषी संस्थाओं में अधीनस्थ सेवा नियमों से सम्बद्ध विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारी जिन्होंने अपनी निरन्तर सेवा प्रथम नियुक्ति के पश्चात् एक ही पद पर 10, 20 एवं 30 वर्षों की पूर्ण कर ली है, को एक भी बार पदोन्नति नहीं दी गई ?

(2) क्या अधीनस्थ कर्मचारी सेवा नियम अपूर्ण हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सेवा नियमों में संशोधन कर सेवाकाल में एक पदोन्नति का अवसर दिये जाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, क्योंकि ऐसे कर्मचारियों को 9, 18 व 27 वर्ष की सेवा करने पर चयन वेतनमान का लाभ प्राप्त है।

(2) जी नहीं, क्योंकि इस नाम के कोई सेवा नियम नहीं हैं।

राज्य के राजकीय उपक्रम

92. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : क्या मुख्य (राजकीय उपक्रम) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) राजकीय उपक्रम विभाग के तहत कितने उपक्रम हैं, इनका पंजीयन कब हुआ ? इनमें सरकार की कितनी पूंजी लगी तथा 31 मार्च, 1996 तक इनको कुल लाभ/हानि कितनी हुई ? इन उपक्रमों में कितने कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पिछले वर्ष किस-किस उपक्रम में कितना-कितना घाटा हुआ ? इस घाटे को समाप्त करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) राजकीय उपक्रम विभाग के अधीन निम्नलिखित उपक्रम हैं :—

1. राज. गंगानगर शुगर मिल्स लि.,

2. हाई-टेक प्रेसीजन ग्लास लि., धौलपुर राज. राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि.

(मुख्य (राजकीय उपक्रम) मन्त्री)

प्रथमत: "बीकानेर इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन" के नाम से दिनांक 20-1-1945 को कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हुई थी। तदोपरान्त दिनांक 21-1-1957 को यह गंगानगर शुगर मिल्स लि. के नाम से परिवर्तित हुई एवं दिनांक 14-5-1993 को इस राजकीय उपक्रम का नाम "राज. स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि." किया गया। इसमें सरकार की पूंजी 3,60,33,100.00 (अंकेन रुपये तीन करोड़ साठ लाख तेंतीस हजार एक सौ मात्र) लगी हुई है एवं इसमें 1961-62 से 31 मार्च, 96 तक रु. 145·63 लाख का समग्र लाभ हुआ है तथा इस उपक्रम में वर्तमान में 2730 कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत हैं।

हाई-टैक प्रेसीजन ग्लास फैक्ट्री, धौलपुर का पंजीयन 18 मार्च, 1963 को हुआ। इसमें सरकार की पूंजी रु. 7,60,000/- (अंकेन रुपये सात लाख साठ हजार मात्र) लगी हुई है एवं इसमें 31 मार्च, 1996 तक रु. 17,25,802·81 का घाटा हुआ है। वर्तमान में यह फैक्ट्री राज. राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. के कब्जे में है एवं इस संस्थान में मात्र एक कर्मचारी कार्यरत है।

(2) उक्त उपक्रमों की घाटे की स्थिति क्रमवार इस प्रकार हैं—

1. राज. राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. पिछले वर्ष घाटे में नहीं रही है।

2. हाई-टैक प्रेसीजन ग्लास फैक्ट्री लि. धौलपुर में पिछले वर्ष 1,06,772.18 रुपये का घाटा हुआ था।

घाटे को समाप्त करने के लिए श्रमिक की ओर से सहभागिता के आधार पर फैक्ट्री चलाने के प्रस्ताव उच्च स्तर पर विचाराधीन हैं।

बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बेगूं के समीप संचालित शराब की दुकान

93. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या मुख्य (आबकारी विभाग) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बेगूं बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से 50 मीटर की परिधि में शराब की दुकान संचालित है?

(2) क्या यह भी सही है कि इस दुकान को हटाने के लिए स्थानीय एवं जिला अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के बावजूद यह दुकान नहीं हटाई गई?

(3) क्या सरकार शैक्षणिक (बालिका) संस्था के निकट से इस शराब की दुकान को हटाने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि रावतभाटा चारण बस्ती, माताजी का मन्दिर सार्वजनिक नल के पास लगी शराब की

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

दुकान भी अनेकों बार शिकायतें करने के बाद भी चालू है ? यदि हां, तो क्यों ? अब कब तक इसे हटा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। बेगूं देशी मदिरा दुकान नम्बर-2 हटाकर अन्यत्र स्थानान्तरित करा दी गई है।

(2) जी नहीं। इस दुकान के सम्बन्ध में पूर्व में शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(3) बेगूं देशी मदिरा दुकान नम्बर-2 हटाई जा चुकी है।

(4) जी हां। रावतभाटा चारणबस्ती की दुकान पिछले 4 वर्षों से वर्तमान स्थल पर आबकारी नियम-75 के अन्तर्गत स्वीकृत अनुकूल लोकेशन पर चल रही है।

बीयर बार की दुकानें

94. श्री जितेन्द्र नीनामा (घाटोल) : क्या मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार सभी जिलों में बीयर बार की दुकानें खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या बांसवाड़ा व डूंगरपुर में प्राथमिकता के आधार पर आदिवासियों को यह अनुज्ञा-पत्र देने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां, जिला मुख्यालयों पर बीयर बार हेतु प्राप्त प्रत्येक प्रार्थना-पत्रों पर मौका निरीक्षण के उपरान्त विचार कर निर्णय लिया जाता है।

गृह कर की दरें

95. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की करेंगे :--

(1) क्या राजस्थान में गृह कर लागू है ? यदि हां, तो किस-किस शहर में, किस-किस दर से ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में गृहकर की वसूली नगण्य मात्र है ? यदि हां, तो क्यों तथा इस बाबत विभाग द्वारा क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या 31 मार्च, 1996 तक की बकाया गृह कर राशि का ब्यौरा विभाग के पास है ? यदि हां, तो शहरवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें तथा नहीं, तो अब कब तक ब्यौरा तैयार कर लिया जायेगा।

(4) क्या गृह कर वसूली बाबत सरकार द्वारा नीति निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो क्या तथा उसकी पालना नहीं करने वालों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हाँ। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत समस्त परिषद/पालिकाओं में सवा छः एवं सवा सात प्रतिशत की दर से गृहकर वसूल किये जाने का प्रावधान है।

(2) जी नहीं, नगर निगम जयपुर द्वारा 95-96 में गृहकर की वसूली रुपये 4,76,18,371·00 की गई है। कुल बकाया गृहकर की राशि एक मुश्त जमा कराने पर 15 प्रतिशत की छूट देते हुए नगर निगम द्वारा क्षेत्रवार शिविर लगाए जाकर अधिक से अधिक गृहकर वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं।

(3) 31 मार्च, 96 तक की बकाया गृहकर राशि की शहरवार सूची शीघ्र तैयार की जा रही है।

(4) जी हाँ। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानुसार गृहकर वसूल हेतु डिमाण्ड नोटिस एवं कुर्की वारन्ट जारी किये जाते हैं।

जोधपुर नगर में सोडियम लाइटें

96. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) विधान सभा क्षेत्र जोधपुर शहर में 1 जनवरी, 1994 से 31 दिसम्बर, 1996 तक नगर निगम जोधपुर द्वारा कितनी सोडियम लाइटें किन-किन स्थानों पर लगाई गई ? सूची वार्ड अनुसार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में नगर निगम द्वारा 1 जून, 1996 से 31 दिसम्बर, 1996 तक कितने बल्ब, नये फिक्सचर व कितनी ट्यूब लाइटें बदली गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर शहर में जनवरी, 94 से 31-12-96 तक नगर निगम जोधपुर द्वारा जिन स्थानों पर सोडियम लाइटें लगाई गयी उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) नगर निगम द्वारा 1 जून, 96 से 31-12-96 तक बदले गये बल्ब नये फिक्सचर व ट्यूब लाइटों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

नगर परिषद पाली द्वारा आवंटित प्लाट

97. **श्री मोवराज मारू** (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद पाली ने 1 जनवरी, 1994 से 31 दिसम्बर, 1996 तक विभिन्न बस्तियों में कुछ भू-खण्डों का आवंटन या किन्हीं पुरानी पत्रावलियों के एवज में दिये गये हैं ? पुराने भू-खण्ड नम्बर, मूल मालिक एवं उसके

(श्री भीमराज भाटी)

एवज में नये भू-खण्ड नम्बर एवं नये मालिकों के नाम, पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि धरवाला जाव में भू-खण्ड नम्बर 19-ए हाल ही में किसी के नाम आबंटित किया गया है? यदि हां, तो उसके आबंटनधारी का नाम, पता, आयु, कारोबार आदि की सूचना सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त भू-खण्ड का आबंटन करने का क्या आधार था एवं मूल पत्रावली किसके नाम से थी और क्या कोई मुख्त्यारनामा इस बाबत नगर परिषद् पाली में पेश किया गया? यदि हां, तो मूल पत्रावली मुख्त्यारनामा की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, आबंटितधारी की जानकारी सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) प्रार्थी को पूर्व में नजूल दर पर आबंटित भूखण्ड के बदले में दूसरा भूखण्ड वर्तमान नजूल दर पर आबंटित किया गया है। पत्रावली एवं मुख्त्यारनामा की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

जयपुर शहर में सीमेंट की सड़कों का निर्माण

98. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर नगर निगम द्वारा गत वर्ष जयपुर शहर में सीमेन्ट की सड़कों का निर्माण कार्य करवाया गया था? यदि हां, तो कुल कितनी राशि इस प्रयोजनार्थ व्यय की गई और कुल कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया?

(2) क्या यह सही है कि घटिया निर्माण सामग्री उपयोग में लिये जाने, गुणवत्ता की जांच की पुख्ता व्यवस्था न होने तथा निगम अधिकारियों की मिलीभगत के कारण अधिकांश सीमेंटेड सड़कें एक वर्ष से कम समयावधि में ही क्षतविक्षत हो गयी हैं/होती जा रही हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच करवाकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सीमेन्ट की सड़कों की लम्बाई व व्यय निम्नानुसार है :–

1. व्यय राशि 446.16 लाख

2. लम्बाई 70.46 किलोमीटर

(2) जी नहीं। सीमेन्ट की सड़कें

(स्वायत्त शासन मंत्री)

वर्तमान में क्षत-विक्षत नहीं है। उपयोग में ली जाने वाली निर्माण सामग्री क्वालिटी की जाँच समय-समय पर प्रयोग शालाएं व उच्चाधिकारियों द्वारा की जाती रही है।

नगरपालिकाओं का अंकेक्षण

99. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिकाओं का अंकेक्षण (आडिट) लोकल फण्ड आडिट द्वारा किया जाता है ? यदि हाँ, तो राज्य की नगरपालिकाओं/परिषदों का आडिट कौन से वर्ष तक का कर लिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) नगरपालिकाओं के आडिट समय पर न करने के क्या कारण हैं तथा इस बाबत सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(3) पिछले 5 वर्षों में नगरपालिकावार कितने-कितने ड्राफ्ट पैरा बने ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें। इनमें से कितने पैरा का निस्तारण कर दिया गया तथा कितनी राशि वसूल की गई ?

(4) सबसे पुराने कौनसे वर्ष के कितने-कितने प्रकरण (ड्राफ्ट पैरा) का निस्तारण अभी तक बाकी है ? नगर पालिकावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हाँ, अधिकांश नगर परिषद/पालिकाओं का आडिट वर्ष 94-95 तक किया जा चुका है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) केवल सात नगर परिषद/पालिकाओं का अंकेक्षण रिकार्ड पुलिस संरक्षण में होने या जाँच में निदेशालय में होने के कारण नहीं हो सका है। रिकार्ड उपलब्ध होने पर शीघ्र अंकेक्षण कराया जायेगा।

(3) गत पाँच वर्षों की नगर पालिकावार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) निस्तारण हेतु बकाया ड्राफ्ट पैराज की वर्षवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

कालानाड़ा (मकराना) में पानी के निकास की व्यवस्था

100. **श्री रूपाराम** (मकराना) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या सरकार ने मकराना में कालानाड़ा के बरसाती तथा गन्दे पानी की निकासी की कोई व्यवस्था की है ?

(श्री रूपाराम)

(2) क्या यह सही है कि इस समस्या के निराकरण हेतु जन प्रतिनिधियों द्वारा उच्चाधिकारियों को बार-बार पत्र प्रेषित किये जाते रहे हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा मौके का निरीक्षण करवाया गया था ? यदि हां, तो क्या इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु कोई योजना बनाई गई ? यदि हां, तो योजना का प्रारूप सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। जिला प्रशासन द्वारा मकराना में आयोजित समस्या निराकरण बैठक में जनता व जनप्रतिनिधियों द्वारा इस ओर ध्यान आकर्षित किया था। जिस पर जिला कलक्टर के निर्देशानुसार सिंचाई विभाग ने सर्वे करके नहर निर्माण हेतु एक तखमीना बनाया है। जिसका परीक्षण सम्भागीय आयुक्त स्तर पर किया जा रहा है।

(3) जी हां। उक्त समस्या के निराकरण हेतु जिला कलक्टर के निर्देशानुसार मौका सर्वे दिनांक 9-1-97 को तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा करवाया गया है। रिपोर्ट अभी अपेक्षित है।

श्री गंगानगर शहर में सड़कों का पुनर्निर्माण

101. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) श्रीगंगानगर शहर की कौन-कौन सी सड़कों का पेचवर्क का कार्य चल रहा है तथा यह कब तक पूर्ण हो जाएगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि समस्त सड़कें जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं ? यदि हां, तो सरकार इनका निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कराने का विचार रखती है ?

(3) सहभागी योजना के अन्तर्गत किन-किन सड़कों का निर्माण किया जाएगा और कौन-कौन सी सड़कों पर पेचवर्क कराये जायेंगे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में श्रीगंगानगर शहर की सड़कों पर कोई पैचवर्क का कार्य नहीं चल रहा है।

(2) श्रीगंगानगर शहर की कुछ सडकें जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। नगर-परिषद अपनी आर्थिक स्थिति एवं उपलब्ध साधनों के आधार पर शीघ्र ही इनकी मरम्मत कराने का विचार रखती है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(3) सहभागी नगर विकास योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित सड़कों एवं कराये जाने वाले पेचवर्क का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

विधान सभा क्षेत्र बस्सी के जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत ग्राम

102. श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी के कौन-कौन से गांवों को जयपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में लिया जा रहा है? योजनावार गांव स्थान तथा रकबे सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में सर्वे कराया जा रहा है? यदि हां, तो सर्वे कराने के क्या मानदण्ड तय किये गये? क्या सर्वे राजस्व रिकार्ड के आधार पर किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वित्तीय वर्ष 1995-96 व 1996-97 में विधान सभा क्षेत्र बस्सी के किस-किस गांव की कितनी-कितनी भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अपने अधिग्रहण में करके कौन-कौन सी योजनाएं प्रस्तावित की गई? गांव सहित रकबे एवं मालिक के नाम पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा जिन किसानों की भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अपने अधीन कर लिया गया है उन किसानों में से कितना-कितना मुआवजा किस-किस को अब तक दिया गया? पूर्ण नाम पते मय राशि सहित सूचना सदन को मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण, अधिनियम 1982 के साथ संलग्न अनुसूची--1 में बस्सी तहसील के 18 गांव जयपुर रीजन में वर्तमान में शामिल हैं। इसी तहसील के 10 और गांवों को जयपुर रीजन में शामिल किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। गांवों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) बस्सी ग्राम की उप नगरीय योजना तैयार करने से पूर्व वहां का इंजीनियरिंग सर्वे कराकर यह योजना तैयार की गई थी। इंजीनियरिंग सर्वे में सड़कों का आंकन रेल्वे लाइन, पुल, कलवर्ट कच्चे पक्के मकान नदी नाले तथा पावर लाइन इत्यादि दर्शाये जाते हैं। साथ ही एग्जिस्टिंग लैण्डयूज सर्वे भी करवाया जाता है।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 96-97 में विधान सभा क्षेत्र बस्सी के गांव कानोता एवं हरध्यानपुरा में करधनी आवासीय योजना चरण प्रथम एवं

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

ग्राम बस्सी, मोहनपुरा में उपनगरीय आवासीय योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। फिलहाल इन दोनों योजनाओं में आने वाली खातेदारी भूमि के सर्वे एवं सीमांकन कर विवरण तैयार करवाया जा रहा है। अतः इन दोनों योजना क्षेत्र के चारों गांवों में निजी खातेदारी की भूमि के खातेदारों के नाम पते एवं रकबे की सूचना उक्त विवरण तैयार होने के पश्चात एवं भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा-4 की अधिसूचना जारी होने के पश्चात दिया जाना सम्भव होगा।

(4) भूमि अवाप्ति की कार्यवाही अभी शुरू नहीं की गई है। अतः मुआवजा भुगतान का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

तहसील कोटपूतली के ग्रामों में पानी की टंकियों का निर्माण कार्य

103. श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कोटपूतली तहसील के बनार, पालियाला, चिमनपुरा से नई जल प्रदाय योजना के तहत टंकियां दो-तीन साल पूर्व मंजूर की गई थी ?

(2) अब उक्त ग्रामों में सरकार कब तक पानी की टंकियां बनाकर जल वितरण करवा देगी ?

उत्तर

(1) जी हां, योजनाओं के स्वीकृति का विवरण परिशिष्ट "अ" पर है।

(2) ग्राम बनार में अप्रेल, 97 तक तथा ग्राम चिमनपुरा में वर्ष 97 तक पानी की टंकियां बनवाकर पेयजल वितरण करना प्रस्तावित है। ग्राम पनियाला में जमीन अनउपलब्धता के कारण टंकी निर्माण कार्य में बाधा आ रही हैं। वर्तमान में सार्वजनिक नलों से ग्रामवासियों को पेयजल उपलब्ध हो रहा है विवाद हल करने के प्रयास जारी हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

जिला झुन्झुनूं की जनता जल योजना समिति की बैठकें

104. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) वर्ष 1996 में झुन्झुनूं जिले में जनता जल योजना के सम्बन्ध में गठित समिति की कितनी बैठकें किस-किस तारीख को हुई ? इन बैठकों को आमन्त्रित करने की जिम्मेदारी किसकी थी ?

(2) वर्ष 1996 में जनता जल योजना के अन्तर्गत झुन्झुनूं जिले में कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये तथा उनकी क्या प्रगति रही ?

उत्तर

(1) वर्ष 1996 में झुन्झुनूं जिले में जनता जल योजना की स्वीकृति हेतु गठित कमेटी की कोई बैठक नहीं हुयी। इन बैठकों को साधारणतः जिला कलक्टर द्वारा आमन्त्रित किया जाता है।

(2) वर्ष 1996 में जनता जल योजना के अन्तर्गत झुन्झुनूं जिले में कोई कार्य स्वीकृत नहीं किये गये।

बांसवाड़ा में खेल स्टेडियम का निर्माण

105. श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा): क्या युवा एवं खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बांसवाड़ा में खेल स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो कब व उस पर अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्टेडियम का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है? यदि हां, तो क्यों? इस हेतु कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक?

उत्तर

(1) जी हां, सरकार द्वारा बांसवाड़ा जिले में खेल स्टेडियम निर्माण का निर्णय मई, 1986 में लिया गया था एवं अब तक इस कार्य पर 10.11 लाख रुपये व्यय किया जा चुका है।

(2) जी हां, वर्तमान में स्टेडियम निर्माण कार्य भूमि अवाप्ति हेतु पर्याप्त धनराशि के अभाव में अधूरा पड़ा है। चूंकि भूमि अवाप्ति हेतु धनराशि नहीं होने से कार्य बन्द किया गया है। अतः इस हेतु कोई अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है।

थाना गडरा रोड में पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु

106. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

क्या यह सही है कि थाना गडरा रोड (बाड़मेर) में पुलिस हिरासत में किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की सन् 1996 में मौत हुई? यदि हां, तो मौत कैसे हुयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

यह सही है कि थाना गडरा रोड में पुलिस हिरासत में नेहचल मेघवाल पुत्र श्री जैना मेघवाल (अनुसूचित जाति) की मृत्यु हुई थी।

मुलजिम नेहचल उर्फ नेहल चन्द निवासी कलरों का तल्ला हाल मापुरी थाना गडरा रोड को अभियोग संख्या : 49/96 धारा 379 भा.द.स. में दिनांक 13-12-96

गृह मंत्री)

को गिरफ्तार किया गया, एवं दिनांक 14-12-96 को न्यायालय एम. जे. एम. कोर्ट मिवाना में पेश कर पुलिस रिमाण्ड पर लिया गया। दिनांक 18 एवं 19-12-96 की दरमियान रात्रि को मुलजिम ने हुलचन्द ने अपने शरीर पर पहनी धोती को फाड़कर हवालात के रोशनदान में लटक कर फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली जिसकी जांच 174 जा. फो. के अन्तर्गत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सी. आई. डी. (सीबी) रेंज सैल जोधपुर द्वारा की गई एवं जांच में नेहलचंद के स्वयं द्वारा आत्महत्या करना पाया गया। इसी मामले की 176 जा. फो. के तहत जांच एस. डी. एम. बाड़मेर द्वारा पृथक् से की जा रही है।

थाना शास्त्री नगर (जयपुर) में दर्ज अभियोग संख्या 219/90

107. श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) दिनांक 19 नवम्बर, 1994 को सहायक निदेशक अभियोजन, जयपुर द्वारा अभियोग संख्या 219/90 थाना शास्त्री नगर, जयपुर शहर के सम्बन्ध में दी गई कानूनी राय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राय की अनुपालना में अब तक की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त राय की अनुपालना में अब तक किसी भी दस्तावेज को एफ. एस. एल. में न भेजे जाने के सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई या किया जाना प्रस्तावित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सहायक निदेशक, अभियोजन की राय की रिपोर्ट केस डायरी संख्या 11 दिनांक 1 अक्टूबर, 1990 के सम्बन्ध में की गई प्रतिकूल टिप्पणी के सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों ने अब तक क्या कदम उठाये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अ. सं. 219/90 थाना शास्त्री नगर, जयपुर का अनुसन्धान अभी जारी है अतः सहायक निदेशक अभियोजन, जयपुर, द्वारा प्रदत्त राय सदन की मेज पर रखना जनहित में उचित नहीं है।

(2) सहायक निदेशक अभियोजन, जयपुर द्वारा प्रदत्त राय के सन्दर्भ में अन्वेषण जारी है।

(3) अभियोग संख्या 219/90 थाना शास्त्रीनगर के अनुसन्धान में शिथिलता बरतने के सम्बन्ध में नियम 17 सी. सी. ए. के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही कर एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने के दण्ड से आई/ओ. को दंडित किया गया है।

(4) सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा प्रदत्त राय में डायरी संख्या 11 के सम्बन्ध में की गई प्रतिकूल टिप्पणी के

(गृह मंत्री)

सन्दर्भ में जाँच उप महानिरीक्षक पुलिस अपराध शाखा द्वारा किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये हैं।

जिला जयपुर के थानों में जमा सामान

108. श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर शहर/जयपुर ग्रामीण के थानों में गत 3 वर्षों में कुल कितना माल मालखानों में जमा हुआ ? थानावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त कुल जमा माल में से कितने माल का निस्तारण किया जा चुका है ?

(3) उपरोक्त सूचना थानावार व चालान/एफ. आर/102 सी. आर. पी. सी./25 पुलिस अधिनियम/अन्य के हैडवाइज सदन की मेज पर रखें।

(4) पुलिस अधीक्षक जयपुर शहर/जयपुर ग्रामीण/उपमहानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज प्रथम द्वारा मालखाने के निस्तारण के सम्बन्ध में यदि कोई निर्देश जारी किये गये हों, तो निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत तीन वर्षों में जिला जयपुर शहर एवं जिला जयपुर ग्रामीण के थानों के मालखानों में क्रमश: 21299 व 10484 माल जमा हुए। इस प्रकार कुल 31783 माल विभिन्न थानों के मालखानों में जमा हुए थानेवार विवरण परिशिष्ट "क" व "ख" में संलग्न है।

(2) उपरोक्त कुल जमा मालों में से 18713 मालों का निस्तारण किया जा चुका है।

(3) थानेवार चालान/एफ. आर./102 जा. फो./25 पुलिस एक्ट व अन्य हैडवाइज सूचना परिशिष्ट "क" व "ख" में अंकित है।

(4) पुलिस अधीक्षक जिला जयपुर शहर के आदेश परिशिष्ट "ग" व उप महानिरीक्षक पुलिस के आदेश परिशिष्ट "घ" संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

गंगानगर में चोर गिरोह की गिरफ्तारी

109. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि श्रीगंगानगर में जुलाई, 1996 में पुलिस ने चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है ? यदि हां, तो इस चोर गिरोह में किस-किस को गिरफ्तार किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

(2) इस गिरोह द्वारा कौन-कौन सी चोरी करना स्वीकार किया तथा उक्त गिरोह से कितनी नकदी बरामद की गयी व कितना सामान बरामद किया गया ? सूची सदन की पर रखें।

(3) चोर गिरोह के विरुद्ध पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माह जुलाई, 1996 में श्रीगंगानगर शहर में पुलिस द्वारा एक चोर गिरोह को गिरफ्तार किया गया था, इस गिरोह में निम्न व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है :-

1. राजेश उर्फ गोलू पुत्र तेजपाल सिंह जाति धोबी उम्र 18 साल निवासी पुरानी आबादी, डाक्टर डेरके पास गंगानगर।
2. करणीसिंह पुत्र ओमप्रकाश सैनी उम्र 19 साल निवासी आदर्श टाकीज के पीछे गंगानगर।
3. त्रिलोक प्रताप उर्फ नूरी पुत्र रघुवीर सिंह जट सिख उम्र 15 साल निवासी ट्रक यूनियन के पास पुरानी आबादी, श्री गंगानगर।
4. पालिया उर्फ महबूब अली पुत्र मंगतू खाँ उम्र 25 साल जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 15 पुरानी आबादी गंगानगर।
5. बिट्टू उर्फ रामकुमार पुत्र भागीरथ भाट उम्र 15 साल निवासी वार्ड नम्बर 15 पुरानी आबादी गंगानगर।
6. जगदीशसिंह पुत्र तिलकसिंह धोबी उम्र 18 साल निवासी पुरानी आबादी स्कूल नम्बर 2 के पास गंगानगर।
7. जगदीशचन्द्र पुत्र प्रभुदयाल जाति कलाण उम्र 27 साल निवासी पुरानी आबादी नजद सुखवन्त पैलेस गंगानगर।

(2) इस गिरोह के आरोपी क्रम संख्या 1 से 3 राजेश उर्फ गोलू, करणीसिंह व त्रिलोक प्रसाद ने निम्न अभियोगों में चोरी करना स्वीकार किया जिनसे निम्न सामान बरामद किया गया :—

क्र. सं. 1	मु. नं./धारा 2	थाना 3	बरामद सामान 4
1.	178/1-5-96 457,380 ता.हि.	कोतवाली	एक रिवाल्वर 32 बोर मय 7 कारतूस एक कैमरा फौजी का, 30 हजार

(गृह मंत्री)

1	2	3	4
			रुपये नकद, 104 ग्राम चांदी की पायजेब, 211 ग्राम चांदी की पायजेब, 107 ग्राम चांदी की पायजेब, ब्रासलेट 23 ग्राम सोना, ब्रासलेट 24 ग्राम सोना, 6 ग्राम सोने की अंगूठी, 5 ग्राम सोने की अंगूठी, 3 ग्राम सोने की अंगूठी, 30 ग्राम सोने की चैन, 12 ग्राम टोपस सोना, 7 ग्राम खपका सोना ।
2.	393/14-8-95, 457,380 भादस	कोतवाली	30 ग्राम चैन सोना, नग सोना 2 ग्राम, 7 जोड़ी चांदी पायजेब 325 ग्राम, एक टीका सोना 6 ग्राम; एक कोका सोना एक ग्राम, सोने की बाली 7 ग्राम; 10 ग्राम सोने की चैन, 22 सिक्के चांदी के ।
3.	176/25-4-96 457, 380 भादस	कोतवाली	15 ग्राम अगूंठी सोना, 4 चुड़ी सोना ।
4.	167/20-4-96, 457/380 भादस	कोतवाली	4 चूड़ी सोना पालिश वाली ।

5. इस गिरोह के आरोपी राजेशकुमार व करणीसिंह को अभियोग संख्या 239 दि. 28-8-95 अन्तर्गत धारा 457, 380 भा. द. सं. पुलिस थाना पुरानी आबादी में गिरफ्तार किया जाकर, चोरी गये सामान कुल 45 हजार रुपये के जेवरात बरामद किये ।

(गृह मंत्री)

6. गिरोह के आरोपी क्र. सं. 4 से 7 पालिया उर्फ महबूब अली, बिट्टू उर्फ राजकुमार, जगदीशसिंह एवं जगदीशचन्द को अभियोग संख्या 129 दि. 20-4-96 अन्तर्गत धारा 380 भा. दं. सं. पुलिस थाना पुरानी आबादी में गिरफ्तार कर चोरी गये 500/-रुपये मूल्य का सामान बरामद किया गया।

(3) चोर गिरोह के उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया तथा अभियुक्तों के विरुद्ध चालान न्यायालय में पेश किये गये।

जिला बांसवाड़ा के ग्रामीण विकास अभिकरण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार प्रकरण

110. श्री हरिसिंह (महुआ) : क्या मुख्य (राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विशिष्ट योजना संगठन विभाग द्वारा वर्ष 1995 में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बांसवाड़ा में वर्ष 1993-94 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत करीबन 12 लाख रुपये के भ्रष्टाचार व अनियमितताओं से जुड़े मामलों के सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु मामला ब्यूरो को भेजा गया था ? यदि हां, तो ब्यूरो द्वारा इस मामले में कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अन्वेषण ब्यूरो द्वारा इस मामले में जान-बूझकर ढिलाई बरती जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में अत्यधिक विलम्ब किया गया है ? यदि हां, तो इसके कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार लापरवाही के मामले को अति गम्भीरता से लेकर नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, बांसवाड़ा जिले में गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे चयनित परिवारों की सूची के मुद्रण पर 2.02 लाख का बजट प्रावधान के विरुद्ध 13,18,605/- रुपये के व्यय के लेखों की विशेष जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। परिवाद के परीक्षण के उपरान्त मूल रिकार्ड प्राप्त किया जा रहा है।

(2) जी नहीं। मूल रिकार्ड प्राप्त होने पर उसके परीक्षण के उपरान्त परिवाद पर विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।

(3) मूल रिकार्ड प्राप्त कर, परीक्षणोपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

जैन विश्व भारती संस्था, लाडनूं (नागौर) की भूमि प्रकरण

111. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कस्बा लाडनूं जिला नागौर में जैन विश्व भारती नाम की संस्था के नाम से भूमि है ? यदि हाँ, तो कोन-कोनसी ? विवरण खसरा नम्बर, रकबा मय नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त भूमि किस काम में आ रही है अन्तिम दो वर्ष की खसरा गिरदावरी की प्रतियों सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त भूमि पर कोई निर्माण कार्य हुआ है ? यदि हाँ, तो कोन-कोनसी भूमि के कितने-कितने भू-भाग पर कब-कब क्या निर्माण कार्य किसकी स्वीकृति से किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उपरोक्त भूमि की किस्म राजस्व रेकार्ड के अनुसार क्या-क्या है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि कस्बा लाडनूं जिला नागौर में जैन विश्वभारती संस्था के नाम से भूमि है। उक्त संस्था के नाम कस्बा लाडनूं में ख. नं. 517 रकबा 38.16 बीघा, 495/2247 रकबा 13.12, ख. नं. 507 रकबा 5.06 बीघा 510 रकबा 6.09 बीघा 509 रकबा 8.12, 511 रकबा 6.14, 514 रकबा 13.04, 515 रकबा 5.19, 916 रकबा 9.09 ख. नं. 512 रकबा 3.01, 513 रकबा 0.14 बिस्वा, 497 रकबा 19.05, 505/1 रकबा 0.07 बिस्वा 508 रकबा 0.13 बिस्वा, कुल खसरा 14 रकबा 132 बीघा 1 बिस्वा भूमि है जमाबन्दी व नक्शे की प्रतियां संलग्न है।

(2) उक्त भूमि जैन विश्वभारती संस्था के आवासीय क्वाटर्स, रसोईघर, ध्यानकेन्द्र, ज्ञानशाला, प्रवचन पण्डाल, केन्टीन, गार्डन, सचिवालय, प्रेसबिल्डिंग, गेस्ट हाउस महिला मण्डल भवन, लाईब्रेरी भवन, कालेज भवन, गैरेज, वाटरटेंक, अन्तरंग चिकित्सालय रोगी आवास गृह, परिचारक आवास गृह, मैस, वेरा समाधि स्थल, सड़क एवं खुली जमीन के काम आ रही है अन्तिम दो वर्षों की खसरा गिरदावरी की नकलें संलग्न हैं।

(3) यह सही कि उपरोक्त भूमि पर निर्माण कार्य हुआ है। विवरण खसरा नम्बरवार निम्न प्रकार है :—

(राजस्व मंत्री)

ख. नं.	कुल रकबा	निर्माण कार्य का नाम/रकबा		निर्माण वर्ष
517	38·16 बी.	ध्यान केन्द्र	0·10 बि.	1978
		रसोई घर	0·02 ;;	1978
		आवासीय क्वार्टर	0·05 ;;	1987
		यूनिवर्सिटी क्वा.	0·13 ;;	1996
		सड़क एवं खुली जमीन		
			37·01 बी.	
495	13.12 बी.	पूरी भूमि खाली पड़ी है		
2247				
507	5.06 बी.	गोतम ज्ञानशाला	0.07 बी.	1975
		प्रवचन पण्डाल	0·15 ;;	1982
		खुली भूमि	4.04 बी.	
			5.06	
510	6.09 बी.	केन्टीन	0.01 बि.	1989
		सुन्दर वाटिका (गार्डन)	4.00 बी.	1989
		सड़क व खुली भूमि	2.08 ;;	—
			6.09 बी.	
509	8.12 बी.	सुन्दर वाटिका (गार्डन)	0.02 बि.	1989

(राजस्व मंत्री)

1	2	3	4	5
		सचिवालय भवन	0.11 बी.	1980
		सड़क व खुली जमीन	7.19 ,,	
			8.12 बीघा	
511	6.14 बी.	प्रेस बिल्डिंग	0.05 बि.	1980
		सी. क्वाटर्स	0.19 ,,	1980
		गेस्ट हाउस	0.08 ,,	1974
		गेस्ट क्वाटर्स	0.05 ,,	1974
		महिला मण्डल भवन	0.05 ,,	1988
		बाक्षावत गेस्ट हाउस	0.06 ,,	1988
		आवासीय क्वाटर्स	0.06 ,,	1996
		सड़क एवं खुली भूमि	4.00 बी.	
			6.14	
514	13.04 बी.	लाईब्रेरी भवन	0.06 बि.	1975
		कला विथी	0.07 ,,	1975
		सागर गेस्ट हाउस	0.11 ,,	1990
		पटावरी गेस्ट हाउस	0.03 ,,	1985
		कामधेनू गार्डन	5.00 बी.	1996
		सड़क व खुली भूमि	6.17 बी.	
			13.04	

(राजस्व मंत्री)

515 .	5.19 बी.	कॉलेज (अमृतायन भवन)	2.04 बी.	1986
		सड़क खुली भूमि	3.15 ,,	
			5.19 बी.	
516	9.09 बी.	अमृतवाणी गृह	0.02 बि.	1989
		सड़क व खुली भूमि	9.07 बी.	
			9.09 बी.	
512	3.01	चौकीदार क्वार्टर	0.09 बि.	1974
		व गैरेज		1985
		वाटर टैंक	0.01 ,,	1985
		सड़क व खुली भूमि	2.01	
			3.01	
513	0.14	पूरी भूमि खाली पड़ी है		
497	19.05 बी.	अन्तरंग चिकित्सालय		
		रोगी आवास गृह		
		परिचारक आवास गृह	0.14 बि.	1976
		जोधपुर मेस	0.11 ,,	1982
		आवासीय क्वार्टर्स	0.07 ,,	1989
		(गोहाटी कोम्पलेक्स)		
		पंजाब भवन	0.10 ,,	1984
		युवालोक भवन	0.08 ,,	1984
		भोजनालय	0.05 ,,	1993
		यात्रियों के लिए		
		कोटड़ियां कुल--75	0.11 ,,	1984

(राजस्व मंत्री)

		सुराणा भवन	0.06 बी.	1995
		सड़क व खुली भूमि	15.13 ,,	—
			19.05 बी.	
505/1	0.07	बेरा	0.02 बि.	पुराने समय का
		सर्वेन्ट क्वार्टर्स	0.05	1974
			0.07	
508	0.13	समाधी एवं आवासीय क्वार्टर्स	0.13	1983

(4) उपर्युक्त सभी निर्माण कार्य बिना किसी स्वीकृति के कराए गये हैं।

उपरोक्त भूमि की किस्म जमीन बारानी प्रथम, बारानी द्वितीय व गै. मु. बेरा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

निवाई (टोंक) की सिवाय चक भूमि पर अतिक्रमण

112. श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में 1995 से अब तक कितने मामले सिवाय चक भूमि पर अतिक्रमण के दर्ज हुए हैं? उक्त मामलों में अब तक राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत किन-किन मामलों में कार्यवाही की गई?

(2) क्या ऐसे भी मामले हैं, जिनमें अतिक्रमणियों को जेल की सजा सुनाई गई? यदि हाँ, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील निवाई क्षेत्र में वर्ष 1995 से अब तक कुल 9965 सिवाय चक भूमि के अतिक्रमण के मामले दर्ज

(राजस्व मंत्री)

हुए। उक्त मामलों में से 9928 मामलों में राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत कार्यवाही की गई।

(2) तहसील क्षेत्र में वर्ष 1995 से अब तक तीन मामलों में सिवाय चक भूमि पर अतिक्रमण के कारण सिविल कारावास की सजा सुनाई गई। सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

उदयपुर डिवीजन के घोषित राजस्व ग्राम

113. श्री महावीर मगोरा (गोगुन्दा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

गत पांच वर्षों में उदयपुर डिवीजन की कौन-कौन सी ढाणियों/फलें को किस-किस तहसील के राजस्व ग्राम घोषित किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

गत 5 वर्षों में उदयपुर डिवीजन में निम्न प्रकार राजस्व ग्राम घोषित किए गए हैं :—

1. जिला उदयपुर	21
2. जिला बांसवाड़ा	27
3. जिला चित्तौड़गढ़	10
4. जिला डूंगरपुर	10
5. जिला राजसमन्द	28
कुल योग	102

घोषित राजस्व गांवों की तहसीलवार सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

तहसील बस्सी (जयपुर) की मन्दिर माफी भूमि

114. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील बस्सी जिला जयपुर में किस-किस गांव के मन्दिरों के पेटे को भूमि माफी में निकाली गई है ? मन्दिर, गांव, खसरा नम्बर मय रकबा के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) किन-किन गांवों के मन्दिर के पुजारियों ने मन्दिर माफी की भूमि स्वयं के नाम लगा रखी है ? क्या इस स्थिति से हुई दुविधा एवं अव्यवस्था के कारण उक्त भूमियों को पुनः मन्दिरों के नाम लगाने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेश/परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) किन-किन मन्दिर माफी भूमि के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई है और उनमें से किन-किन का निस्तारण किया

(श्री रतनलाल ताम्बी)

जा चुका है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर जिले की बस्सी तहसील के 121 गाँवों की 5522 बीघा 9 बिस्वा भूमि मन्दिरों के पेटे में निकाली हुयी थी। मन्दिर गाँव, खसरा न. मय रकबा की सूची संलग्न है।

(2) 111 गाँवों की 5180 बीघा 12 बिस्वा भूमि पुजारियों एवं अन्य कृषकों के नाम दर्ज है जो परिशिष्ट-2 पर है। उक्त भूमियों को पुनः मन्दिरों के नाम लगाने के सम्बन्ध में राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.2 (4) राज.-4/90/37 दिनांक 13-12-91 द्वारा आवश्यक निर्देश जारी कर रखे हैं। परिपत्र की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) तहसील बस्सी में माफी मन्दिर की भूमि के बारे में अब तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुयी है।

(सूचियाँ विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

उपनिवेशन क्षेत्र की भूमि का आवंटन

115. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उपनिवेशन तहसील खाजूवाला, छतरगढ़ व पूगल में 1972 से 1976 के दौरान सामान्य श्रेणी में कृषि भूमि का आवंटन किया गया था?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सामान्य श्रेणी के आवंटन में बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर आदि जिलों के भूमिहीन काश्तकारों को भूमि आवंटित की गई है?

(3) क्या यह भी सही है कि इस क्षेत्र में पाक विस्थापित व महाजन फायरिंग रेन्ज के विस्थापितों को भी कृषि भूमि का आवंटन किया गया?

(4) क्या यह सही है कि 1976 के बाद इन तहसीलों में आबाद हुए कृषकों एवं इन तहसीलों के मूल निवासियों के परिवारजनों को सामान्य श्रेणी में भूमि आवंटन कर लाभ देने की माँग बढ़ रही है?

(5) क्या यह भी सही है कि यहाँ के मूल निवासियों को आर्थिक क्षमता ऐसी नहीं है कि वे विशेष आवंटन में भूमि प्राप्त कर सकें?

(6) क्या सरकार पूगल उपनिवेशन तहसील में विशेष आवंटन बन्द करके यहाँ के मूल निवासियों को जैसलमेर जिले के मूल निवासियों के लिए बने नियमों के अन्तर्गत 20 रुपये वार्षिक किस्तों पर भूमि आवंटन करने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक?

(श्री भीमसेन चौधरी)

(7) क्या यह सही है कि पूगल उपनिवेशन तहसील क्षेत्र में अनेक नई माइनर्स व डिस्ट्रीब्यूट्रीज बन चुकी हैं या निर्माणाधीन है, जिनसे नई कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस नई सिंचाई योग्य भूमि को उक्त मूल निवासियों को सामान्य श्रेणी में आबंटित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) उक्त क्षेत्र में पाक-विस्थापितों को वर्ष 1981 से 1984 की अवधि में तथा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापितों को वर्ष 1986 से 1996 तक भूमि का आबंटन किया गया है।

(4) जी हां। उक्त तहसीलों के मूल निवासियों के परिवारजनों एवं उस क्षेत्र की प्राथमिकता के भूमिहीनों को कृषि भूमि के सामान्य आबंटन हेतु वर्ष 1984 से प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये गये थे। उपनिवेशन तहसील पूगल हेतु प्राप्त सक्षम प्रार्थना-पत्रों में 838 व्यक्तियों को 21043 बीघा कृषि भूमि का आवंटन कर लाभान्वित किया गया। विभाग के पास इस तहसील क्षेत्र के 5129 आवेदन पत्र शेष हैं।

(5) मूल निवासियों में दोनों ही क्षमता के लोग हैं। कुछ लोग विशेष आबंटन में ले सकते हैं और कुछ नहीं।

(6) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(7) जी हां। निम्न माइनर का निर्माण हो चुका है :—

1. राइटर माइनर
2. लेफ्ट माइनर
3. घोघा वितरिका
4. थारूसर माइनर
5. रमई माइनर
6. रमई सब माइनर
7. सूरासर माइनर
8. घोघा राइट माइनर
9. घोघा लेफ्ट माइनर
10. सूरासर सब माइनर

चक प्लान प्राप्त होने पर सिंचाई सुविधा प्राप्त हो सकेगी। इनमें 80 हजार बीघा (20 हजार हैक्टेयर) सिंचित भूमि आबंटन हेतु उपलब्ध हो सकेगी तथा 50 प्रतिशत सामान्य आबंटन हेतु आरक्षित की जायेगी।

मण्डोर, पूंजला व भदासिया (जोधपुर की) बस्तियों का नियमन

116. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर के मण्डोर, पूंजला, भदासिया पटवार सर्कल में कृषि भूमि पर ग्रीनबेल्ट पर कितनी आवासीय बस्तियां कब से बनी हुई हैं ? इन्हें नियमन करने के

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर के उपरोक्त पटवार सर्कलों में कृषि भूमि से रूपान्तरण की व कृषि भूमि पर बनी आवासीय बस्तियों का विकास शुल्क जमा कर नियमन करने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जोधपुर के पटवार मण्डल मण्डोर, पूंजला एवं ग्राम मदासिया (प.मं.पूंजला) में कृषि भूमि पर ग्रीनबैल्ट में निम्नलिखित बस्तियां बसी हुई है :—

1. मण्डोर-बेरा जातवाला, बेराढाणा, बारली मंडावता, सुखाला बेरा व पढाला बेरा।

2. पूंजला-बेरा मोजीवाला, बेरा हीरावाला, बेरा बोडीवाला, बेरा रावजा बेरा राईका बेरा पहाड़िया, बेरा चुतरावता, बेरा नथोड़ा व माता का थान।

3. मदवासिया-यह क्षेत्र पटवार मण्डल पूंजला के अन्तर्गत आता है व आवासीय क्षेत्र में स्थित हैं।

उक्त बस्तियां लगभग वर्ष 1960 व सके बाद से बसी हुई हैं। भू-उपयोग रिवर्तन हेतु वर्णित प्रकरणों में आवेदकों या स्थानीय निकाय द्वारा संभागीय आयुक्त के अधीन गठित समिति के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने पर ही भू-उपयोग परिवर्तन के आदेश के पश्चात रूपान्तरण संबंधी कार्यवाही कर निस्तारण किया जाना संभव होता है परन्तु वर्णित पटवार मण्डल के आवेदकों एवं स्थानीय निकाय द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में कार्यवाही किया जाना संभव नहीं हैं।

(2) कृषि भूमि पर बनी आवासीय बस्तियों के नियमन हेतु राज्य सरकार द्वारा एक परिपत्र दिनांक 18-2-94 जारी किया जा चुका है उसके अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

कोटपूतली में अतिरिक्त कलक्टर कार्यालय

117. श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले के लिए अतिरिक्त कलक्टर का पद सृजित किया गया है, जो उप जिला मुख्यालय पर पदस्थापित करना है ? यदि हां, तो इसके लिए पदस्थापन आदेश अभी तक नहीं किये जाने का क्या कारण है ? उक्त पदस्थापन कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि कोटपूतली उप जिला मुख्यालय पर अतिरिक्त कलक्टर (ए.डी एम) कार्यालय एवं पदस्थापन का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, जयपुर जिले के लिए प्रतिरिक्त जिला कलक्टर, का एक पद सृजित कर प्रादेश कार्मिक (क-4) विभाग के द्वारा दिनांक 26-6-96 को जारी किए हैं।

इस पद को उपजिला मुख्यालय पर पदस्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(2) जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

ग्राम केमला (टोडाभीम) में चिकित्सालय

118. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की तहसील नादौती के ग्राम केमला में चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

(2) ग्राम केमला में स्वीकृत चिकित्सालय नहीं खोलने के क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं, पंचायत समिति नादौती में जनसंख्या मापदण्ड के अनुसार चिकित्सा संस्थान स्वीकृत है। ग्राम केमला में वर्तमान में उपकेन्द्र स्वीकृत है।

(2) यह सत्य नहीं है कि ग्राम केमला में चिकित्मालय स्वीकृत है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

राजकीय रेफरल चिकित्सालय पोकरण (जैसलमेर) का नसबंदी प्रकरण

119. श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 28 मार्च, 1993 को राजकीय रेफरल अस्पताल पोकरण (जैसलमेर) में श्री मांगीलाल टावरी का नसबंदी ऑपरेशन डॉक्टर बल्लभ दास जेठा ने किया ? यदि हां, तो क्या यह ऑपरेशन सफल रहा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ऑपरेशन के बाद श्री मांगी लाल की हालत बिगड़ गई और बेहोश हो गया जिसे जोधपुर अस्पताल में ले जाने पर चार दिन बाद होश आया ? यदि हां, तो इसका कारण क्या रहा ?

(3) क्या यह सही है कि डॉक्टर जेठा ने श्री टावरी का बिना परीक्षण किये ही यह ऑपरेशन लापरवाही से किया, जिसके कारण उसकी हालत बिगड़ी ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या इस मामले में श्री टावरी ने डॉक्टर जेठा के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई ? यदि हां, तो अब तक उस प्रकरण

(श्री कालूलाल गूजर)

में क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त मामले की शिकायत पर मेडिकल बोर्ड बैठाया गया और बोर्ड ने डॉक्टर की लापरवाही मानकर टावरी को 63,000 रुपये मुआवजे व उसके इलाज के देने हेतु सिफारिश की है ? यदि हां, तो अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हां।

(2) जी नहीं। श्री मांगीलाल टावरी की नसबन्दी दौरान छाती में दर्द शुरू हुआ और हालत खराब हुई जिन्हें महात्मागांधी अस्पताल के लिये भेजा व 29-3 93 को चेतन अवस्था में प्रातः 6.00 बजे भरती कराया गया तथा वहां जांच कराई जिसमें डा.बी.डी. जेठा, डा.आर.आर.पटवा एवं डा.जे एस. उज्ज्वल ने जांच कर, उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर बताया कि श्री टावरी के नसबन्दी आपरेशन के दौरान लोकल एनेस्थैटिक इन्जेक्शन जाईलोकिन से ब्लड प्रेशर गिरना तथा न्यूरोजेनिक शोक बताया।

(3) जी नहीं।

(4) पुलिस अधीक्षक जैसलमेर के पत्र क्र. 3235 दिनांक 16-6-95 में उल्लेखानुसार श्री टावरी ने डा. जेठा के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई थी परन्तु पुलिस विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है, इस विभाग को यह जानकारी नहीं है।

(5) तीन चिकित्सकों की समिति में श्री टावरी को क्षतिपूर्ति हेतु रुपये 63,000 रुपये देने का प्रस्ताव दिया था लेकिन राज्य सरकार इस रिपोर्ट से सहमत नहीं हुई और प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक मेडिकल कालेज, जोधपुर के बोर्ड से जांच कराई गई। जिसके निष्कर्ष के अनुसार (Hysterical Neurosis with An xiety and htpochoridrial symptoms) रोग से पीड़ित होना बताया गया है। कुछ व्यक्तियों में आपरेशन के बाद ऐसा मानसिक रोग होना सम्भव है। सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर के मनोरोग विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता वाली समिति से पुनः जांच कराई गई जिसमें श्री टावरी को मनोरोग से पीड़ित होना बताया गया है तथा जिसका ईलाज किया जा सकता है।

वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों की पदोन्नति प्रकरण

120. श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के लिये वर्ष 1988-89 के कोटे की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें कौने से वर्ष में हुई और उसमें किन चिकित्सकों के बारे में विचार किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री कालूलाल गूजर)

(2) क्या उक्त विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के समय विचार किये गये डॉक्टर्स के अलावा भी ऐसे डॉक्टर्स थे जिनके नाम पर विचार करना आवश्यक था ? यदि हां, तो उनके नाम पर विचार नहीं करने के क्या कारण रहे ? उन डॉक्टर्स की सूची व विचार नहीं करने के कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या ऐसे डॉक्टर्स जिनके बारे में उक्त पदोन्नति समिति में विचार नहीं किया गया, उन्होंने उनके नाम पर विचार नहीं करने के कारण सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत किये ? यदि हां, तो किन-किन डॉक्टर्स ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये और सरकार ने उन पर अब तक क्या कार्यवाही की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त प्रतिवेदन देने वाले चिकित्सकों की प्रार्थना पर गौर कर रिव्यू डी.पी.सी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक 1993 में आयोजित हुई। सूची संलग्न है।

(2) वरियता सूची के अनुसार व प्रचलित नियमों के तहत नामों पर विचार दिया गया।

(3) जी हां, निम्न दो चिकित्सकों के ज्ञापन प्राप्त हुए :—

1. डा. के.के. भण्डारी

2. डा. प्रेमलता गुप्ता प्रकरण परीक्षणाधीन है।

(4) तथ्यों की पुष्टि होने पर वांछित कार्यवाही की जायेगी।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही द्वारा औषधियों की खरीद प्रकरण

121. श्री जयन्ति लाल कोली (रेवदर) एवं श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही द्वारा अवधि पार होने वाली दवाओं की खरीद कर उन्हें अस्पतालों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में भेज दिया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की जांच करवाई गई ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे ? जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि पार दवाइयों की सूची मय लागत राशि के सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त दवाओं में से कितनी दवाएं

(श्री जयन्ति लाल कोली)

विभिन्न चिकित्सा केन्द्रों द्वारा मरीजों को बांट दी गई है?

(5) इस प्रकरण के लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) समाचार पत्रों में इस आशय का समाचार प्रकाशित होने पर अतिरिक्त कलक्टर विकास द्वारा जांच करवाई गई। प्राप्त जांच रिपोर्ट पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(3) अवधिपार दवाइयां क्रय नहीं की गईं।

(4) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(5) दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

चिकित्सालयों में चिकित्सकों/कर्मियों का पदस्थापन

122. श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा यह घोषणा की गई थी, कि जिला अस्पतालों में नोर्म्स के अनुसार स्टाफ है या नहीं इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जायेगा जो इस बारे में अध्ययन करेगी? यदि हां, तो इस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि टोंक में जिला मुख्यालय पर सआदत अस्पताल एवं जयपुर में कांवटिया अस्पताल में नोर्म्स के अनुसार काफी कम स्टाफ है? यदि हां, तो नोर्म्स के अनुसार कब तक पूरा स्टाफ लगा दिया जायेगा।

उत्तर

(1) जी हां। कमेटी द्वारा अध्ययन पूर्ण कर लिया गया है व रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

(2) जी नहीं। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर फोर्ट डिस्पेन्सरी (टोंक) के मृतक कर्मी का पेंशन प्रकरण

123. श्री रूपाराम (मकराना): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगर फोर्ट डिस्पेन्सरी जिला टोंक की मृतक राज्य कर्मचारी (ए. एन. एम.) के पेंशन केस को उनके उत्तराधिकार के मामले का निस्तारण न होने के कारण अब तक लम्बित रखा गया है? यदि हां, तो यह प्रकरण कितने वर्ष से लम्बित है? पत्रावली की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री रूपाराम)

(2) क्या यह सही है कि मृतक कर्मचारी के पति को राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि तथा वर्ष 1982 के फिक्सेशन का एरियर आदि के भुगतान उसका उत्तराधिकारी मान कर दे दिये गये हैं ?

(3) क्या यह सही है कि मृतक कर्मचारी के पति ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक को अपने पति होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है तथा नगर परिषद् ने भी मृत्यु प्रमाण-पत्र पर उन्हीं का नाम पति के रूप में दर्ज किया है ?

(4) क्या मृतक कर्मचारी ने भी अपने जीवनकाल में इस विषयक कोई सूचना दी थी।

(5) क्या सरकार इस मामले को शीघ्र निपटाने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हाँ, दिनांक 20.12.86 से लम्बित है।

(2) जी नहीं, मृतक सुश्री जोहरा खातून के राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि एवं फिक्सेशन के एरियर का भुगतान श्री निजामुद्दीन को उनके द्वारा दिये गये दावेदारी के शपथ-पत्र पर ओथ कमिश्नर द्वारा प्रमाणित किये गये प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत किये जाने पर किया गया।

(3) जी नहीं, नगर परिषद, टोंक द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण-पत्र के अलावा अन्य कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

(4) जी नहीं, स्व. सुश्री जोहरा खातून ने ऐसा कोई प्रमाण-पत्र अथवा सूचना प्रस्तुत नहीं की है, जिससे श्री निजामुद्दीन को पति माना जावे। सुश्री जोहरा खातून के सेवाभिलेख में भी पति के नाम का उल्लेख नहीं है।

(5) मृतक सुश्री जोहरा खातून का पति होने के श्री निजामुद्दीन द्वारा वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद एवं जाँच कार्यवाही होने के उपरान्त ही प्रकरण का निपटारा किया जाना सम्भव हो सकेगा।

विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ की सड़क विहीन पंचायतें

124. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बांसवाड़ा के विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें है, जो कि सड़कों से जुड़ी हुई नहीं है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ऐसी सड़कों को पूर्ण करायेगी, जो पंचायत हैडक्वार्टर तक जुड़ी हुई नहीं है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले के विधान सभा

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

क्षेत्र कुशलगढ़ में निम्नलिखित केवल दो ग्राम पंचायत है जो किसी भी प्रकार की सड़क से जुड़े हुए नहीं है:-

पंचायत समिति	पंचायत मुख्यालय
1. सज्जनगढ़	मच्छारासाथ 179 (1971)
2. कुशलगढ़	मूंदड़ी 216 (1971)

(2) उक्त पंचायत मुख्यालयों को ग्रेवल की सड़क से मार्च, 1997 तक जोड़ दिया जायेगा।

विधान सभा क्षेत्र सराड़ा की सड़कों का डामरीकरण

125. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उदयपुर जिले के विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में कितनी व कौन-कौन सी सड़कें ऐसी हैं, जिन पर यातायात चालू है? क्या सभी सड़कों की हालत ठीक है? वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक प्रत्येक सड़क पर किस-किस मद में कितना-कितना व्यय किया गया तथा क्या-क्या कार्य कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार शेष बची हुई कच्ची सड़कों के डामरीकरण का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौन सी तथा कितनी कितनी दूरी की सड़कें कब तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले के विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में कुल 21 सड़के ऐसी है जिन पर यातायात चालू है। सड़कों की कुल लम्बाई 269.02 किमी. है जिनमें 245.22 किमी. डामर सड़क, 11.15 किमी. मेठा सड़क एवं 12.65 किमी. ग्रेवल सड़क है। सड़कों की सूची संलग्न परिशिष्ट 'अ' के अनुसार है।

सभी सड़कों की हालत ठीक है एवं इन सड़कों के रख-रखाव हेतु प्रत्येक वर्ष मरम्मत के अन्तर्गत 32.50 लाख एवं मजदूरों के वेतन हेतु 17.62 लाख रुपये व्यय किया जाता है। इनके अलावा रिन्यूअल एवं विशेष मरम्मत हेतु भी राशि व्यय की जाती है।

वर्ष 1994-95, 1995-96, 96-97 में स्वीकृत कार्यों की मदवार सूचना मय भौतिक उपलब्धि के प्रत्येक वर्ष की अलग अलग परिशिष्ट 'ब' (I) वर्ष 94-95 'ब' (II) वर्ष 95-96 व "ब" (III) वर्ष 96-97 में संलग्न की गयी है।

(2) इस विधान सभा क्षेत्र के बचे हुये गांवों में से निम्न को डामर की सड़कों से जोड़ने का काम प्रगति पर है।

1. मोराई (1919/1971) 1.6 किमी.
2. घीड़ासर (1270/1971) 3.00 किमी.

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

3. रेवातलाई (1776/1971) 6.00 किमी.

4. बहावली (1498/1971) 3.50 किमी.

5. पाडला (1369/1971) कृषि विपणन बोर्ड द्वारा डामरीकरण किया जायेगा ।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्रामीण सड़कों के डामरीकरण के मानदण्ड

126. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के गांवों को पक्की डामर की सड़कों से जोड़ने के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के क्या मानदण्ड है ? इस कार्यक्रम के तहत वर्ष 1996-97 में नसीराबाद विधान सभा क्षेत्र के कौनसे गांवों को जोड़ने की योजना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या पंचायत मुख्यालयों को पक्की सड़कों से जोड़ना भी सरकार की नीति के अन्तर्गत आवश्यक है ?

(3) यदि हां, तो क्या अजमेर जिले की पंचायत ढाल, पालरा, गोल व दांता के मुख्यालयों को जहां ग्रेवल, कच्ची व नाले पड़ते हैं, इस मानदण्ड के अनुसार, डामर सड़कों से जोड़ दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक गांव की जनसंख्या 1971 को आधार मनाते हुए 1000 अथवा अधिक के गांवों को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत डामर की सड़कों से जोड़ने व पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने का मापदण्ड निर्धारित है । नसीराबाद विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1996-97 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की सूची परिशिष्ट "क" में संलग्न है ।

(2) जी हां । पंचायत मुख्यालयों को राज्य की नीति के अनुसार नवीं पंचवर्षीय योजना में डामर की सड़क से जोड़ने की नीति है ।

(3) वर्तमान में गोता व दांता पंचायत मुख्यालय डामर की सड़क से जुड़े हुए है तथा ढाल एवं पालरा पंचायत मुख्यालय की स्वीकृति विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा माह 10/96 व 11/96 में जारी की जा चुकी है । वित्तीय वर्ष 1997-98 में इन पंचायत मुख्यालयों को डामर की सड़क से जोड़ दिया जाना प्रस्तावित है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

नागौर जिले की सड़कों का डामरीकरण

127. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :---

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

(1) वर्ष 1996-97 में नागौर जिले में विभिन्न योजनाओं के तहत कुल कितनी राशि सड़कों के डामरीकरण हेतु स्वीकृत की गई है? सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1996-97 के दौरान तहसील डेगाना में कुल कितने किलोमीटर डब्ल्यू बी. एम. तथा कितने किलोमीटर डामर की सड़कें बनाने का प्रावधान रखा गया है? इन सड़कों के निर्माण पर कुल कितनी राशि व्यय की जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर जिले में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 96-97 के दौरान विभिन्न मदों में रुपये 886.50 लाख के डामरीकरण के कार्य स्वीकृत किये गये हैं। स्वीकृत कार्य का ब्यौरा तथा खण्डवाइज एवं तहसीलवार सूचना परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) वर्ष 96-97 के दौरान तहसील डेगाना में कुल 6 कार्य जिनकी लंबाई 16 किमी. है, पर डब्ल्यू बी.एम. का कार्य स्वीकृत किया गया है। जिसकी स्वीकृत राशि रुपये 24.90 लाख है तथा डेगाना में ही 9 डामर के कार्य स्वीकृत हैं जिनकी लंबाई 22.50 किमी. है तथा इनकी स्वीकृत राशि रुपये 67.50 लाख है।

डब्ल्यू.बी.एम. एवं डामरीकरण के डेगाना तहसील के स्वीकृत कार्यों की सूची परिशिष्ट "ख" संलग्न है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

बून्दी बाई पास राष्ट्रीय राजमार्ग

128. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बूंदी बाई-पास राष्ट्रीय राजमार्ग है और उसके सड़क मार्ग को चौड़ा करने हेतु कार्य प्रगति पर है? यदि हां, तो पेट्रोल पम्प बाईपास से चुंगी नाका सतूर तक इस हेतु कितनी कितनी पहाड़ी की कटिंग करनी थी और कितनी कटिंग की गई?

(2) क्या यह सही है कि पेट्रोल पम्प से चुंगी नाका सतूर तक पहाड़ी कटिंग एवं सड़क मार्ग चौड़ा करने हेतु निविदाएं स्वीकार की गई थी? यदि हां, तो उसमें कितनी पहाड़ी की कटिंग और कितनी सड़क चौड़ी होनी थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सड़क मार्ग (पेट्रोल पम्प बाईपास से चुंगी नाका सतूर) तो चौड़ा किया गया, परन्तु पहाड़ की कटिंग पूरी न करके समतल भूमि पर मिट्टी डालकर चौड़ा किया गया एवं विभाग से पूरी रकम वसूल की गई? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि बूंदी बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग है और उसके सड़क मार्ग को चौड़ा करने हेतु कार्य प्रगति पर है। पेट्रोल पम्प बाईपास से चुंगी नाके तक कुल 1,06323 क्यूबिक मीटर पहाड़ी की कटिंग करनी थी और 1,12,135 क्यूबिक मीटर कटिंग की गई। इसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "अ" पर दर्शाया गया है।

(2) जी हां। यह सही है कि पेट्रोल पम्प से चुंगी नाका सतूर तक पहाड़ी कटिंग एवं सड़क मार्ग चौड़ा करने हेतु निविदाएं स्वीकार की गई थी। उसमें कुल 1,06,323 क्यूबिक मीटर कटिंग का कार्य करना एवं 7.65 कि.मी. लम्बाई में सड़क को 5.5 मीटर से 7 मीटर चौड़ा करना प्रस्तावित था।

(3) यह सही है कि सड़क मार्ग पेट्रोल पम्प बाईपास से चुंगीनाका सतूर को चौड़ा करने का कार्य प्रगति पर है। यह सही नहीं है कि पहाड़ी की कटिंग पूरी न करके समतल भूमि पर मिट्टी डालकर चौड़ा किया गया है। विभाग द्वारा लेवल्स के आधार पर मापी गई वास्तविक कटिंग की मात्रा का भुगतान किया गया है। इस कार्य में कोई भी अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी नहीं है। अतः सरकार का किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-19 देखें)

तहसील लूणकरणसर के पंचायत मुख्यालयों तक सड़क

129. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लूणकरणसर तहसील के पंचायत मुख्यालयों यथा; कुजटी रामबाग, अजीतमाना, रावांसर, भीखनेरा को सड़क से जोड़ने हेतु कोई स्वीकृतियां नहीं दी गई हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि बीकानेर जिले के कोलायत एवं नोखा तहसीलों में पंचायत मुख्यालयों एवं अन्य सड़कों के डामरीकरण पर अत्यधिक खर्चा करके भेदभाव पूर्ण नीति बरती गई है, यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। लूणकरणसर तहसील के पंचायत मुख्यालयों के लिये सड़क निर्माण की स्वीकृति का विवरण परिशिष्ट "अ" में अंकित है। पंचायत मुख्यालय कुजटी एवं रामबाग ग्रेवल सड़क से जुड़े हुये है। पंचायत मुख्यालय अजीतमाना डामर सड़क से जुड़ा हुआ है। पंचायत मुख्यालय रावांसर एवं भिखनेरा को सड़क से जोड़ने हेतु सरकार की विभिन्न योजनान्तर्गत स्वीकृति वर्ष 97-98 में स्वीकृति जारी करना प्रस्तावित है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा सड़क निर्माण कार्यों की स्वीकृतियां प्रत्येक क्षेत्र में बिना जुड़े पंचायत मुख्यालयों एवं

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

1971 की जनगणना पर 1000 से अधिक गांवों के आधार पर जारी की जाती है। कोलायत एवं नोखा तहसीलों में भी सड़कों के निर्माण की स्वीकृतियां इन क्षेत्रों में बिना जुड़े पंचायत मुख्यालय एवं गांवों के आधार पर ही जारी की गई है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-20 देखें)

भीलवाड़ा जिले की प्रस्तावित सड़कें

130. श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1996-97 में नाबार्ड बैंक द्वारा राज्य में किन-किन सड़कों के लिए कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) भीलवाड़ा जिले में नाबार्ड के सहयोग से कौन-कौन सी सड़कें बनाई जा रही हैं व कौन-कौन सी बनानी प्रस्तावित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) भीलवाड़ा जिले के विधान सभा क्षेत्र मांडल की ग्राम पंचायत गोवर्धनपुरा मोटा का खेड़ा, रामपुरिया तहसील भीलवाड़ा एवं सहनूदा तथा सांगवा को सड़क नीति के अनुसार सड़कों से कब तक जोड़ने का सरकार विचार रखती है ? इसके लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) वर्ष 96-97 में नाबार्ड बैंक द्वारा राज्य में सड़कों के लिये स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) भीलवाड़ा जिले में नाबार्ड के सहयोग से जो सड़कें बनाई जा रही हैं उनका विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। एवं जो सड़कें बनानी प्रस्तावित हैं उनका विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(3) भीलवाड़ा जिले में माण्डल विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत गोवर्धनपुरा मोटा का खेड़ा, रामपुरिया, सहनूदी वर्तमान में ग्रेवल सड़क से जुड़े हुये हैं तथा तहसील भीलवाड़ा में नांगवा पंचायत मुख्यालय वर्तमान में ग्रेवल सड़क से जुड़ा हुआ है। इन सभी पंचायत मुख्यालय सड़कों का डामरीकरण नवीं पंचवर्षीय योजना में किये जाने का प्रस्ताव है इनमें से सांगवा पं.मु. सड़क का डामरीकरण नाबार्ड बैंक योजना में स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर की सड़कें

131. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भरतपुर जिले के विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत कुल कितनी व कौन-कौन सी व

(श्री हरिसिंह)

किस लम्बाई की सड़कें हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सड़कों पर वर्तमान वित्तीय वर्ष में तथा गत तीन वर्षों में मरम्मत पर कितना-कितना व्यय हुआ ?

(3) क्या राजकीय घोषित सड़क नीति के अनुसार प्रति किलोमीटर जो मरम्मत पर व्यय होना चाहिए वह उक्त सड़कों पर कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और क्या उसकी पूर्ति अब की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) भरतपुर जिले कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित 28 सड़कें हैं। जिनकी लम्बाई 146.5 किमी. है। सूची परिशिष्ट "अ" पर सलंग्न है।

(2) उक्त सड़कों पर वर्तमान वित्तीय वर्ष 1996-97 के माह दिसम्बर, 96 तक तथा गत 3 वर्षों में मरम्मत पर निम्न-लिखित अनुसार व्यय किया गया। विवरण परिशिष्ट "ब" पर सलंग्न है।

वर्ष	व्यय लाखों में
1993-94	13.99
1994-95	13.02
1995-96	13 33
1996-97 माह दिसम्बर, 96 तक	42.32

इस राशि में वर्ष 96 में बाढ़ से क्षति-ग्रस्त सड़कों पर यातायात चालू रखने के लिये व्यय की गई राशि भी सम्मिलित है।

(3) जी हां। राजकीय घोषित नीति के अनुसार प्रति किलोमीटर की मरम्मत पर व्यय उक्त सड़कों पर कर दिया गया है।

(सूची एवं विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-21 देखें)

सामूहिक विवाहों को प्रोत्साहन

132. श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशन-पोल) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि सामूहिक विवाहों को प्रोत्साहन देने के लिये कम से कम 25 जोड़ों या इससे अधिक जोड़ों पर प्रति जोड़े के हिसाब से राज्य सरकार 1000/– रुपये अनुदान के रूप में देगी ? यदि हां, तो अब तक कितने सामूहिक विवाहों में अनुदान दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या इससे सम्बन्धित कोई नियम बनाये गये हैं ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, सामूहिक विवाहों के

(राज्य मंत्री, समाज कल्याण)

अनुदान हेतु विभाग को अब तक 11 सामूहिक विवाह आयोजन के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिन पर अनुदान की कार्यवाही सम्बन्धित जिला कलक्टर के द्वारा की जा रही है।

(2) जी, हां। नियमों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-22 देखें)

ग्राम पुनाना (जयपुर) में पशु चिकित्सालय

133. श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मा. मुख्य मंत्री महोदय ने अपने अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक मु. मं./5/प. 67 (1) पशुपालन/91/450 दिनांक 18 जनवरी, 1991 के द्वारा जयपुर जिले के गांव पुनाना में पशु चिकित्सालय खोले जाने के विभाग को निर्देश जारी किये थे? यदि हां, तो पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विभाग द्वारा माननीय मुख्य मंत्री महोदय के उक्त निर्देशों की पालना कर दी गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय के निर्देशों की पालना में जिला कलक्टर (अल्प बचत), जयपुर द्वारा जारी वित्तीय स्वीकृति से स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा विभाग के मानदण्डों के अनुसार भवन निर्माण भी करवा दिया गया है?

(4) क्या सरकार मा. मुख्य मंत्री जी के उक्त निर्देशों की पालना करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) सरकार उक्त निर्देशों की पालना में ढिलाई बरतने वाले किन-किन अधिकारियों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है और कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) क्या यह भी सही है कि इस भवन का समुचित उपयोग न हो पाने के कारण यह भवन असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है? यदि हां, तो विभाग इस भवन का उपयोग कब तक सुनिश्चित कर पायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक मु. मं. 5/प. 67 (1) पशुपालन/91/450 दिनांक 18-1-91 द्वारा माननीय राज्य मंत्री, पशुपालन को आपका पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया था? (प्रति संलग्न है)

(2) जी नहीं। जब कोई निर्देश ही प्रसारित नहीं किए गये थे तो विभाग द्वारा पालना करने का प्रश्न ही नहीं है। ग्राम पुनाना में पशु औषधालय, जालसू का

(राज्य मंत्री, पशुपालन)

उपकेन्द्र विभागीय नीति के अनुसार वर्ष 1991-92 से कार्यरत हैं।

(3) अल्प बचत योजनान्तर्गत ग्राम पुनाना में पंचायत द्वारा भवन बनाया गया है जिसमें छः कमरे, एक बरामदा तथा शौचालय आदि विभागीय मापदण्डों के अनुसार बनाये गये हैं लेकिन पंचायत द्वारा अनुमति नहीं देने एवं विभाग को स्थानान्तरित नहीं करने के कारण उपकेन्द्र दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के भवन के एक कमरे में चलाया जा रहा है जो निःशुल्क है।

(4) विभाग द्वारा पुनाना में वर्ष 1991-92 से विभागीय नीति के अनुसार उपकेन्द्र चालू किया गया है जो यथावत कार्यशील है।

(5) आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

(6) निर्मित भवन पंचायत के अधिकार में है जिसे विभाग को स्थानान्तरित करने की अनुमति पंचायत द्वारा अभी तक नहीं दी गई है विभाग ने सम्बन्धित पंचायत समिति को भवन स्थानान्तरित करने हेतु लिख दिया है एवं उपकेन्द्र को भवन उपलब्ध होते ही उसमें स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट--23 देखें)

उदयपुर में विभाग द्वारा संचालित योजनाएं

134. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विभाग की उदयपुर जिले में कौन-कौनसी योजनाएं गत पांच वर्षों से चल रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रत्येक योजना पर भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा देय राशि का क्या प्रतिशत है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में गत पांच वर्षों से क्रियान्वित विभाग की योजनाओं का विवरण परिशिष्ट "अ" पर अंकित है।

(2) योजनावार एवं वर्षवार भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा देय अंश का प्रतिशत परिशिष्ट "ब" पर अंकित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट--24 देखें)

बांसवाड़ा जिले मे जीवनधारा योजना के तहत स्वीकृत कुए

135. श्री भवानी जोशी (बाँसवाड़ा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला बाँसवाड़ा में विगत 10 वर्षों में इन्दिरा आवास योजना व जीवन धारा योजनाओं में बने

(श्री भवानी जोशी)

कुओं का लाभ राज्य कर्मचारियों के परिवारजनों को दिये गये हैं ? यदि हां, तो किन को ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) बांसवाड़ा जिले में, जीवनधारा के कितने कुएं स्वीकृत किए गए व उसमें से कितने कुओं में खुदाई नहीं कर भुगतान कर दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त प्रकरण में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विगत 10 वर्षों की अवधि में जीवनधारा एवं इंदिरा आवास योजनान्तर्गत किसी भी राज्य कर्मचारी को लाभान्वित नहीं किया गया जबकि नगरपालिका बांसवाड़ा के कर्मचारी ग्राम लालपुरा के निवासी कालू पुत्र समरिया जो गरीबी रेखा के नीचे वर्ष 1983 में चयनित था, को इंदिरा आवास अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में लाभान्वित किया गया। इस सम्बन्ध में कचरी पत्नी कालू को अनियमित रूप से लाभान्वित करने के सम्बन्ध में दोषी कर्मचारी के विरुद्ध अभिकरण द्वारा कार्यवाही की गई है तथा विभाग द्वारा अभिकरण को इस अनियमित रूप से दी गई वित्तीय सहायता की वसूली हेतु आदेश दे दिये गये हैं।

(2) बांसवाड़ा जिले में जीवनधारा योजनान्तर्गत वर्ष 85-86 से 95-96 की अवधि में कुल 3779 कुएं स्वीकृत किये गये थे जिसमें से अर्जुनियां पुत्र श्री मनजी निवासी ग्राम व ग्राम पंचायत पंटाली पं. स. पीपलखूंट को बिना खुदाई के कुएं का भुगतान कर दिया गया।

(3) उक्त प्रकरण में दोषी कर्मचारी के विरुद्ध एफ. आई. आर. दर्ज करवा दी गई है तथा अनुसन्धान प्रगति पर है। दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने तथा गबन की गई राशि की वसूली हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बांसवाड़ा को आदेश दे दिये गये हैं।

लिफ्ट सिंचाई योजना के तहत पाइप खरीद प्रकरण

136. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि लिफ्ट सिंचाई योजना हेतु वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में पाइप खरीद किये गये हैं ? यदि हां, तो किस-किस फर्म से कितनी-कितनी मात्रा में, कहां-कहां से ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं के लिए 1996-97 तक कितने पाइप की किस-किस योजना पर आवश्यकता थी ? क्या खरीदे गये पाइप भावी योजनाओं के लिए भी काम आयेंगे ?

(श्री रतनलाल ताम्बी)

(3) क्या यह सही है कि आवश्यकता से ज्यादा पाइप खरीदे गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, वर्ष 1994-95, 1995-96 एवं 1996-97 में स्वीकृत सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाओं हेतु वर्ष 1996-97 में पी.वी.सी. पाइप खरीद लिए जा रहे हैं। कृषि विकास परियोजनान्तर्गत अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर आमंत्रित की गई निविदाओं में से विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित फर्म मैसर्स अरावली ट्यूब्स लि. से पाइप क्रय किए जा रहे हैं। मैसर्स अरावली ट्यूब्स लि. से 574 किमी. पी. वी. सी. पाइप क्रय किए जा रहे हैं।

(2) वर्तमान में क्रियान्वित की जाने वाली लक्षित व स्वीकृत 171 सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाओं हेतु 574 किमी. पाइप की आवश्यकता है। खरीद किए जा रहे पी. वी. सी. पाइप स्वीकृत 171 सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन में काम आयेंगे।

(3) जी नहीं, वर्ष 1994-95, 1995-96 व 1996-97 में स्वीकृत सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाओं हेतु आवश्यकतानुसार पी.वी.सी. पाइप क्रय लिए जा रहे हैं।

कोटा बैराज क्षेत्र के मत्स्य ठेके

137. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या मत्स्य पालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मत्स्य विभाग कोटा बैराज से पीली गांव तक प्रतिवर्ष मछली पकड़ने हेतु ठेके आवंटित करता है ? यदि हां, तो वर्ष 1993 से 1995 तक उक्त ठेकों से कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस वर्ष ठेके आवंटित नहीं होने से अवैध मछली व्यवसाइयों द्वारा भारी मात्रा में मछलियां पकड़ कर बाजार में बेचे जाने का प्रकरण प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि अवैध मछली व्यवसाइयों द्वारा मछलियां पकड़ने के लिए विस्फोटक सामग्री (टोटे) प्रयोग में लिये जाने सम्बन्धी शिकायतें भी विभाग को प्राप्त हुई हैं ?

(4) क्या यह सही है कि विस्फोटक सामग्री के प्रयोग में लिये जाने से नदी का पानी प्रदूषित होने तथा छोटी-छोटी मछलियां मरने की शिकायतें भी प्राप्त हुई है ?

(5) क्या यह सही है कि साधनों एवं विभागीय कर्मियों के अभाव में अवैध व्यवसाइयों पर प्रभावी अंकुश नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । नदी चम्बल लोअर कोटा बैराज से पाली घाट तक का वर्ष 93 से 95 में ठेकों से प्राप्त राशि निम्न प्रकार है:—

वर्ष	राशि
1993-94	रुपये 4,51,100/-
1994-95	रुपये 7,52,000/-
1995-96	रुपये 10,13,353/-

(2) जी हां । दिनांक 17-12-96 के दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रदूत (कोटा संस्करण) में इस बारे में समाचार छपा है । विभाग द्वारा अवैध मत्स्याखेट रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है, तथा वर्ष 96-97 में नदी चम्बल लोअर में अवैधानिक मत्स्य आखेट के आठ केस पकड़े गये हैं, तथा मछली व जाल जब्त किये गये हैं ।

(3) दिनांक 17-12-96 के दैनिक समाचार पत्र के राष्ट्रदूत (कोटा संस्करण) में छपे समाचार के अतिरिक्त इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, एवं न ही चैकिंग के दौरान विस्फोटक सामग्री (टोटे) प्रयोग में लिए जाने सम्बन्धी कोई प्रकरण पकड़ा गया ।

(4) दिनांक 17-12-96 के दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रदूत (कोटा संस्करण) में इस समाचार के अतिरिक्त ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

(5) जी नहीं । नदी चम्बल लोअर कोटा बैराज से पाली घाट तक में अवैध मत्स्याखेट रोकने हेतु विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जा रही है, तथा अवैध मत्स्याखेट की रोकथाम हेतु जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग से भी समय-समय पर सहयोग प्राप्त किया जा रहा है ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है :—

श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से इंदिरा गांधी नहर के आजूवाला क्षेत्र की डी. डी., के. आई. डी., डी. व के. जे. डी. वितरिकाएं व पूगल शाखा में कई दिनों से नहर के बन्द होने से लाखों एकड़ खड़ी फसल के बर्बाद होने की सम्भावना के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी चाही जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा ।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री शिवकिशोर सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की बैंच उदयपुर में स्थापित कर जनता को शीघ्र न्याय प्रदान करवाये जाने के सम्बन्ध में ।

(श्री ग्रध्यक्ष)

(2) श्री रामेश्वर भारद्वाज, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से जयपुर शहर की इन्द्रा वर्मा कालोनी एवं कतिपय ग्रन्य कालोनियों में विकास कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से नगर निगम जोधपुर द्वारा निर्मित "वृद्धाश्रम" का दुरुपयोग रोकने के सम्बन्ध में।

(4) डा. मूलसिंह शेखावत, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से जिला झुन्झुनू में व्याप्त जल संकट का निराकरण करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री ग्रर्जुनलाल जीनगर, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से विधान सभा क्षेत्र गंगरार के ग्राम हिण्डोली तहसील राशमी के सरपंच द्वारा ट्राइसम ट्रेण्ड योजना के तहत फर्जी ग्रावेदन पत्र के माध्यम से ऋण प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री ग्रोमप्रकाश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से जयपुर शहर के 22 गोदाम क्षेत्र में चारा, कुट्टी एवं खाखला के कतिपय कारखानो द्वारा फैलाये जा रहे वायु/ध्वनि प्रदूषण को रोकने के सम्बन्ध में।

(7) श्री पराक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से जिला दौसा के थाना सेंथल के गांव बापी में कतिपय ग्रपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों द्वारा ग्रातंक फैलाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की ग्रनुमति होगी।

श्री ग्रमरारामजी चौधरी।

स्थगन प्रस्ताव ग्रादि पर चर्चा

श्री ग्रमराराम चौधरी (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा भवन के बाहर कुछ वाणिज्य कर निरीक्षकों ने कल से क्रमिक भूख हड़ताल शुरू की है ग्रौर वे 7 8 रोज से सामूहिक ग्रवकाश पर हैं। मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रगर इनकी वाजिब मांग है तो जो भी केबिनेट में ग्राप निर्णय लें, ऐसा आश्वासन देकर उनको क्रमिक भूख हड़ताल से उठा दें। वे मांग कर रहे हैं कि पुलिस के ग्रन्दर 9 साल के बाद में जो ग्रेड मिल रही है, ग्रध्यापकों को जो ग्रेड 9 साल के बाद में मिल रही है, उसी प्रकार हमें भी ग्रेड मिलनी चाहिए। इस बात की सरकार जाँच करके, जो क्रमिक हड़ताल पर बैठे हैं, उनको उठा ले। जो भी निर्णय करें, केबिनेट में करें लेकिन मेरा यह निवेदन है कि इनकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। धन्यवाद।

श्री ग्रध्यक्ष : श्रीमती मीनाजी ग्रग्रवाल।

श्रीमती मीना ग्रग्रवाल (ग्रलवर) : ग्रध्यक्ष महोदय, अलवर में एस.ग्राई. का हास्पिटल खोलना ग्रति ग्रावश्यक है क्योंकि ग्रलवर एक बहुत बड़ा फैक्टरी एरिया है। मैं ग्रापके जरिये मंत्रीजी से निवेदन करना

(श्रीमती मीना अग्रवाल)

चाहती हूं कि अलवर में एक छोटी डिस्पेंसरी है, उस डिस्पेंसरी से मरीज को कई बार जनरल हास्पिटल में भेजा जाता है और जनरल हास्पिटल के डाक्टर के देखने के बाद वे वापस उसी डिस्पेंसरी में एन. ओ. सी. लेने के लिये, दवाइयां लेने के लिये आते हैं। इस तरह मरीज का काफी समय खराब होता है और मरीज को सही इलाज भी नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि ई. एस. आई. हास्पिटल अलवर में खोला जाए।

इसके अलावा मैंने एक बार देखा कि एक मजदूर था, उसको हार्ट-अटैक की बीमारी थी। एस. एम. एस. हास्पिटल ने यह लिखा कि तुम्हारे लाखों रुपये लगेंगे। अब वह इतने पैसे का इन्तजाम नहीं कर पा रहा था तो उसके सामने प्रश्न आया कि इतना पैसा कहां से आए। आई. एस. आई. पूरा पैसा देती है मगर वह बाद में देती है और एस. एम. एस. हास्पिटल में पैसे पहले जमा करते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हू कि वह पैसा आई. एस. आई. के जरिये एस. एम. एस. में चला जाए। ....मेरी भूल का सुधार कर लें, बार-बार ताराजी टोक रही हैं....

श्री अध्यक्ष : हां, ये ई. एस. आई. के लिये कह रही हैं, ताराजी टोक नहीं रही हैं।

श्रीमती तारा भण्डारी (सरोही) : मैं टोक नहीं रही हूं, आई. एस. आई. का अर्थ गलत हो जाता है।

श्री अध्यक्ष : हां, वह ई. एस. आई. हो गया, बोलने दें आप।

श्रीमती मीना अग्रवाल : मैं यह चाहती हूं कि ई. एस. आई. पहले उस पैसे को एस. एम. एस. में जमा करा दे जिससे उसका हिसाब हो जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवकिशोरजी सनाढ्य।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

उदयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की बेंच की स्थापना

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की एक बेंच जयपुर में कार्यरत है। इस प्रकार उच्च न्यायालय जोधपुर और जयपुर में जनता को न्याय दिलाने के लिये संकल्पित है। उदयपुर उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित करने के लिये वकील तथा जनता गत 14 वर्षों से लगातार आन्दोलन कर रहे हैं। ज्ञात हुआ है कि केन्द्रीय गृह मंत्री सरदार बल्लभ भाई पटेल द्वारा तत्कालीन महाराजाधिराज श्री भोपालसिंहजी को उस समय इस बात के लिये आश्वस्त किया गया था कि भविष्य

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

में यदि उच्च न्यायालय की खण्डपीठ प्रदेश में अन्य जगह स्थापित की जाती है तो उदयपुर को प्राथमिकता दी जाएगी एवं वर्तमान राजस्थान को पुनर्गठित किये जाने के समय राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51 में उच्च न्यायालय की खण्ड-पीठ की एक से अधिक जगह पर स्थापना किये जाने का जो प्रावधान किया गया है वह केन्द्रीय गृह मंत्री के उक्त आश्वासन का ही परिणाम है।

उदयपुर सम्भाग की सन् 1991 की जनसंख्या के आंकड़ों के अन्तर्गत उदयपुर सम्भाग के 6 जिलों में राजस्थान की सम्पूर्ण आदिवासी जनता का 53.57 प्रतिशत निवास करता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना उदयपुर में किये जाने के लिये राज्य सरकार को माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेकर केन्द्र सरकार को अनुशंसा करनी पड़ती है। राज्य सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कभी भी सलाह मांगे जाने का अनुरोध नहीं किया है। सरकार द्वारा जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय प्रदान करने हेतु 26 न्यायालयों की स्थापना उदयपुर में की गयी और इस अंचल के न्यायालयों की अपील के लिये जोधपुर जाना पड़ता है। इस समय जोधपुर में 31-4-96 तक 98, 278 प्रकरण लम्बित बताये गये हैं और निरन्तर प्रकरणों की संख्या बढ़ती जा रही है। अतः उदयपुर में खण्डपीठ की स्थापना किया जाना सामयिक एवं जनहित में है। अतः माननीय विधि एवं न्याय मंत्री का ध्यान इस प्रकरण की ओर आकर्षित किया जाता है।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आप भी उदयपुर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं और आप का भी इस मांग से सीधा सम्बन्ध है।

श्री अध्यक्ष : आपका क्या है?.... (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : मैं चाहूंगा कि आप अपने गुड आफिसेज यूज करके....

श्री अध्यक्ष : आपका क्या है, वह बताइये। आप तो मंत्रिमण्डल की सामूहिक जिम्मेदारी से बंधे हैं।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी इस 295 से इण्टरेस्ट है, जनजाति क्षेत्र है।

श्री अध्यक्ष : यह तो 295 में बात कही है, आप बिराज जाएं।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : मैं तो निवेदन कर सकता हूं। सब का सामूहिक दायित्व है।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : इसमें मदद करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैंने तो सबसे पहले

(श्री अध्यक्ष)

आन्दोलन स्टार्ट किये थे। श्री रामेश्वरजी भारद्वाज।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : कई राज्यों में दो से ज्यादा बैंचेज हैं। (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : दो से अधिक बैंचेज हैं, इसका उदाहरण देखते हुए ... (व्यवधान)....

जयपुर शहर की इन्द्रा कॉलोनी एवं अन्य कॉलोनियों में विकास कार्य

श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के शास्त्री नगर की सभी बस्तियों का विधिवत विकास कार्य हुआ है जिनमें कुरेशी कालोनी, भोपजी का डेरा, खेतड़ी हाउस, माली मोहल्ला, हाजी कॉलोनी, सिन्धु नगर कॉलोनी, हरिजन कॉलोनी, सीकर हाउस, कल्याण कॉलोनी, सुदामा पुरी, पेण्टर कालोनी, आजाद बस्ती, बलाई बस्ती, टैगोर बस्ती, राणा कॉलोनी, कृष्णा कॉलोनी, मदीना मस्जिद कॉलोनी, चन्द्रशेखर की बगीची, पंचमुखी हनुमान के पास की सभी कॉलोनियां, व्यास कॉलोनी, तेलीपाड़ा, पर्वत कॉलोनी, बेरिया बस्ती, मीणा बस्ती, पशुपतिनाथ कॉलोनी, हरिजन बस्ती, 64 क्वार्टर, उसके पास की बस्ती, टाटा नगर, शिवाजी नगर, भट्टा बस्ती, हाउसिंग बोर्ड के सभी पांच सैक्टर की सड़कें एवं उनके पार्क, जे. पी. कॉलोनी, हरिनगर हैं, जिनका विकास नगर निगम के गठन से पूर्व ही करवा दिया था। इसके लिये आपको एवं भारतीय जनता पार्टी सरकार को वहां के नागरिक धन्यवाद देते हैं। मुझे भी इसकी बहुत प्रसन्नता है। लेकिन बहुत स्वादिष्ट भोजन में कंकर आ जाए तो उस भोजन का आनन्द नहीं आता। इसी तरह जयपुर शहर में पूर्व में नयागांव नाहरी का नाका जो बडोदिया से उठाकर बसाया गया था तथा जिसको अभी इन्द्रा वर्मा कॉलोनी के नाम से जाना जाता है, उसमें कोई विकास कार्य नहीं हुआ। आपको यह भी विदित होगा कि इस बस्ती में जयपुर विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर से गरीबों के मकान तोड़ दिये थे। मेरे आग्रह पर आपने उन्हें बचाया था। उस समय से ये आस लगाये बैठे हैं कि आप इनकी बस्ती का विकास अन्य बस्तियों की तरह अवश्य कराएंगे। इसी इन्तजार में जयपुर को आपने नगर निगम बनाया। विधिवत चुनाव होकर भा.ज.पा. को सफलता मिली, उसके बाद नगर निगम ने भी इस बस्ती पर ध्यान नहीं दिया। बस्ती निवासी इसे आपकी अकृपा ही मानते हैं। मैं भी उक्त बस्ती में जाता हूं तो सभी बस्ती निवासियों को समझाने के लिये कोई शब्द नहीं होते। इसी के साथ हरिजन बस्ती 64 क्वार्टर के पास एवं जे. पी. कालोनी, मेजर शैतान सिंह कॉलोनी के पास का भी पूर्ण विकास होना आवश्यक है।

जब सम्पूर्ण प्रदेश एवं जयपुर शहर, गुलाबी नगरी का चहुंमुखी विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने

(श्री रामेश्वर भारद्वाज)

विकास के संकल्प के अनुसार किया है तो इन बस्तियों के विकास हेतु भी सम्बन्धित विभाग एवं अधिकारीगण को निर्देश देकर अविलम्ब विकास कार्य करवाकर वहां के निवासियों को राहत पहुंचाएं। उन्हें आपसे यही आशा है और मेरा भी आग्रह है कि इसे शीघ्र पूरा करने के निर्देश दें। यह भी बताने की कृपा करें कि कब तक यह कार्य पूरा हो सकेगा जिससे कि मैं बस्ती निवासियों को आपका सन्देश पहुंचा सकूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जयपुर और राजस्थान में विकास की जो सराहना की है उसके लिये तो मैं धन्यवाद देता हूं और सौभाग्य की बात यह है कि जिस व्यक्ति के द्वारा, जिन अधिकारियों के द्वारा समस्या का समाधान होना है, सौभाग्य से जयपुर नगर के महापौर मेरे चैम्बर में बैठे हैं। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि अभी मेरे साथ चैम्बर में चलें, अभी बात करता हूं कि आप क्या कर रहे हैं। चलिये मेरे साथ।

श्री अध्यक्ष : बहुत बढ़िया, हाथों-हाथ। इस हाथ ले और उस हाथ दे रहे हैं। श्रीमती सूर्यकान्ता जी व्यास। आपके लिये एक और आ रहा है। नगर निगम और आ रहा है जोधपुर, सूर्यकान्ताजी बोल रही हैं इनका भी कुछ हो जाए। श्रीमती सूर्यकान्ता जी।

नगर निगम जोधपुर द्वारा निर्मित वृद्धाश्रम का अन्य उपयोग

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 में विशेष उल्लेख के जरिए नगर निगम, जोधपुर द्वारा निर्मित वृद्धाश्रम के दुरुपयोग के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहती हूं।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि दिनांक 4-12-1992 को तत्कालीन खादी ग्रामोद्योग राज्य मंत्री मोहनजी मेघवाल के कर-कमलों द्वारा शिलान्यास कर आरम्भ और दिनांक 12-9-1994 को तत्कालीन विधान सभा अध्यक्ष एवं वर्तमान उप मुख्य मंत्री माननीय हरिशंकरजी भाभड़ा के कर-कमलों द्वारा शहर को समर्पित वृद्धाश्रम को नगर निगम, जोधपुर द्वारा अपने उप कार्यालय हेतु उपयोग में लिया जाकर राज्य सरकार की योजना को असफल किया जा रहा है।

मान्यवर, सरकार की योजना से निर्मित भवन वृद्धावस्था प्राप्त नागरिकों की सुविधा हेतु है न कि निगम के कार्यालय हेतु। इससे एक ओर तो सरकार के धन का दुरुपयोग हो रहा है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाएं असफल हो रही हैं। इस क्षेत्र की जनता में इससे भारी रोष है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध है कि इस विषय में तुरन्त कार्यवाही कर इस दुरुपयोग को रोका जाए और इस

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

भवन में तुरन्त वृद्धाश्रम आरम्भ किया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : भामड़ाजी साहब, आपने उद्घाटन किया, यूं कह रहे हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मैं चाहूंगी कि मंत्रीजी यहां पर हैं, इसका कुछ तुरन्त जवाब दें तो अच्छा रहेगा। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसको खोला गया, उप मुख्य मंत्री द्वारा शिलान्यास किया गया जो कि पहले विधान सभा अध्यक्ष थे। आज उसकी यह दशा है, मैं चाहूंगी कि मंत्रीजी उसका यहां जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : डा. मूलसिंहजी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं न, साहब ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं जवाब नहीं दे रहा हूं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : ये जवाब तो दें, साहब। यह नगर निगम का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : ये वृद्धाश्रम का जवाब अभी नहीं दे पा रहे हैं, उनको पता नहीं है न। अभी तो आपने दिया है, अब आपको जवाब भी देंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : ठीक है, माननीय सदस्या, मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं लेकिन वृद्धाश्रम का उपयोग क्यों नहीं हो रहा है और कैसे हो सकता है, यह आप मुझे बताइये। यह मेरी मान्यता है कि जिस काम के लिये जो भवन बना है उसका उपयोग निश्चित रूप से उसी के लिये होना चाहिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : वृद्धाश्रम बना ही इसलिये है, साहब। उनको समर्पित करेंगे तो उसके उपयोग का मालूम पड़ेगा, समर्पित ही नहीं करेंगे तो उपयोग का क्या मालूम पड़ेगा ?

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, मैं सहमत हूं। आप मुझे बताइये कि उसके उपयोग के लिये सरकार को क्या करना चाहिये, वही मैं कर दूंगा। आप आ जाइये मेरे साथ।

श्री अध्यक्ष : आप उधर पधारें। डा. मूलसिंह।

झुन्झुनूं जिले में व्याप्त जल संकट

डा. मूलसिंह शेखावत (झुन्झुनूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम, 295 के अन्तर्गत मेरे गृह जिले झुन्झुनूं में व्याप्त जल संकट की ओर माननीय जलदाय विभाग के मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :-

(1) निवेदन है कि झुन्झुनूं जिले में काफी समय पूर्व विभाग द्वारा पानी की टंकियां बनायी गयी थीं जिनमें बहुत-सी टंकियों को बोरिंग कुओं के पाइपों

(डा. मूलसिंह शेखावत)

से नहीं जोड़ा गया है, जिसकी वजह से पानी की आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है तथा विभाग द्वारा काफी धनराशि का व्यय किया गया, उसका भी उद्देश्यपूर्ण सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। अतः इन्हें तत्काल प्रभाव से जोड़ा जाए।

(2) निवेदन है कि जिले में काफी सार्वजनिक कुओं तथा नलकूपों का जलस्तर काफी नीचे चला गया है, जिसके कारण से पानी की आपूर्ति नियमित रूप से नहीं हो पा रही है तथा कई कुओं हेतु पाइप्स की कमी बतायी गयी है। अतः इन समस्त कुओं के बोरिंग तथा समुचित पाइप्स की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से की जाए।

(3) निवेदन है कि इन सार्वजनिक कुओं के विद्युत कनेक्शन हेतु विद्युत विभाग द्वारा अत्यधिक प्राक्कलन होने के कारण इन कुओं के कनेक्शन में अनावश्यक देरी हो रही है जिससे जनता को पानी की आपूर्ति पूर्ण तरह से नहीं हो पा रही है। अतः इस सम्बन्ध में उचित ध्यान देकर कनेक्शन तत्काल प्रभाव से करवाने की उचित कार्यवाही की जाए।

इस प्रस्ताव के माध्यम से मेरा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि व्यक्तिगत ध्यान देकर इस दिशा में उचित कार्यवाही करने के आदेश तत्काल प्रदान करें ताकि आगामी गर्मी में पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री अर्जुनलाल जी जीनगर।

ट्राइसम ट्रेंड योजना के तहत फर्जी आवेदन पत्र के माध्यम से ऋण स्वीकृति

श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत माननीय विशिष्ट योजना मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र गंगरार के ग्राम हिण्डोली, तहसील राशमी के सरपंच श्री शांतिलाल तातेड़ ने ट्राइसम ट्रेंड योजना (आई. आर. डी. पी.) के तहत 20 हजार रुपये के ऋण, जिसमें 7,500 रुपये का अनुदान सम्मिलित है, के आवेदन को तैयार कर बूंदी-चित्तौड़ ग्रामीण बैंक शाखा हिण्डोली, जिला चित्तौड़गढ़ को पंचायत समिति राशमी के माध्यम से भिजवाया। जिसमें निम्न रूप से फर्जी नाम, फर्जी फोटो व फर्जी चयनित क्रमांक दर्शाये हैं। ऋण आवेदन पत्र में आवेदिका का नाम रेखा सुथार पिता स्व. चोखा सुथार, निवासी-हिण्डोली लिखा है। चयनित क्रमांक 350 वर्ष 1992-93 लिखा है। फार्म पर फोटो सुश्री रेखा सुराणा पिता श्री मिठुलाल सुराणा की लगी है। जबकि चयनित

(श्री अर्जुनलाल जीनगर)

क्रमांक 350 वर्ष 1992-93 पर श्रीमती चांदी सुथार पति चोखा सुथार दर्ज है।

अतः इस प्रकार फर्जी आवेदन पत्र के माध्यम से ऋण दिलाने वाले सरपंच श्री शांतिलाल तातेड़ ग्राम पंचायत हिण्डोली के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज करवा कर सजा दिलायी जाने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री ओमप्रकाश शर्मा।

बाइस गोदाम क्षेत्र जयपुर स्थित कारखानों से वायु एवं ध्वनि प्रदूषण

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय पर्यावरण मंत्री महोदय का ध्यान उक्त प्रस्ताव के माध्यम से इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि प्लाट नम्बर 3 व 73, महादेव नगर, नन्दपुरी, 22 गोदाम, जयपुर में चारा/कुट्टी व खाखले के कारखानों से ध्वनि प्रदूषण व वायु प्रदूषण काफी तेजी से फैल रहा है तथा इसकी गर्द आस-पास की कालोनी वालों के घरों में जाती है जिससे वहां के लोगों का श्वास लेना भी दूभर हो रहा है। उक्त कुट्टी/खाखले के कारखानों से गर्द इस कदर फैलती है कि पूरा वातावरण दूषित हो जाता है। उक्त कारखानों से वायु प्रदूषण/ध्वनि प्रदूषण से आम जनता का श्वास लेना भी मुश्किल हो रहा है, जिससे टी. बी. जैसे क्षय रोग होने का तो अन्देशा रहता ही है अपितु अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं। उक्त कारखानों से फैल रहे वायु/ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु पूर्व में भी अनेक बार माननीय पर्यावरण मंत्री महोदय व राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल/जिला कलक्टर, नगर निगम को अवगत कराया गया था लेकिन उक्त कारखानों में चारा/कुट्टी काटने की मशीनों से शोर-शराबा फैलने/खाखले की कटाई से गर्द उड़ने के कारण शुद्ध वातावरण दूषित एवं अशुद्ध हो जाने से भयंकर प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है।

इस बाबत प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल जयपुर, ने अपने पत्र क्रमांक एफ. आर. पी. सी. बी./आर. ओ./जयपुर/कम्प्लेंट/जनवरी, 123 एवं 10 (3009 एवं 3003) दिनांक 16-10-96 द्वारा कुट्टी कारखाना मालिकों को उनके कारखाने बन्द करने के निर्देश दिये थे, साथ ही विद्युत मण्डल को कनेक्शन काटे जाने के निर्देश भी दिये थे तथा जिला कलक्टर, नगर निगम को भी कार्यवाही करने हेतु पृष्ठांकित किया गया था। प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल की पालना में विद्युत मण्डल ने विद्युत कनेक्शन तो काट दिये किन्तु कारखाने मालिक बाजरे की कड़बी के ट्रक कारखानों में खाली करके ट्रैक्टर लगाकर कुट्टी कटवा रहे हैं तथा चारे/खाखले के भरे ट्रक/ट्रालियां बाहर से मंगवाई जाकर मेन रोड पर वाहन खड़ा करके कारखानों में खाली किया जाता है। इसकी गर्द हवा में इतनी उड़ती है कि आस-पास के रहने वालों का श्वास लेना भी दूभर हो रहा है।

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इसको तत्काल हटवाया जाए और जनता के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री पराक्रम सिंहजी।

(अनुपस्थित)

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

माननीय राजेन्द्र सिंहजी राठौड़, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की आठ अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की निम्नांकित आठ अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :–

(1) अधिसूचना संख्या प. 25 (एम. ई./ग्रुप-1/82 दिनांक 17 जून, 1996 जिसके द्वारा राज्य सरकार ने राज्य के समस्त प्रभारी चिकित्साधिकारी ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं, को अग्रिम आदेश तक खाद्य निरीक्षक नियुक्त किया गया है,

(2) अधिसूचना संख्या प. 25(6) एम. ई./ग्रुप-1/83 दिनांक 20 अक्टूबर, 1996 जिसके द्वारा राज्य सरकार ने श्री अवधेश कुमार सक्सेना, वरिष्ठ विश्लेषक सहायक को समस्त राजस्थान उच्च राज्य के लिए जन विश्लेषक की शक्तियां प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया है,

(3) अधिसूचना संख्या प. 8(3) एम. ई./ग्रुप-1/65 दिनांक 31 अक्टूबर, 1996 जिसके द्वारा कतिपय अधिकारियों को निरीक्षक नियुक्त किया गया है,

(4) अधिसूचना संख्या प. 8(3) एम. ई. ग्रुप-1/65 दिनांक 31 अक्टूबर, 1996 जिसके द्वारा कतिपय अधिकारियों को अनुज्ञापन प्राधिकारी नियुक्त किया गया है,

(5) अधिसूचना संख्या प. 9(9) एम. ई./ग्रुप-1/63 दिनांक 30 अगस्त, 1996 जिसके द्वारा डा. डी. आर. चौधरी, सहायक आचार्य, एनोटोमी मेडिकल कालेज, जयपुर को तीन वर्ष के लिए राजस्थान चिकित्सा परिषद का सदस्य निर्वाचित घोषित किया गया है,

(6) अधिसूचना संख्या प.24(4) एम. ई./ग्रुप-1/96 दिनांक 15 अक्टूबर, 1996 जिसके द्वारा भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद में राजस्थान राज्य की ओर से

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रतिनिधित्व हेतु डा. एच. एच. हाथी, विभागाध्यक्ष दन्त चिकित्सा विभाग, सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज, जयपुर को मनोनीत किया गया है,

(7) अधिसूचना संख्या प. 18(59) चि. स्वा./प्र.प-1/83-पार्ट-1 दिनांक 29 नवम्बर, 1996 जिसके द्वारा अधिसूचना में वर्णित भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अवाप्त की है, एवं,

(8) अधिसूचना संख्या एफ. 24(5) एम. ई./प्र.प-1/86 दिनांक 3 दिसम्बर, 1996 जिसके द्वारा रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है।

प्रतिवेदन एवं लेखें

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन संख्या 1, 2 व 3 एवं लेखें

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री हरिशंकर भाभड़ा, उप मुख्य मंत्री भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन संख्या-1, 2 व 3 एवं विनियोग व वित्त लेखे सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं (1) भारत नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1996 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या-1 (वाणिज्यिक),

(2) भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1996 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या-2 (राजस्व प्राप्तियां),

(3) भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1996 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या-3 (सिविल) एवं विनियोग व वित्त लेखे वर्ष 1995-96 को सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन 1995-96

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री ज्ञानसिंहजी चौधरी, कृषि राज्य मंत्री राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (राज्य मंत्री, कृषि) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 के नियम 32(4) के अन्तर्गत राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995-96 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार। माननीय महावीर प्रसाद जैन।

कार्य सलाहकार समिति का बाईसवां प्रतिवेदन

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

समिति के बाईसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक माननीय अध्यक्ष के चैम्बर में दिनांक 13 मार्च, 1997 को मध्याह्न पश्चात् तीन बजे हुई।

समिति दिनांक 14 मार्च, 1997 को सदन में लिये जाने वाले कार्य के बारे में विचार-विमर्श कर सिफारिश करती है कि कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए :-

शुक्रवार 14 मार्च, 1997

(1) अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 1996-97 का उपस्थापन, मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का पुरस्थापन, उस पर विचार एवं पारण।

(2) लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी राजस्थान विनियोग (लेखा अनुदान संख्या-2) विधेयक, 1997 का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण।

(3) आय-व्ययक (बजट) 1997-98 पर अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के बाईसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के बाईसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृति)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रदान की गयी।

समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

श्री घनश्यामजी तिवाड़ी, सभापति, जनलेखा समिति, 1996-97 समिति के आठ प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

समिति का प्रतिवेदन

जनलेखा समिति, 1996-97 का 80 से 87वां प्रतिवेदन

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सभापति, जनलेखा समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जनलेखा समिति, 1996-97 के निम्नांकित आठ प्रतिवेदन उपस्थापित करता हू :-

(1) विनियोग लेखे-वर्ष 1988-89 में बताये गये दत्तमत्त अनुदानों तथा प्रभृत विनियोगों में प्रतिरेक के मामलों पर समिति का 80वां प्रतिवेदन,

(2) भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1986-87, 1987-88, 1988-89 एवं 1989-

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

90 तथा 1992-93 में समाविष्ट कृषि विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 81वां प्रतिवेदन,

(3) विनियोग लेखे वर्ष, 1987-88 में बताये गये दत्तमत अनुदानों तथा प्रभृत विनियोगों में प्रतिरेक मामलों पर समिति का 82वां प्रतिवेदन,

(4) भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग से सम्बन्धित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष, 1990-91 का अनुच्छेद संख्या 4.1 व वर्ष 1992-93 के अनुच्छेद संख्या 4.1., 4. 2. व 4. 3. वर्ष 1993-94 का अनुच्छेद संख्या 4. 1. एवं 4. 2. से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 83वां प्रतिवेदन।

(5) विनियोग लेखे वर्ष, 1989-90 में बताये गये दत्तमत अनुदानों तथा प्रभृत विनियोगों में प्रतिरेक के मामलों पर समिति का 84वां प्रतिवेदन,

(6) विनियोग लेखे वर्ष, 1990-91 में बताये गये दत्तमत अनुदानों तथा प्रभृत विनियोगों में प्रतिरेक के मामलों पर समिति का 85वां प्रतिवेदन,

(7) जनलेखा समिति, 1980-81 के दूसरे प्रतिवेदन (सातवीं विधान सभा) में वाणिज्यिक कर, राजस्व, आबकारी, यातायात, पंजीयन एवं मुद्रांक और खनिज एवं भू-गर्भ विभाग से सम्बन्धित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का 86वां प्रतिवेदन, एवं

(8) जनलेखा समिति, 1994-95 के सैंतीसवें प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में भूमि एवं भवन कर विभाग से सम्बन्धित पैराज के सम्बन्ध में समिति द्वारा की गयी सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक समिति का 87वां प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष : माननीय टीकम चन्दजी कान्त, सभापति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 1996-97 समिति का प्रथम प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 1996-97 का प्रथम प्रतिवेदन

श्री टीकमचन्द कान्त (सभापति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति). माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, सभापति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 1996-97 समिति का प्रथम प्रतिवेदन राज्य सरकार के नियन्त्रित, निर्देशित निगमों, उपक्रमों, मंडलों, संस्थाओं की सेवाओं में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के आरक्षण सम्बन्धित अनुसूचित जाति/कल्याण समिति, 1976-77 के छठे प्रतिवेदन (पंचम विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर क्रियान्विति प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री चुन्नीलाल जी गरासिया, सभापति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 1996-97 समिति का पंचम प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 1996-97 का पंचम प्रतिवेदन

श्री चुन्नीलाल गरासिया (सभापति, अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं, सभापति, अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 1996-97 उदयपुर जिले की गिर्वा तहसील की कृषि भूमि (विशेषकर अनुसूचित जनजाति के कृषकों की) को आवासीय भूमि में परिवर्तन सम्बन्धी समिति का पंचम प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन।

माननीय श्री महावीर भगोरा, सदस्य, विधान सभा चार याचिकाएं उपस्थापित करेंगे।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित चार याचिकाएं उपस्थापित करता हूं :-

ढुण्ढी से सादड़ा (गोगुन्दा) पक्की सड़क बनवाने बाबत

(1) जिला उदयपुर, पंचायत समिति गोगुन्दा के पंचायत मुख्यालय ढुण्ढी से सादड़ा वाया बरवाड़ा तक पक्की सड़क का निर्माण करवाने बाबत 10 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित,

बरवाड़ा नर्सरी (उदयपुर-कुम्भलगढ़) से रावलिया खुर्द तक सड़क निर्माण बाबत

(2) बरवाड़ा नर्सरी (उदयपुर-कुम्भलगढ़ मार्ग) से हथनियावल बागड़ा-अवाणी-रावलिया खुर्द तक स्वीकृत सड़क को पंचायत मुख्यालय तक निर्माण करवाने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित,

गुन्दाली को उदयपुर से जोड़ने हेतु सड़क निर्माण बाबत

(3) पंचायत मुख्यालय गुन्दाली को पंचायत समिति मुख्यालय व जिला मुख्यालय, उदयपुर से सड़क मार्ग से जोड़ने बाबत तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित, एवं

करदा से गोगुन्दा और उदयपुर तक सीधी बस सेवा शुरू करने बाबत

(4) करदा पंचायत मुख्यालय को गोगुन्दा पंचायत समिति मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय से परिवहन निगम की सीधी बस सेवाओं से जोड़ने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

अनुपूरक अनुदान वर्ष 1996-97 की मांगों का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : वित्तीय कार्य।

अनुपूरक अनुदान की मांगों का उपस्थापन।

माननीय श्री हरिशंकर जी भाभड़ा, उप मुख्य मंत्री वर्ष 1996-97 के लिये

(श्री अध्यक्ष)

अनुपूरक अनुदान की मांगें उपस्थापित करेंगे ।

श्री हरिशंकर भामड़ा (उप मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1996-97 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगों को उपस्थापित करता हूं ।

मुखबंद अनुपूरक अनुदान [redacted] (वर्ष 1996-97) की मांगों का पारण

श्री अध्यक्ष : अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष, 1996-97 पर मतदान ।

शासन की ओर से मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर अनुदान हेतु प्रस्तुत की जाएंगी ।

मांग संख्या-2

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-2 मंत्री परिषद के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 44,66,000/- (चवालीस लाख छियासठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-3

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 3--सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,51,00,000/- (दो करोड़ इक्यावन लाख) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या--4

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 4--जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,73,70,000/- (चार करोड़ तेहत्तर लाख सत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या--5

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 5-प्रशासनिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,26,46,000/- (चार करोड़ छब्बीस लाख छियालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या--6

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 6--न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में

(श्री अध्यक्ष)

31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,99,07,000/- (एक करोड़ निन्यानवें लाख सात हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-8

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 8- राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,84,07,000/– (सात करोड़ चौरासी लाख सात हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-9

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 9- वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,30,24,000/-(चार करोड़ तीस लाख चौबीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-10

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 10- विविध सामान्य सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,03,000/- (पांच लाख तीन हजार) तक की राशि प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-11

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 11- विविध सामाजिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,03,23,000/- (एक करोड़ तीन लाख तेईस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-12

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 12- अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 93,00,000/-

(श्री अध्यक्ष)

(तिरानवे लाख) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-14

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 14- बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,80,22, 000/- (पांच करोड़ अस्सी लाख बाईस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-15

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 15- पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 69,00,00,000/- (उनहत्तर करोड़) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-16

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 16- पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 22,17,33,000/- (बाईस करोड़ सत्रह लाख तैंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-17

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 17- कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,37,34,000/- (दो करोड़ सैंतीस लाख चौंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-18

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 18- जन सम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/-(एक

(श्री अध्यक्ष)

हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-19

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19– लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,65,49,000/- (पांच करोड़ पैंसठ लाख उनचास हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-20

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 20– आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/- (दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-21

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 21- सड़के एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/-(एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-22

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 22- क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 32,86,29,000/- (बत्तीस करोड़ छियासी लाख उनतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-23

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 23- श्रम तथा रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये

(श्री अध्यक्ष)

1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-24

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 24- शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,11,58,62,000/- (एक अरब ग्यारह करोड़ अट्ठावन लाख बासठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-25

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 25--कोषागार एवं लेखा प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 17,60,000/- (सत्रह लाख साठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या--26

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 26--चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 27,24,08,000/- (सत्ताइस करोड़ चौबीस लाख आठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या--27

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 27--पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 27,53,46,000/- (सत्ताइस करोड़ तिरेपन लाख छियालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या--29

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 29--नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल

(श्री अध्यक्ष)

महोदय को रुपये 2,58,96,000/- (दो करोड़ अट्ठावन लाख छियानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–30

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 30--जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 39,07,000/- (उनतालीस लाख सात हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–32

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 32--नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,25,00,000/- (एक करोड़ पच्चीस लाख) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या--33

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 33--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,83,86,000/- (दो करोड़ तिरासी लाख छियासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या--34

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 34--प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,00,22,75,000/- (एक अरब बाईस लाख पिचहत्तर हजार तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या--35

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 35--विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये

(श्री अध्यक्ष)

जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,65,02,000/- (दस करोड़ पैंसठ लाख दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या--36

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 36--सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 19,63,00,000/- (उन्नीस करोड़ तिरेसठ लाख) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या--37

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 37--कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 19,20,96,000/- (उन्नीस करोड़ बीस लाख, छियानवें हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या--38

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 38--लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,000/- (छः हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या--39

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 39--पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,85,000/- (दस लाख पिच्यासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या--40

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 40--राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,000/- (तीन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या--41

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 41--सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/- (दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या--42

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 42--उद्योग के सम्बन्ध में 31, मार्च 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,72,06,000/- (नौ करोड़ बहत्तर लाख छ: हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या--43

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग 43--संख्या खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,08,93,000/- (पांच करोड़ आठ लाख तिरानवें हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या--44

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 44--लेखन सामग्री एवं मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,98,49,000/- (तीन करोड़ अट्ठानवें लाख उनचास हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या--45

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 45--राज्य कर्मचारियों को ऋण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या-46

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 46-सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,40,05,000/- (दस करोड़ चालीस लाख पांच हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-47

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 47–पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,000/-(चार हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-48

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 48- विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय रुपये 2,23,48,06,000/- (दो अरब तेईस करोड़ अड़तालीस लाख छः हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-49

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 49- स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा तथा समनुदेशन के सम्बन्ध में 31 मार्च 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,44,000/- (बारह लाख चवालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 50

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 50- ग्रामीण रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,82,37,000/- (तीन करोड़ बियासी लाख सैंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

विधायी कार्य:विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1997

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1997 का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान कीजाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी। पुरःस्थापित करें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करता हूं।

विधेयक पर विचार

श्री अध्यक्ष : माननीय हरिशंकरजी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1997 को विचारार्थ किया जाए।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1997 को विचारार्थ लेने के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : कोई बोलना चाहें ? किसी को कुछ बोलना है ? प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक 1997 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

माननीय हरिशंकरजी भाभड़ा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1997 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या—1) विधेयक, 1997 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : कोई बोलना चाहेंगे ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : भाभड़ा साहब बोलेंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इस सम्बन्ध में मुझे कुछ निवेदन करना है। अध्यक्ष महोदय, सामान्यतः अनुपूरक अनुदान की मांगें साल में दो बार प्रस्तुत की जाती हैं छः महीने के बाद। लेकिन गत सत्र में बजट देरी से हुआ इस वजह से अनुपूरक अनुदान मांगों की यह मांग की गयी, इसलिये पूरे साल भर की मांगें इसमें हैं। इसमें कुछ ऐसे मद हैं जिनमें आकस्मिक खर्च हुए हैं जो अनपेक्षित थे। उदाहरण के लिये वेतन भत्तों में 79 करोड़ 59 लाख और राज्य सरकार

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

के कर्मचारियों को पेंशन एवं उत्पादन में 69 करोड़ रुपये का खर्चा हुआ। केन्द्र सरकार ने पिछले वर्ष में जो बढ़ोतरी की उसके कारण राज्य सरकार को भी उसका भुगतान करना पड़ा। आयोजना भिन्न के अन्तर्गत 204.41 करोड़ रुपये का भुगतान विद्युत मण्डल को धारा 63 के अन्तर्गत अनुदान के रूप में देना पड़ा। इसी तरह से सूखा, बाढ़ एवं चक्रवात में भी राज्य सरकार को 99.70 लाख रुपये का अतिरिक्त खर्चा हुआ। बाकी सब छोटे-छोटे खर्चे हैं। ये सारे आकस्मिक खर्चे हुए जिनकी अपेक्षा नहीं थी इसलिये अनुपूरक अनुदान की मांग में 746.13 करोड़ रुपये की जो मांग वोटेड में है और 3057.77 की चार्ज्ड में है। केवल केन्द्र सरकार से जो हमारा लेन देन होता है और जिसका हम समय-समय पर ब्याज देते हैं, उसका पहले से कोई अन्दाजा नहीं होता है इसलिए इस पर 2989.86 रुपये का है। इसी तरह से हमने जो बाजार से 39.43 करोड़ रुपये लिये ऋण के और केन्द्र सरकार से हमने तेरह करोड़ रुपये ऋण के लिये, यह सारा आकस्मिक व्यय है। इसलिए यह एक साथ एक साल में अनुपूरक मांग में वोटेड में 746.3 और चार्ज्ड में 3057.77, कुल 3803.80 रुपये के लिए प्रस्ताव किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1997 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1997 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1997 को पारित किया गया।

लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव, 1997—98

माननीय हरिशंकर जी भाभड़ा, उप मुख्य मंत्री लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखानुदान 1997-98 के विवरण में मांग संख्या-1 से 50 के सम्मुख अंकित लेखानुदान की राशियों से अनधिक जिनका योग 38 करोड़....

श्री अध्यक्ष : 38 अरब।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : 38 अरब 55 करोड़ 40 लाख 76 हजार है, व्यय के लिए अनुदत्त कर दी जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय को 31, मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखानुदान 1997-98 के विवरण में मांग संख्या 1 से 50 के सम्मुख अंकित लेखानुदान की राशियों से अनधिक जिसका योग रुपये

(श्री अध्यक्ष)

38 अरब 55 करोड़ 40 लाख 76 हजार मात्र है, व्यय के लिए अनुदत्त कर दी जाएं ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 1997 का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण।

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) संख्या-2, विधेयक, 1997

श्री हरिशंकर भामड़ा (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक, को पुरःस्थापित भी करेंगे।

श्री हरिशंकर भामड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करता हूं।

विधेयक पर विचार

श्री अध्यक्ष : माननीय हरिशंकर जी भामड़ा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 1997 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री हरिशंकर भामड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 1997 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : कोई सदस्य बोलना चाहते हैं ? कोई नहीं बोल रहे हैं। आपको कुछ नहीं कहना है....(व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब पूरा बजट रख दिया गया और बजट प्रस्ताव पास कराए जा रहे हैं तो ये पूरक मांगें क्यों रख दी गयी ? रख दी तो इसको सिद्ध करें किस कारण से ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि प्रभारी मंत्री इसके औचित्य को रखें, स्पष्ट करें जिसके कारण स्थिति स्पष्ट हो।

श्री हरिशंकर भामड़ा : अध्यक्ष महोदय, सामान्यतया बजट 31 मार्च,के पहले पारित होना चाहिए और यदि यह संभावना हो कि सदन 31 मार्च के पहले पुरा बजट पास नहीं कर सके उस दृष्टि से लेखानुदान

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

पारित कराया जाना आवश्यक समझा जाता है। यदि 31 मार्च के पहले बजट पास हो जाता है तो इस लेखानुदान का फिर कोई मतलब नहीं रहता है।

श्री अध्यक्ष : आपको क्लियर हो गया न ?

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 1997 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

माननीय भाभड़ा साहब, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 1997 को पारित किया जाए।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : यह चार महीने के लिए है ?

श्री अध्यक्ष : हां।

विधेयक का पारण

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 1997 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : किसी को कुछ कहना है ? बोलना चाहते हैं कोई ? प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 1997 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 1997 को पारित किया गया।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

आय-व्ययक (बजट) 1997-98 पर सामान्य वाद-विवाद, श्री किशन गोपाल जी कोगटा।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : अध्यक्ष महोदय, कल कोगटा जी बोल गये।

श्री अध्यक्ष : कल बोल गये ?

श्री किशन गोपाल कोगटा : अधूरा था।

श्री अध्यक्ष : अब आप पांच मिनट में बात कह दें। अधूरा रहा है, पांच मिनट में बोल लें।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, कल वाद-विवाद प्रतियोगिता में समय के अभाव की वजह से आज मुझे फिर अवसर मिला, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। किसी राज्य का बजट बढ़िया हो और वह विकासोन्मुख हो तो निश्चित रूप से घाटे का बजट होगा और जो बजट घाटे का होगा वह निश्चित रूप से विकास के लिए बजट होगा। राजस्थान

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

के विकास के लिए घाटे का बजट हुआ और घाटे की पूर्ति के लिए दो ही तरीके हैं--या तो टैक्स लगाएं या ऋण प्राप्त करें। अगर ऋण प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से ऋण चुकाने के लिए ब्याज भी देना पड़ेगा और फिर ऋण लेना पड़ेगा। टैक्स लगाकर विकास के लिए जो धन संग्रह किया जाएगा तो निश्चित रूप से रेवेन्यू भी बढ़ेगी और विकास कार्य भी होंगे। लेकिन टैक्स एक सीमा तक लगाया जा सकता है; एक स्तर है। राजस्थान की गरीब जनता में जिला भार वहन करने की क्षमता हो उतना ही टैक्स लगाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्रीजी जो उप मुख्य मंत्री भी हैं, उनका ध्यान आकर्षित करूंगा कि कुछ जो आपने टैक्स लगाएं हैं, प्रस्ताव हैं उसमें से कुछ टैक्सों पर पुनर्विचार करना चाहिए। पहला, एक्स-रे फिल्म पर 6 प्रतिशत की जगह 8 प्रतिशत लगाया है। अध्यक्ष महोदय, एक्स-रे फिल्म गरीबों के लिए, मरीजों के लिए काम आती है और आम जनता उससे प्रभावित होती है पूरे राजस्थान की। मेरा यह आग्रह है कि एक्स-रे फिल्म पर जो टैक्स 8 प्रतिशत लगाया है उसको वापस कम करके 4 प्रतिशत किया जाए तो राजस्थान की गरीब जनता को राहत मिलेगी और अगर आप पूर्व निर्धारित 6 प्रतिशत ही करें तो उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद होगा।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ सोरिंग और मिड़िल आजकल प्रथा भी पड़ गयी है और स्टरलाइज करने के लिए सब जगह व्यवस्था भी नहीं है तो यह सीधे ही खरीद कर लाते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : अध्यक्ष महोदय, रिमोट कंट्रोल से चालित हो रहे हैं।

श्री किशन गोपाल कोगटा : उसके भी यदि कम कर दिये जाएं तो अच्छा है। दूसरा इलेक्ट्रोनिक सामान जो आम जनता के उपयोग के हैं, जिससे आम जनता प्रभावित होती है, पूर्व में इन पर चार प्रतिशत टैक्स था उसका एकदम आपने आठ प्रतिशत किया है। वह भी जनता के प्रति अन्याय-सा लगता है, आम जनता का रिएक्शन होगा। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय, उप मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इलेक्ट्रोनिक सामान, टाइपराइटर, पेजर, टेलीफोन, फैक्स, फोटोकापियर्स, पी.ए.बी. एक्स सिस्टम पर जो चार प्रतिशत से आठ प्रतिशत किया है उस पर भी पुनर्विचार करें तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को राहत मिलेगी।

(13.00)

इसके साथ-साथ, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं वित्त मंत्रीजी का का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मोटर व्हीकल्स पर जो आपने 12 प्रतिशत का कर प्रस्तावित किया है वह निश्चित रूप से इतना अखरने वाला है कि पूरे राजस्थान में उसकी प्रतिक्रिया हुई है। और वह प्रतिक्रिया अच्छी नहीं हुई। यही नहीं राजस्थान के आस-पास लगने वाले स्टेट्स हरियाणा, दिल्ली, मध्यप्रदेश और गुजरात

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

में यह टैक्स बहुत कम है। गुजरात में तो 4 प्रतिशत ही है। 12 प्रतिशत का प्रस्ताव जो आपने रखा है अगर वह लागू किया गया तो रेवेन्यू का भी लोस होगा और हमारे राजस्थान का बिजनेस भी कम होगा। राजस्थान सरकार की यह नीति रही है कि कोई भी टैक्स जो पड़ोस के स्टेट्स में है उसके समान ही टैक्स लगाना चाहिये। और लगा रहे हैं, पिछले चार-पांच साल से ऐसी व्यवस्था रही है। मेरी आपके माध्यम से आग्रह है कि मोटर व्हीकल्स जो चार पहियों वाले हैं, जिन पर इतना भारी कर लगाया है, उस पर पुनर्विचार करें जिससे यहां राजस्थान में बिजनेस बढ़े और आम कन्जूमर जो इसका उपभोग करता है उस पर ज्यादा असर नहीं पड़े। आज एक-एक फोर व्हीकल पर चाहे कार हो, ट्रक हो, 16 हजार से 45 हजार तक का टैक्स बनता है और यह इतना भारी है कि उसको वहन करना मुश्किल है। टैक्स लगना चाहिये लेकिन एक स्तर होना चाहिये, एक आधार होना चाहिये, एक प्रतिशत होना चाहिये जिससे जनता को नहीं अखरे, उनकी जेब से वसूल किया जा सके और आसानी से वे दे सकें। मेरा आग्रह है कि मोटर वाहनों की बिक्री कर में जो 12 प्रतिशत का प्रस्ताव किया है उस पर पुनर्विचार करें। इसके साथ-साथ हार्डवेयर, बेल्डिंग, इलेक्ट्रोनिक्स पर 6 प्रतिशत के स्थान पर 8 प्रतिशत का जो आपने प्रस्ताव रखा है उस पर भी पुनर्विचार करने के लिये मैं आग्रह करूंगा।

(13.02)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

यह भी आम जनता के उपभोग के सामान के साथ है। एक काश्तकार, एक किसान अपने औजार, ट्रैक्टर्स, ट्रालो की वेल्डिंग करवाता है और मरम्मत करवाता है। उसमें जो सामान उपयोग होता है उस पर टैक्स बढ़ा कर प्रस्ताव किया है उसका असर आम गरीब पर पड़ेगा। इस पर भी आप पुनर्विचार करें, ऐसा मेरा आग्रह है।

इसके साथ-साथ औषधि एक आम नागरिक के उपभोग की वस्तु है, आवश्यकता की वस्तु है। प्रत्येक नागरिक आज किसी न किसी रूप में औषधि का कहीं न कहीं उपयोग करता है। इस बजट के माध्यम से आपने औषधि पर 6 प्रतिशत की जगह 8 प्रतिशत कर दिया है, यह ठीक है आपने किया है लेकिन यह बढ़ा हुआ 2 प्रतिशत टैक्स कंजूमर्स पर लगेगा। मेडिसिंस पर आल टैक्स पेड नहीं है, मेडिसिंस पर लिखा हुआ है लोकल टैक्सेज एक्स्ट्रा। ग्राहकों से 4 प्रतिशत तो सेन्ट्रल सेल्स टैक्स, 6 प्रतिशत सेल्स टैक्स, एक प्रतिशत आक्ट्राय, इस प्रकार 11 प्रतिशत टैक्स वसूल किया जाता है। आपको शायद जानकारी यह रही होगी कि टैक्स इनक्लूजिव है रेट्स पर लेकिन 90 प्रतिशत मेडिसिंस पर लोकल टैक्स एक्स्ट्रा है। दो प्रतिशत बढ़ाया है इसका आम जनता पर सीधा-सीधा असर पड़ेगा। राजस्थान की गरीब और साधारण जनता जो औषधियों का सेवन करती

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

है, जिसके माध्यम से उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है तो उस पर भी 2 प्रतिशत है। मध्य प्रदेश, दिल्ली और यू. पी. में मेडिसिंस पर टैक्स में और राजस्थान में मेडिसंस पर सेल्स टैक्स में अन्तर है। मध्य प्रदेश में 4 प्रतिशत है, यू. पी. में 4 प्रतिशत है और दिल्ली में 2 प्रतिशत है। जो निकट की स्टेट्स हैं उनमें मेडिसंस पर क्या टैक्स है, अगर इसकी जानकारी करके समानता रखी जाएगी तो दिल्ली और यू. पी. से राजस्थान मे जो 2 नम्बर की मेडिसंस आती हैं वे भी बन्द हो जाएंगी और अपना टैक्स भी बढ़ेगा। इसलिये यह जो टैक्स बढ़ाया उसको वापस लेने के लिये मैं आग्रह करूंगा। आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : महोदय, पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज ब्यावर बन्द है। ब्यावर को जिला बनाने हेतु आज ब्यावर पूरी तरह बन्द है। 12 तारीख को जब बजट पेश किया था, बजट भाषण के बाद में मैं सी. एम. साहब के चैम्बर में गया। सी. एम. साहब ने खुद आगे होकर मुझे कहा कि अगले वर्ष ब्यावर को जिला बना दिया जाएगा। उन्होंने कहा आगे होकर के। उस समय माननीय सोनगरा जी भी वहां खड़े थे। हम दोनों पास में खड़े थे। चैम्बर की बात थी, जनता को क्या मालूम कि उन्होंने क्या आश्वासन दिया? प्रेस को क्या मालूम? उप मुख्य मंत्रीजी यहां बिराजे हुए हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज कम से कम आश्वासन दें। मैं अभी लगातार टेलीफोन से सम्पर्क कर रहा हूं ब्यावर की जनता से। मैंने हमारे कार्यकर्ताओं को, जनता को आश्वासन दिया है कि अगले साल हमारा ब्यावर जिला होगा और कार्यकर्ता सारे बाजार में निकले हुए हैं, दुकानें खुलवा रहे हैं। कम से कम आप हाउस में यह तो आश्वासन दे दें कि अगले साल ब्यावर को जिला बना दिया जाएगा, मैं माननीय उप मुख्य मंत्रीजी से पुनः निवेदन करना चाहता हूं ताकि शांति का वातावरण बना रहे।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं। मेरा भी यही सोच है। (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : विधान सभा क्षेत्र मसूदा पड़ता है तो मैं भी आग्रह करूंगा कि इस पर विचार किया जाए। हनुमानगढ़ को जिला बनाने के पहले ही घोषणा हो चुकी थी कि ब्यावर को जिला बनाया जाएगा लेकिन उसके बाद 6-7 जिले और नये बन गये–दौसा बन गया, धौलपुर बन गया, राजसंमद बन गया और अभी करौली बन गया, लेकिन ब्यावर की उपेक्षा की जा रही है। (व्यवधान)

श्री उगमराज मेहता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस समय हमारे खाद्य मंत्री रामप्रसाद जी भी वहां मौजूद थे, माननीय सार्वजनिक मंत्री ललितकिशोर चतुर्वेदी जी भी सामने कुर्सी पर बिराजे हुए थे, उस

(श्री उगमराज मेहता)

समय मुख्य मंत्रीजी ने मुझे कहा था। ये भी साक्षी हैं। सोनगरा जी, आप तो कुर्सी पर आकर विराजे थे उस समय बात हो रही थी। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं इसका समर्थन करता हूं, बहुत लम्बे समय से ब्यावर की डिमांड है कि जिला बनाया जाए। दौसा जिला बन गया, करौली बन गया और इस एरिये के अन्दर काफी बन गये हैं। वहां पर बहुत जरूरी है, अजमेर बहुत बड़ा जिला है। इस पर तो आप कुछ आश्वासन दें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : मैं भी समर्थन करता हूं कि ब्यावर को जिला बनाया जाए।

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ब्यावर रेवेन्यू की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से और बिजनेस की दृष्टि से, इण्डस्ट्रियल एरिया की दृष्टि से राजस्थान में मुख्य स्थानों पर है। (व्यवधान) पानी की व्यवस्था भी हो गयी।

श्री उगमराज मेहता : पानी मिल रहा है पानी की व्यवस्था हो गयी। (व्यवधान)

श्री मांगीलाल मेघवाल : ब्यावर को जिला बनाने की घोषणा इसी सत्र में करवायी जाए।

श्री किशन गोपाल कोगटा : सबसे बड़ा एरिया एस. डी. ओ. का है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : पानी की आज की तारीख में कोई समस्या नहीं है ब्यावर में।

श्री मांगीलाल मेघवाल : पाली जिले की विशालता को देखते हुए ब्यावर को जिला बनाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया व्यवस्था कायम रखें। एक-एक करके बोलें।

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एरिया के हिसाब से, जनसंख्या को आधार बनाने की दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से और इसके साथ-साथ राजस्थान का सबसे सेन्टर पाइन्ट ब्यावर है। 16 डिस्ट्रिक्ट्स में उस एरिये से आना-जाना होता है (व्यवधान) पानी की व्यवस्था नहीं थी, नहीं तो राजधानी अजमेर ही बनती यह जयपुर नहीं बनती। लेकिन उसी समय जो कमियां थीं उनकी पूर्ति की गयी। पाली डिस्ट्रिक्ट की रायपुर तहसील, नागौर डिस्ट्रिक्ट की मेड़ता तहसील, राजसमंद की भीम तहसील और ब्यावर और मसूदा तहसील मिलाकर डिस्ट्रिक्ट बनाने का प्रोग्राम बन सकता है। हर दृष्टि से यह उपयुक्त है। मैं चाहता हूं कि उप मुख्य मंत्री महोदय इस पर आश्वासन दें, कुछ भी दें। जैसी चर्चा हो वैसी कहें पर हमें कुछ न कुछ आश्वासन दें जिससे हम उस क्षेत्र में जा सकें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरसिंहजी डांगावास।

(116)

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : उपाध्यक्ष महोदय, ब्यावर जिला बने हमें कोई एतराज नहीं है। राजस्थान को छोटे-छोटे प्रान्तों में विभाजित करने के लिये, प्रदेशों में विभाजित करने के लिये हमारे राष्ट्रीय घोषणा पत्र में लिखा हुआ है। नागौर जिला इतना बड़ा होने के बावजूद और मेरे द्वारा इस सदन में आते ही पहले सेशन में यह बात उठाने के बावजूद मेड़ता जिला बनाने की कोई बात अभी तक नहीं आयी है। मैं मेड़ता उप खण्ड के एक भी गांव को ब्यावर में स्थानान्तरित नहीं होने दूंगा। जहां तक मेरी जान में जान है मैं मेड़तावासियों को ब्यावर में नहीं जाने दूंगा। बड़ा जिला बनाएं, कितना ही बड़ा बनाएं आप मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेड़ता को जिला बनाने की मांग करता हूं। माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय का खुद का जिला है, प्रार्थना करता हूं कि मेरा सहयोग करें और मेड़ता को जिला बनाएं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वी. पी. सिंहजी।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, ब्यावर को जिला बनाएं। मेड़ता का कोई एरिया हो या नहीं हो, बदनोर एरिया जो सब तहसील है आसीन्द की, उसको पूरी तहसील बनाकर ब्यावर जिले के अन्दर दे दें। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बदनोर को तहसील बनाकर ब्यावर जिले के अन्दर सम्मिलित कर दें। इनकी डिमांड है बिलकुल न्यायसंगत है और होना चाहिये। सबको आश्वासन मिलना चाहिये, जिला बनाना चाहिये (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, उप मुख्य मंत्री महोदय बोल रहे हैं।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवराय-पाटन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले की विशालता और नागौर जिले की विशेषता को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान के मूल केन्द्र ब्यावर को जिला बनाना केवल कुछ लोगों की नहीं राजस्थान की महती आवश्यकता है। ब्यावर को जिला बनाने की घोषणा इसी सत्र में की जाए, यह सारे सदन की मांग है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय सदस्य भंवर सिंहजी को जिन्होंने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में लिखा हुआ है वह स्पष्ट करना चाहता हूं कि वह देश में प्रदेशों के लिए लिखा हुआ है, जिलों के लिए नहीं। इसलिए इसका जिलों से सम्बन्ध नहीं है। जहां तक छोटे प्रदेशों का है, यह छोटे जिले इन्होंने जोड़ा है लेकिन अब तक जितने भी जिले राजस्थान में बने हैं वे सब भारतीय जनता पार्टी ने बनाये हैं और भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में ब्यावर भी है, प्रतापगढ़ भी है....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कोटपूतली है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : जो पहले से हैं और मांग बढ़ रही है। नागौर की भी बढ़ रही है, बालोतरा की भी बढ़ रही है,

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

सब बढ़ रही है लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस सम्बन्ध में व्यावहारिक रुख अपनाया है और इसलिये क्रमशः बजट के हिसाब से इन जिलों का निर्माण हम निरन्तर करते रहे।

मुख्य मंत्रीजी ने जो आश्वासन दिया है, मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से वह पूरा होगा मुख्य मंत्रीजी ने जो आश्वासन दिया है वह अधूरा रहने का सवाल ही पैदा नहीं होगा और इसलिये ब्यावर की जनता को इतना एजीटेट होने की जरूरत नहीं है, निश्चित रूप से हमारी सूची में ब्यावर है। हम जब भी, हर साल जब नया जिला बनाने की कोशिश करेंगे तो ब्यावर भी उसमें निश्चित रूप से विचारणीय होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा) : मुख्य मंत्रीजी के आश्वासन पर पूरे आश्वस्त रहिये। अब तक जो वे आश्वासन देते हैं पूरा करते हैं। (व्यवधान)

श्री मदन मोहन (खैरथल) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से ब्यावर को जिला बनाने की चर्चा हो रही है अलवर जिले में किशनगढ़....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया व्यवधान नहीं, शांत रहें।

श्री मदन मोहन : उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से ब्यावर जिले की मांग की गयी है उसी तरह मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि अलवर जिला इतना बढ़ गया है कि जिसमें भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के नहीं, हिन्दुस्तान के नक्शे पर प्रथम है। उसी लिहाज से किशनगढ़ सब डिवीजन को भी जिला बनाया जाए, यह मेरी मुख्य मंत्रीजी से मांग है।

श्री गोपीराम आट (आमेर) : जिस तरह से जिलों की मांग चल रही है, जयपुर जिला अपने आपमें काफी बड़ा है और जयपुर जिले में कोटपूतली एक ऐसा नगर है जिसके आस-पास की पांच तहसीलों को मिलाकर कोटपूतली को भी जिला बनाया जाना चाहिये क्योंकि वह भी राजधानी जयपुर से सवा सौ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मैं समझता हूं कि यातायात मंत्रीजी भी इसका समर्थन करेंगे।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा (राज्य मंत्री, यातायात) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समर्थन करता हूं कोटपूतली को जिला बनाया जाए। ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त....(व्यवधान) श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : चूरू से बीकानेर.....(व्यवधान) डूंगरगढ़-चूरू जिले में बीच का गांव है इसलिये भी डूंगरगढ़ को जिला बना दिया जाए तो उचित है।

श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो जिले बनाने की चर्चा

(श्री भवानी जोशी)

चल रही है, मेरा आपके माध्यम से उप मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है....

श्री उपाध्यक्ष : बहुत लेट हो गये, मैंने घनश्याम जी को पुकार लिया।

श्री भवानी जोशी : मैंने हाथ ऊंचा किया था आपने देखा नहीं मुझको। कब से ऊंचा कर रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलिये।

श्री भवानी जोशी : प्रतापगढ़ को जिला बनाने की बहुत पुरानी मांग है और हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने बार-बार यही उनसे कहा कि सबसे पहले प्रतापगढ़ को जिला बनाइये। तो प्रतापगढ़ को जिला बनाने का निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चोमूं) : उपाध्यक्ष महोदय, आम बजट पर मैं बोल रहा हूं, मुझे बड़ा दुःख है कि कांग्रेस पार्टी आज भी भाग नहीं ले रही है। दुःखी होने का कारण है। हमारी सरकार ने, हमारे नेताओं ने और मैं समझता हूं कि उप मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन उनको दिया। लेकिन वे ज़िद करते रहे कि हम क्षमा नहीं मांगेंगे। सदन सबसे बड़ा है। मैं सदन की एक प्रोसीडिंग कांग्रेस के नेताओं को याद दिलाना चाहता हूं। सुखाड़िया जी जिस समय राजस्थान के मुख्य मंत्री थे और किसान आन्दोलन बहुत तेज चला था, सुखाड़िया जी ने कहा था कि मैं किसान आन्दोलन के सामने नहीं झुकूंगा, नहीं झुकूंगा, नहीं झुकूंगा। थोड़े दिनों तक आन्दोलन चलता रहा और इसी सदन में सुखाड़ियाजी ने खड़े होकर कहा कि मैं किसानों की सारी मांगें स्वीकार करता हूं और किसानों के सामने मैं झुक गया हूं। तो विपक्ष में श्रीमान भैरोंसिंह जी शेखावत थे, उन्होंने खड़े होकर कहा कि आप तो कह रहे थे मैं नहीं झुकूंगा, नहीं झुकूंगा। सुखाड़ियाजी ने कहा कि यह सदन बहुत बड़ा है, यह सदन राजस्थान की जनता का प्रतिनिधित्व करता है, यह सदन सर्वोच्च है, इसमें राजस्थान की सारी जनता की शक्तियां निहित हैं। मैं इस सदन के सामने झुका हूं, इस सदन के सामने झुकूंगा, झुकूंगा और उसमें मुझे गौरव का अनुभव है। यह कांग्रेस की परम्परा थी। हमने इस बात को भी स्वीकार कर लिया कि जिन माननीय सदस्यों को किन्हीं कारणों से बाहर जाने का प्रस्ताव हुआ है, वे माननीय सदस्य अगर क्षमा याचना नहीं करते तो न करें, कांग्रेस दल के उप नेता इतना कह दें कि हमको खेद है। कांग्रेस दल के उप नेता ने भी यह कहने की बात नहीं कही, सदन में राज्यपाल महोदय की उंगली को जो चोट लग गयी, राज्यपाल महोदय सदन में आये उनके साथ जो व्यवहार हुआ, राज्यपाल महोदय के हाथ से लेकर कागज फाड़ दिये गये, लैम्प पोस्ट को तोड़ दिया गया, अध्यक्ष महोदय के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ, उसके बारे में दो शब्द कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहे। ये उस कांग्रेस के प्रतिनिधि तो नहीं हैं जिस कांग्रेस में

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मोहनलाल जी सुखाड़िया जैसे लोग इस राजस्थान में रहे, ऐसा मुझे लगता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी के साथ एक और निवेदन करना चाहूंगा, जिस प्रकार का प्रहरी के साथ व्यवहार हुआ, जब हमने इतनी उदारता दिखा दी तो कांग्रेस पार्टी को उदारता दिखानी चाहिये थी। कल आपको लोक सभा का भी ध्यान है, लोक सभा में भी कल कांग्रेस पार्टी की माननीय सदस्या ने बर्ताव किया था और हमारे सभी लोगों ने कहा अध्यक्ष महोदय से कि आप उनको माफ कर दें। तो लोक सभा के अध्यक्ष श्री संगमा ने परम्परा पढ़कर सुनायी है कि जब तक वह माननीय सदस्या आकर सदन में क्षमा याचना नहीं करेंगी तब तक उनको माफ करके मैं सदन में नहीं आने दूंगा। यह आज यहां की ही बात नहीं है, सारे सदनों का है और मैं तो यह बात कहना चाहता हूं कि सदन के सामने झुकने में .. लेकिन उन्होंने इसी के साथ दूसरा पाइन्ट उठाया। उपाध्यक्ष महोदय, उस पाइन्ट पर तो मुझे बड़ा दुख हुआ है। वे कह रहे हैं कि जो प्रस्ताव पास हुआ है वह अवैधानिक है। उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं कि सदन सर्वोच्च है। इस सदन में कोई भी व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है और जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाता है उस व्यवस्था के प्रश्न पर अध्यक्ष द्वारा जो व्यवस्था दे दी जाती है उस व्यवस्था को कोई चुनौती नहीं दे सकता है—न किसी न्यायालय में दी जा सकती है, न किसी दूसरे सदन में दी जा सकती है, न माननीय सदस्य दे सकते हैं। जब इस प्रस्ताव के बारे में अध्यक्ष महोदय ने बार-बार स्पष्ट कर दिया कि यह वैधानिक है; मैंने व्यवस्था दे दी है, उसके बाद उसको अवैधानिक कहना ही अवैधानिक था, उसको अवैधानिक कहना ही अनैतिकता की बात है। जब इसका एक बार फैसला हो गया तो कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार की जिद क्यों पकड़ रखी है?

मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि इस प्रकार की जिदों से सदन नहीं चला करता और कांग्रेस पार्टी अपनी 'हार' को पचा नहीं पायी। कांग्रेस पार्टी यह पचा नहीं पा रही है कि वह भारत में राज नहीं कर रही है, कांग्रेस पार्टी यह पचा नहीं पा रही है कि वह राजस्थान में राज नहीं कर रही है, कांग्रेस पार्टी यह पचा नहीं पा रही है वह सिकुड़ते-सिकुड़ते सारे भारत में केवल दो-तीन प्रान्तों तक सीमित हो गयी है। और कांग्रेस पार्टी इस बात को भी नहीं पचा पा रही है कि उसकी हालत क्या हो रही है। कभी वहां पर उनके अध्यक्ष कह रहे हैं कि संयुक्त मोर्चा हमारा अपमान कर रहा है, कांग्रेस पार्टी को अपमानित कर रहा है, कांग्रेस पार्टी को तिरस्कृत कर रहा है, कांग्रेस पार्टी पर हमले कर रहा है और कांग्रेस पार्टी कह रही है हम तो वोट भी आपको देंगे। वह कहावत है तो दूसरे रूप में लेकिन हमारे कहावत है कि, साथ सोओ और मुंह छिपाओ, साथ सोना और मुंह छिपाना यह कांग्रेस पार्टी की नीति है। यह तो आप सब जानते हो, क्या होता है? हां, गुड़ खाये और गुलगुलों का पच करे। कांग्रेस पार्टी संयुक्त मोर्चे के साथ भी है और उससे बाहर भी है,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लोक सभा में जिस प्रकार का उसका सलूक है। कांग्रेस पार्टी को इतना भी मर्यादाओं का ध्यान नहीं रहा कि सदन में इस प्रकार का कारनामा किया था उसका परिणाम उसको फुलेरा और नागौर में भुगतना पड़ा। राजस्थान की जनता ने आपको परिणाम दिखा दिया लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस पार्टी को यह भी समझ में नहीं आया कि 1989 के बाद लगातार जो भी चुनाव हुए हैं, चाहे प्रत्यक्ष चुनाव हुए, चाहे अप्रत्यक्ष चुनाव हुए, उसमें राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी को हराया और भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। यह बात भी कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आयी है। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान की विधान सभा में पिछली बार जो काम किया था उसके फुलेरा और नागौर में परिणाम भुगतने के बाद भी समझ में नहीं आया। कांग्रेस पार्टी राजस्थान की विधान सभा को चलने नहीं देना चाहती। राजस्थान की विधान सभा में विकास के कामों को सरकार नहीं करे, बजट नहीं पास करे, कांग्रेस पार्टी यह चाहती है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह बात तो रावण के भी समझ में नहीं आयी थी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, रावण के मामले में महावीर जी बहुत ज्यादा जानते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : वे लोग प्रायश्चित कर रहे हैं। 1975-76 के कार्यकाल में उन्होंने विपक्ष के बिना अकेले ही सरकार चलायी थी, उसका प्रायश्चित कर रहे है शायद। यह लिखा गया है कि पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार नहीं हुआ। 1975-76 में विपक्ष के बिना सरकार ने बजट पारित किया और कांग्रेस की सरकार ने + + + की थी। हम लोग तानाशाही नहीं कर रहे हैं। हम तो उन्हें कह रहे हैं कि आओ, उनका अभाव हमें खलता है; लेकिन उनको यह बात भी समझ में नहीं आ रही है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य और सरकार यह चाहती है कि कांग्रेस इस सदन में आये और बहस में भाग ले। इस सदन की उच्च परम्पराओं का पालन करे। अपने आपका, स्वयं का अहम नहीं बल्कि सदन जो हमारे राज्य का सर्वोच्च सदन है, जो पवित्र सदन है इसकी गरिमा को बनाये रखे। उसके बारे में उसके माननीय सदस्य नहीं कहते हैं तो दो शब्द उनके उप नेता कह दें और उसके बाद सदन में भाग लें। राजस्थान की जनता के सामने भी यह बात साफ हो रही है कि सरकार कितनी विनम्र और कितनी उदार होती जा रही है। पहले कहा कि क्षमा मांगो। चलो वे नहीं माने, उनके मैम्बर नहीं माने और सारी बातें छोड़ने के लिये तैयार हो गये। इतना तो कह देते,

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

राजस्थान की जनता के सदन में उसके उप नेता अगर दो वाक्य कह दें तो राजस्थान की जनता के प्रति सम्मान प्रकट करना है। यह भारतीय जनता पार्टी के प्रति सम्मान नहीं है। कांग्रेस के नेता अगर राज्य की जनता के प्रति भी सम्मान प्रकट नहीं करना चाहें, उसका भी अपमान करना चाहें तो उनकी मर्जी है। अगर राज्य की जनता का सम्मान करना चाहें तो उनको आकर राज्य की जनता के प्रति अपना सम्मान प्रकट करना चाहिये। उनके आने से क्रिकेट का एक मजा है। हम यहां उनके विचार सुनने से भी वंचित रह गये। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सभी माननीय सदस्यों की इस प्रकार की राय है वह मैंने आपको प्रकट की।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त और उप मुख्य मंत्री जी श्री हरिशंकर जी भामड़ा को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो अपना पहला बजट पेश किया है उसमें कुछ बातों को टच किया है। जो बातें हमारे राष्ट्रीय जीवन से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ का स्मरण किया। संसदीय प्रजातन्त्र का जो स्वरूप हो रहा है उस स्वरूप में हम सबको उन बातों को पुनः स्मरण करना पड़ेगा। यह बजट भी उसी काम के लिये है। हमने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी किसलिये थी? लोग मरे क्यों थे? अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिये क्यों कहा था? क्या गोरे लोग चले जाएं और काले लोग आ जाएं, इसलिये किया था? इसलिये नहीं किया था। हमने इसलिये किया था कि इस देश को, इस महान राष्ट्र को, जिसके बारे में कहा गया कि जगत का सबसे प्रथम राष्ट्र है, जिसके बारे में यह कहा गया कि सारी संस्कृति, सारा तत्व, सारा ज्ञान, सारे आयुर्वेद, ज्योतिष प्रकट करने की धरती है, इस धरती ने सारी दुनिया को सब कुछ दिया है यह धरती किसी भी प्रकार से पराधीन रहने वाली नहीं है। विश्व गुरु के रूप में रहकर विश्व को उपदेश देने वाली धरती है, उस धरती का पुनः जागरण हो। सम्पूर्ण विश्व में मानवता का उपदेश दे और यहां पर मानव मूल्यों की प्रतिस्थापना हो, इसके लिये इस देश की स्वतन्त्रता की लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ी। उसके 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। उसमें हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या हम हमारे उन त्यागी पूर्वजों के जो मन की भावना थी उसको पूरा कर पाये हैं कि नहीं कर पाये हैं। इसके लिये माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने उन सब लोगों का स्मरण किया है जिनका इस राजस्थान के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने सब मुख्य मंत्रियों का स्मरण करते हुए हमारे वर्तमान मुख्य मंत्रीजी के लिये भी कहा कि उन्होंने राजस्थान के निर्माण में....और मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हीरालाल जी शास्त्री, टीकाराम जी पालीवाल, स्वर्गीय जयनारायण जी व्यास, श्रीमान् बरकतुल्ला साहब, जोशी जी का और वर्तमान में शिवचरण जी माथुर, जगन्नाथ जी पहाड़िया ये सब जो लोग हैं जिनका राजस्थान के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसमें मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी शेखावत का योगदान भी किसी प्रकार से कम नहीं है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

यह सदन 1952 से लेकर आज तक इस बात का साक्षी रहा है कि उन्होंने चाहे विपक्ष में बैठे हों, चाहे सत्ता पक्ष में बैठे हों, राज्य के निर्माण में महती भूमिका निभायी है। उनके प्रति भी उनके दीर्घ-जीवन की और स्वास्थ्य की कामना इसमें की गयी है। लेकिन इन लोगों ने सारे काम क्यों किये? क्या मुख्य मंत्री बनने के लिये किये? क्या किसी को गद्दी पर बैठाने के लिये किये? नहीं, नहीं किये। उन्होंने ये काम किये थे कि सारे का सारा राजस्थान एक महसूस करें। उसमें आज बहुत बड़ी कमी रह गयी, उसकी हम पूर्ति नहीं कर पाये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक आंकड़ा तो माननीय उप मुख्य मंत्री जी बताएंगे, मुझे थोड़ी भ्रांति हो रही है। हमने बिजली विभाग की रिपोर्ट में पढ़ा कि 31 हजार गांवों को इलेक्ट्रिफाई किया और राज्य की जो रिपोर्ट आयी है, बजट की जो समीक्षा आयी है उसमें कहा गया कि 34 हजार एक सौ कितने गांवों को विद्युतीकृत किया गया। लेकिन मुझे इसका फर्क नहीं करना है। मुझे यह कहना है कि आजादी के 50 साल बाद 6 हजार, 7 हजार, 8 हजार गांव जिनमें बिजली नहीं लगी हुई है, क्या हमारे लोगों ने आजादी इसलिये प्राप्त की थी कि हम 21वीं शताब्दी में जाएंगे उस समय 6 हजार गांव बिना बिजली ही रहेंगे, अंधेरे में ही रहेंगे? इसलिये तो यह संघर्ष नहीं किया। इसलिए तो यह संघर्ष नहीं किया कि दुनिया में तो ई-मेल सर्विस चालू हो जाएगी, दुनिया में तो फैक्स चालू हो जाएंगे, दुनिया में सैटेलाइट चालू हो जाएंगे, सारी दुनिया तो विज्ञान के चमत्कारों का लाभ उठाएगी, चिकित्सा, विज्ञान, और प्रौद्योगिकी का विकास होगा और राजस्थान के 6 हजार, 7 हजार गांव अंधकार में डूबे रहेंगे। इसलिये तो आजादी प्राप्त करने का सपना नहीं देखा था, इसलिए तो आजादी प्राप्त करने की बात नहीं की गयी थी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि हमने भी कहा और माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा, ऋग्वेद का मंत्र रमाकान्त जी भी बता रहे थे। हमारे बहुत प्रसिद्ध कवि ने कहा है कि—

> "हां और ना भी अन्य जन करना न
> जब थे जानते।
> थे ईश के आदेश को हम वेद मंत्र
> बखानते।"

ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, पुराण, स्मृतियां, संहिताएं, धर्मसूत्र–इन सबको पैदा करने वाला यह देश, उसमें सबसे अधिक निरक्षर भट्टाचार्य आजादी के 50 साल बाद रहें, इसलिये आजादी हमने प्राप्त नहीं की थी। यह माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है। हम कई बार भाषण देते है कि हमारे यहां मैत्रेयी, गार्गी जैसी महान विदुषी स्त्रियां पैदा हुई हैं और उसके बाद हमारे यहां घूंघट काढ़ने वाली, अंगूठाछाप महिलाएं सरपंच और प्रधान के पद पर बैठी हैं, यह भी हम देख रहे हैं। हमने, जिनके

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बारे में कहा गया है कि "उलटा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना" उन वाल्मीकि के वंशजों को शिक्षा का क, ख, ग, घ, भी नहीं पढ़ाया। ये आजादी के 50 साल इसलिये तो नहीं गंवा दिये। इसलिये राजस्थान की शिक्षा में, राजस्थान को बिजली में, राजस्थान को चिकित्सा में सर्वोच्च स्थान देकर हम 2001 में जाते-जाते उन अधिकांश भागों की पूर्ति कर लें, इस प्रकार का इस बजट में प्रावधान करने की कोशिश की गयी और इसलिये सन् 2011 का परिदृश्य सामने रखने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। यह जो बजट है इसमें भारतीय जनता पार्टी की रीति-नीति निश्चित रूप से प्रकट होती है, जिसका हमारा ध्येय है कि हम किसी व्यक्ति को मुख्य मंत्री या उप मुख्य मंत्री, प्रधान मंत्री या उप प्रधान मंत्री बनाने के लिये नहीं, किसी को एम. एल. ए., एम. पी. या मिनिस्टर बनाने के लिये नहीं, हम राज्य की इस जनता को, राज्य के 5 करोड़ साढ़े 4 करोड़ लोगों को सन् 2000 तक ले जाने के लिये बेसिक सुविधाएं देना चाहते हैं। शिक्षा में, चिकित्सा में, यातायात में, विद्युत में और पेयजल में ये 5 प्राइमरी चीजें हम देना चाहते हैं, सारे बजट का जो प्रष्ट है। मैं आज उस बात पर लम्बी-चौड़ी बात नहीं कहता कि कितना घाटा हमारा हो गया, कितना भारत सरकार का घाटा हो गया, कितना वित्तीय घाटा है, वित्तीय घाटा किस प्रकार से निकाला जाता है। ये घाटे तो आप निकालते रहें और जोड़ते रहें और भाषण देते रहें। लेकिन उस आदमी को जिसको बिजली चाहिये, उसको आप ऋण लेकर भी बिजली प्राप्त कराओ तो वह आपका आभारी रहे। यह बनिये की दुकान का बही-खाता नहीं है जिसमें लाभ, हानि और ब्याज देखोगे। यह लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना का बजट है। इस बजट में हमको चाहिये कि आम आदमी को राहत दें। इस सरकार ने पहला बजट इसलिए शिक्षा को समर्पित कर प्रस्तुत किया। शिक्षा को समर्पित बजट करके शिक्षा को जिस प्रकार से बढ़ावा दिया, आज शिक्षा का बजट आप देखिये, 2 अरब से ज्यादा प्लान में और 2 अरब से ज्यादा नान-प्लान में, साढ़े चार अरब रुपया हम शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। हमें गुलाबजी कटारिया को धन्यवाद देना चाहिये। मास्टरों के विभाग में माथापच्ची करना कोई मामूली चीज नहीं है। वह मास्टर ही कर सकता है और गुलाबजी कर रहे हैं। थोड़ा-थोड़ा स्वभाव तो इनका चिड़चिड़ा सा हो गया है।....

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा): यह तो शुरू से ही था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: हुआ है, हुआ है, शुरू से नहीं था, इस विभाग में आने के बाद हुआ है। लेकिन अब वह ठीक हो रहा है धीरे-धीरे। तो हमने पहले शिक्षा पर किया उसके बाद हमने चिकित्सा पर किया, चिकित्सा में बड़ी एक साथ छलांग लगायी। पिछले वर्ष हमने पेयजल के लिए किया और इस बार अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग को समर्पित बजट हमने प्रस्तुत करने की कोशिश की है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो बजट है वह किस बात का बजट है। इस बजट की आलोचना कांग्रेस पार्टी ने की। मैं कांग्रेसियों से एक बात कहना चाहता हूं, इन्होंने बजट की आलोचना की कि हमारा जो ऋण है वह ऋण बहुत ज्यादा हो गया, ऋण का चुकारा कैसे होगा। मैं वित्त विभाग के अधिकारियों को और राजस्थान सरकार के वित्त मंत्रीजी को भी यह कहना चाहूंगा कि यह ऋण है क्या। ऋण भारत सरकार लेती है, ऋण राज्य सरकार लेती है, ऋण सभी पर है लेकिन ऋण करके हम क्या कर रहे हैं? ऋण करके घी तो नहीं पी रहे हैं, ऋण करके जुआ तो हम नहीं खेल रहे हैं। ऋण कर रहे हैं विकास के लिए और ऋण विकास का हमारी चुकाने की सीमा में है। मैं समझता हूं कि पहली बार राजस्थान सरकार ने प्रयत्न किया है कि ऋण को चुकाने के लिए कोष बना रहे हैं जिससे ऋण का भार भी नहीं होगा और ऋण चुकता जाएगा। अगर ऋण नहीं लेंगे तो हमारी हालत क्या है? भारत सरकार की हालत क्या है और हमारी भी हालत क्या है? मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपका इस भयावह स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि ऋण नहीं लिया गया तो सिर्फ 21 पैसे हमारे पास रुपये में बचते हैं जो हम विकास के लिए खर्च कर रहे हैं। रुपये में 46 पैसा हमारा जा रहा है तनख्वाह पर, फिर 12 पैसा हमारा जा रहा है ब्याज पर, 14 पैसा जा रहा है ऋण की मूल किश्त पर, उसके बाद हमारे पास कुल 21 पैसा रुपये में बचेगा। 79 पैसा तो चला जाएगा और 21 पैसा हमारे पास बचेगा। इस 21 पैसे से हम सड़कें बना सकेंगे, नाले बना सकेंगे, बिजली लगा सकेंगे, औषधालय लगा सकेंगे क्या? लेकिन वे भूल गये, आपने तो पूरे 10 साल पहले 80 करोड़ की बाह्य सहायता प्राप्त की और एक हजार करोड़ रुपये की बाह्य सहायता प्राप्त की? यह किस लिए प्राप्त की? वे भूल गये कि 4 हजार किलोमीटर की सड़कें एक साल में हुई। पूनमचन्दजी आज नहीं हैं, एक बार वे कह रहे थे कि हमने जयपुर से लेकर दिल्ली तक सड़क बनायी, आपने क्या किया और हमने जयपुर से जोधपुर तक सड़क बनायी लेकिन आपने क्या किया। आपने जयपुर से जोधपुर तक सड़क बनायी लेकिन हमने उन गांवों को सड़कों को जोड़ने का प्रयत्न किया जो भारत की धुरी है, जो भारत की आत्मा है। आज हमारे पास सिर्फ कुछ ही गांव बचे हैं, एक हजार की जनसंख्या वाली पंचायतों में आगे आने वाले वर्ष में एक भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जिसके अन्दर कोई गांव बिना सड़क के रह गया हो। यह राजस्थान पहला राज्य है जिसने इस प्रकार की नीति बनायी है। हमारे यहां लम्बी दूरी के गांव हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है। यू.पी. और बिहार जैसे प्रान्त अपने गांवों को जोड़ते हैं तो उनको जोर नहीं आता क्योंकि वहां पर एक-एक, आधा-आधा किलोमीटर पर सटे हुए ग्राम हैं। केरल में यदि कोई गांवों को जोड़ने जाएगा तो क्या जोर आएगा? सारे गांव ही जुड़े हुए हैं, सड़क क्या जुड़ेगी राजस्थान में जहां 20-20, 15-15, 25-25 किलोमीटर तक मिट्टी है जहां सड़क पर 6-6, 7-7 लाख रुपया आजकल एक

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

किलोमीटर तक बनाने में लग जाता है। उस राजस्थान में सारे गांवों को सड़कों से जोड़ने का महती काम हमने किया है। वह कोई कम काम नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का यह कहना कि ऋण है तो ऋण के लिए मैं कांग्रेसजनों से पूछना चाहता हूं कि एक उदाहरण हमको बता दें कि राजस्थान सरकार ऋण में कभी डिफोल्टर हुई है, ऋण की किश्तें चुकाने में डिफोल्टर हुई है? यदि ऋण लेकर चुकाने में सक्षम हैं तो ऋण लेकर विकास करके ऋण का चुकारा करना चाहिये और राजस्थान सरकार वह काम कर रही है इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को पैसा मिल गया, कुछ लोगों को फैक्ट्रीज लग गयी, कुछ लोगों के कारखाने लग गये, कुछ लोग एयरकंडीशन कारों में बैठ कर घूमते हैं इसलिए उनका ध्यान रखने के लिए बाकी गरीब आदमी का कोई काम नहीं करो इस सिद्धांत पर चलने नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि राजस्थान का हर व्यक्ति अपने गांव से निकले तो सड़क पर बैठ कर आवे, कच्ची मिट्टी में नहीं आवे। जयपुर में, जोधपुर में, बड़े शहरों में लोगों ने सड़कों पर घूमने का ठेका ले रखा है क्या? सरकारी पैसे को कांग्रेस पार्टी ने पहले यहां पर खर्च कर दिया, 40 साल तक उन्होंने गांवों की उपेक्षा की और आज जब गांवों में काम होने लगा है तो उनको ऋण का दर्द होने लग गया है कि ये ऋण ले रहे हैं, ये ऋण ले रहे हैं। तो ऋण तो आप ही ले रहे थे, आपने ऋण लेकर सारा का सारा भ्रष्टाचार में... यह बात मैं कहना नहीं चाहता, उपाध्यक्ष महोदय, कितने कारनामे निकले हैं आज उनके...

एक माननीय सदस्य : कह दो आप तो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सारी दुनिया कह रही है, मैं क्यों कहूं। मैं अपना मुंह गंदा क्यों करूं।

हमने इस प्रकार की घोषणा की है तो यही ऋण का है हौवा खड़ा किया जा रहा है। यह ऋण का हौवा बिलकुल गलत है, राजस्थान सरकार ऋण लेकर इस प्रकार का काम करती है।

हमने इस बात की कल्पना की कि सन् 2011 तक साढ़े सात करोड़ की राजस्थान की जनसंख्या होगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार को एक राष्ट्रीय सहमति बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिये। हम इस परिवार कल्याण नियोजन के बारे में कितनी बातें करते हैं, हमारी सारी मेहनत खराब हो जाती है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है हिन्दुस्तान में, जन्म दर जिसकी सबसे ज्यादा है। जन्म दर की वृद्धि के कारण से हमारा सारा काम खराब हो जाता है और हर बार हम पिछड़ जाते हैं। इसलिए जन्म दर के बारे में...

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : मनोरंजन करते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह आप गलत कह रहे हो। मनोरंजन का साधन

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

भी हो सकता है और बच्चे भी रुक सकते हैं। दोनों काम हो सकते हैं। आप पढ़े-लिखे आदमी हैं, सब कैलाश मेघवाल नहीं बन सकते हैं। बनने पर ज्यादा खतरा है। (व्यवधान) तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जनसंख्या पर नियंत्रण करने की राष्ट्रीय नीति होनी चाहिये। यह जनसंख्या इंसेंटिव से समाप्त नहीं होने वाली है। इतना रुपया दे रहे हैं परिवार नियोजन के लिए। यह ग्रीन कार्ड मिल रहा है इसलिए परिवार नियोजन करिये। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाना चाहिये जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने नगरपालिका और पंचायतों पर प्रतिबंध लगाया है और को-आपरेटिव पर लगाया है। उसी प्रकार से प्रतिबंध लगाना चाहिये कि जिसके दो से ज्यादा बेटे हो जाएं, चाहे वह मैरिट में आ जाए, उसको आई. ए.एस. और आई.पी.एस. में नहीं लिया जाए, एम.एल.ए. भी नहीं बने एम.पी.भी नहीं बने, लाइसेंस जनप्रतिनिधियों का नहीं मिले। इस प्रकार से प्रतिबंध जब तक नहीं लगेगा, राष्ट्रीय नीति बन कर नहीं लगेगा तब तक जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। इसलिए जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए हमको नीति निर्धारण करना जरूरी है और राजस्थान सरकार उसमें अग्रणी रही है। आगे भी अग्रणी रहेगी इस बात की सम्भावना है। सारे राज्य में सभी राजनैतिक पार्टियों से मिल कर एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का निर्धारण करना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह भी कहना चाहता हूं चीन का कई बार उदाहरण देते हैं कि चीन में 12 पर्सेंट विकास की गति प्राप्त की है और वास्तव में अजूबा करके दिखाया। लेकिन उसने जनसंख्या पर भी नियंत्रण किया है, उसने कम्पलसरी स्टरलाइजेशन कानून भी बनाया है। हम प्रजातंत्र में रहते हुए ऐसा नहीं करते लेकिन किसी न किसी प्रकार से हमको जनसंख्या पर नियंत्रण करने का कदम उठाना चाहिये। यह साढ़े चार करोड़ सन् 2011 तक यहां जाकर रुकेगी? अगर जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण करने का कार्यक्रम हाथ में नहीं लिया तो 2011 तक साढ़े सात करोड़ की बजाय नौ करोड़ की जनसंख्या हमारी होगी हमारे विशेषज्ञों का यह मानना है। इसलिए उस ओर हमको कदम उठाने की कोशिश करनी चाहिए यह मेरा निवेदन करना है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान को साक्षर करने के बारे में सरकार ने जिस प्रकार से नीति निर्धारित की है उसमें एक-दो बातें और निवेदन करना चाहता हूं। यह जो हमारा साक्षरता का कार्यक्रम है, ठीक है सम्पूर्ण राज्य में लागू हो गया, उत्तर साक्षरता का कार्यक्रम भी अन्य जगहों पर लागू हो गया पर कुल मिलाकर हमारी जो नयी पीढ़ी आ रही है, उस नयी पीढ़ी को अगर ज्यादा से ज्यादा साक्षर करेंगे, यानी हमारे बुजुर्ग लोगों की तरफ ज्यादा ताकत लगाने की बजाय अगर वहीं कोशिश करते हैं तो हमको ज्यादा सफलता मिलेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने बहुत जरूरी कदम उठाये हैं। झुन्झुनूं और राजसमन्द जिलों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा करने की कोशिश की है, कम्पलसरी प्राइमरी एजूकेशन। कम्पलसरी प्राइमरी एजूकेशन करना एक बहुत बड़े निश्चित उद्देश्य के प्रति समर्पण

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

का प्रतीक है। मैं मांग करना चाहूंगा कि अगले बजट में एक या दो जिलों को नहीं सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में कम्पल्सरी प्राइमरी एजूकेशन करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए। इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते।

अभी महिलाओं को आरक्षण की बात चली। हमारे ऊपर तो स्काईलैब गिर गया है, इस बात का हमें कोई डर नहीं। मैं इस बात के पक्ष में हूं कि महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए...(व्यवधान)... अब अन्दर से या ऊपर से यह तो राम जाने पर मैं विधान सभा में यह कह रहा हूं कि महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए और वह होगा। और वह स्काईलैब किसी पर भी गिर सकता है।

विधान सभा से बाहर 2-4 दिन पहले खेतसिंहजी राठौड़ यह कह रहे थे, विपक्ष के उप मुख्य सचेतक, कि भैया, थोड़ी पेंशन बढ़वा लो। मैंने कहा कि क्यों? क्या बात हो गयी?

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): सूर्य की रोशनी को कोई नहीं रोक सकता, आएगी तो आएगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: ....उन्होंने कहा कि अपन में से 70 लोगों का तो सफाया होना ही होना है क्योंकि समाज का 30 प्रतिशत आरक्षण होगा तो 70 लोग तो जाएंगे ही जाएंगे। मैंने कहा, जाएंगे तो मुझे कहा कि इसलिए पेंशन बढ़वा लो। मैंने कहा, क्यों? उन्होंने कहा, तुम यह मत समझना घनश्याम कि 70 में हम लोगों का ही पत्ता कटेगा, हम तो खायी-पीयी में हैं और कहीं-कहीं कच्ची मौत भी हो सकती है। वह स्काईलैब तो कहीं भी गिर जाएगा इसलिए आप पेंशन बढ़वा लो।

उन्होंने जो बात मजाक में कही उसमें मैं नहीं जाना चाहता लेकिन मैं कहता हूं कि महिलाओं का आरक्षण, जब हम कहते जा रहे हैं...और, मैं तो यह कहता हूं, मेरा एक कविक्शन है कि जिस दिन से भारत की महिलाओं का पर्दा-प्रथा और अज्ञानता शुरू हुई उस दिन से इस भारत का पतन शुरू हुआ और जिस दिन से भारत की महिलाएं भारत के पुरुषों के समकक्ष सामने आएंगी उस दिन से भारत पुनः विश्व गुरु पद पर होगा, कोई नहीं रोक पाएगा।

हमारे यहां तो किसी की कल्पना ही नहीं की है। शिवजी जो अजन्मा हैं, उनके लिए भी पार्वती की, सती की कल्पना कर दी। बाकी तो सीताराम, राधा कृष्ण, लक्ष्मीनारायण, पहले महिलाओं का ही नाम है। राधेश्याम, आदमी का नाम बाद में, श्याम-श्याम बाद में पहले राधे-राधे यही। इसलिए मैं चाहता हूं कि महिलाओं का आरक्षण हो।

महिलाओं की शिक्षा के लिए, देखिये, ललितजी भाई साहब कितने आतुर हैं, मैं उनकी प्रशंसा करने वाला ही था कि वे आ गये। महिलाओं की शिक्षा के लिए और महिलाओं के कॉलेज आदि खोलने के

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लिए राजस्थान सरकार ने जो अभूतपूर्व, ऐतिहासिक प्रयत्न किए हैं, इतने महिला महाविद्यालय खोलना मामूली बात है जो राज्य सरकार ने खोले हैं ? जिला स्थानों पर खोले, उप खण्ड स्थानों पर आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार से राजलक्ष्मी योजना, सरस्वती योजना और अन्य कई योजनाएं बनाकर महिलाओं की शिक्षा और महिलाओं के कॉलेज खोलने के लिए प्रयास किये हैं, तो ललितकिशोर चतुर्वेदीजी को महिला शिक्षा मंत्री बना दिया जाए, यह मैं, उप मुख्य मंत्रीजी, आपसे निवेदन करूंगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : महिला शिक्षा ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, महिला शिक्षा और महिलाओं की शिक्षा के लिए काम करने का इनको ठेका दे देना चाहिए, ठेका। महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए इन्होंने कितना बढ़िया काम किया है। गुलाबजी, नाराज न हों, आप पुरुषों का काम करिये; आप उसमें भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इसलिए ललितकिशोर चतुर्वेदी के लिए अलग डिपार्टमेंट खोल कर महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने का काम करना चाहिए। दो साल अगर इनको दे दिया तो ये सीनियर सैकेण्डरी स्तर तक की बच्चियों की क्लासें स्थान-स्थान पर खुलवाएंगे, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हमने पंचायतों, नगर पालिकाओं, नौकरियों और अन्य जगहों पर आरक्षण तो कर दिया लेकिन हम यह देख रहे हैं कि बिना शिक्षा के कितनी दिक्कत आ रही है तो उसको दूर करना चाहिए।

मैं राजस्थान सरकार को और उप मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है और वह काम है पैट्रोलियम निदेशालय बनाने का। आज यह बात सबको बहुत छोटी लगती है लेकिन इसका जिस दिन पूरा दोहन हो गया और इसकी रायल्टी जिस दिन राजस्थान को पूरी मिलने लग गयी, यह सदन इस बात का साक्षी होगा कि यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम, माइलस्टोन के रूप में होगा। आज कल्प फंट्रोज के पास क्या है ? इसे पत्ती तो पास की नहीं होती, साग-सब्जी कुछ है नहीं, पेड़ पौधे कुछ उगते नहीं हैं। वैसे का वैसा पर्यावरण और वातावरण हमारे राजस्थान का है, उसी प्रकार की भू-गर्भ की स्थिति है हमारी तो सारी खोज लेकर, पैट्रोलियम निदेशालय ठीक से काम करने लगेगा और विश्व स्तर के लोगों को यहां पर हम बुलाएंगे और खोज करवाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान की धरती के नीचे बहुत गैस भी मिलेगी, पैट्रोलियम पदार्थ भी मिलेंगे, और भी काम होगा। इन कामों के आधार पर बाद में जितनी रायल्टी हमको मिलेगी, इतनी बड़ी होगी कि अकेले पैट्रोलियम पदार्थों के बल-बूते पर हम आज तो क्या ऋण है, इस ऋण को तो चुका ही चुका देंगे और भी बहुत बड़े काम करेंगे। इसलिए

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पेट्रोलियम निदेशालय बनाने का जो काम राज्य सरकार ने किया है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

हमारे उप मुख्य मंत्रीजी बहुत चतुर हैं। पहले हम सोचते थे कि स्पष्टवादी हैं; जो मन में आता है, मुंह पर साफ-साफ सामने कह देते हैं लेकिन ये छुपे हुए रुस्तम हैं। टैक्स वसूल करने के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात चाणक्य ने कही कि राजा कौनसा बढ़िया है? कैसा टैक्स लगाए राजा? तो राजा वह बढ़िया है जो टैक्स लगाये लेकिन जनता को पता न लगे। जैसे भंवरे का उदाहरण दिया। भंवरा उड़ता हुआ फूल पर आता है; फूल पर बैठता है, पराग लेता है और उड़ जाता है। भंवरे ने अपना रस तो प्राप्त कर लिया लेकिन फूल का कुछ नहीं बिगड़ा। इसी प्रकार टैक्स लगाने की राज्य सरकार ने घोषणा की है और इस समय टैक्स का विरोध करना किसी प्रकार से ठीक नहीं है। हमने लगातार कोई टैक्स लगाया ही नहीं है। लेकिन अब से उत्तर भारत के सब वित्त मंत्रियों, वित्त सचिवों, वित्त विशेषज्ञों की एक आम राय बन गयी कि एक जैसी नीति निर्धारित करें तो राज्य सरकार के लिए वह नीति निर्धारित करना जरूरी हो गया था।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनपापूलर होने से नहीं डरता। मैं एक प्रश्न कहना चाहता हूं कि हमें अपने दिल में झांककर देखना होगा। आखिर पेयजल पर हमको 50 या 56 करोड़ रुपये वसूल होते हैं और ब्लीचिंग पाउडर, बिजली और इसको ठीक करने का खर्च 256 या 250 करोड़ रुपये का आता है। यह कहां की बात है कि 9 रुपये फ्लैट रेट, 14 रुपये फ्लैट रेट पर हम लोगों को पानी पिलाएं? एक रुपया रोज का पानी पर खर्च होता है तो कौनसी बड़ी बात है। एक रुपया खर्च करने का मतलब 200 करोड़ रुपये की बचत। मतलब कि बाकी जिन लोगों तक पाइप लाइन नहीं पहुंची है, पेयजल नहीं है उनको पेयजल मिले। जिनको मिल गया है वे दूसरों को देना नहीं चाहते, नहीं देवें। उनको देने के लिए जिस प्रकार की व्यवस्था की गयी है तो उनको भी थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। त्याग करके ज्यादा मत दो बाबा, जितना आप खर्च करते हो, ब्लीचिंग पाउडर और बिजली का पैसा तो दे दो। अगर आज एक नगरपालिका क्षेत्र में 25 रुपये 30 रुपये महीने के पानी के देते हो, आप रोज वहां पान पराग के डिब्बे-पुड़िया में इन्वेस्ट करके 3 रुपये थूक रहे हो। एक साथ वहां सारे दिन के पानी का पैसा, राजस्थान सरकार ने इसके लिए... (व्यवधान)... आपकी आंखों के नीचे टांकी खा रहे हैं, अखबार में लिखने के बाद भी खा रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : वह नियमों के खिलाफ है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नियमों के खिलाफ है, अखबार में लिखा है, फिर भी खाये जा रहे हैं। अगर पान पराग तो यहां कोई खा नहीं रहा, वह भी नियमों के खिलाफ है। जिसके घर में पानी का

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

करेक्शन है, मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार को सीधा-सीधा लगाना चाहिए, इसमें किसी प्रकार की कंजूसी करने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी चतुराई से कही गयी है। मैं कहता हूं कि इसमें चाहे राज्य का जनमत ले लिया जाए, राज्य के लोगों से पूछ लिया जाए, आम आदमी भी इस बात को महसूस करता है कि पेयजल और सिंचाई पर जितना एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा होता है उतना पैसा तो राज्य सरकार को लेना चाहिए। उप मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि हमारा बजट सन्तुलित हो जाएगा। हां, उप मुख्य मंत्रीजी, आपकी चतुराई के हम कायल हैं। उस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद में आप ज्यों ही आगे काम करेंगे, आपका बजट निश्चित रूप से सन्तुलित हो जाएगा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं इसमें कमेटी के पक्ष में नहीं हूं, सीधा करना चाहिए। सरकार इतना विकास कर रही है, लोग जानते हैं कि गांव-गांव में विकास कर रहे हो, गांव-गांव में आपको पानी पहुंचाना है तो कुछ शहरी क्षेत्रों के लोगों को जो 25-25 वर्ष से पानी का 1-1 रुपया दे रहे हैं, उसे बढ़ाने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की जानी चाहिए।

एक दूसरा काम, जिसके लिए मैं बार-बार मांग करता हूं, कि पानी के लिए एक आयोग बने। इसके लिए उप मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनी थी। उस समय आप ऊपर बैठा करते थे। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो भाग्य की बात है कि जो कभी ऊपर बैठता है उसको कभी नीचे भी बैठना पड़ता है। अब उप मुख्य मंत्री जी नीचे बैठे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस समय हमने पानी आयोग की मांग की थी राजस्थान के लिए सबसे पहली आवश्यक नीति पानी के बारे में है। हमने सड़क की नीति बनायी, हमने पर्यटक की नीति बनायी, हमने उद्योग की नीति बनायी, लेकिन हमारे लिए पहली नीति पानी की नीति है और पानी की नीति राज्य सरकार को निश्चित रूप से बनानी चाहिए। इसमें थोड़ा विलम्ब तो हुआ है, लेकिन इस बार पानी की नीति-निर्धारण के बारे में हमने एक समिति बनायी है।

मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में हमने बहुत काम किया है, लेकिन जब तक हम जल-संधारण का काम नहीं करेंगे तब तक हमारा भविष्य अन्धकार में पड़ा रहेगा। हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्ष तक एक व्यवस्था बनाए रखी। आप तो खुद गांव में रहने वाले हैं इसलिए आप जानते हैं कि हर गांव के बाहर एक जोहड़ा बनाया, तालाब बनाया, हर गांव के बाहर उन्होंने वन छोड़ा। उन्होंने वन में किसी न किसी देवता के नाम की एक बणी और छोड़ दी और कहा कि यह "भैरूजी की बणी" है, यह माताजी की बणी" है, यह "बालाजी की बणी" है। अगर इसकी एक भी टहनी काटोगे तो पाप लगेगा, यह कहकर उसको काटने से मना किया। इसके कारण से पहले पर्यावरण भी ठीक होता था और पानी का रिचार्ज होता था। भरतपुर का पानी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

का रिचार्ज सिस्टम सारी दुनिया में अभूतपूर्व था। अन्य स्थानों पर भी था। लेकिन पानी का रिचार्ज सिस्टम धीरे-धीरे खतम हो गया और कुओं का पानी धीरे-धीरे नीचे और गहरा होता जा रहा है।

इसी प्रकार नदियों से बहने वाले 48 परसेंट पानी के बारे में माननीय उप मुख्य मंत्री जी तथा तत्कालीन विधान सभाध्यक्ष के नेतृत्व में जो समिति बनी थी, उसने रिपोर्ट दी थी कि यह जल-आयोग बनाया जाना बहुत आवश्यक है। आप जल की नीति भी बनाइए और जल-आयोग भी बनाइए। जिसमें पेयजल भी शामिल हो, उसमें सिंचाई भी शामिल हो। वह आयोग यह भी फैसला कर सकता है कि कुएं कितने घंटे चल सकेंगे। यह जरूरी नहीं है कि हजारों वर्षों से हमारे पूर्वजों ने जिस जल को इकट्ठा किया था, जिसका आज हम लाभ उठा रहे हैं उस सारी पूंजी को हम खतम कर दें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि वाटर-बैंक बनाया जाए। जितना पानी हम पिलाते हैं उतना पानी निकालिए, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पानी छोड़ना पड़ेगा। हम उनके भविष्य को अंधकार में नहीं डाल सकते। इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है और इसीलिए मैं बार-बार कह रहा हूं। सन् 2011 का जो परिदृश्य खींचा गया है वह परिदृश्य इसीलिए खींचा गया है कि हमको इस प्रकार के काम करने चाहिए थे, लेकिन नहीं किए। राजस्थान जैसा रेगिस्तान जहां पानी की कमी है, जहां पर इतना बड़ा भू-भाग है, जहां पर हिन्दुस्तान की 10 परसेंट जनसंख्या रहती है और जहां पर एक परसेंट भूगर्भ जल है, उस राजस्थान के लिए नीति बहुत पहले बननी चाहिए थी। उस नीति को आज बनाया गया है, उसके लिए मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक योजना का सवाल है, योजना में ये कई बार कहते हैं, कल भी कह रहे थे, मैंने एक परिचर्चा सुनी थी, कि जहां आप छोटी-छोटी योजना करते थे वहां आपने 11,500 करोड़ की योजना बनायी। उस 11,500 करोड़ की योजना को पूरा किया तथा उसे पूरा करके 12 हजार करोड़ तक ले गए। यह उसका आखिरी वर्ष था आखिरी वर्ष में जो योजना चल रही थी उसके संसाधनों पर या उसके एस्टेब्लिशमेंट पर जो खर्चा करना या उसके हिसाब से वार्षिक योजना का कुछ हिस्सा उधार ट्रांसफर किया गया। यह आम तौर पर हमेशा होता है, इसमें नई कौनसी चीज है? मैं तो कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगाना चाहता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी बहस करना चाहे तो बहस कर सकती है, कि जिस प्रकार का गलत वित्तीय प्रबन्धन कांग्रेस पार्टी का रहा था उससे आज राजस्थान इस हालत में पहुंच गया है। अगर राजस्थान में स्वतन्त्रता के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं आती भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती रहती तो राजस्थान हिन्दुस्तान का एक नम्बर का राज्य होता। आज जो हमारी सरकार बनी है इसके लिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नौवीं पंचवर्षीय योजना

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पूरी होने पर राजस्थान भारत का एक नम्बर का राज्य होगा । यह हमने तय किया है । अब हम 25 हजार करोड़ की योजना लेकर जा रहे हैं तो जरूर आएगा । जितना पैसा सातवीं पंचवर्षीय योजना का था उतना पैसा एक साल में खर्च कर रहे हैं । वे कहते हैं कि ऋण ले रहे हो, ऋण ले रहे हो । लेकिन क्या ऋण ले रहे हैं ? हम विकास कर रहे हैं, विनाश नहीं कर रहे हैं । हम राज्य की जनता को वह कुछ देना चाहते हैं जो कांग्रेस पार्टी ने 50 साल तक नहीं दिया । हम उन आजादी के दीवानों के स्वप्न को पूरा करना चाहते हैं जिन्होंने भारत को एक वैभवशाली राष्ट्र के रूप में देखना चाहा था । वह करने के लिए हम सरकार में आए हैं, किसी को मंत्री, उप मुख्य मंत्री या मुख्य मंत्री बनाने अथवा हटाने के लिए हम सरकार में नहीं आए हैं । हम गांवों के विकास के लिए आए हैं ।

मैं कहना चाहता हूं कि योजना का विस्तार हुआ है, लेकिन उस योजना के विस्तार के साथ-साथ, माननीय उप मुख्य मंत्री जी, मुझे एक बात का दर्द है । इस योजना के विस्तार के साथ-साथ करप्शन पर जो चैक लगना चाहिए था नीचे के स्तर पर, वह नहीं लगा । मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज राजस्थान की जो ऊपर की प्रशासनिक मशीनरी है, आप ऊपर बैठे हैं, हमारे मंत्रिमण्डल के बड़े लोग हैं उनके बारे में आम जनता में एक धारणा बनी हुई है । ऐसे राजनीति में घुसपुस करने के लिए किसी पर कोई चार्ज लगा दे, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, कहीं 'एरर ऑफ जजमेंट' भी हो सकता है, मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता, लेकिन एक आम छवि है कि ऊपर से भ्रष्टाचार खत्म हो । यह यथार्थ है कि आम जनता को जो तकलीफ देता है उस नीचे के स्तर के भ्रष्टाचार को हम नियंत्रित नहीं कर सके । इस प्रजातंत्र में "तंत्र" इतना हावी हो गया है कि एम. एल. ए. को 24 घण्टे इस तंत्र से प्रजा को बचाने के लिए लगे रहना पड़ता है । उसमें भी यह कहा जाता है कि ट्रांसफर करा रहे हो, यह पोस्टिंग करा रहे हो, यह क्या हो रहा है । हमारे पास आते हैं, वे यह कहते हैं कि पटवारी ने यह कर दिया, गिरदावर ने यह कर दिया, थानेदार ने यह कर दिया, बी. टी. ओ. ने यह कर दिया । इसके अलावा 24 घंटे में और किसी काम के लिए कोई आता नहीं है । इस तंत्र से इस प्रजा को बचाने का भी कोई न कोई रास्ता इस योजना के साथ-साथ बनाना पड़ेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । मुझे बहुत पीड़ा हुई । कुछ बातें साफ-साफ कहने में कोई आपत्ति नहीं है । मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात है, मैंने पहले भी सदन में कही थी । एक बुढ़िया ने रजिस्ट्री करायी और रजिस्ट्री के उसके पैसे लगे । मैं गया तो उसने कहा, "आप एम. एल. ए. बन गए या तेजपाल जी एम. एल. ए. थे या रामेश्वर जी एम. एल. ए. थे, स्वर्गीय व्यास जी यहां से एम. एल. ए. थे तब भी रजिस्ट्रार के दफ्तर में हमको तो पैसा देना पड़ता था और आज

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

भी देना पड़ा।" डी. टी. ओ. दफ्तर में कोई जाए, आर. टी. ओ. दफ्तर में कोई जाए, आबकारी दफ्तर में कोई चला जाए, ये कुछ विभाग ऐसे हैं जिनमें जाने पर पैसा देना ही पड़ता है और लगता है। इसे "भेंट" कह दीजिए या कुछ भी कह दीजिए। यह जो करप्शन है, इसको कोई "सुविधा शुल्क" कहता है, कोई "नज-राना" कहता है, कोई "ठुकराना" कहता है, कुछ भी नाम दें, लेकिन इस पर हम कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। इतनी बड़ी योजना को लेकर आयेंगे और इतना पैसा खर्च करेंगे तो इस वित्तीय प्रबन्धन को जो आपने ऊपर से ठीक किया है, उस वित्तीय प्रबंधन को नीचे तक भी ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए कोई न कोई तरीका ईजाद करने के लिए कोई मशीनरी बनानी होगी।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। इस जमाने में हम कहां तक जा रहे हैं? हम यहां तक जा रहे हैं कि टेंडर का वही पुराना बाबा आदम के जमाने का सिस्टम चला आ रहा है। एक बार एक पानी की टंकी बनाने का टेंडर हो गया, वह टेंडर चला गया और उसके बाद अगर वह ठेकेदार काम करने नहीं आया तो उसको बुलाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और फिर भी वह नहीं आया तो दुबारा टेंडर होते हैं तथा फिर काम होता है। इसमें छह महीने निकल जाते हैं और बहुत विलम्ब होता है। उस विलम्ब के कारण से सरकार को बचत भी होती है। कई बार बचत होती है और कई बार उसमें घाटापूर्ति भी बराबर करनी पड़ती है।

हमारे वित्त सचिव भी बड़े समझदार हैं। कई स्वीकृतियां वे दिसम्बर तक निकालते हैं और पैसा बचाकर संतुलित बजट करने का पूरा प्रयत्न करते हैं। इस चतुराई के लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन पिछली बार प्राइमरी स्कूल खोलने थी। इसके लिए बजट में प्रावधान था, लेकिन अभी तक एक भी नहीं खुली।

श्री किशन गोपाल कोगटा : खुली हैं, बहुत-सी जगह खुली हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ठीक है, 25-30 खुली हैं। जिस ढंग से वे खुली हैं उसके लिए हम सब जानते हैं। इस प्रकार का बचत करने का तरीका ठीक नहीं है, इस तरीके को छोड़ दीजिए। हमारे पास नहीं है या कम है तो ठीक है, लेकिन रोज आना-जाना, करना, करना और फिर धीरे-धीरे बचत करना ठीक नहीं है। हां, उन्होंने एक बात पर नियंत्रण किया, उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। मार्च के महीने में बड़ी भारी अनियमितताएं होती थीं, लास्ट टाइम पर जो खरीद होती थी उसमें कंट्रोल करके पैसे की बचत की है, उसके लिए वित्त मंत्रालय बहुत धन्यवाद का पात्र

(1400)

है। हर साल यह काम होता था, इसको रोक दिया, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। कई लोग कहते हैं, सरकार दिवालिया हो

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

गयी है, बिलों का पेमेंट रोक दिया है । यह बिलों का पेमेंट वेमेंट कुछ नहीं है, यह तो जो मार्च के महीने में अनावश्यक परचेजिंग होती थी उसके लिए सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है । नहीं तो 31 मार्च को ही सारी बैंकें रात तक खुली रहती थीं । सारा बिल बनाना, पास होना और आॅल वेज में जो कुछ हाथ जिसके आये वह कर लो, वह काम या उसकी वजह से हुई है । लेकिन इस सारे काम को समयबद्ध आप करें तो इस योजना का फायदा मिलेगा । जैसे स्कूल खुल गये, अब गुलाब जी ने योजना बनायी कि 15 अप्रैल तक खोलना चाहता हूं । तो 15 अप्रैल तक ज्यों ही स्कूल खुल जाएंगे, एडमिशन हो जाएगा । सारा काम हो जाएगा और समय पर हो जायेगा । आप 400 की जगह 300 खोल दीजिये आपके पास बजट नहीं है तो । लेकिन वह टाइम पर हो जाएं तो छठी क्लास में एडमिशन लेने वाला बच्चा उस गांव में जो क्लास प्रमोट हुई उसमें उसी साल एडमिशन ले लेगा । तो एक यह तरीका ईजाद करिये ।

कांग्रेस पार्टी बार-बार एक बात कहती है कि पंचायतों को अधिकार नहीं दिये, नगरपालिकाओं को अधिकार नहीं दिये । उपाध्यक्ष महोदय, मैं गम्भीरतापूर्वक आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं इस बात का साक्षी हूं, जब ये कानून बने थे दोनों, उन दोनों की कमेटियों में मैं था और कांग्रेस के भी सब लोग थे । वर्तमान में जो पंचायतों के कानून बने हैं वे 73वें, 74वें संविधान संशोधन के बाद बने हैं । उसमें दो बातें कही गयी थीं राज्य वित्त आयोग का गठन और राज्य निर्वाचन आयोग का गठन और उनके चुनाव । सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करके बिहार की हजारों पंचायतों को भंग कर दिया है । आज तक उन्होंने पंचायतों के चुनाव भी नहीं कराये और उसी जनता दल की सरकार का कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है । कांग्रेस शासित राज्यों में भी नहीं हुए । राजस्थान पहला राज्य है जिसने वित्त आयोग बना दिया । आयोग ही नहीं बनाया, आयोग बनाकर पंचायतों और नगरपालिकाओं की सिफारिश कर दी । सिफारिश ही नहीं की सिफारिश के आधार पर उनका पैसा बढ़ा दिया और 1830 करोड़ रुपयों का भुगतान भी कर दिया । मैं कांग्रेस पार्टी को चुनौती देकर कहना चाहता हूं कि 73वें, 74वें संविधान के संशोधन बाद में कांग्रेस शासित एक भी राज्य में अगर वित्त आयोग बना हो, वित्त आयोग की सिफारिश आयी हों, सिफारिश आकर पंचायतों और नगरपालिकाओं को पैसे का अधिकार दिया गया हो और अधिकार के साथ-साथ उनको पैसा भी दिया गया हो हो तो वह प्रमाणित करके दिखा दे, वरना इस प्रकार के झूठे आरोप लगाने से पब्लिक में कोई फायदा नहीं होने वाला है, यह मैं दावे से कहना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्षों से हम मांग कर रहे थे कि मनोरंजन कर है, वह मनोरंजन कर नगरपालिकाओं को दिया जाना चाहिए । मनोरंजन कर के बिना नगरपालिका कैसे चलेगी ? 73वां, 74वां

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

संविधान संशोधन कर दिया, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई। पहली बार, मुख्य मंत्रीजी, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन नगरपालिकाओं में तनख्वाह नहीं थी, जिन नगरपालिकाओं में लाइट का बिल नहीं चुकाया जाता, उन नगरपालिकाओं के चुनाव तो करो लेकिन आपस की लड़ाई के अलावा कुछ नहीं होगा, उन नगरपालिकाओं को मनोरंजन कर का अधिकतम पैसा देकर राज्य सरकार ने एक अभूतपूर्व कदम उठाया है, उन्होंने कुछ दिया है। मैं चाहूंगा, मुख्य मंत्रीजी, कि इसमें आप पुनर्विचार करें। जितना मनोरंजन कर आता है वह पूरा का पूरा मनोरंजन कर आप विनियोग विधेयक पर बहस के समय नगरपालिकाओं को सौंप दें तो यह राजस्थान सरकार का एक बहुत बड़ा काम होगा और स्वायत्तशासी संस्थाएं बहुत अधिक मजबूत होंगी, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तंत्र की बात करते समय एक बात कहना भूल गया। मैंने बजट के सारे सिस्टम, टेण्डर के सारे सिस्टम के बारे में बात की कि टेण्डर का सिस्टम बदलना है। विश्व बैंक ने एक टेण्डर की नयी प्रक्रिया निर्धारित की है, प्री-क्वालिफाइंग टेण्डर आजकल होने लगे हैं और उनके आधार पर अपने को विचार करके यह सड़ी-गली कई पुरानी व्यवस्था को बदल देना चाहिए। क्यों नहीं बदल देते इनको ? राज्य सरकारों ने किया है। एक स्टैण्डर्ड रेट निकालिये, उस पर कुछ संशोधन करना हो तो कर लीजिये। करके उस पर विचार करें तो जो विलम्ब होता है, विलम्ब से जो पैसा बढ़ता है यह विलम्ब से बढ़ता हुआ पैसा निश्चित रूप से कम होगा। इसलिए मैं वित्त मंत्रीजी, उद्योग मंत्री जी, उप मुख्य मंत्रीजी, श्री-इन-वन जो हैं, उनसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस सम्बन्ध में भी विचार कर एप्रोप्रिएशन बिल के समय पर यह टेण्डर की प्रक्रिया को करें। मैं धन्यवाद दूंगा, कुछ काम सरकार के सामने नहीं आ रहे, सरकार ने फाइनेंशल मैनुअल में कुछ बदल किये हैं। जो बहुत वर्षों से चला आ रहा था, सड़ा-गला हो गया था उसमें बदल किये हैं। मंत्रिमण्डल से पास गया, मंत्रिमण्डल ने विचार किया और विचार करके सब हुआ है। हमारे जो वित्त सचिव हैं उनकी भी कुछ-कुछ जो स्थिति है इस राजस्थान में, वह मोन्टेक सिंह अहलुवालिया की तरह बनती जा रही है। वे हिन्दुस्तान के वित्त सचिव हैं, उनको बहुत बढ़िया एक्सपर्ट माना जाता है और डाक्टर आदर्श किशोर जी की स्थिति वैसी बनती जा रही है। दाढ़ी भी उस तरह से रखते हैं, सोचते भी उसी तरह से हैं। तो मैं उप मुख्य मंत्रीजी के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि एक नया सिस्टम टेण्डर का, इस प्रक्रिया को छोटा करने का, कम करने का, भ्रष्टाचार को समाप्त करने का हमको निश्चित रूप से करना चाहिए। इस मामले में हमारे सड़क मंत्रीजी भी बहुत एक्सपर्ट हैं, उप मुख्य मंत्रीजी चाहें तो उनकी अध्यक्षता में कमेटी बना दें। किसी की अध्यक्षता में कमेटी बना दें, इस बात को

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

निश्चित रूप से एप्रोप्रिएशन बिल के समय करके, इसमें संशोधन करने का विचार करना चाहिए ताकि कार्य द्रुत गति से चले और वह सिस्टम खतम हो। पूल बन जाए, 10 आदमी मिलकर उसको टेण्डर कर लें। सारा कर लेते हैं, सब ऊपर-ऊपर सारा आपस में बांट लेते हैं, सब जानते हैं इस बात को। उसको भी ठीक करने का निश्चित रूप से हमको फायदा मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जल नीति के बारे में बात करते-करते मैं एक बात भूल गया था। वाटर रिचार्ज की मैंने बात की थी। एक तो भू-संरक्षण में पैसा कम रखा है, यह पैसा बहुत कम है। उदाहरण के लिए गंगानगर है, नहरी पानी का कोटा है, इसमें नहरी पानी के कारण से, नदियों के कारण से वाटर रिचार्ज होता रहता है। लेकिन बिजली बैल्ट जिसको कहते हैं, जयपुर है, अलवर का बहुत बड़ा हिस्सा आ जाता है, सीकर आ जाता है, झुन्झुनू आ जाता है, टोंक का कुछ हिस्सा आता है, नागौर आता है, पाली जिले का कुछ आता है, कुछ जिलों में है जिसको बिजली बैल्ट कहा जाता है, इस बिजली बैल्ट में पानी धीरे-धीरे नीचे जा रहा है। हर साल पानी को नीचे करना पड़ता है, हर साल मोटर को बिठाना पड़ता है। हमने देखा कि दो साल बढ़िया बरसात हुई इस कारण से पानी ऊंचा उठा है। इस वाटर रिचार्ज के सिस्टम के लिए अगर अतिरिक्त व्यवस्था कर सकें, जिस प्रकार से आप बिजली के लिए, तन्त्र सुधार के लिए बहुत बड़ा पैसा ला रहे हैं, 22 अरब रुपये ला रहे हैं, उसी प्रकार से विश्व बैंक से या किसी एजेन्सी से भू-गर्भ जल को ऊंचा करने के लिए मदद लें और इसको करने का प्रयत्न करें तो राजस्थान के किसानों के लिए बहुत बड़ा काम होगा। आप इसको भी अपने एजेण्डा में निश्चित रूप से शामिल करेंगे, इस प्रकार की मेरी मांग है।

उपाध्यक्ष महोदय, किसान तो हमारी रीढ़ है। चाहे इसको आप ओ. बी. सी. कह लें, चाहे किसान कह लें, पिछड़ा वर्ग कह लें, यह हमारी जान है। मैं कहना चाहता हूं कि डेनमार्क का कभी नाम पढ़ा करते थे कि दुनिया में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन केन्द्र है, आज दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश भारत हो गया है। भगवान कृष्ण का वास्तविक देश है, सुजान सिंह जी यादव का वास्तविक देश भारतवर्ष हो गया। हम दूध उत्पादन करने लगे हैं। हम 95 करोड़ लोगों का हर प्रकार का अनाज और दालें उत्पन्न करने का काम भी करने लगे। इस किसान को और खेती को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान सरकार ने बहुत योजनाएं लागू की हैं और राजस्थान सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसान को उसका उचित मूल्य मिले, इस हिसाब से हमको विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता है।

हमने जलग्रहण क्षेत्र का विकास किया है, उसको और अधिक विकसित करने की बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हमारे यहां पर तिलहन, कपास, धनिया, जीरा, फल-राजस्थान में फलों को विकसित करने का भी बहुत बड़ा साधन है और, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि दुनिया में अगला दशक कृषि का होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। मैं जानता हूं कि गरीबी औद्योगीकरण से समाप्त होती है लेकिन अगला दशक दुनिया में कृषि का होने वाला है। ये औषधियां जिनको हम बेकार समझते थे, आज सारी दुनिया में मानी जाने लगी हैं। तो औषधियों का उत्पादन राजस्थान में हो सकता है, फलों का उत्पादन राजस्थान में हो सकता है, इस ओर राजस्थान सरकार को विशेष प्रयत्न करके इसमें अपना समय देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय ललित किशोर जी चतुर्वेदी जी से भी एक निवेदन करना चाहता हूं। समय कम हो तो आप कहें, मैं बैठ जाता हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अच्छा बोल रहे हैं आप।

श्री कालीचरण सराफ : बहुत समय है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कृषि के वाणिज्यीकरण का रास्ता है, उस रास्ते को खोलने में भी (व्यवधान) हां, ललितजी पर आ रहा हूं। मैंने महिला शिक्षा का अलग से मंत्री बनाने का और मान उत्थान करने का काम किया है, बहुत बड़ा काम आपने कर दिया है, इसके लिए धन्यवाद। (व्यवधान) हम तो इनमें सब चीजों का दर्शन कर लेते हैं क्योंकि ये स्वयं में पूर्ण हैं इसलिए....

तो इसका वाणिज्यीकरण नहीं कर पाये। किसान के जैसे सरसों बहुत ज्यादा पैदा हो गई सरसों की फसल बहुत बढ़िया है। अब गेहूं का जब एकदम भाव बढ़ा था, वह एकदम से कम हो गया तो इसका बिचौलिये को तो लाभ मिल जाता है, इसका किसानों को लाभ नहीं मिलता है। इस बात की व्यवस्था राज्य सरकार करें इस ओर हमारे कदम कुछ कम हैं। उन कदमों को और उठाने की हमको व्यवस्था करनी है।

माननीय ललित किशोर जी से एक निवेदन सड़कों के बारे में कर रहा था। आपने कहा था कि पंचायत को, एक हजार की आबादी वाले गांवों को, सम्बल गांवों को और पंचायत को 1-2 साल में जोड़ देंगे बाकी काम बाद में करेंगे, 2011 में। एक काम तो पक्का हो गया, हमने मान लिया कि 2011 तक हमारा ही राज रहना है और 2011 तक ललित जी को ही सड़क मंत्री रहना है....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : 2011 नहीं, 2002 कहा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तो मैं इनसे निवेदन कर रहा था कि इतनी बड़ी नीति बना रहे हो तो ठीक है, हमको तो इसमें तकलीफ नहीं है। इसलिए नहीं है कि

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

2011 तक तो हम बरदाश्त करेंगे, इतनी क्षमता तो है लेकिन मैं यह कहूंगा कि थोड़ा-सा आप इसको फास्ट करें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप पैसा दिलवाते जाओ, काम होता जाएगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं चाहूंगा कि आप जो काम 2002 तक करने वाले हैं उन कामों को 1998 तक पूरा करें, चाहे बी. ओ. टी. में करिये, और किसी में करिये, किसी में लाइये। 2001 में जब आप राजस्थान को लेकर जाएं तो ललित किशोर जी के नेतृत्व में राजस्थान 2001 में बिना सड़कों के ही चला जाए तो फिर आप काहे के सड़क मंत्री? और सड़कों के बिना चलेंगे किस पर? अपन जाएंगे कैसे?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : 2001 में बिना सड़कों के कैसे पहुंचेंगे?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसलिए आप इस ओर कोशिश करें, बिना सड़कों के पहुंचेंगे कैसे? हवाई जहाज से तो हम नहीं जाना चाहते। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसमें आप थोड़े पैसों की व्यवस्था और कराएं और इसको थोड़ा जल्दी करें। हम बार-बार कह रहे हैं कि 2000 तक हर गांव में बिजली, हर गांव को सड़क, रेवेन्यु विलेजेज को सड़कों से जोड़ने के लिए आप कोशिश करें, आपको सफलता इसमें निश्चित रूप से मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, अपना गांव अपना काम, 30 जिले 30 काम, वन प्रबन्ध समितियां और जो स्कीम नयी-नयी चलाई हैं, राजस्थान सरकार का यह एक निश्चित कंसेप्ट है। उस कंसेप्ट में एक बात कर रहा हूं आज तक राजलक्ष्मी योजना नहीं थी, आज तक सरस्वती योजना नहीं थी, आज तक उद्यान सखा नहीं थी, आज तक गोपाल योजना नहीं थी, आज तक कामधेनु योजना नहीं थी। ये जो नई-नई योजनाएं हैं इसको कई बार मजाक में लेते थे। उद्यान सखा, यह नया नाम आ गया। गोपाल, सरस्वती, आखिर इन योजनाओं से लाभ मिला है। गांव में जब जाते हैं तो कहते हैं कि बच्चों की प्राइमरी स्कूल खोल दो, बच्चों की प्राइमरी स्कूल खोलेंगे। स्कूल खुल जाएगी, गांव में कोई भी पढ़ाने के लिए शहर से बच्चियां नहीं जाएंगी। प्राइमरी स्कूल खुल जाती है बच्चियों की लेकिन पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं हैं। यह जो सरस्वती योजना है, पढ़ी-लिखी उस गांव में घर बैठी हुई महिलाएं अगर ये काम करेंगी तो मैं कह रहा हूं कि निश्चित रूप से उस योजना का फायदा उस ग्राम की बच्चियों को मिलेगा। पैसा उसमें थोड़ा कम है, पैसा बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं कि यह गांव के अन्दर आप एक पिलर बना देंगे, गांव में एक मजबूत केन्द्र खोल देंगे और इन मजबूत केन्द्रों के आधार पर इनका काम करेंगे। मैं आपको उदाहरण दूंगा, जैसे गोपाल योजना है। जो पशुपालक नहीं हैं, पशुओं के बारे में जिनको जानकारी नहीं है, उनको पता नहीं है लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि कृत्रिम गर्भाधान में

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पशुओं की बीमारी के बारे में रात को जब गाय या भैंस बोलने लग जाती है, रंभाती है और उसको लेकर जब जेवड़े से पकड़कर शहर में यहां पर लाते हैं, उस किसान को पता है कि उसको क्या तकलीफ हुई है। उस गोपाल योजना के तहत यदि प्रशिक्षित आदमी होगा तो वह गांव में जाएगा और उसको बुलाएगा, वह इंजेक्शन लगाएगा। उसको फायदा होता है। तो यह विचार नहीं आया आज तक कांग्रेस पार्टी में यह जो विचार शून्यता थी समाज के प्रति समर्पण की और समाज के हर वर्ग को प्रोत्साहन देने की, यह इन विशिष्ट योजनाओं में से निकली है। मैं इन विशिष्ट योजनाओं की जोरदार ढंग से तारीफ करता हूं। लेकिन सरस्वती योजना का पैसा बढ़ाया जाना चाहिए, गोपाल योजना का पैसा बढ़ाया जाना चाहिए। और जो कामधेनु योजना है, अनंग कुमार जी, आप नोट कर लें, वित्त मंत्रीजी नहीं हैं, सिर्फ 50 लाख रुपये आपने कामधेनु योजना पर रखा है। यह कामधेनु योजना पर अगर आपने टोकन रखा है तो ठीक है वरना तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी भी गो-शालाएं राजस्थान में है, आपने एक ऐतिहासिक काम किया है गो-संवर्द्धन का, गो-रक्षा का। मैं सरकार से इसलिए कहना चाहता हूं कि कोई भी पार्टी की सरकार बन जाए, विकास करें बहुत करें, बहुत अच्छा है लेकिन जो उसका दर्शन है, जो उसका विचार है, जिस दर्शन और विचार के आधार पर उसने संघर्ष किया, कार्यकर्ताओं की फौज तैयार की परन्तु कार्यकर्ताओं की फौज के आधार पर राज में आकर उस दर्शन को लागू नहीं करे वह सरकार तो फिर अफसरों की सरकार बनाने में और निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की सरकार बनाने में कोई फर्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का दर्शन तो इस देश का दर्शन था। गो-रक्षा का उससे जुड़ा हुआ दर्शन था। उसको लागू करके, उसके लिए कानून बनाकर एक ऐतिहासिक काम राजस्थान की सरकार ने किया है लेकिन सिर्फ कानून बनाने से काम पार नहीं पड़ेगा जब तक कि गो-संवर्द्धन का काम साथ-साथ नहीं होगा और गो-संवर्द्धन के काम के लिए केन्द्रीय गो-शालाएं बन सकती है इसलिए कामधेनु योजना के लिए अधिक से अधिक पैसा देकर और नस्ल सुधार का जो कार्यक्रम है उस नस्ल सुधार के कार्यक्रम में गायों के लिए, भैंसों के लिए, सबके लिए अधिक से अधिक लाभ देकर काम करेंगे तो हमको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। इसलिए इन विशिष्ट योजनाओं के संचालन के लिए विशेष प्रकार से काम किया जाना चाहिए। राज्य सरकार का एक बहुत बड़ा काम है जो राजस्थान सरकार करने जा रही है।

इस योजना के लिए और भी क्षेत्र हैं जिनमें योजना लागू की जानी चाहिए। इससे बहुत बड़ा लाभ होता है। अब एक ढर्रे पर पड़े हुए काम कर रहे हैं। स्कूल खुल गई, मास्टर जाता है, नहीं जाता है, आता है, जाता है और गुलाबजी का जी दुःख पाता रहता है। कल-परसों मेरे साथ सड़क पर जा रहे थे। सड़क पर जाते-जाते एक जगह चार बजे ही स्कूल की छुट्टी हो गई। बोले, गाड़ी रोको। मैंने कहा क्या हुआ महाराज, कार्यक्रम में लेट हो रही है। बोले, पांच बजे से पहले स्कूल कैसे छूट

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

गई, गाड़ी रोको। मैंने कहा, प्राइवेट है, जाने दो महाराज। तो यह जो दुःख पाने का काम है, यह भी लगन का प्रतीक है। ये विशिष्ट योजनाएं हैं पढ़ाने की, लिखाने की, किसानों को उद्यान में सहायता करने की, इन विशिष्ट योजनाओं को विशिष्ट तरीके से लागू करने का प्रयत्न किया गया तो समाज के नीचे से नीचे और छोटे से छोटे गांव के अन्दर बैठे हुए, ढाणी के अन्दर बैठे हुए आदमी को इन विशिष्ट योजना का लाभ होगा। इन योजनाओं की समीक्षा के लिए निश्चित रूप से एक विशेष प्रकार का मानिटरिंग सैल बनाया जाना चाहिए जो हर जिले में जाकर सिर्फ सरकार की इन योजनाओं की समीक्षा करे और उनके आधार पर वे निश्चित रूप से काम करें।

उपाध्यक्ष महोदय, खेती के लिए हमने बहुत से काम किये। इसी प्रकार से ग्रामीण विकास के जो काम हुए हैं उसमें भी हमने अभिवृद्धि की है। वह अभिवृद्धि भी अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समर्पण का प्रतीक है। आज तक बच्चे बच्चियों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें क्यों नहीं बांटी गई? बांटी गई, प्राइमरी एजुकेशन देना कम्पलसरी करने का प्रयत्न किया गया है। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावास खोलने की व्यवस्था की है और हमने वह काम कर दिया जो काम हिन्दुस्तान में कोई नहीं कर सकता। रिजर्वेशन के नाम पर लोगों को लड़ा दिया, रिजर्वेशन के नाम पर क्लास रूम में बच्चों की आपस में लड़ाई कराई, रिजर्वेशन के नाम पर लोगों को सड़कों पर जला-जलाकर मार दिया, खून-खच्चर कर दिया। और हमने कितने बढ़िया तरीके से ओ. बी. सी. का रिजर्वेशन कर दिया, हमने कितने बढ़िया तरीके से महिलाओं का 20 प्रतिशत आरक्षण कर दिया, हमने कितने बढ़िया तरीके से उनका रिजर्वेशन कर दिया, हमने एस. सी. एस. टी के छात्रों-छात्राओं को पढ़ने के लिए किस प्रकार से व्यवस्था कर दी। एक भी दंगा, एक भी विद्वेष की घटना राजस्थान में नहीं है। हमने समाज में यह भेद नहीं फैलने दिया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कल्पना है कि भारत माता के इस बाग में, जिस प्रकार बाग में चम्पा का, चमेली का, जूही का, गुलाब का, झाड़ का, सारे पेड़ होते हैं और उन पेड़ों की जिस प्रकार से अलग-अलग सुगन्ध होती है तो भारत माता के बाग में यह सब प्रकार की जातियों की अलग-अलग खुशबू है। इस खुशबू से इस भारत माता का बाग सुगन्ध से भरपूर है और इस भारत माता के बाग में सुगन्ध को हम किसी भी कीमत पर नष्ट नहीं होने देंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का नारा है। इस प्रकार से सामंजस्य हम समाज में पैदा करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक और बात निवेदन करके अपनी बात समाप्त करने की कोशिश करूंगा। कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा आरोप इस बात का हमारे ऊपर लगाया कि भा.ज.पा. साम्प्रदायिक यह कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया। हम यह कहना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

राजस्थान या भारतीय जनता पार्टी शासित कोई भी सरकार, जहां-जहां हमारी सरकारें बन गयीं, वहां पर सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण कायम हो गया। जहां जहां हमारी सरकारें बन गयीं वहां पर जातीय समन्वय का काम जारी हो गया। जहां-जहां हमारी सरकारें बन गयीं वहां विकास की गंगा आने लगी। जहां-जहां हमारी सरकारें बनीं वहां भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने लगा। लेकिन हमारी सरकार की ये सब बातें कांग्रेस पार्टी की आंख की किरकिरी हो गयी। ये सब बातें कांग्रेस पार्टी की ही नहीं, अन्य छोटे-मोटे दलों की आंख की किरकिरी भी हो गयी और भारतीय जनता पार्टी को रोकने का एक अभियान शुरू किया गया। भारतीय जनता पार्टी को गिराने का अभियान शुरू किया गया। भारतीय जनता पार्टी कोई किसी जाति पर आधारित पार्टी नहीं है कि हम राज की गद्दी पर किसी न किसी प्रकार से पहुंच जाएं। भारतीय जनता पार्टी एक सोच में से निकली हुई पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हिन्दुस्तान की सभी पोलिटिकल पार्टीज के नकारात्मक दर्शन को नकारती है, भारतीय जनता पार्टी छद्म धर्मनिरपेक्षता को नकारती है। भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक, पाजिटिव सेकुलरिज्म पर विश्वास करती है और भारतीय जनता पार्टी की जो पोजिटिव सेकुलरिज्म है....

श्रीमती तारा भण्डारी : पंथ निरपेक्षता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : भारतीय जनता पार्टी की जो पंथ निरपेक्षता है, भारतीय जनता पार्टी का जो जातीय समन्वय है, भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राम विकास का केन्द्र है, भारतीय जनता पार्टी का जो भारत माता को परम वैभव के शिखर पर ले जाने का संकल्प है, उस ध्येय के प्रति समर्पित होकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उसी का परिणाम है, उपाध्यक्ष महोदय, कि हमने हमारे राज्य में इस प्रकार नहीं होने दिया, और इसीलिए हमको रोकने के लिए गुजरात में षड्यंत्र किया गया। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिल्ली के इशारे पर हटाया गया और वहां पर कांग्रेस पार्टी हमारे में से निकले हुए आदमी को समर्थन करके सरकार चला रही है।

श्रीमती तारा भण्डारी : वह तो यहां भी करना चाहती थी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं आ रहा हूं।

भारत में जब इतनी बड़ी ताकत लेकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अटलबिहारी वाजपेयी प्रधान मंत्री बन गये, तकलीफ हो गयी। लेकिन अभी इण्डिया टूडे ने एक सर्वे निकाला, उस सर्वे में क्या आया? हिन्दुस्तान के 68 प्रतिशत लोग अटलबिहारी वाजपेयी को प्रधान मंत्री देखना चाहते हैं और कांग्रेस के सीताराम केसरी को डेढ़ प्रतिशत, शरद पंवार को आधा प्रतिशत, किसी को पाव प्रतिशत, किसी को पौण प्रतिशत। एक आदमी इतना लम्बा और एक आदमी एक बिलांद का।....(व्यवधान)....

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

नहीं-नहीं, मैं गुरजंट सिहजी और शिव किशोर सनाढ्य की तुलना नहीं कर रहा हूं। अटलजी को चाहने वाले गुरजंट सिंहजी जितने हैं, कहां गये वे, और केसरीजी को चाहने वाले सनाढ्यजी जितने सारे देश में हैं। और जो सर्वे हुआ है उस सर्वे में भी 240 सीटें आज के दिन चुनाव होने पर भारतीय जनता पार्टी की बताई हैं। और जितने दिन चुनाव टालेंगे उतनी बढ़ती जाएंगी। इस 1997 के अंत होते-होते अगर चुनाव होंगे तो एब्सोल्यूट मैजोरिटी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, यह सब लोग हिन्दुस्तान में कह रहे हैं। इस बात को कांग्रेस पार्टी नहीं पचा पा रही है। जैसे-तैसे, येन-केन-प्रकारेण इनको सत्ता से बाहर रखो। आप लोग सोचिये, अब यह पार्टी सत्ता से बाहर रहने वाली नहीं है क्योंकि इस पार्टी के दर्शन को मानने वाले लोग, आज हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा मजदूर संगठन है। किसी समय ऐटक, सीटू, इंटक, ये हुआ करते थे, आज इस मजदूर क्षेत्र में भारतीय मजदूर संघ जो हमारे से मिला-जुला संगठन है, वह आज सबसे बड़ा संगठन है। आज किसानों में हमारा राष्ट्रवादी संगठन सबसे बड़ा संगठन है। आज कर्मचारियों में भी, शिक्षकों में भी, समाज के हर वर्ग में और राजनीति में भारतीय जनता पार्टी सबसे बढ़िया संगठन के रूप में अपने दर्शन को लेकर सारे हिन्दुस्तान भर में फैल गयी है। यह कुकुरमुत्ते की तरह से नहीं बढ़ी है, बहुत लोगों के प्रयत्न के बाद निकल कर समाज को समरसता देने के लिए इतना बड़ा काम किया गया है। यह मिट्टी की दीवार नहीं है, यह जातीय आंधी के आधार पर नहीं बनी है। उसको तोड़ने का, फोड़ने का प्रयत्न किया गया, उसको तोड़ने-फोड़ने का प्रयत्न राजस्थान में भी किया गया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार-बार किया गया। राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता लोग और राजस्थान की जनता इस बात के लिए धन्यवाद की पात्र है कि जो कुचक्र विदेशों के षड्यंत्र पर, विदेशों की शह पर अराष्ट्रवादी ताकतों का भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने का चला था उस पर राजस्थान की वीर भूमि ने चैक लगा दिया, उसको समाप्त कर दिया। उसके बाद क्या हुआ ? उसके बाद पंजाब में चुनाव हो गये।

श्रीमती तारा भण्डारी : सूपड़ा साफ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पता ही नहीं चला, कहां है। छिंदवाड़ा में भी छिन्न-भिन्न हो गई, नागौर में भी किसी ने गौर नहीं किया। फुलेरा में भी फूल खिल गया। चारों तरफ यह काम होने लगा, भारतीय जनता पार्टी जीतने लगी। अब वे कह रहे हैं, कैसे न कैसे रोको, कैसे न कैसे रोको, रुका नहीं है। दिल्ली में नगर निगम के चुनाव हुए, महाराष्ट्र मे हुए, सब चुनाव, वह सब जीत रही है। मतलब, भारतीय जनता पार्टी सम्पूर्णता की ओर बढ़ रही है। यह जो बात है, इस बात को प्रजातन्त्र में हजम करने की जरूरत है। इस बात को अगर प्रजातन्त्र में हजम नहीं कर सकते तो प्रजातन्त्र नहीं चल सकता। पर दुर्भाग्य से

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कांग्रेस पार्टी और सारे विपक्षी दल आज इस बात को हजम करने की स्थिति में नहीं हैं। मैं सदन के माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा....

श्रीमती तारा भण्डारी : हाजमोला ही दे दो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पर किसी भी ताकत के दबाव में, किसी भी विदेशी षड्यंत्र के आधार पर अगर राजस्थान में या और कहीं भी अपदस्थ करने की कोशिश की गयी तो इसके परिणाम भयंकर होंगे और भारतीय जनता पार्टी दूनी ताकत के साथ जीतकर विधान सभाओं और लोक सभा में आएगी। उसको कोई रोक नहीं सकता क्योंकि हम सत्ता के लिए नहीं हैं, हम सत्ता का सुख आम जनता तक पहुंचा कर भारत को वैभव के शिखर पर पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट भारतीय जनता पार्टी की उसी रीति-नीति का परिचायक है। मैं पुनः, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी से कि वह अपनी हठधर्मिता का त्याग करे, छोड़े, सदन को बड़ा माने, राज्य की जनता को बड़ा माने और उसके उप नेता सदन में आकर राजस्थान की जनता के प्रति सम्मान प्रकट करें। हमारे प्रति तो न करें, हमारे से तो क्षमायाचना न करें, उनकी तरफ से राज्य की जनता से हम मांग लेंगे, हम कहेंगे हम छोटे बाप के हैं लेकिन राज्य की जनता हमारे से बड़ी है, कांग्रेस की गलतियों के लिए जनता से हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन राजस्थान की जनता के प्रति जो अपशब्द कहे हैं, हम राजस्थान की जनता का अनादार उनके हाथों से नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। इसी अपील के साथ मैं समझता हूं, कांग्रेस पार्टी समझेगी। राज्य की जनता इस बजट से प्रसन्न है, राज्य की जनता के सामने इस बजट के माध्यम से हमने संदेश देने की कोशिश की है। मैं एक बात और कहकर समाप्त करूंगा।

शराबबंदी के बारे में भी एक बात है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि शराब हम को समाप्त करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने बहुत वर्षों पहले कहा था कि जिस दिन अफीम छोड़ देगा चीन, यह अफीमची चीन हमारी शांति के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद की भविष्यवाणी सही निकली। चीन ने अफीम का परित्याग किया और चीन एक महान राष्ट्र के रूप में खड़ा हो गया। आज यह शराब और यह नशा, एक नशा पाकिस्तान के माध्यम से आता है, गोलियों-टाफियों के माध्यम से हमारे बच्चों को नशेड़ी करने के लिए और एक इस शराब ने हमारे जन-जीवन को खराब कर दिया। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, हमको देखना पड़ेगा। गुजरात में नशाबंदी है, मैं व्यक्तिगत रूप से पूर्ण नशाबंदी के पक्ष में हूं, गुजरात में नशाबंदी है लेकिन वहां पर शराब का माफिया गैंग तैयार हो गया। आन्ध्र प्रदेश में नशाबंदी है लेकिन वहां पर जगह-जगह

(श्री घनश्माम तिवाड़ी)

लोगों ने शराब का काम शुरू कर दिया। तमिलनाडु में भी शराबबंदी है, लेकिन जहर लोगों को पिलाया जा रहा है। हरियाणा में अब शराबबंदी हुई है, हम उसका रिजल्ट देख रहे हैं, हमारे पास में है। हमको एक-डेढ़ साल तक हरियाणा की शराबबंदी का रिजल्ट देखना चाहिए और उसके बढ़िया परिणाम आते हैं तो राजस्थान में भी निश्चित रूप से शराबबंदी करने के लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए। निश्चित रूप से प्रयत्न करना चाहिए। मैं शराबबंदी के इसलिए पक्ष में हूं और इस बजट से हम राजस्थान की आम जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार पूरे पांच वर्ष पूरे करेगी और पांच वर्ष के कार्यकाल में हम लोग राज्य को एक निश्चित दिशा की ओर ले जाना चाहेंगे। राजस्थान जब इक्कीसवीं शताब्दी में जाएगा उस समय राजस्थान के सब गांवों में बिजली जगमगाएंगी, अंधेरा नहीं रहेगा। हम अंधकार से प्रकाश की ओर इक्कीसवीं शताब्दी में जाना चाहते हैं। हर गांव को सड़क से जोड़कर, गांव से चलने वाला आदमी शहर तक आए तो मिट्टी से लथपथ होकर नहीं आए, वह भी सुन्दर-सुन्दर-सा लगे। जैसे आप लग रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, यहां बैठे हुए, वैसे वह गांव का आदमी लगे। आप जैसा ही गांव का आदमी वह लगे, यह हम चाहते हैं। गांव के आदमी को चिकित्सा की सुविधा प्राप्त हो, उसको पढ़ाई, उसको शिक्षा मिले। हमने जिस प्रकार कहा था कि यह भारत ऐसा देश है जहां पर तत्व का बोध होता है। यह भारत ऐसा देश है, एकम् सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, मुण्डे मुण्डे मतभिन्ना, जाते-तत्व बोधः, उस तत्व को हम प्राप्त करें, उस ज्ञान को हम प्राप्त करें। उस तत्व व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भारत माता की सभी संतानों को समान प्रकार से सुख और अधिकार मिल सके, उसकी प्राप्ति के उद्देश्य को लेकर इस बजट की पृष्ठभूमि तैयार की गयी है और यह बजट राज्य के उत्थान में, विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजस्थान सरकार को, वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का वर्ष 1997-98 का जो बजट हमारे उप मुख्य मंत्री जी ने वित्त मंत्री के रूप में पेश किया है, मैं उन्हें तहेदिल से बधाई देना चाहती हूं। मैं समझती हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी ने अपने सम्पूर्ण राजनीतिक जीवनकाल का यह प्रथम बजट पेश किया है। इस बजट में राजस्थान के विकास के लिए गहरी सूझबूझ अपनायी गयी है, इस बजट में सभी वर्गों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है और साथ ही साथ राजस्थान का सर्वांगीण विकास हो, इस पर बहुत ध्यान दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में कोई कमी ढूंढना या किसी प्रकार की मीन मेख निकालना मेरे बूते में नहीं है। मैं तो आपके

(श्रीमती तारा भण्डारी)

माध्यम से हमारे राजस्थान सरकार के मंत्रिमण्डल के सभी सहयोगियों एवं हमारे उप मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूं कि इतना संतुलित बजट बनाकर राजस्थान की जनता के लिए एक लोक कल्याणकारी सरकार का परिचय दिया। यह बजट केवल आंकड़ों का जाल नहीं है कि कितना घाटा है, कितना नफा है, किसमें क्या रखा है बल्कि सही मायने में यह बजट राजस्थान के सर्वांगीण विकास का द्योतक है। पिछले वर्षों में राजस्थान में सत्ता पर आरूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ग्राम पंचायत को इकाई मानकर गांवों और शहरों का सर्वांगीण विकास

(14.33)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति पदासीन)

किया। एक-एक ग्राम पंचायत में सेवाओं की दृष्टि से स्कूल खुल जाए, स्वास्थ्य सेवाएं जरूर मिलें, पेयजल की दृष्टि से वहां पर अच्छा काम हो और साथ ही साथ ग्राम पंचायतें सड़कों से भी जुड़ जाएं। मेरे कहने का मतलब है, पिछले वर्षों में वह चाहे खनिज नीति हो, वह चाहे उद्योग नीति हो, सड़क नीति हो, नीतियां बनाकर राजस्थान का विकास करने का प्रयास किया। यही कारण है सभापति महोदय, कि आज राजस्थान के बारे में हम गर्व से यह बात कह सकते हैं कि राजस्थान विकास की गति में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है।

सभापति महोदय, यह वर्ष हमारी आजादी का स्वर्ण जयन्ती वर्ष है और इस स्वर्ण जयन्ती वर्ष के उपलक्ष्य में यह बजट राजस्थान की जनता के हितार्थ पेश हुआ है। विशेष तौर से बजट की यह खूबी है कि इसे कमजोर वर्गों, महिलाओं, विकलांगों, और किसानों को समर्पित किया गया है। बजट में कमजोर वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए जो प्रावधान किये गये हैं उनसे निश्चित रूप से हमारे राजस्थान में समता का भाव बढ़ेगा और वर्ग भेद की जो हमारी गहरी खाई है उसमें कमी आएगी। निश्चित रूप से राजस्थान इस बजट से विकास की दिशा में अग्रणी होगा।

सभापति महोदय, राजस्थान के विकास के लिए 'राजस्थान विकास परिदृश्य-2011' की परिकल्पना की गयी है। मैं यह कहना चाहूंगी कि यह जो कल्पना आज हमारी सरकार के वित्त मंत्री जी ने की, जिस समय हमें आजादी मिली आजादी के वर्ष में राजस्थान के बारे में इसी परिकल्पना से अगर सोचा जाता तो आज हिन्दुस्तान के अग्रणी राज्यों में हम होते। लेकिन आज भी देर आये दुरुस्त आये, मैं तो राजस्थान सरकार को बधाई देना चाहती हूं। यह जो 'राजस्थान विकास परिदृश्य-2011' के गठन की सोच बनायी, राजस्थान में जो भी बुद्धिजीवी हैं, अर्थशास्त्री हैं, समाजशास्त्री हैं उन सभी के अच्छे-अच्छे सुझावों से इसमें मार्गदर्शन मिलेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हमें राजस्थान में किसी भी प्रकार की कमी के बारे में नीचा नहीं देखना पड़ेगा। वरना आज हम जब बाहर

(श्रीमती तारा भण्डारी)

जाते हैं, अभी तक कई लोगों के मन से भ्रम नहीं मिटा है, लोग हमें कहते हैं कि राजस्थान पिछड़ा हुआ है। तो मैं समझती हूं कि इस बजट से राजस्थान का पिछड़ापन बहुत दूर होगा और प्रतिशीघ्रता से राजस्थान विकास की गति से आगे बढ़ेगा।

जो पिछली वार्षिक योजना थी उसको भी हम 11,500 करोड़ की जगह 12,000 करोड़ तक पहुंचा पाये और इस बार हमारी नवीं पंचवर्षीय योजना का पच्चीस हजार करोड़ तक का अनुमान पेश किया है। पच्चीस हजार करोड़ की यह योजना मंजूर होते ही मैं समझती हूं कि राजस्थान का विकास बहुत द्रुत गति से होगा। सबसे अच्छा यह होगा कि हम कई मामलों में जैसे बिजली है, खनिज है, पैट्रोलियम है, गैस है, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। बजट में पैट्रोलियम निदेशालय की घोषणा भी की गयी है।

सभापति महोदय, आप जानते होंगे कि हमारे पूरे देश में पैट्रोलियम और गैस का कितना संकट बना हुआ है। पैट्रोलियम के मामले में तो हम बिलकुल परतन्त्र हैं। हमारी बहुत सारी इकॉनामी पैट्रोलियम पदार्थों पर व्यय होती है। यदि राजस्थान में जैसा कि राजस्थान ने विचार किया है पैट्रोलियम और गैस की खोज करने का, उनका परीक्षण करके भण्डारों का पता लगाया जाए और यदि हम पैट्रोलियम और गैस के भण्डारों का पता लगा पाये तो हम राजस्थान में आत्मनिर्भर तो बनेंगे ही देश में भी अग्रणी बनेंगे। अगर प्रचुर मात्रा में ये भण्डार हमें मिल गये तो हम देश को भी इसकी आपूर्ति दे सकेंगे। इसके लिए निदेशालय बनाने की जो घोषणा की है इसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देना चाहती हूं।

सभापति महोदय, बजट में शिक्षा के लिए बहुत प्रावधान किये गये हैं। हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री श्रीमान् भैरोंसिंह जी शेखावत ने राजस्थान का राजभार सम्भालते ही शिक्षा को चुनौती के रूप में लिया और प्रति वर्ष शिक्षा के लिए अच्छे-अच्छे प्रावधान किए हैं। अभी-अभी श्री घनश्याम जी बता रहे थे कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण तो किया परन्तु वह भी समय पर किया। ऐसा नहीं है कि स्कूलें खुल गयीं और दो महीने तक किताबें नहीं मिली हों। आज तो यह स्थिति है कि स्कूलें खुलने के साथ ही बच्चों को पाठ्य पुस्तकें मिल जाती हैं। अगर स्कूलें खोलनी हैं तो उनको भी समय पर ही खोल दिया जाता है ताकि पूरे वर्ष पढ़ाई हो जाय। पहले किसी को भी स्कूल खुलवानी होती थी तो, मेरा तो अपना अनुभव है, लोग 5-5 वर्ष तक राजस्थान सरकार के मंत्रियों के पीछे, सरकार के पीछे चक्कर लगाते रहते थे। एक-एक सैकण्डरी के लिए लोग तरसते थे लेकिन आज स्थिति यह है, सभापति महोदय, कि सरकार अपनी मर्जी से तो अनेकों स्कूल खोलती ही है इसके बाद भी जनता के लिए एक रास्ता खुला किया है कि वह अगर सरकार के साथ

(श्रीमती तारा भण्डारी)

सहभागिता करके अपना स्कूल ले जाना चाहे तो उस स्कूल का भी हमारे यहां प्रावधान है। इसमें भी इतनी होड़ लगी हुई है कि कई लोग पैसा देकर भी सैकण्डरी स्कूल, हायर सैकण्डरी स्कूल वगैरह खोलना चाहते हैं।

सभापति महोदय, सबसे ज्यादा शिक्षा को हमने चुनौतीपूर्वक लेकर के यह तय किया कि राजस्थान पूरा ही सम्पूर्ण साक्षरता में आगे बढ़े। इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं और पूरे राजस्थान में साक्षरता का एक वातावरण बनाया जा रहा है। इस साक्षरता के वातावरण में मैं भी एक सुझाव देना चाहूंगी, सभापति महोदय, कि यह साक्षरता भी एक ऐसा कार्यक्रम है जो जनता के पेट में से निकलना चाहिए। जनता को अगर हम इस पढ़ाई को थोपने की इच्छा से या कहीं इस प्रकार का वातावरण बनाएं कि सरकारी कर्मचारी ही इसको चलाएं तो इसमें हमें सफलता मिलनी संदिग्ध है। सभापति महोदय, मेरा सुझाव है कि साक्षरता का कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमें जन प्रनिनिधियों का, जनता का, समाज के पटेलों का, चौधरियों का, पंचों का और सरपंचों का पूरा सहयोग लेना चाहिए।

आप जानते हैं कि शिक्षा हमारे लिए बहुत अनिवार्य है, शिक्षा के बिना हम बहुत पिछड़ गये हैं और आज भी हम बहुत पीछे हैं। राजस्थान का जो शिक्षा का स्तर है वह हिन्दुस्तान के अनेक प्रान्तों के मुकाबले में नीचे से तीसरा, चौथा ही होगा, उससे ज्यादा हम ऊपर नहीं बढ़ पाये। परन्तु हम जिस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं-गांव-गांव में प्राथमिक शालाएं, गांव-गांव में उच्च प्राथमिक शालाएं, सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूलें जल्दी से जल्दी खोलना, समय पर खोलना और आवश्यकता के अनुसार खोलना, इससे हमें बहुत लाभ मिल रहे है। विकास तो पहले भी हुआ है, सभापति महोदय, लेकिन विकास में समता नहीं आयी, समानता नहीं आयी। जहां चाहा स्कूल खोल दिया, चाहे बच्चे थे या नहीं। जहां मर्जी आयी किसी के खेत को, गांव को या किसी के बंगले को सड़क जाती थी तो सड़क बना ली। चाहे गांव में आबादी नहीं तो भी स्वास्थ्य केन्द्र खुल गया। लेकिन आज पूरे राजस्थान का समग्र रूप से विकास करने की जो बात है और एक धुरी बनाकर हम चल रहे है उससे हमारा लाभदायी विकास हो रहा है। पंचायत को दृष्टिकोण मानकर जिस प्रकार से काम हो रहे हैं निश्चित रूप से ये कार्य हमारे लिए बहुत ही अच्छे हैं और लाभदायी हैं।

शिक्षा के मामले में तो जितना कहें उतना कम है, परन्तु शिक्षा मंत्री जी को मैं बधाई दिये बिना नहीं रह सकती कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई कदम भी बढ़ाये। उन्होंने शालाओं के अच्छे रिजल्ट्स आएं इसके लिए कई कड़वे स्टैप्स लिये तो कई प्रोत्साहन के काम भी किये। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि उन शालाओं के प्रधानों को यहां बुलाया गया जिनकी

(श्रीमती तारा भण्डारी)

शालाओं में जिले में सबसे अधिक पासिंग परसेंटेज रहा, जिनका रिजल्ट सबसे अच्छा रहा उन शाला प्रधानों को परीक्षा परिणाम के आधार पर यहां पर बुलाकर पुरस्कृत किया गया। सभापति महोदय, एक अच्छी बात है, जो काम अच्छा करता है उसे हम एप्रीशिएट करें और जो काम ठीक नहीं करता उसको किसी न किसी प्रकार का पनिशमेंट मिले तो उसके स्तर में बढ़ोतरी होती है, काम अच्छा होता है और हमारे शिक्षा मंत्री जी ने यह पाजिटिवली किया। उन बालिकाओं को भी प्रोत्साहन देने के लिए चुना है जिनके सबसे अधिक अंक हैं, उनको छात्रवृति इत्यादि देने का भी मानस बनाया। सबसे बड़ी बात यह है, जैसा अभी घनश्याम जी भी कह रहे थे कि महिला शिक्षा के बारे में बहुत कुछ सोचा गया और ललित किशोर जी चतुर्वेदी उच्च शिक्षा मंत्री हैं उनको महिला शिक्षा मंत्री बनाने की बात कही। मैं समझती हूं कि पिछले 3-4 वर्षों में राजस्थान में महिला शिक्षा पर उल्लेखनीय काम हुआ है। सारे जिला मुख्यालयों पर महिला कन्या महाविद्यालय खोलने की इच्छा शक्ति जाहिर की गयी, संकल्प लिया गया। बालिकाओं के लिए आवास हेतु जिला मुख्यालयों पर छात्रावास बनाने की हमारी योजना है। इसी प्रकार से प्रतिभावान बालिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए ताकि वे आगे से आगे बढ़ सकें, एक हजार रुपये प्रति वर्ष छात्रवृति का प्रावधान किया। साथ ही जहां को एजूकेशन है, बालिकाओं को परेशानी होती है उन बालिकाओं को शौचालय आदि जाने के लिए भी इस बजट में प्रावधान है कि उनके लिए अलग से शौचालय का निर्माण होगा।

एक बात मैं कहना चाहूंगी, इस बजट में भी जल नीति, महिला नीति, पर्यटन नीति, ये सारी नीतियां बनाकर चलने की बात कही गयी है। महिला नीति बनाने से, सभापति महोदय, महिलाओं को सम्बल मिलेगा, महिलाओं के प्रति होने वाले उत्पीड़न को रोका जाएगा। महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं का स्वास्थ्य और महिलाओं की आत्मनिर्भरता कैसे बढ़े, यह महिला नीति से सम्भव हो सकेगा। मैं राजस्थान महिला मोर्चे की प्रान्तीय अध्यक्ष होने के नाते, सभापति महोदय, तहेदिल से आपके माध्यम से राजस्थान सरकार को बधाई देना चाहती हूं कि महिलाओं के बारे में महिला नीति बनाने का निर्णय लिया। एक सुझाव दूंगी कि वे महिला नीति के साथ-साथ महिला आयोग के गठन पर भी विचार करें जो हमारे मुख्य मंत्री जी का आश्वासन है, विधान सभा में भी कमिटमेंट दिया है। इस वर्ष मैं समझती हूं कि एक सक्षम महिला आयोग भी बनाया जाए। महिला आयोग सक्षम नहीं बनेगा तो महिलाओं का कुछ भी उद्धार होना नहीं। एक महिला आयोग बना हुआ है हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग, जिसके पास न कोई अधिकार हैं, न कुछ कर पा रहा है। अगर ऐसा ही महिला आयोग बनाना है तो मैं अपनी सिफारिश वापस लेती हूं लेकिन अगर सक्षम महिला आयोग बनाना है जिसमें जाकर महिलाएं अपनी बात कह सकें, जिसकी बात को अधिकारपूर्ण तरीके

(श्रीमती तारा भण्डारी)

से महिला आयोग हमारी राज्य सरकार से मनवा सके तब तो निश्चित रूप से यह महिला आयोग फायदा करेगा।

हमारी किशोर बालिकाओं के लिए भी योजना बनायी गयी है जिससे किशोर बालिकाओं का अच्छा विकास हो, अच्छा काम कर सकें, कुछ अच्छे काम वे सीख सकें। एक बात और कहूंगी, सभापति महोदय, विधवाओं की बेटियों के लिए जो प्रावधान बजट में रखा है इसके लिए तो मैं सचमुच अन्तर्मन से .... मैं रोज मन में यह विचार करती थी कि कई प्रान्तों में ऐसी महिलाएं हैं जिनका कोई आधार नहीं, जो बच्चे-बच्चियों के विवाह में बहुत कठिनाई महसूस करती हैं। राजस्थान सरकार ने पूरे संवेदनशील तरीके से इसके बारे में विचार किया और विधवाओं की बेटियों के लिए तीन हजार रुपये अनुदान सहायता राशि का प्रावधान किया। लेकिन, सभापति महोदय, यह जमाना बहुत महंगाई का है, तीन हजार रुपये में कुछ नहीं आता है इसलिए मैं यह सिफारिश करूंगी कि जब आप देना ही चाहते हैं तो कुछ ऐसा राउण्ड फीगर दीजिये जिससे उनको कुछ न कुछ सहायता मिले। मैं जानती हू राजस्थान बहुत बड़ा है, बजट भी हमारे सामने है और बहुत सारा घाटा भी बजट में है लेकिन लोक कल्याण के कार्य में जो पैसा आप खर्च करेंगे उससे तो परमात्मा आपको बहुत कुछ देगा इसलिए मैं यह कहना चाहूंगी कि विधवाओं की बालिकाओं को अधिक नहीं तो उनके विवाह पर कम से कम पांच हजार रुपये तो जरूर प्रस्तावित करें। यह मध्य प्रदेश में भी हम देखकर आये हैं, वहां भी पांच हजार रुपये प्रस्तावित हैं। और अनेकों प्रावधान ऐसे हैं लेकिन यह बहुत अच्छा प्रावधान है। साथ में, सामूहिक विवाहों को प्रोत्साहन देने के लिए भी जो राशि तय की है यह भी एक अच्छा काम है। हम चाहते हैं कि फिजूलखर्ची कम हो और निर्माण के काम, विकास के काम ज्यादा हों। सामूहिक विवाह पर जोड़ों को जो कुछ देने का निर्णय लिया है हजार रुपये प्रति जोड़ा, समाज कल्याण मंत्री जी गरदन हिला रहे हैं, पर हजार रुपये प्रति जोड़ा कम है, मैं यह कहना चाहती हूं, यह भी कम से कम आप तीन हजार रुपये प्रति जोड़ा करें। एक जोड़े के हजार रुपये, पांच-पांच सौ रुपये में तो आजकल एक सफारी सूट भी नहीं आता।

श्री मदन दिलावर : यह शुरुआत है।

श्रीमती तारा भण्डारी : शुरुआत तो बहुत अच्छी की है आपने और मैं समझती हूं, आपकी मंशा बहुत अच्छी है, आपके मन में नीति अच्छी है। आपकी नीति यह है कि राजस्थान उभरकर सामने आये। राजस्थान और प्रान्तों के सामने अपनी वीरता, शौर्यता का तो खड्ग लिये हुए था लेकिन दानवीरता और विकास की गति को तेज किया है उसमें भी हम उनके प्रतिस्पर्द्धी होकर उनके समानान्तर खड़े हो सकें और उनसे भी आगे बढ़ जाएं। जो आज बहुत विकसित हैं उन विकसित राज्यों में भी हम अग्रणी श्रेणी के आयें। इसकी भी आपको शुभकामना देती हूं। सभापति

(श्रीमती तारा भण्डारी)

महोदय, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया, महिला विद्यालय की बात चलती है तो एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी ...... (व्यवधान) इस पर मैं आती हूं। आप देरी से आये हो न।

श्री सभापति : क्रॉस टाक्स नहीं करे।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, इनको बड़ा अच्छा लगता है कि इनके समाज का कल्याण हो। उस में महिला, बच्चे सभी आ गये। एक महिला विद्यालय की जब बात चली तो, सभापति महोदय, मेरा एक दर्द है वह आपके माध्यम से राजस्थान सरकार के समक्ष रखना चाहूंगी आज से दो वर्ष पूर्व हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी सिरोही महाविद्यालय के कार्यक्रम में आये थे। वहां उन्होंने अपनी मंशा यह जाहिर की कि हम राजस्थान के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कन्या महाविद्यालय खोलेंगे और उसको खोलने की हमारी योजना है और इसी योजना में आगामी वर्ष में सिरोही में कन्या महाविद्यालय खोल देंगे। सभापति महोदय, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी कभी भी अपने जीवन में अपनी घोषणा नहीं भूलते, यह इनका रिकार्ड है। पर पता नहीं मेरे मामले में ऐसा अन्याय क्यों हुआ कि यह घोषणा तो कर दी पर हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी भूल गये। या भूल नहीं गये तो क्या कारण रहा? मैं पुनः राजस्थान के उपमुख्य मंत्री जी जिन्होंने वित्त मंत्री के रूप में यह बजट पेश किया है, उनको याद दिलाना चाहूंगी कि हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी की सिरोही में कन्या महाविद्यालय के लिये घोषणा है, वह घोषणा इसी बजट में पूरी करें। सभापति महोदय, सिरोही बहुत ही पीछे है, जयपुर से उसकी दूरी 450 किलोमीटर है। विकास की जो गंगा है वह जयपुर से चलती है लेकिन सिरोही जाते-जाते उसकी धार पतली हो जाती है। वैसे हमारे जिले में बहुत विकास हुआ है और आज तो हम यह कह सकते हैं, मैं तो चुनौतीपूर्वक कहती हूं कि राजस्थान सरकार का कोई भी 5 साल का टेन्योर, भाजपा सरकार के अलावा का अगर हमारी चुनौती में आ जाए तो सिरोही जिले में किसी भी 5 सालों से ज्यादा विकास अभी वर्ष 1993 से लगा कर 1997 तक हुआ है, यह चुनौतीपूर्वक मैं कहना चाहती हूं। बहुत काम हुआ है, काम के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना लेकिन यह हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी की घोषणा भी थी और साथ-साथ हमारे यहां पर आवश्यकता भी है। मेरे यहां पर तीन विधान सभा क्षेत्र हैं जिसमें एस. टी., एस. सी. का बाहुल्य है। एस. सी. क्षेत्र है, एस. टी. क्षेत्र है, एक ही जनरल सीट है परन्तु कुल मिलाकर जनसंख्या आप देखेंगे तो एस. टी., एस. सी. और पिछड़े वर्ग की ज्यादा है। सभापति महोदय, एस. सी., एस. टी. और पिछड़ा वर्ग किसी भी प्रकार की हिम्मत नहीं कर सकता कि वह अपनी बच्चियों को जिले में मुख्यालय पर या कहीं भी जिले से बाहर पढ़ने के लिये भेज सके और थोड़ी पढ़ाई कम होने के कारण अभी वहां पर ऐसा वातावरण भी नहीं है कि वह को-एजुकेशन में जा सके। सभापति महोदय, मैं हमारे जिले की

(श्रीमती तारा भण्डारी)

आवश्यकता और मंत्री जी की घोषणा के लिये बड़े विनम्र शब्दों में राजस्थान के मुख्य मंत्री जी, वित्त मंत्री जी, उच्च शिक्षा मंत्री जी और अभी हमारे नगरीय विकास मंत्री जी, वरिष्ठ नेता यहां विराजे हुए हैं माननीय श्री भंवर लाल जी शर्मा, सबसे निवेदन करना चाहूंगी कि वे हमारे सिरोही के महाविद्यालय को किसी भी कास्ट पर इस बजट से अलग नहीं करें। यह हमारे दिल की बात है, मेरे मन का दर्द है। घोषणा करने के बाद तो काम पूरा होना ही चाहिये। मैं आशा करती हूं कि इस बजट में जरूर सिरोही में कन्या महाविद्यालय की घोषणा हो जाएगी।

सभापति महोदय, एक बात का मुझे और दर्द है। चिकित्सा मंत्री जी यहां पर नहीं हैं। मैं इसमें किसी भी तरह की टीका-टिप्पणी करना नहीं चाहती। ए. एन. एम. के लिये एक नीति बनायी है चिकित्सा विभाग ने कि ए. एन. एम. को जिला नहीं मिलेगा। जिस जिले की रहने वाली ए. एन. एम. है उसको दूसरे जिले में भेजेंगे। अभी मेरे यहां पर 30 ए. एन. एम. का बैच पास होकर निकला और तीस की तीस ए. एन. एम. को बाड़मेर में जाकर सर्विस दे दी। सिरोही में 25 सीट खाली थीं, आज भी खाली हैं लेकिन उन तीस को तीस ए. एन. एम. को बाड़मेर में भेज दिया। मैंने इस बारे में हमारे चिकित्सा मंत्री जी से, चिकित्सा सचिव से, स्पेशल सैक्रेटरी, जोइंट सैक्रेटरी से, सबसे बात की। मैंने कहा, साहब, यह क्या बात है? हमारे जिले की 25 सीटें खाली हैं और आपने हमारी तीस की तीस ए. एन. एम. को बाड़मेर भेज दिया। तो उन्होंने कहा कि यह हमारी नीति है। ए. एन. एम. अप-डाउन करती हैं इसलिए हमने उनको जिले के बाहर अपाइंटमेंट दे दिया। पिद्दी न पिद्दी का शोरबा। क्या ए. एन. एम. कलक्टर हैं कि उनको आप जिले से बाहर नौकरी देंगे? सभापति महोदय, मैं मानवीय आधार पर कहना चाहती हूं कि एक ए. एन. एम. बहन कुंवारी होगी तो उसको मां-बाप की आवश्यकता रहेगी और शादीशुदा है तो उसके बच्चे होंगे, उसको अपने सास-श्वसुर को आवश्यकता होगी। किसी न किसी रूप में उसको परिवार का परिवेश चाहिये। आप उनका अप-डाउन रोक नहीं सकते। गुनाह कोई करे और सजा कोई भुगते। सभापति महोदय, कम्पाउंडर अप-डाउन करते हैं, डाक्टर अप-डाउन करते हैं और भी जो पैरा मेडिकल स्टाफ है उसकी जो मर्जी आये वह करता है और सबसे छोटा एम्प्लाई ए. एन. एम. जिले से बाहर? यह तो कोई बात नहीं हुई। मैं बिना किसी प्रकार की शिकायत किये हुए आपके माध्यम से सदन के सारे सदस्यों के ध्यान में यह लाना चाहती हूं कि ए. एन. एम. को जिला बाहर करके क्या करना चाहते हैं? आपकी कमजोरी आप छिपाते हैं। कोई ए. एन. एम. अप-डाउन करती हैं तो आप उन्हें रोकिये। आप उन्हें सजा दीजिए, आप उनके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही कीजिए। इसका मतलब यह नहीं कि सिरोही की ए. एन. एम. तो बाड़मेर और बाड़मेर की ए. एन. एम. धौलपुर और धौलपुर की ए. एन. एम.

(श्रीमती तारा भण्डारी)

सिरोही। कोई मां-बाप इस प्रकार से बालिका को बाहर भेजना नहीं चाहेंगे। आप एक तरफ तो घोषणा करते हो कि महिला नीति बनाओ, महिला उत्पीड़न रोको, महिलाओं को शिक्षित करो, महिलाओं को आत्मनिर्भर करो, 20 परसेंट उनको नौकरियों में दो, 33 परसेंट उनको जन प्रतिनिधित्व दो और जो सबसे छोटी सर्विस में है ए. एन. एम., जो सारे गांव की प्रेमपूर्वक सेवा करती है उस सेवाभावी बहन को आप जिला बाहर करते हैं। यह तो अमानवीय है। मैं समझती हूं कि इसमें आपकी भी सहानुभूति होगी, सभापति महोदय, कि इस प्रकार से जिला बाहर उनको नहीं करना चाहिये। सभापति महोदय, इसमें एक बात और मैं कहना चाहूंगी, जिला बाहर तो किया, बाड़मेर अपाइंटमेंट किया लेकिन उसके बाद एप्रोच लगाकर 5-7 ए. एन. एम. वापस आ गयीं। वे वापस आयीं तो उन्होंने कहा कि हमारे लिये भी लिखो। और लोग भी आना चाहते थे, मैंने लिख कर दिया। मैंने पूछा कि आपको बाड़मेर क्यों भेजा ? तो कहा कि, साहब, यह नीति बनायी है। फिर इस नीति के विरुद्ध उनको वापस सिरोही जिले में किस हिसाब से लाये ? इसका मतलब सीधा करप्शन को बढ़ावा है। मैं यह चाहती हूं कि इसकी जांच भी करायी जाए कि सिरोही की कितनी ए. एन. एम. की बाड़मेर पोस्टिंग की और उसके बाद कितनी वापस सिरोही में आ गयीं और सिरोही में आयीं तो क्यों आयीं। अगर आपकी नीति थी तो फिर नीति कायम रहनी चाहिये। (व्यवधान) उच्च शिक्षा मंत्री जी का काम नहीं है। उच्च शिक्षा मंत्री जी से तो मैंने फरियाद की है। वो क्या कहते हैं—"रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर वचन ना जाई।" राजस्थान सरकार तो ऐसी योजनाएं ला रही हैं—सरस्वती योजना, गोपाल योजना, बालसखा योजना और उद्यानसखा योजना; जिनमें सबमें हमारी भारतीय संस्कृति झलकती है। फिर इस भारतीय संस्कृति के अनुकूल हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी, जिनको संस्कृति की भी रक्षा करनी है, अपने वचन की रक्षा जरूर करेंगे और सिरोही में कन्या महाविद्यालय इसी वर्ष जरूर खोलेंगे। सब सिफारिश करते हैं।

सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि राजस्थान के बजट में हमेशा से यह नीति रही है कि कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिले। कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की हमारी मंशा भी रही है। सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान में तिलहन का उत्पादन हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा होता है। सभापति महोदय, लेकिन आज हमारे सामने एक संकट खड़ा हो गया है। राजस्थान में हजारों ऑयल मिलें हैं लेकिन तिलहन का ऐसा संकट खड़ा हो गया है कि तिलहन बाहर जा रहा है, बाहर वालों को मिलता है। हमारी ऑयल मिलों को हमारी नीति के कारण नहीं मिल पा रहा। सभापति महोदय, वर्ष 1994 में तिलहन पर से परचेज टैक्स हटा दिया गया था। वह इसीलिए हटाया था कि हमारी ऑयल मिलों को पूरा रॉ-मैटीरियल मिले और टैक्स चोरी नहीं

(श्रीमती तारा भण्डारी)

हो। सभापति महोदय, वर्ष 1996 में 2 परसेंट परचेज टैक्स लगा दिया। इससे जो भी हमारे उद्योगपति हैं, राजस्थान की उनकी जो आयल मिल एसोसिएशन है उसने जयपुर में आकर हमारे मुख्य मंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को, वित्त सचिव, कमिशनर, सेल्स टैक्स सबको अपना ज्ञापन दिया।

(15.00)

उन्होंने यह बात बतायी कि इस प्रकार से जो 2 प्रतिशत परचेज टैक्स लगता है, इससे सीधा का सीधा हमारा तिलहन बाहर जा रहा है। राजस्थान के बार्डर पर, राजस्थान से बाहर कोई उद्योग लगा दे, उसको तो फायदा होगा। लेकिन राजस्थान के अन्दर जो मिलें हैं, जो तिलहन को क्रश करती हैं उनको रॉ-मैटीरियल बराबर नहीं मिलता है। जब कृषि उपज मण्डी में बोलियां लगती हैं तो परचेज टैक्स के कारण से मिल वाले इसमें काम्पीटीशन नहीं कर पाते हैं। तेल हमारा बाहर जाता है, बहुत अच्छी मण्डी राजस्थान ने बाहर बनायी हुई है। राजस्थान का तेल बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में और तमिलनाडु में बहुत अधिक बिकता है। लेकिन आज जो हमारे सामने नीति है 1996 में 2 प्रतिशत टैक्स था, आज के बजट में तो इसको 4 प्रतिशत कर दिया गया है। व्यापारी तो यह चाहते थे कि 2 प्रतिशत टैक्स को बंद किया जाए लेकिन इस बजट में 4 प्रतिशत, प्रथम बिन्दु, यानि परचेज टैक्स लगा दिया है। इस टैक्स से राजस्थान का नुकसान होगा क्योंकि टैक्स चोरी होकर माल सीधे-सीधे बाहर चला जाएगा। हमारे यहां कुछ भी तो नहीं है। अब तो हमने सेल्स टैक्स के नाके वगैरह भी हटा दिये, माल सीधा ही जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। जो वास्तविक आयल मिल हैं, उनके सामने अब बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इन मिल मालिकों के सामने मिलों को चलाना मुश्किल हो गया है। हमारे वित्त मंत्री जी जो कि उद्योग मंत्री जी भी हैं, अभी उपस्थित नहीं हैं, पर मैं मेरी भावना आपके माध्यम से उन्हें देना चाहूंगी कि इस प्रकार से जो परचेज टैक्स 4 प्रतिशत लगाया गया है, इससे हमारी ऑयल मिलें धीरे-धीरे बंद होंगी तथा टैक्स इवेजन का मौका मिलेगा। एक और जो हमारा नुकसान होने वाला है, वह यह है कि विदेशी तेल का ज्यादा से ज्यादा आयात होगा। हमारा तेल इतना महंगा है कि वे काम्पीटिशन में खड़े ही नहीं हो पाएंगे। इसलिए मेरा इसमें एक सुझाव है कि विदेशी तेल का आयात रुके और हमारे कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिले। बजट की यह मंशा भी है। बजट में कृषि और मसी के भरपूर प्रावधान किये गये हैं। कृषि में कृषि उत्पादन बढ़ाने के, सिंचित करने के, भूमि सुधार के सारे उपाय किये हैं, इसी प्रकार से मसी यानि शिक्षा के लिये भी पूरा बल दिया है। कृषि और मसी पर पूरा बल दिया है लेकिन हमको रेवेन्यू देने वाला विभाग है, हमारा तेल बाहर जाकर बिकता है तो अच्छी कीमत लाता है। आज ऑयल मिलों के सामने

(श्रीमती तारा भण्डारी)

भारी संकट हो गया है, इस संकट के लिए आपके माध्यम से मेरा एक सुझाव है। 1994 में तिलहन पर कोई परचेज टैक्स नहीं था, 1995 में भी नहीं था। वर्ष 1996 में 2 प्रतिशत परचेज टैक्स होने से ऑयल मिलों के व्यापारियों के सामने बहुत बड़ी कठिनाई आयी। मैं यह सुझाव देना चाहती हूं कि इस वर्ष 4 प्रतिशत जो परचेज टैक्स लगाया है उस 4 प्रतिशत परचेज टैक्स को बंद करें। अगर हमारी सरकार चाहे तो, परचेज टैक्स हटा दे और इसके साथ-साथ तिलहन पर सी-फार्म लागू कर दे। सभापति महोदय, तिलहन बाहर जाने पर अगर सी-फार्म लागू हो जाता है तो इससे टैक्स चोरी नहीं होगी। अगर हम परचेज टैक्स हटाते हैं तो हमारी ऑयल मिलों को रॉ- मैटीरियल ठीक मिलेगा। इसके बाद आपको ऑयल पर तो टैक्स मिलना ही है, ऑयल पर जैसा आप चाहें, 4 प्रतिशत अभी भी लग रहा है, 4 प्रतिशत टैक्स लगा दें लेकिन ऑयल मिलों पर एक सी-फार्म आवश्यक कर दिया जाए। इसलिए सभापति महोदय, मेरे एकदम सीधे 2-3 सुझाव हैं। एक तो यह है कि परचेज टैक्स 4 प्रतिशत है इसको पूरा हटा दिया जाए। तेल निर्यात में सी-फार्म को भी हटा दिया जाए और तिलहन निर्यात में सी-फार्म को आवश्यक कर दिया जाए। इससे राजस्थान में तेल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और हम बहुत तरक्की कर पाएंगे, हमारा मार्केट यथावत बना रहेगा। नहीं तो, आज ब्लैक से तेल जा रहा है, ब्लैक से तिलहन जा रहा है। वे तो कमा कर खा रहे हैं लेकिन जो व्यक्ति एक नम्बर में अपना बिजनस करके सरकार को अपना पूरा टैक्स देकर राजस्थान में बहबूदी लाना चाहता है, उसकी ऑयल मिलों के लिये संकट है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहती हूं कि वे अपने उद्योगों को बचाएं और उद्योगों के बारे में पूरा ध्यान दें।

सभापति महोदय, इस बजट में पेयजल नीति की चर्चा की गयी। आजादी के बाद राजस्थान में अरबों-खरबों रुपये पेयजल के ऊपर खर्च हो गये और पेयजल व्यवस्था भी हुई। लेकिन उस खर्चे के लिये किसी भी प्रकार की योजना नहीं होने से, नीति नहीं होने से आज भी हमारे सामने भयंकर पेयजल संकट है।

मैं आपको कहना चाहूंगी कि पिछले वर्ष "तीस जिले तीस काम" की जो भी राशि थी, वह पेयजल को समर्पित की गयी। वैसे तो बजट में यह कहा गया कि यह पेयजल समर्पित वर्ष है लेकिन "तीस जिले तीस काम" की राशि पेयजल को देकर इतिश्री कर दी गयी। होना तो यह चाहिए था कि इस साल हम पूरी की पूरी व्यवस्था कर देते लेकिन कोई बात नहीं, अब पेयजल नीति बनी है इसलिए मैं समझती हूं कि राजस्थान में जो सबसे ज्यादा पेयजल का संकट है, इस पेयजल नीति से समाप्त होगा।

सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने तो वर्ष 1996-97 में "तीस जिले तीस

(श्रीमती तारा भण्डारी)

काम" की अपनी सारी राशि खर्च करने की योजना बनायी लेकिन हमारा सिरोही जिला तो पिछले तीन वर्षों से लगातार "तीस जिले तीस काम" की सारी राशि पेयजल पर ही लगा रहा है। उसके माध्यम से जिले भर में बहुत काम हुए हैं। हमारे कई गांवों में सीमेण्ट की टंकियां खड़ी हो गयी हैं, सैंकड़ों किलोमीटर पाइप लाइन बिछायी गयीं, पी. एस. पी. लगायी गयीं, कई हैण्ड-पम्प खोदे गये और अनेकों ऐसे काम हुए जो पेयजल में संवर्द्धन कर सकते हैं। सभापति महोदय, इसके बाद भी आज सिरोही जिले में पेयजल का गम्भीर संकट है। इसका कारण यह है कि पिछले 2 वर्षों से सिरोही जिले में बरसात कम हो रही है। पहाड़ी इलाका है, इसलिए बरसात थोड़ी बहुत होती भी है तो सारा पानी बहकर चला जाता है और कुओं का जल-स्तर नहीं बढ़ता है। आज अगर आप सिरोही कलेक्टर से आंकड़े मंगवाएं तो आपके सामने आंकड़े आ जाएंगे कि दो दिन में कुओं का पानी एक फीट नीचे जा रहा है। अभी तो मार्च का महीना है, अभी ही पेयजल संकट है तो अप्रैल, मई और जून इन तीन महीनों में भगवान जाने क्या स्थिति होगी ? हमारे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी विराजमान हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप पेयजल नीति बना रहे हैं, इसके लिए तो बधाई के पात्र हैं लेकिन हमारे जिले में जो पेयजल संकट है, उसके लिये भी आप विचार करें, क्योंकि बहुत कठिनाइयां है। सभापति महोदय, सुबह ही इस बात पर काफी चर्चा हो गयी, मैं समझती हूं आप का ही प्रश्न था कि "तीस जिले तीस काम", "अपना गांव-अपना काम", "जे. आर. वाई" वगैरह और डी. आर. डी. ए. की अनेक योजनाएं चलती हैं, इन योजनाओं का पैसा समय पर खर्च नहीं हुआ। यह प्रॉब्लम सभी जगह है। इस प्रकार से सरकार ने योजनाएं तो बहुत बनायीं और सरकार की मंशा भी है कि जनता की भागीदारी बढ़े, पूरे राजस्थान का विकास हो लेकिन यह "तीस जिले तीस काम" वगैरह योजनाओं का पैसा समय पर खर्च नहीं होने से दो नुकसान हो रहे है। "तीस जिले तीस काम" हो या "सुनिश्चित रोजगार योजना" हो, "सुनिश्चित रोजगार योजना" का कायदा है कि आप पैसा खर्च कीजिए और लीजिए। लेकिन आप अगर एक ही वित्त वर्ष में अलाटेड राशि भी खर्च नहीं कर सकते हैं तो दूसरा पैसा मिलने की संभावना नहीं होती। 'तीस जिले तीस काम' की भी यही स्थिति है। यदि पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ तो नया पैसा नहीं मिलता एक तो नुकसान यह कि इनको और राशि, और धन नहीं मिलता, दूसरा नुकसान यह कि समय पर इसके जो रिजल्ट्स मिलने चाहिए वे नहीं मिल पा रहे हैं। कंटिजेंसी का काम सितम्बर, अक्टूबर में हो जाना चाहिए, ताकि मार्च-अप्रैल में पानी की सुविधा हमको मिल जाए। लेकिन पता नहीं कैसा यह पेचिदा विभाग है। पी. एच. ई. डी. को तो मैं पेचिदा विभाग ही कहती हूं। हम एक्स. ईएन. से योजना बनवा लेते हैं तो एस. ई. लेवल पर रुकती है। फिर एस. ई. के यहां जाते हैं तो एडिशनल चीफ इंजीनियर के यहां रुक जाती है और एडिशनल

(श्रीमती तारा भण्डारी)

चीफ इंजीनियर के यहां से चलकर चीफ इंजीनियर के यहां तो वह पूरा ही विश्राम करती है जब तक हम उसके पीछे नहीं लग जाते। इसलिए मैं हमारे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री जी को यह भी सुझाव देना चाहती हूं कि आप थोड़ा डीसेंट्रलाइज कीजिए। जो भी आपको सामान खरीदना है, आपके एक्स. ईएन. पावर का हो, एस. ई. पावर का हो, एडिशनल चीफ इंजीनियर का हो, चाहे चीफ इंजीनियर का हो, मैं समझती हूं कि जिस वित्तीय वर्ष के लिये आपको सामान खरीदना है उस सामान की खरीद उसी वित्तीय वर्ष के अप्रैल से जून तक हो जानी चाहिए। अगर आप एक वित्तीय वर्ष का सामान उसी वर्ष में, शुरूआत, के दो-तीन महीनों में खरीद लें तो मैं समझती हूं कि उस खरीदे हुए सामान का उपयोग होगा और जनता को इसका लाभ मिलेगा। नहीं तो आज हम ए. ईएन. को कहते हैं, यह क्यों नहीं जुड़ी पाइप लाइन, तो वह कहता है, जॉइंट नहीं। फिर एक्स. ईएन को कहते हैं तो वह कहता है, मुझे पावर नहीं। एस. ई. को कहते हैं तो मुझे टाइम नहीं। इस प्रकार से परचेज पावर हो, वह चाहे टेंडर मंजूर करने का कार्यक्रम हो, किसी भी प्रकार का। स्कीम मंजूर करने का भी यही सिस्टम है। स्कीम्स कुछ ए. ईएन. लेवल की हैं, कुछ एस. ई. लेवल की है और कुछ एडिशनल चीफ की है। तो मैं यह कहना चाहती हूं कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की प्रथम आवश्यकता पेयजल है। शुद्ध पेयजल मुहैया कराना हमारा पहला फर्ज है तो कम से कम इन विकृतियों को दूर करके थोड़ा सरल बनाइये। जो भी पैसा आप दे रहे हैं, जो भी पैसा अन्य योजनाओं से आ रहा है, जो भी पैसा सहभागिता से आ रहा है, लोग नाराज हो जाते हैं। अपना गांव अपना काम योजना में उन्होंने पैसा जमा करा दिया लेकिन उसकी योजना अगर छः महीने तक कार्य रूप नहीं ले सकती तो जनता में भी नाराजगी होती है। इसलिए मैं विशेष तौर से हमारे जलदाय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि इस सारे मामले को स्वयं देखकर थोड़ा डीसेंट्रलाइज कीजिये।

मैं समझती हूं कि हमारे सिरोही जिले के लिये बहुत कठिन वर्ष है। सभापति महोदय, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के लिये कुछ विशेष योजना बनायी है, जहां टी. डी. एस. ज्यादा है, उसको शुद्ध पानी देने की। इसके लिये तो मैं बधाई देना चाहती हूं लेकिन मेरा यह भी निवेदन है कि सिरोही जिले में अनेक गांव ऐसे हैं, जहां फ्लोराइड के कारण लोग बहुत परेशान हैं। और तो और, अब सिरोही नगर का पानी भी पूरा हमें फ्लोराइड वाला मिल रहा है। सभापति महोदय, पता नहीं क्या है, जांच करवाते हैं, तब तीन प्रतिशत से अगर नीचे हो तो उसको पीने योग्य मान लिया जाता है और तीन प्रतिशत से ज्यादा हो तो उसको फ्लोराइड वाला मानते हैं। सिरोही में आज जो हमको पानी मिल रहा है, वह फ्लोराइड वाला है क्योंकि इससे लोगों के पेट में दर्द होता है, दांत खराब हो रहे हैं, उनके घुटने खराब हो रहे हैं और भी तरह-तरह की बीमारियां लग रही हैं। सभापति महोदय, पहले तो मैं

(श्रीमती तारा भण्डारी)

धन्यवाद देना चाहती हूं कि सिरोही के लिये एक करोड़ दो लाख की योजना गत वर्ष हमारे पी. एच. ई. डी. मिनिस्टर साहब ने मंजूरी की थी, उसके द्वारा हमारे यहां नये कुएं बने हैं और पाइप लाइन लगी है। लेकिन इसके साथ-साथ इस योजना को आधा काट दिया। एक फिल्टर प्लांट बहुत ही आवश्यक है सिरोही नगर के लिये, वरना लोगों की हालत बहुत खराब हो रही है और फ्लोराइड का पानी पी-पी कर जनता बहुत परेशान है। शुद्ध पेयजल देना हमारा फर्ज है इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगी कि सिरोही के लिये फिल्टर प्लांट जरूर स्वीकृत करें। इसके साथ-साथ हमारे यहां पर सौ के करीब ऐसे गांव हैं जिले भर में, जहां फ्लोराइड बहुत मात्रा में है और लोग लूले-लंगड़े होते हैं। सभापति महोदय, परमात्मा किसी को लूला-लंगडा बनाएं तब तो हम यह सन्तोष धारण कर लेते हैं कि ईश्वर की मर्जी, क्या करें। लेकिन पानी पी कर लोग लूले-लंगड़े हों तो यह बात जरा अच्छी भी नहीं है, सहनीय भी नहीं है। इसलिए मैं मंत्री जी को निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे यहां पर जो फ्लोराइड प्रभावित के गांव हैं और टी. डी. एस. हैं, यानि खारे पानी के गांव हैं, उनमें कुछ राजनल स्कीम्स बनाइये। सबसे बड़ी बात है कि पानी आएगा कहां से? यह तो तय है कि कुओं में पानी नहीं है। कुएं तो अब इतने नीचे जा रहे हैं कि ज्यादा खुदाई करते हैं तो धंस जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कुओं का सिस्टम है कि एक मालिक अगर कुएं को खुदाई गहरी करता है तो पास का कुआं सूख जाता है और वह पास वाला गहरी खुदाई करता है तो तीसरे का कुआं सूख जाता है। जमीन में तो जितना है उतना ही मिलेगा। हमने जिस तरह से उसका दोहन कर लिया, अब कोई संभावना नहीं है कि हम और ट्यूबवेल वगैरह बनाएं। लेकिन जो बरसात का पानी है, मेरे यहां तो कैचमेंट एरिया बहुत है, उस बरसात के पानी को अगर हम रोकने की छोटी-मोटी स्कीम बनाएं और सिरोही के आस-पास एक कोई बड़ा बांध, बड़ा तालाब बनाएं जो केवल पेयजल के लिये हो तो फ्लोराइड से मुक्ति मिलेगी, जमीन में पानी जाने का भी रास्ता खुलेगा और लोगों को भी पानी मिलेगा इसलिए कैचमेंट एरियों में से ही पानी लेना ज्यादा जरूरी है।

सभापति महोदय, मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगी। पिछले वर्ष हमारी सरकार ने गो-संवर्द्धन नियम और गो-वंश रक्षा कानून बनाये थे। हमने बनाया अच्छे के लिये था और जनता की इसके साथ, जिसे कहना चाहिये कि भावनाएं जुड़ीं। इन भावनाओं के जुड़ने के साथ आज गांव-गांव में ऐसे संगठन खड़े हैं, जो गोशालाएं स्थापित कर रहे हैं, गोशालाओं के लिये दान मांगने जा रहे हैं और गायों की रक्षा के लिये तैयार खड़े हैं। परन्तु, सभापति महोदय, इस गो-रक्षा कानून में कहीं न कहीं कमी है और इस कमी से हम गो-रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। सभापति महोदय, मुझे क्षमा करें, जनता को पिटवाने का साधन हमने बना दिया है क्योंकि जनता की भावना हमारे गो-रक्षा

(श्रीमती तारा भण्डारी)

कानून से जुड़ गयी। जनता इस बात को जानती है कि राजस्थान में अब गो-हत्या होगी नहीं और पशु को कटने के लिये हम जाने देंगे नहीं, लेकिन इस कानून में राम जाने क्या खामी है कि जो परचेजर हैं, वे गायों के बराबर खरीद का कागज बना लेते हैं। बेचना जहां है उसके भी पूरे कागज बना लेते हैं और इस तरीके से गायों को अन्दर ठूसते हैं कि उस यात्रा में तीन-चार गायें तो अन्दर ही मर जाती हैं। अभी पिछले दिनों सांचोर का आपने पेपरों में पढ़ा होगा। सत्रह ट्रक गायों के लद कर जा रहे थे, उनको जनता ने भावावेश में आकर रोका। रोकने में पूरा एक मोब खड़ा हो गया और उन्होंने उनको जाने नहीं दिया। बड़े खेद की बात है कि उस समय में न तो हमारा जिला प्रशासन, न ही हमारी जिला पुलिस, कोई भी सहायक नहीं बने और उन्होंने अंधाधुंध मोब को ही मार-पीट करने का काम किया। इससे नाराज होकर मोब ने वहां पर दस-बारह ट्रक जला दिये, सारी गायें उन्होंने छुड़वायीं। हर ट्रक में से दो-दो, तीन-तीन गायें मरी हुई निकलीं। सभापति महोदय, स्वाभाविक है कि ये गायें कहीं भी गो-वर्धन विकास में नहीं जा रही थीं। अगर ये गायें कहीं भी दूध उत्पादन के लिये, गो-वंश बढ़ाने के लिये जातीं तो उनको इस प्रकार से ट्रक में नहीं भरा जाता कि उनकी सांस रुक जाए, दम घुट जाए, वे मर जाएं। यह पक्की बात है कि जितनी भी गायें और बछड़ों की निकासी हो रही है, वे हमारे समीप के गुजरात के कत्लखानों में जाते हैं। इन कत्लखानों में ले जाने के लिये पूरी कानूनी खानापूर्ति करके ही ये ट्रक वाले ले जाते हैं। इसलिए, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि गाय के बिना हमारी श्वेत क्रांति सम्भव नहीं है, गाय माता के बिना हमारा राजस्थान का विकास सम्भव नहीं है। कामधेनू योजना और बना रहे हैं अब, इस कामधेनू को बचाइये। शास्त्रों में गाय को कामधेनू कुछ न कुछ विचार करके ही कहा गया था। इसका दूध काम में आता है, इसका चमड़ा भी काम में आता है, इसकी हड्डी भी काम में आती है और आजीवन हमारा रक्षण-पोषण गाय करती है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यह जो गोरक्षा कानून हमने बनाया है, एक समिति बनाकर इस कानून का पुनरवलोकन करें। क्या कमियां, क्या रिक्तियां रह गयी हैं, इन रिक्तयों को देखकर कानून को सशक्त बनाएं, वरना गायों की निकासी होती रहेगी आप चाहे कितने ही कानून बना लो। सन 2011 का जो परिदृश्य राजस्थान के विकास का है, वह विकास तो धरा रह जाएगा, गो माता के दर्शन तो फिर जंतुआलय में ही होंगे।

सभापति महोदय, एक बात मैं और कहना चाहती हूं। अभी इस बजट में स्वायत्तशासी संस्थाओं की स्वायत्तता की बात की गयी है। गत वर्ष भी की थी कि स्वायत्तशासी संस्थाओं के अधिकारों को विकेन्द्रित करेंगे। सभापति महोदय, स्वायत्तशासी संस्थाओं को स्वायत्तता दीजिये। मनोरंजन कर देने की बात कही, उसके लिये मैं वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद देती हूं।

(श्रीमती तारा भण्डारी)

लेकिन आपको मालूम है कि यह मनोरंजन कर राशि कितनी होती है ? 500 रुपये सालाना सिरोही जैसी नगरपालिका को मनोरंजन कर के रूप में आज मिलते हैं। आप तीन गुणा, चार गुणा, दस गुणा कर दें तो भी क्या बनने वाला है ? इसलिए जो घनश्याम जी ने बात कही है कि मनोरंजन कर अगर नगरपालिकाओं को देना है और स्वायत्तता रखनी है तो जितना भी मनोरंजन कर आप आज प्राप्त करते हैं, वह सारा का सारा नगरपालिकाओं को हस्तांतरित करिये, वरना तो इस मनोरंजन कर में कुछ होना जाना नहीं, न कोई विकास होगा। नगरपालिका के बजट में आय का यह भी एक खण्ड होता है, मनोरंजन कर। जब मैं नगरपालिका की चेयरमैन थी तो 500 रुपये लिखा करती थी, साल के पांच सौ रुपये आते थे इसलिये इससे कुछ होना जाना नहीं है। अगर मनोरंजन कर देना है तो आप पूरा दीजिये। साथ में स्वायत्तता देनी है तो वह भी पूरी दीजिये। हमारे स्वायत्त शासन मंत्रीजी गये। मैं कहना चाहती थी कि नगरपालिकाओं के चुनाव हो गये, दो वर्ष हो गये, तीसरा वर्ष शुरू हो गया, सभापति महोदय, नगरपालिकाओं में कमेटीज नहीं बनीं। सिरोही नगरपालिका ने एक्ट के अनुसार तीन कमेटीज बना कर स्वायत्त शासन विभाग को भेजीं। विभागीय डायरेक्टर ने उन कमेटीज को रिजेक्ट कर दिया। लिख दिया, पांच कमेटी बनाइये। सिरोही नगरपालिका ने पांच कमेटी बना कर फिर स्वायत्त शासन विभाग को भेजा। पांच कमेटीज रिजेक्ट कर दीं। पत्र लिख दिया, आठ कमेटीज बनाइये। सिरोही नगरपालिका ने आठ कमेटीज बना कर फिर स्वायत्त शासन विभाग को भेजा। सभापति महोदय, वह भी रिजेक्ट कर दी गयीं। फिर पांच कमेटीज बनाइये। मुझे कहते हुए बड़ा दुःख होता है, पिछले 15 दिन से मैं डी. एल. बी. के चक्कर काटती हूं कि आप कैसी कमेटीज चाहते हैं, एक परिपत्र तो दो। आप मुझे परिपत्र उपलब्ध कराइये कि आप किस प्रकार की कमेटीज चाहते हैं, वैसा ही हम गठन कर लें, नहीं तो आज, सभापति महोदय, अध्यक्षों की हालत खराब है। मेम्बर्स और अध्यक्षों में इस बात की लड़ाई हो रही है कि अध्यक्ष सारे पावर अपने कब्जे में करके बैठा है और पार्षदों को कुछ भी काम करने को नहीं मिलता। लेकिन गलती यहां पर है, इस गलती को सुधरवाइये। एक नियम जो भी आपको लागू करना है, तीन कमेटी, पांच कमेटी, आठ कमेटी, जो भी बनानी हैं उसका परिपत्र दिलवाइये। अब उनके भी दो वर्ष तो चले गये, बाकी के वर्ष राजस्थान के विकास को गति देने वाले हों, इस बात को ध्यान में रखते हुए जरा इस काम को भी कराया जाए।

सभापति महोदय, मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हुए एक बार पुनः राजस्थान सरकार, हमारे वित्त मंत्रीजी, जो उद्योग मंत्री हैं, उप मुख्य मंत्री भी हैं, उनको बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय जोगेश्वर गर्गजी।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (राज्य मंत्री, पशुपालन) : सभापति महोदय, अभी

(श्री अर्जुन सिंह देवड़ा)

सिरोही से आने वाली माननीय सदस्या ने कुछ सांचौर का जिक्र किया। उन्होंने बार-बार गायों का नाम लिया। मैं उनको कहना चाहूंगा कि उन ट्रकों में गायें नहीं थीं, उसमें घोरीमन्ना के मेले में बछड़े जरूर जा रहे थे। उनको भी रानीवाड़ा में रोका था। रानीवाड़ा में चूंकि गोशाला नहीं थी इसलिए उनको सांचौर में भेजा गया। वहां पर जरूर कोई वारदात हो जाती, यदि पुलिस और प्रशासन वहां पर सतर्क नहीं होता। वहां पर जो लोग थे उन्होंने ट्रकों को भी आग लगायी। यदि गोशाला में आग लग जाती, वहां पर चारा पड़ा था, तो कई गायें भी मर सकती थीं। वाकई में वहां पर स्थिति गम्भीर रही है लेकिन पुलिस प्रशासन ने और जिन लोगों ने वहां पर गायें रोकीं थीं उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन उसके बाद में कुछ बदमाश किस्म के लोगों ने वहां पर काफी बदमाशी की जिसके कारण सांचौर में थोड़ी सी अशांति फैली। वहां पर गायें नहीं थीं, बछड़े थे।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, मेरी कहीं भी असहमति नहीं है·······

श्री सभापति : विवाद की आवश्यकता नहीं है। स्पष्टीकरण दे दिया उसका।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, नहीं, विवाद नहीं है। मेरी बात तो सुन लें। माननीय मंत्रीजी से मेरी कोई असहमति नहीं है क्योंकि मंत्रीजी उसी जिले से पधारते हैं, इनको ज्यादा मालूम होगा। मेरी तो एक ही बात थी कि इस गोरक्षा कानून को पुनः दिखवाया जाए, इसमें कोई कानूनी खामी है तो उसको दूर कराया जाए। मेरी इतनी राय है।

श्री सभापति : ठीक है। माननीय जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : सभापति महोदय, 1997–98 के आम बजट पर चर्चा करने के लिए सदन जुटा है। मैं अपनी बात प्रारम्भ करने से पहले शुरूआत में ही इसके प्रस्तुतकर्ता राज्य के उप मुख्य मंत्री आदरणीय भामड़ाजी का धन्यवाद करना चाहूंगा और आदरणीय मुख्य मंत्रीजी श्री भैरोंसिंहजी शेखावत, जिनके नेतृत्व में सरकार राजस्थान के विकास के लिए समर्पित हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। बधाई देना चाहूंगा दोनों को कि इन्होंने एक नयी परिकल्पना, एक नया दृष्टिकोण इस प्रदेश के सामने रखा है। राजस्थान विकास परिदृश्य–2011, आने वाले 14-15 सालों की परिकल्पना आज करना ताकि इन 15 सालों में क्या-क्या परिस्थितियां, क्या-क्या चुनौतियां प्रदेश के सामने आने वाली हैं, सरकार के सामने आने वाली हैं, उन सब को सामने रख कर उनका सही समय पर सही ढंग से मुकाबला कर सकें, पहले से ही उनसे निपटने की हम तैयारी कर सकें इस दृष्टि से जो लम्बी योजनाएं बनाने का एक साहस किया है, एक नया दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास किया है उसके लिए राज्य सरकार बधाई की पात्र है। वरना अक्सर यह होता है कि तात्कालिक तौर पर कंटिंजेंसी की योजनाएं बनती हैं। आज जो समस्या है तत्काल उसको दूर

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

करो, इसको लेकर जो योजनाएं बनती हैं वे कल नयी समस्या पैदा करती हैं। उस नयी समस्या को सुलझाने के लिए ताबड़तोड़ योजनाएं बनती हैं और वे तीसरी समस्या पैदा करती हैं। जिस प्रकार से एलोपैथी की दवाएं हैं, एक बीमारी दूर करने के लिए दवा लो तो दूसरी बीमारी पैदा करती है, दूसरी बीमारी के लिए दवा लो तो तीसरी बीमारी पैदा करती है। इस प्रकार की होचपोच और भागमभाग की स्टाइल में जो योजनाएं बनती हैं उनसे समग्र विकास नहीं हो पाता, संतुलित विकास नहीं हो पाता। संतुलित और समग्र विकास यदि करना है, सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी विकास यदि प्रदेश का करना है, प्रत्येक तबके को लाभ मिले, प्रत्येक क्षेत्र को लाभ मिले, ऐसा विकास यदि करना है तो उसके लिए इतना लम्बा दृष्टिकोण लेकर चलना ही पड़ेगा।

सभापति महोदय, दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है जिस पर मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा। किसी भी क्षेत्र का विकास करने के लिए आधारभूत ढांचा आवश्यक होता है। आज हम देखते हैं कि शहरों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। जयपुर की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस कारण नहीं कि परिवार कल्याण योजनाएं फेल हो रही हैं बल्कि इस कारण कि बाहर के लोग माइग्रेंट होकर, स्थानान्तरित होकर यहां आ रहे हैं। गांवों के लोग शहरों में बसना चाहते हैं। जोधपुर में, उदयपुर में, कोटा में आबादी बढ़ रही है, सारे शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है और गांवों में धीरे-धीरे, पहले जिस तेजी से आबादी बढ़ती थी उससे कम गति से आबादी बढ़ रही है। इसका कारण यह है कि शहरों की तरफ लोग भाग रहे हैं। एक समस्या। दूसरी समस्या यह है कि हम जहां गांवों में आधारभूत सुविधाएं देना चाहते हैं चिकित्सा की, शिक्षा की, इसके लिये हम को गांवों में डाक्टर भेजना है वह जाने को तैयार नहीं, शिक्षक भेजना है, वह जाने को तैयार नहीं। सब का एक ही उत्तर रहता है इन दोनों समस्याओं में और वह है शहरों पर बढ़ता दबाव और गांवों में जन सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के लिए स्टॉफ की कमी। इन दोनों के पीछे मैं एक ही कारण मानता हूं कि गांवों में हम आधारभूत ढांचा नहीं दे पाये हैं। आज किसी ग्रामीण स्कूल में अध्यापक को भेजते हैं तो वह कहता है, साहब, मैं जाकर क्या करूंगा, मेरा बच्चा बीमार हो गया तो उसका इलाज करवाने के लिए मेरे पास सुविधा नहीं है।

सभापति महोदय, मैं स्वयं इस चीज का भुगतभोगी रहा हूं। 1984-85 में जब मैं जालोर जिले के बहुत ही अन्दरूनी क्षेत्र में, बहुत अन्दर और दूर स्थित एक गांव में बैंक में मैनेजर था तो मेरे परिवार में पहली सन्तान हुई। उस बच्चे को पोलियो का टीका लगवाना मेरे लिए समस्या बन गया। क्योंकि डाक्टर कहते थे कि पोलियो का टीका लगवाना हो तो बच्चे को बुखार नहीं होना चाहिए। मुझे पोलियो का टीका लगवाने के लिए बच्चे को वहां से 85 किलोमीटर दूर जालोर ले जाना

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

पड़ता था और 85 किलोमीटर के सफर में उस समय बस में पांच घंटे का समय लगता था। सुबह सही-सलामत हालत में बच्चे को लेकर रवाना होते थे लेकिन पांच घंटे के सफर में अस्पताल पहुंचते-पहुंचते उसको बुखार हो जाता था और टीका नहीं लग पाता था। इस तरह की स्थिति मैंने भुगती है, देखी है गांवों में।

सभापति महोदय, गांव में मास्टर को भेजना है तो वे कहेंगे, हास्पिटल नहीं है। डाक्टर को भेजना है तो डाक्टर कहेंगे कि जाऊंगा तो मेरे बच्चों को पढ़ाऊंगा कहां, स्कूल नहीं है। वे दोनों चीजें हो गयीं तो रोड ठीक नहीं है, कैसे जाएंगे ? 50 किलोमीटर के रास्ते में तीन तीन, चार-चार घंटे लग जाते हैं, बसें ठीक नहीं चलती हैं। यह हो गया तो, साहब, बिजली नहीं है, पानी खारा है। यह सारी सुविधा जब तक गांवों में नहीं देंगे तब तक गांवों में कोई नहीं जाएगा, कोई गांवों में रहेगा नहीं। जो गांव में पैदा हुए हैं वे भी भाग कर शहरों में आना पसंद करेंगे।

सभापति महोदय, मुझे याद आता है, 1983 में उदयपुर में मैं बैंक की ट्रेनिंग कर रहा था। उस समय एक फ्रांसीसी पर्यटक आया। उससे उदयपुर में शाम को घूमते-घूमते मेरी मित्रता हो गयी। चूंकि मैं गांव से आता हूं, मैंने बड़ी उत्सुकता से उससे पूछा कि, भाई, तुम्हारे फ्रांस मे भी गांव होते होंगे ? शहर और गांव वहां भी तो होते होंगे ? वहां क्या-क्या अन्तर है इन दोनों में ? उपाध्यक्ष महोदय, मुझे

(15 30)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उसका उत्तर सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसका कहना था कि हमारे यहां शहर और गांव में सिर्फ एक अन्तर है और वह है आबादी। शहर की जनसंख्या ज्यादा है गांव की जनसंख्या थोड़ी कम है। इसके अलावा कोई अन्तर नहीं। चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी और मनोरंजन किसी भी प्रकार की सुविधा के मामले में हमारे देश का कोई भी गांव किसी भी शहर से कमजोर नहीं है, कम नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, तब जाकर वहां की स्थिति ऐसी बनती है कि गांव का आदमी भाग कर शहर नहीं जाना चाहता और शहर के आदमी को यदि कभी गांव में जाना पड़ा नौकरी के लिए, धंधे के लिए तो वह घबराता नहीं है। इस मूल बात को समझकर इस साल के बजट में राज्य सरकार ने जो प्रावधान किया है, जो एक चिन्तन सामने रखा है, दृष्टिकोण रखा है कि आधारभूत ढांचे को विकसित किया जाए उसके लिए राज्य सरकार बधाई की पात्र है, वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं। आधारभूत ढांचे में पांच बातें ली हैं—शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली और पानी। सबसे अधिक महत्व लगातार पिछले तीन वर्षों से शिक्षा को मिल रहा है और उसमें भी अलग-अलग प्रकार से शिक्षा देने का प्रयास हो रहा है। केवल मात्र सरकारी स्कूलों के माध्यम से ही शिक्षा देने का प्रयास करें, परम्परागत

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

ढांचा अंग्रेज हमारे लिये छोड़कर गये उसके भरोसे हम रहें तो शायद हम सबको शिक्षित करने का लक्ष्य कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिये नये-नये प्रयोग इसमें किये गये। मैं तारीफ करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, सरस्वती योजना की कि किसी भी गांव में कोई भी पढ़ी-लिखी महिला है, वह अपने घर में अपने प्रयासों से जितनी उसकी क्षमता है, जितने भी बच्चे वह पढ़ा सके, शुरू करे, सरकार उसकी मदद करेगी।

शिक्षाकर्मी योजना में उसी गांव का पैदा हुआ, पला, बढ़ा, वहीं का जवान है, थोड़ा-बहुत पढ़ा-लिखा है, आठवीं कक्षा, दसवीं कक्षा तक पढ़ा है पहली, दूसरी और तीसरी के बच्चों को आराम से पढ़ा सकता है। उसको सरकार ने मदद दी। आप यह काम करें, आपको गांव में रहना है, गांव के बाहर नहीं जाना है, अपने घर के पास में ही किसी स्थान पर छोटा-सा स्थान मिल गया, उसमें गांव के बच्चे इकट्ठे हो गये उसने पढ़ा दिया। इस प्रकार की जो नयी-नयी कल्पनाशील योजना रखी गयी है, मैं गांव में इन सब बातों को देखकर अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि इनका बहुत अच्छा लाभ हो रहा है, बच्चों में पढ़ाई के प्रति रूझान बढ़ रहा है। इसमें भी मुख्य रूप से गांवों का जो आर्थिक ढांचा है, गांवों की जैसी रहन-सहन की पद्धति है उसको ध्यान में रखकर ये स्कूलें चलती हैं। गांव में बच्चों को घर के कामों में मदद करनी पड़ती है। सुबह-शाम पशुओं को चारा डालना है, पशु को घर से खेत तक छोड़कर आना है या और कोई काम खेत में ज्यादा है तो मां-बाप की मदद कर लेंगे दिन में तो जिस समय बच्चे को समय मिलेगा उस समय उसको शिक्षा की सुविधा मिल जाए। जिस समय बच्चे को घर में बहुत जरूरी काम है, मां-बाप चाहते हैं कि बच्चा उनकी मदद करे, बच्चा भी चाहता है कि मां-बाप की मदद करें उस समय आप कहते हैं कि चल स्कूल में, तो वह बच्चा या तो जाएगा नहीं और जाएगा तो टिकेगा नहीं। इसलिये सुबह की स्कूल, शाम की स्कूल, प्रहर पाठशाला, रात्रि पाठशाला इस प्रकार जो नये-नये कंसैप्ट डवलप किये हैं, नयी-नयी प्रक्रियाएं हमने निर्मित की हैं, नये नये प्रयोग हमने किये हैं उनका बहुत ही अनुकूल परिणाम हमारे सामने आ रहा है और शिक्षा के प्रतिशत में बढ़ोतरी हो रही है, साक्षर लोगों के प्रतिशत में बढ़ोतरी हो रही है।

लोक जुम्बिश योजना भी बहुत तेजी से सफलता के आयाम छू रही है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा। जालौर में महिला शिक्षण विभाग चल रहा है। पूरे जोधपुर संभाग के 6 जिलों की पीड़ित व प्रताड़ित महिलाएं या तो परित्यक्ता हैं या वे विधवा हैं या वे तलाकशुदा हैं या तलाक नहीं हुआ लेकिन विवाद में हैं, पति उनको नहीं ले जा रहे हैं, मां-बाप के घर में इतनी आर्थिक सुविधा नहीं है कि मां-बाप उनका भरण-पोषण कर सकें, इस प्रकार की जो महिलाएं हैं और खासकर जो युवा वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिये जीवनयापन की बड़ी समस्या है। कैसे वे अपना जीवन-

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

पोषण करें, कैसे अपना स्वयं का खर्चा चलाएं ? अपना खर्च चलाना दूर परिवार पर बोझ बनती जा रही हैं। इस प्रकार की महिलाओं को चुनकर और सभी जिलों से लाकर जालौर के उस महिला शिक्षण विभाग में रखा। दो-तीन महीने पहले महामहिम राज्यपाल महोदय वहां आने वाले थे लेकिन संयोगवश वे नहीं पहुंच पाये लेकिन वहां जैसा कार्यक्रम हुआ है उसमें माननीय शिक्षा मंत्रीजी भी मौजूद थे और मैं भी उपस्थित था। उस कार्यक्रम में महिलाओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, उनके विकास को हमने देखा, उनकी जो योग्यता बढ़ी है उनको हमने देखा। दो-तीन साल के कार्यकाल में आठवीं कक्षा पास करने की इस बार तैयारी है उनकी, इस बार परीक्षा में बैठेंगी। इस प्रकार की एक नई पद्धति विकसित करके उन महिलाओं में जो आत्मविश्वास जागृत किया है, उन महिलाओं को जीवन की चुनौतियों से लड़ने की जो प्रेरणा मिली है महिला शिक्षण विभाग के माध्यम से, वह अपने आप में आदर्श है। इस प्रकार की नयी योजनाएं लेकर अपने इस प्रदेश में व्याप्त निरक्षरता से संघर्ष करना, प्रदेश में व्याप्त अशिक्षा से संघर्ष करना, उसे दूर करना और साक्षरता से भी आगे बढ़कर सम्पूर्ण साक्षरता की तरफ बढ़ना, एक बहुत अच्छे तरीके से काम राजस्थान की धरती पर हो रहा है। जो काम, उपाध्यक्ष महोदय, आज से 40-50 साल पहले हो जाना चाहिये-दुर्भाग्य से वह काम इतने वर्षों में नहीं हुआ, वह काम आज हम करने जा रहे हैं। इसके लिये राज्य सरकार निश्चित रूप से बधाई की पात्र है, धन्यवाद की पात्र है।

सम्पूर्ण साक्षरता के बारे में, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। एक बार अभियान के रूप में डेढ़ साल का पूरा कार्यक्रम होता है-छः महीने तक वातावरण निर्माण का काम होता है और एक साल में सबको साक्षर करने का काम होता है। डेढ़ साल के बाद यह योजना अपने आप में परिपूर्ण हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उसके बाद इस काम के लिये बजट नहीं आता है और बजट के बिना सरकारी घोड़े दौड़ नहीं सकते। उसके बाद एक स्थिति निर्मित होती है कि एक साल में जिस व्यक्ति को आपने साक्षर किया है, जिस युवक को, प्रौढ़ को आपने साक्षर किया है एक साल बाद यदि आपने उसको बिलकुल खुला छोड़ दिया तो वह छः महीने, साल भर बाद जो कुछ उसने सीखा है वह भूल जाता है। एक उदाहरण दूं। मुझे भाषाएं सीखने का बड़ा शौक था। मैंने उर्दू सीखी, मराठी सीखी, पंजाबी सीखी और गुजराती सीखी लेकिन मेरा अनुभव यह रहा है कि उर्दू मुझे तीन बार सीखनी पड़ी। एक बार सीखी और फिर अभ्यास छोड़ दिया, भूल गया। दो-तीन साल बाद दुबारा सीखनी पड़ी, फिर दो-तीन साल लगातार अभ्यास नहीं रहा फिर भूल गया। तीसरी बार जाकर सीखी और उसके बाद उसकी लगातार पत्रिकाएं और पुस्तकें पढ़ना जारी रखा, तब जाकर मुझे आत्मविश्वास आया कि कभी भी उर्दू सामने आये तो मैं पढ़ सकता हूं। इस प्रकार की स्थिति

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

जब मेरे जैसे ग्रेजुएट के लिये उत्पन्न हो सकती है तो प्रथम बार साक्षर होने वाले व्यक्ति को तो बहुत आसान है भूलना, वह बहुत जल्दी भूल जाएगा। इसलिये उत्तर साक्षरता पर विशेष जोर दिया जाए। जो सम्पूर्ण साक्षर जिले हो गये, उन जिलों को तुरन्त उत्तर साक्षरता से जोड़कर एक बार साक्षर हुए व्यक्तियों को लगातार उस पढ़ाई के माहौल से जोड़े रखना, उनके लिये अलग-अलग प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करना—कोई काम्पीटिशन आयोजित कर सकते हैं, कोई सेमीनार या इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं ताकि वे किसी न किसी प्रकार से जुड़े रहें। उनके लिये लाइब्रेरी या वाचनालय हम खोल सकते हैं। इस प्रकार की गतिविधियां उनके लिये खोली जाएं, इस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि जो साक्षरता पर हमारे करोड़ों रुपये का खर्चा किया है वह बेकार नहीं जाए और साक्षरता का जो लक्ष्य हमने प्राप्त किया है उसमें कमी नहीं आए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण साक्षरता से आगे बढ़ने का एक चरण है जो सारे विकसित देशों में लागू हो चुका—विकासशील देशों में शायद ही कहीं अभी तक लागू हुआ हो, उस चरण में आज राजस्थान प्रदेश प्रवेश कर रहा है इसके लिये भी मैं राज्य सरकार को बधाई देना चाहूंगा, वह चरण है अनिवार्य शिक्षा। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा होनी ही चाहिये। 14 वर्ष तक का कोई भी बालक स्कूल जाए ही जाए, स्कूल जाने से दूर नहीं रहे, यह अनिवार्य होना चाहिये। तब जाकर इस देश में एक व्यक्ति भी निरक्षर रहे, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से हम बच सकेंगे। आज केरल प्रान्त ऐसा है जहां कोई भी निरक्षर नहीं है, सबके सब साक्षर हैं। सारे पढ़े-लिखे हैं। वैसी स्थिति में राजस्थान कभी पहुंच सकेगा, इसकी कल्पना करना आज से दो-चार-पांच साल पहले तक बड़ा मुश्किल था पर उस काल्पनिक स्थिति को हम साकार करने जा रहे हैं। उस दिशा में हम कदम बढ़ा रहे हैं, इसके लिये भी बधाई देता हूं राजस्थान सरकार को। झुन्झुनूं और राजसमंद जिले इसके लिये चयनित किये गये हैं, मैं आशा करता हूं कि ये दोनों जिले अपने इस लक्ष्य में सफल होंगे। इस प्रयोग की सफलता के बाद राजस्थान के बाकी सब जिलों, कुल 32 जिले हैं, बाकी 30 जिलों को इसमें शामिल किया जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं।

नयी प्राथमिक शालाएं, शालाओं का क्रमोन्नयन, यह सारा कुछ इस वर्ष के नये बजट में लिखा गया है। नये बजट में घोषणाएं की गयी हैं-500 नये प्राथमिक विद्यालय, 400 प्राथमिक से उच्च प्राथमिक, 178 उच्च प्राथमिक से माध्यमिक और 100 माध्यमिक से वरिष्ठ माध्यमिक। यह जो विशाल लक्ष्य, विशाल प्रावधान रखा गया है, उसके लिये भी मैं राज्य सरकार का स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इस कारण प्रदेश में शिक्षा का माहौल बनेगा, प्रदेश में शिक्षा चाहने वाले प्रत्येक बालक को सुविधा उपलब्ध रहेगी। वरना कई बार निकटतम स्थानों पर शिक्षा

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

सुविधा उपलब्ध नहीं रहने से कई बच्चे स्कूल छोड़ जाते हैं, स्कूल जाने से वंचित रह जाते हैं। विशेषकर बच्चियां वंचित रह जाती हैं। बच्चियों को दूरदराज पढ़ने जाना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिये उनको अपने घर में, अपने घर के आस-पास पढ़ने की सुविधा मिल जाए इस दृष्टि से जो कुछ किया गया है इसके लिए भी मैं राज्य सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आधारभूत ढांचे का दूसरा चरण है सड़क। सड़क के बिना प्रगति नहीं हो सकती। किसी ने कहा; विकास सड़क पर चलकर आता है। सड़क के बिना विकास पहुंच ही नहीं सकता इसलिये हर गांव को सड़क से जोड़ने की व्यवस्था हम करें, यह सरकार के लिये बहुत आवश्यक है। लेकिन पिछले 50 सालों का परिदृश्य हम देखें। 50 साल और पांच साल। 45 साल जो पहले रहे और पांच साल अभी वाले हैं। 50 सालों को दो भागों में तोड़कर यदि हम देखें तो इन पांच सालों में जितनी सड़कें बनी हैं उतनी पहले के 20-25 सालों में भी नहीं बनी होंगी। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसके लिये माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का जितना धन्यवाद किया जाए, साधुवाद किया जाए, उतना ही कम है। इसके पीछे एकमात्र कारण है योजनाबद्ध, चरणबद्ध विकास करना। एक लक्ष्य निर्धारित किया कि इस साल में हम इतना-इतना कर लेंगे। राजनीतिक दृष्टि से पहले सारे निर्णय होते थे। कौनसा गांव जोड़ना, कौनसा गांव नहीं जोड़ना, यह निर्णय राजनीतिक आधार पर होता था। जैसे मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक गांव है आतोली। कांग्रेस को कभी वोट नहीं देते थे वहां के लोग। 80 प्रतिशत से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलते थे या पहले जनता पार्टी होती थी, उसको मिलते थे, कांग्रेस को नहीं मिलते थे। वह गांव तीन तरफ से पानी से घिरता है, उस गांव में बरसात के दिनों में घुसना बड़ा मुश्किल है। सड़क है, गांव में खड़े-खड़े मुख्य सड़क नजर आ रही है स्टेट हाई-वे। लेकिन उस मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिये आधा किलोमीटर नदी पार करनी पड़ती थी और उस किलोमीटर नदी में बरसात के दिनों में पानी होता था तब तो कोई निकल ही नहीं सकता था। बिना बरसात के दिनों में भी उस बजरी के अन्दर से गाड़ियां पार नहीं होती थीं। उसके लिये विभाग ने योजना बनायी कि इस पर काजवे बनना चाहिये। काजवे मंजूर होने के लिये योजना राज्य सरकार के पास आयी। उस समय जालोर क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वे कांग्रेस पार्टी के थे, उन्होंने यहां आकर अधिकारियों को कहा कि मेरे को कोई वोट तो वहां देता नहीं, मत करो। मंजूरी के लिये जयपुर तक पहुंची हुई फाइल वापस लौट गयी और वह काजवे मंजूर नहीं हुआ। इस प्रकार के राजनीतिक भेदभाव से दूर रहकर सबको सुविधा देनी है, सबका विकास करना है, इस दृष्टिकोण से माननीय ललित किशोरजी चतुर्वेदी के नेतृत्व में जो सड़क नीति बनी उसके कारण

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

आज हर गांव में सड़क पहुंचती नजर आ रही है। अधिकांश गांवों तक हम पहुंच गये हैं। एक ही वर्ष में चार हजार गांवों को सड़कों से जोड़ना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आने वाले वर्षों में चार हजार दो सौ गांवों को हम सड़कों से जोड़ेंगे, यह लक्ष्य निर्धारित करना भी अपने आप में बड़ी हिम्मत का काम है। मैं विश्वास करता हूं कि सरकार इस लक्ष्य को निश्चित रूप से पूर्ण करेगी, बल्कि इससे भी आगे बढ़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी बात बिजली की है। राजस्थान बिजली के मामले में आज की तारीख में बहुत कमजोर है और कमजोर इसलिये है कि पहले से इसके उत्पादन की चिन्ता नहीं की गयी। वितरण की चिन्ता तो बहुत कर ली कि हर साल पच्चीस हजार-पचास हजार कनेक्शन जारी किये जाएंगे, हर साल नये-नये गांवों को विद्युतीकृत करने की घोषणा हो जाएगी पर घोषणा होने के बाद उन गांवों में उन कनेक्शनों को बिजली कहां से मिलेगी, यह चिन्ता नहीं की गयी। दोनों तरफ से चिन्ता नहीं की गयी। उत्पादन की चिन्ता भी नहीं की गयी और सिस्टम को डवलप करने की भी चिन्ता नहीं की गयी। उपाध्यक्ष महोदय, सदन के ध्यान में लाना चाहूंगा कि पिछले तीन-चार वर्षों में इस दृष्टि से बहुत चिन्ता की गयी है। नये कारखाने लगाना जहां से बिजली पैदा होगी, यह चिन्ता हुई है। वह चिन्ता जो हुई है उसके परिणाम कई जगह सामने भी आ रहे हैं। जैसे पिछले दो-तीन महीने के समय में नार्थ ग्रिड दो-तीन बार ठप्प हो गया, सारा उत्तर भारत अंधेरे में। पर मुझे जालोर जिले के किसानों ने कहा कि बिजली लाओ। मैंने कहा कि नार्थ ग्रिड ठप्प हो गया इसलिये बिजली नहीं आ सकती। किसान बोले क्या बात करते हो, जालोर में बिजली क्यों नहीं आ रही है। नार्थ ग्रिड का असर जालोर पर ही क्यों हो रहा है, बाड़मेर में क्यों नहीं हो रहा। मेरे लिये आश्चर्य का विषय था कि बाड़मेर में क्यों नहीं हुआ। बाड़मेर से मैंने पता किया तो बाड़मेर और जैसलमेर के लिये वहां पर सौर ऊर्जा का ताप गृह बन गया है, उधर रामगढ़ में गैस आधारित ताप गृह बन गया। इस प्रकार दो स्थानीय ताप गृह तैयार हो गये। उन्होंने जब प्रोडक्शन चालू कर दिया तो बाड़मेर और जैसलमेर दो जिले उन्होंने कवर कर लिये। नार्थ ग्रिड में कुछ भी होता रहा लेकिन उन दोनों जिलों पर कोई असर नहीं पड़ा। आदरणीय शेखावत साहब को दूरदृष्टि के लिये मैं दाद दूंगा कि इस प्रकार से उन्होंने छोटे-छोटे पाकेट्स में, छोटे-छोटे क्षेत्रों के लिये, छोटे-छोटे पावर हाउस तैयार करने, का निर्णय लिया है। अब यह खेल का काम तो है नहीं, कोई जादू का डण्डा है नहीं कि आज घुमाया और कल पावर हाउस तैयार। पावर हाउस तैयार करने में जो समय लगता है वह तो लगना ही है। उपाध्यक्ष महोदय, जब ये सारी योजनाएं परिपूर्ण होकर बिजली उत्पादन प्रारम्भ करेंगी तब की हम कल्पना करें तो राजस्थान बिजली की दृष्टि से आत्मनिर्भर ही नहीं, आत्मनिर्भरता से भी आगे दूसरे

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

प्रान्तों को बिजली देने की स्थिति में आएगा। जो ताप बिजली घर बना है, मैं गौरव के साथ कहना चाहूंगा कि राजस्थान का ही नहीं, हिन्दुस्तान का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा ताप गृह है वह। सौर ऊर्जा पर आधारित बिजलीघर पूरी दुनिया में आज तक पांच मेगावाट से बड़ा कहीं नहीं बना, एकमात्र राजस्थान की हिम्मत है जिसने पचास मेगावाट का सौर ऊर्जा आधारित ताप गृह बनाकर दिया है और बहुत सही ढंग से वह काम कर रहा है। इसके लिये मैं माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय को भी बधाई देना चाहूंगा।

दूसरी बात, बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो विकास किया गया है, बहुत ही तेज गति से और बहुत ही विस्तार के साथ यह कार्यवाही की गयी है। पिछले वर्ष में 220 के. वी. के पांच केन्द्र एक साथ बनाये, 132 के. वी. के आठ केन्द्र बने और 33 के. वी. के कितने बने हैं, कोई हिसाब नहीं है, सैकड़ों की संख्या उनकी होगी। अकेले मेरे जालोर विधान सभा क्षेत्र में 33 के. वी. के 11 जी. एस. एस. बन गये जिसके कारण वोल्टेज रेगुलेशन और फ्लक्चुएशन की जो पोजीशन बनती थी वह बिलकुल ठीक हो गयी है, बहुत सुधार उसमें आ गया है। आने वाले वर्षों में भी इसी गति से इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करने की घोषणा की गयी है। 220 के. वी. के तीन, 132 के. वी. के आठ और 33 के. वी. के पांच सौ किलोमीटर तक लाइन डालने की जो यह योजना बनी है, यह बिजली की समस्या से और अधिक राहत दिलाएगी। उसके कारण किसानों को जो बार-बार इस तरह की समस्याएं पैदा होती हैं, मोटर चल नहीं पाती कम वोल्टेज के कारण, चल गयी तो जल जाती हैं, बार-बार ट्रिपिंग आती है, ट्रांसमीशन लोसेज होते हैं, छीजत होती है बिजली की, इस सबसे बचत हो सकेगी, उससे मुक्ति मिल सकेगी। इस प्रकार का एक इन्फ्रास्ट्रक्चर बिजली का विकसित करने की जो क्रियान्विति हो रही है राजस्थान में, बहुत तेज गति से हो रही है। वह भी तब हो रही है जब अपना बिजली बोर्ड, एक समय था जब वह दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया था। घाटा तो आज भी होगा पर दिवालियेपन के कगार से निकालकर उसको आर्थिक दृष्टि से मजबूत करते हुए इतने सारे विकास के काम जो करवाये हैं उसके लिये भी ऊर्जा मंत्रालय और राजस्थान सरकार दोनों ही धन्यवाद के पात्र हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, चौथा, इन्फ्रास्ट्रक्चर का जो महत्वपूर्ण बिन्दु है वह है चिकित्सा। चिकित्सा की दृष्टि से भी पिछले तीन साल में बहुत विस्तार हुआ है। जब तीन साल पहले की हमारी सरकार थी उस समय माननीय चतुर्वेदीजी के नेतृत्व में एक नीति बनी कि इतने हजार की आबादी पर सब सेन्टर होना चाहिए, इतने हजार की आबादी पर अपग्रेडेड सब सेन्टर होना चाहिए और इतनी आबादी पर पी. एच. सी. होनी चाहिए। उस योजना को जब लागू करना प्रारम्भ किया राज्य सरकार ने तो चिकित्सा सुविधा भी सर्वस्पर्शी हो गयी। केन्द्रित थी कुछ स्थानों पर, वहां से

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

हटकर वह गांवों तक पहुंच गयी है। गांव में बैठे व्यक्ति को भी आज यह लग रहा है कि चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के लिए बहुत लम्बी दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। इस प्रकार की स्थिति का विकास हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा सुविधा की बात करते समय एक बात की ओर ध्यान मैं जरूर दिलाना चाहूंगा। मुझे अफसोस भी है कि इस पूरे बजट भाषण में इस चीज का कोई उल्लेख नहीं है। आयुर्वेद हमारी अपनी चिकित्सा पद्धति है, हमारे पूर्वजों ने वर्षों की लगन, मेहनत, तपस्या के बाद इस पद्धति को विकसित किया था। आज वह पद्धति विश्व में मान्य हो रही है और उस पद्धति के लिये इस पूरे बजट में कहीं भी एक भी शब्द नहीं लिखा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को बताना चाहूंगा कि एलोपैथी रोग का निदान करने में आदर्श है, कोई मुकाबला नहीं। रोग क्या है उसका पता लगाने में एलोपैथी का कोई मुकाबला नहीं। मैं मानता हूं सर्जरी में, शल्य क्रिया में एलोपैथी का कोई मुकाबला नहीं। जीवनरक्षक औषधियों में भी तत्काल राहत जहां चाहिए, उनमें भी एलोपैथी ठीक है पर एलोपैथी की जो बाकी दवाइयां हैं, जिनके कारण साइड इफैक्ट होते हैं, दूसरी बीमारियां पैदा होती हैं, एक बीमारी ठीक करेगी तो दूसरी बीमारी पैदा करेगी, यह जो दुर्गुण है इस एलोपैथी में, इसका भी कोई मुकाबला नहीं है। इसके कारण से एलोपैथी किसी न किसी दिन मानव जाति के लिये खतरनाक चीज बनकर पैदा होगी, खड़ी होगी और उस समय एलोपैथी के इस खतरनाक खेल से मानव जाति को राहत यदि कोई दिलाएगा तो वह एकमात्र पद्धति है आयुर्वेद। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान की धरती पर तो कम से कम यह होना चाहिए था कि एलोपैथी की जो विशेषताएं हैं वे हम अपनाएं— सर्जरी हम अपनाएं, डायग्नोसिस हम अपनाएं पर चिकित्सा जहां करनी है, रोग क्या है यह पता लगने के बाद दवा क्या देनी है, इस बारे में हमारे आयुर्वेद को साथ लेकर एक कोई मिली जुली पद्धति हमको विकसित करने की ओर ध्यान देना चाहिए। वह ध्यान पिछले पचास वर्षों में पूरे हिन्दुस्तान में नहीं दिया गया है। केन्द्र सरकार को तो होश अब आया है, साल दो साल पहले ही उन्होंने आयुर्वेद मंत्रालय अपने यहां बनाया है। उनके वहां कोई मंत्रालय ही नहीं था, पहली बार दो साल पहले नरसिंह राव सरकार ने जाते-जाते घोषणा की है, आयुर्वेद मंत्रालय अलग से होगा। लेकिन इस बारे में राज्य सरकार के लिए गौरव का विषय है कि बहुत प्रारम्भ से यहां आयुर्वेद विभाग अलग से रहा है। उस विभाग के माध्यम से बहुत कुछ किया जा सकता था पर जैसी हालत इस बजट में हुई है आयुर्वेद को लगभग वैसी हालत पहले के बजटों में होती रही है। पूर्व की सरकारों ने 200 औषधालय खोले थे, 250 खोले थे। औषधालय तो खोल दिये पर औषधालयों में सुविधा के नाम पर दवाइयों की बात छोड़िये, इलाज की बात छोड़िये, चिकित्सक ही नहीं

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

पहुंचे। चिकित्सक पहुंच गया तो चिकित्सक के बैठने को टेबल-कुर्सी तक उपलब्ध करवाने की व्यवस्था बजट में उपलब्ध नहीं है।

अंधाधुंध औषधालय खोलने मात्र से ही कुछ नहीं होता जब तक वहां इलाज की सुविधा नहीं हो, चिकित्सक नहीं पहुंचे, कम्पाउन्डर नहीं पहुंचे, दवा नहीं पहुंचे। उस परिस्थिति से निकालकर हम उसको थोड़ा बहुत तो बाहर लाये हैं। पिछले पांच-सात वर्षों में हमने आयुर्वेद में साधन बढ़ाये हैं, चिकित्सक बढ़ाये हैं। चिकित्सकों में भी अब एलोपैथी में तो कहां-कहां के कितने कैडर बन गये, मेडिकल आफिसर से लेकर डायरेक्टर तक हिसाब लगाएं तो करीब बीस कैडर होंगे कम से कम लेकिन आयुर्वेद में एक ही कैडर था चिकित्सक का। मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान सरकार को कि इस साल उन्होंने निर्णय करके एक से दो किया–चिकित्सक और वरिष्ठ चिकित्सक। उसके बाद जिलाधिकारी, सह जिलाधिकारी, उप निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, कई सारे पद इस बार जो इन्होंने सृजित किये हैं उसके कारण बहुत कुछ परिवर्तन इस विभाग में आता नजर आएगा। वरना यह हो जाता था कि डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स के जो हास्पिटल हैं, ए-क्लास हास्पिटल हैं, दस बैड का हास्पिटल है उसमें चिकित्सक लगता था दो साल की नौकरी वाला और ग्रामीण क्षेत्र में जहां दिन भर में मुश्किल से बीस पच्चीस रोगी आते हैं, वहां जाकर 25 साल की नौकरी वाले चिकित्सक बैठ जाते थे। यह जो दिशाविहीन स्थिति बनती थी, नीतिविहीन स्थिति बनती थी उससे उबरने का यह रास्ता बना है चिकित्सकों के दो कैडर करने से, वरिष्ठ चिकित्सक और कनिष्ठ चिकित्सक करने से। वरिष्ठ चिकित्सकों के पद चिन्हित कर दिये, आइडेन्टिफाई कर दिये कि इस पर वरिष्ठ ही लगेगा, इस पर कनिष्ठ लगेगा। उसके कारण आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में जो सुधार आएगा उसके लिए मैं आयुर्वेद मंत्री जी को और राज्य सरकार को बधाई दूंगा।

लेकिन इतने मात्र से नहीं चलेगा। मैं जब आयुर्वेद मंत्री था मैंने दो तरह के प्रस्ताव पेश किये थे, सरकार को मूव किये थे। एक तो था राजस्थान में आयुर्वेद विश्वविद्यालय बनाया जाए अलग से। आज की तारीख में पूरे देश में केवल मात्र एक विश्वविद्यालय है और वह है जामनगर, गुजरात में। मैंने देखा है, उसको देखने के लिये स्पेशली मैं गया वहां। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर अत्याधुनिक तरीके से, कम्प्यूटराइज्ड तरीके से सभी तरह की औषधियों के एनालाइसिस करने की व्यवस्था है। वहां रोग परीक्षण की व्यवस्था है। आधुनिकतम जो पद्धति है एलोपैथी की उससे मदद लेकर निदान की और एनालाइसिस की उन्होंने अपनी पद्धति डवलप की और उसके आधार पर चिकित्सा करने के लिये नये नये प्रयोग उन्होंने किये। उस यूनिवर्सिटी के आधार पर गुजरात में आयुर्वेद के विकास को बहुत बड़े आयाम मिले हैं। वैसा ही एक प्रयोग, वैसी ही एक

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

प्रक्रिया, वैसा एक कार्य राजस्थान की धरती पर भी होना चाहिए, विशेषकर जयपुर में। जयपुर आयुर्वेद की दृष्टि से हमेशा पहचाना गया है पूरे हिन्दुस्तान में। जयपुर अपने आप में आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा गढ़ रहा है। लोग कहते हैं कि प्राचीन काल में जब पढ़ना होता था तो, लोग काशी जाते थे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं गर्व के साथ कहता हूं कि जयपुर की धरती का एक लाल स्वामी लक्ष्मीराम वैद्य थे, काशी के विद्वानों को पढ़ाने के लिये वे यहां से गये थे। वहां जाकर उन्होंने वर्षों तक, आजीवन काशी के विद्यार्थियों को आयुर्वेद पढ़ाया। इस महान उपलब्धि वाले जयपुर में आयुर्वेद के लिए अलग से यूनिवर्सिटी नहीं हो, यह एक कमी खलती है। इसलिये देर सवेर, अभी नहीं अगले साल सही पर उस दिशा में सोचा जाए। जैसे संस्कृत विश्वविद्यालय की पिछले बजट में घोषणा की थी, स्वागत योग्य घोषणा थी। वैसे ही आयुर्वेद विश्वविद्यालय के लिये भी कभी व्यवस्था हो राजस्थान की धरती पर, यह मैं इस सरकार से चाहूंगा। मुझे विश्वास है कि जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी आयुर्वेद के प्रति स्नेह रखते हैं, निश्चित रूप से वे इस तरफ ध्यान देंगे। चिकित्सा के बारे में मेरा मुख्य रूप से यही निवेदन था।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्फ्रास्ट्रक्चर का पांचवां बिंदु मैं लेना चाहता हूं पानी। बधाई की पात्र है राजस्थान सरकार कि गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के खारे पानी की समस्या को समूल नष्ट करने के लिये एकमुश्त योजना दी। टुकड़ों टुकड़ों में किया गया काम कभी भी सफल नहीं होगा, समस्या का पूर्ण निदान नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है कि दो जिले तो हमेशा के लिये समस्यामुक्त हो गये। इस प्रकार से एक एक जिले को समस्यामुक्त किया जाए। ब्यावर में लाठियां, गोलियां चलती थीं पानी के लिए, उस ब्यावर में पानी की कोई समस्या नहीं रह गयी। लगभग नियमित सप्लाई शायद वहां हो गयी है, यह इसी सरकार की उपलब्धि है। यह सिर्फ तीन वर्ष की उपलब्धि है और उसके लिये मैं बधाई देना चाहूंगा। सरकार को तो दूंगा ही दूंगा उन अधिकारियों को भी दूंगा वे एक्स.ईएन.और वे जे.ईएन. जिन्होंने ब्यावर में बैठकर उस तनाव के माहौल में जनता को फेस किया और उस विकटतम स्थिति में से, जहां 6-6, 7-7 दिन में मुश्किल से पानी पहुंचता था, प्रतिदिन पानी पहुंचाने की स्थिति में ब्यावर को लाकर खड़ा किया। निश्चित रूप से वे अधिकारी बधाई के पात्र हैं। लेकिन इस प्रकार के सारे जिलों में जहां जहां भी समस्या है, उनको एक साथ, एकमुश्त योजनाएं बनाकर हमको दूर करना पड़ेगा।

जैसा अभी तारा जी ने उल्लेख किया था, फ्लोराइड जालोर में और सिरोही में दोनों जिलों में बहुत समस्या है और उसका तत्काल निदान वहां उपलब्ध नहीं है। इसलिये उपलब्ध नहीं है कि वहां जहां भी पानी का कुआं खोदेंगे फ्लोराइडयुक्त निकलेगा। बीस-बीस किलोमीटर से पानी

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

पहुंचाना बहुत मंहगा पड़ेगा और मंहगा पड़ने के साथ साथ मुश्किल भी है। रास्ते लोग पाइप तोड़ देते हैं। पाइप टूट गये तो उनको ठीक करने के लिए स्टाफ चाहिए। इतनी लम्बी लाइन को ठीक करना मुश्किल हो जाता है, उसको कैसे ठीक किया जाए ? कोई ऐसी तकनीक विकसित की जाए कि उस फ्लोराइडयुक्त पानी को डी-फ्लोराइड करके हम काम ले सकें। एक प्लाण्ट मेरे क्षेत्र में लगा है, एक्सपेरीमेंट के तौर पर चल रहा है। बहुत अच्छे परिणाम अभी

(16·00)

सामने नहीं आये हैं। कारण कि उस प्लान्ट को बहुत ठीक तरीके से चालू रखने लायक और उसके बढ़िया परिणाम निकलें इसके लिए एक्सपर्ट स्टाफ वहां नहीं लग पाया था। अब स्टाफ वहां पहुंचा है तो उसके परिणाम सामने आने के बाद उसको भी आगे और विकसित किया जा सकता है। इस प्रकार से पानी के शुद्धिकरण की व्यवस्था हो।

माननीय घनश्यामजी ने जो बात कही मैं उस बात को दोहराना चाहता हूं। मैं वह बात बोलने वाला था, घनश्यामजी बोल गये। मैं उनकी राय में अपनी राय मिलाता हूं। रीचार्जिंग की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। पानी जिस गति से हम दोहन कर रहे हैं उस गति से अन्दर नहीं जा रहा है। अण्डरग्राउण्ड वाटर तेजी से कम हो रहा है। एक स्थिति यह आएगी जब जमीन के नीचे एक बूंद पानी नहीं बचेगा। उस समय हम क्या करेंगे ? जब हम 2011 की बात करते हैं, आने वाले 15 साल की बात करते हैं तो 15 वर्ष और उससे आगे आने वाली पीढ़ी के लिये भी हमको चिन्ता करनी पड़ेगी। कहीं हमारे बच्चे हमको यह नहीं कहें कि हमारे बाप-दादा सारा पानी पी गये और हमारे लिये पीने के लिये भी नहीं छोड़ा। इसके लिये रीचार्जिंग की व्यवस्था एक बात। दूसरी बात पानी के उपयोग के बारे में हमको अपने कुछ नार्म्स बदलने पड़ेंगे। पश्चिम की अंधाधुंध नकल के आधार पर हमने जो फ्लश सिस्टम डवलप किया है, हमने वाश बेसिन लगाये हैं, दूसरे तरीके पैदा किये हैं सुविधा के लिये बहुत अच्छे हैं, सफाई की दृष्टि से भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, परन्तु इससे पानी वास्तव में बहुत ज्यादा खराब होता है। हिमाचल प्रदेश में यह योजना बहुत अच्छी हो सकती है, चेरापूंजी, आसाम और नागालैण्ड में योजना अच्छी हो सकती है, बहुत पानी है वहां लेकिन राजस्थान में जहां पानी नहीं है वहां इतना खर्चीला सिस्टम यदि हम देंगे, वर्ल्ड बैंक कहता है कि पर कैपिटा 100 लीटर पानी जाना चाहिये प्रति दिन ...

श्री उपाध्यक्ष : मैं एक निवेदन कर रहा हूं। 16 माननीय सदस्यों में से 3 बोले हैं, अब आप अनुमान लगा लें कितना समय और लगेगा। थोड़ा ध्यान रखें।

श्री जोगेश्वर गर्ग : उपाध्यक्ष महोदय, संकेत के लिये धन्यवाद। मैं शार्ट में निपट लूंगा। (व्यवधान)

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 100 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन पानी देना यह आदर्श स्थिति है पश्चिमी देशों के लिए। बहुत पानी है वहां। हम 100 लीटर प्रति दिन प्रति व्यक्ति पानी देने की स्थिति में सिर्फ कोटा में हैं और कहीं नहीं हैं। कोटा में चम्बल 12 माह बह रही है। परन्तु जहां 12 महीने बहने वाली नदियां नहीं हैं, जहां दो महीने-तीन महीने मुश्किल से नदियां बहती है वहां पर इसके बारे में कल्पना करेंगे तो 100 लीटर तो छोड़िये 40 लीटर प्रति दिन भी देंगे, वह भी लग्जरी है, वह भी बहुत बड़ी बात है। हमारे पूर्वज तो 2–3 मटके में सारा दिन चला लेते थे। हम 20 मटकों पर पहुंच रहे है, 25 मटकों पर पहुंच रहे हैं। इस गति से यदि हम पानी का अपव्यय करेंगे तो आने वाले 15-20 साल बाद राजस्थान की स्थिति क्या होने वाली है, उसकी कल्पना यदि हम करें तो डर लगता है, भय लगता है। जीने की कला, हमारी लिविंग स्टाइल हमको बदलनी पड़ेगी और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हमको उसको ठीक करना पड़ेगा। इस बात पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए इस विषय को मैं यहीं छोड़ना चाहता हूं।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, बाकी सारी बातों को छोड़ कर मैं सीधे-सीधे जालौर जिले की थोड़ी-सी बात करना चाहता हूं। जालौर में 10–12 साल पहले कोई उद्योग नहीं थे। 1982 में ग्रेनाइट काटने का पहला प्रयोग हुआ। उसके बाद ग्रेनाइट का उद्योग धीरे-धीरे विकसित होते-होते आज की तारीख में यह स्थिति बनी कि जालौर जिले में अकेले में लगभग 400-500 फैक्ट्रियां ग्रेनाइट की चल रही हैं। पूरे राजस्थान में कुल मिलाकर मुश्किल से 800–900 फैक्टियां होंगी, उनमें से 50 प्रतिशत फैक्ट्रियां जालौर में चल रही हैं। बहुत अच्छा औद्योगिक परिदृश्य खड़ा हो रहा था। जालौर में, लेकिन पिछले डेढ़ साल से वहां पर बहुत जबरदस्त धक्का लगा। ग्रेनाइट की मांग समाप्त हो गयी। बम्बई में ढेर सारी बिल्डिंग्स बन रही थीं, वहां बिल्डिंग्स बनने की गति एकदम रुक गयी उसके कारण ग्रेनाइट की मांग रुक गयी। उसके कारण से आज की तारीख में जालौर का ग्रेनाइट उद्योग बहुत गम्भीर संकट में है, मरणासन्न है। जो लोग चार-चार यूनिट, तीन-तीन शिफ्ट में चला रहे थे वहां आज दो-दो यूनिट, एक-एक यूनिट डे शिफ्ट में चल रही है। बाकी लोग ताला लगा चुके हैं। यह गम्भीर संकट पैदा हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से इस संकट से ग्रेनाइट उद्योग को बचाने के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिये कोई व्यवस्था की जाए। मैं स्वागत भी करता हूं उस कदम का कि सरकार ने एक कमेटी बनायी है। उद्योग सचिव, वित्त सचिव और प्रमुख बड़े अधिकारियों को लेकर कमेटी बनायी है, वह देखेगी कि इस ह्रास का, इस नुकसान का, इस मंदी का कारण क्या है। उस कमेटी ने अभी काम शुरू नहीं किया है। मैं चाहूंगा, वह कमेटी जल्दी काम करे और जल्दी अपनी रिपोर्ट दे।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

दूसरा निवेदन यह है कि जालोर जिला मात्र ग्रेनाइट पर आधारित रहा तो ग्रेनाइट में उतार-चढ़ाव जब भी आएगा पूरा जालोर जिला उससे प्रभावित होगा। इसलिये दूसरे प्रकार के उद्योग भी वहां पनपें। जालोर में टमाटर बहुत पैदा होता है। टमाटर के उपयोग के लिये टमाटर सॉस बने या दूसरी चीज बने, टमाटर सूप पाउडर बने। इस प्रकार की कोई इण्डस्ट्री लगे। ग्वारगम में इस बजट में राहत दी है, ग्वार पर टैक्स समाप्त किया है। ग्वार हमारे यहां बहुत होता है, ग्वार गम की कोई इण्डस्ट्री लगे। या ऊन बहुत होती है, भेड़-पालक बहुत हैं। उस ऊन पर आधारित कोई इण्डस्ट्री लगे। मिर्ची बहुत होती है जालोर तहसील, भीनमाल तहसील में तो मिर्ची के उपयोग के लिये, मिर्ची पाउडर बने जीरा बहुत होता है। इस प्रकार की चीजों को सामने रखते हुए, इस प्रकार के कृषि उत्पादों को सामने रखते हुए कुछ नई इण्डस्ट्रीज सरकार योजनाबद्ध तरीके से लगाए, समग्र विकास की दृष्टि से लगाए तो जालोर का इण्डस्ट्रियल विकास भी संतुलित ढंग से हो सकेगा। यह निवेदन करने के साथ-साथ अन्तिम बिन्दु के रूप में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व वक्ताओं की राय में राय मिलाते हुए राज्य सरकार को अपनी भावनाओं से अवगत कराना चाहता हूं।

शराबबंदी की मांग राजस्थान की जनता में बहुत तेजी से बढ़ रही है। जन जागृति आ रही है। जनता में शराब के प्रति विरोध और नफरत बहुत तेजी से बढ़ रही है। जागरूक सरकार वह होती है, जो जनता ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : रेवेन्यू तो बढ़ रहा है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : रेवेन्यू बढ़ रहा है, वह बात अलग है। दोनों में से एक चीज तय कर लीजिये आप, रेवेन्यू चाहिये या कैरेक्टर चाहिये ? जनता की भावनाओं की कद्र करना महत्वपूर्ण है, उसमें से कौनसी चीज अपनानी चाहिये सरकार निर्णय करे। जनता की भावनाओं को सरकार तक पहुंचाना मेरा दायित्व था, मैंने पहुंचाया है। आपने समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भवरसिंह डांगावास।

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त प्रबन्धन के लिये प्लान बनाने के लिये, प्लान का आकार बढ़ाने के लिये मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंहजी को धन्यवाद अर्पित करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट गत वर्ष के बजट से आंकड़ों के आधार पर तीन सौ करोड़ अधिक होना ज्ञात होता है। इस वर्ष का बजट पैंतीस सौ करोड़ का और गत वर्ष का बजट बत्तीस सौ करोड़ का था। लेकिन इस बजट का विवेचन जिस तरह से पूर्व वक्ताओं ने किया है वैसे मैं न करके राजस्थान की जनसंख्या कहां बिखरी हुई है, कहां रहती है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में विभाजित

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

करके इस बजट को उस तरह से बनाया गया या नहीं बनाया गया, इस ओर मैं जा रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, संविधान में ड्यूटीज आफ दी स्टेट्स जो लिखा है, वह स्वास्थ्य और शिक्षा हम पर आती है। प्रत्येक गांव में प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी और प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य दिया जाएगा। अगर हम शिक्षा के गत वर्ष और इस वर्ष के आंकड़े देखें, स्कूलें खोलने के आंकड़े देखें तो गत वर्ष भी पांच सौ प्राइमरी स्कूल खोलने थे और इस वर्ष भी पांच सौ प्राइमरी स्कूल खोलने हैं। इस वर्ष मिडल स्कूल चार सौ खोलने हैं, गत वर्ष छह सौ खोलने थे। शिक्षाकर्मी योजना में इस वर्ष छह सौ रखी हैं, गत वर्ष तीन सौ खोलीं और सरस्वती में इस वर्ष पांच सौ और गतवर्ष एक हजार। सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी में कुछ बढ़ाव आया है। अगर आप कुल योग लगाएं तो एक विधान सभा क्षेत्र को एक सीनियर सैकण्डरी नहीं मिल रहा है, 178 हैं और आधी को माध्यमिक विद्यालय नहीं मिलता। कितना बड़ा क्षेत्र है? शहरों का विकास हुआ, आज तक यूनिवर्सिटीज बनीं, महाविद्यालय बने, तकनीकी महाविद्यालय बने। इस पूरे राजस्थान में राजस्थान की सरकार की तरफ से किसी ग्रामीण क्षेत्र में कोई महाविद्यालय नहीं, किसी ग्राम में नहीं। कस्बों में हमें महाविद्यालय चाहिये तो जो शर्त है राज्य सरकार की वह आपको विदित है, मुझे विदित है। भवन तक जन सहयोग से, तत्पश्चात् तीन वर्ष का खर्चा जन सहयोग से दिया जाए तो कस्बों में मत्र डिस्ट्रीक्ट हैडक्वार्टर्स पर महाविद्यालय होंगे। अब आप सोचिये कि राजस्थान की 80 परसेंट पापूलेशन को आप क्या दे रहे हैं और 20 प्रतिशत को आपने क्या दिया।

स्वास्थ्य के बारे में कहूं तो बिलकुल नाकाफी बजट है। गत वर्ष भी यही रहा, इस वर्ष भी यही है। आप आंकड़े देखिये। गत वर्ष 25 पी. एच. सी. दी थीं, इस वर्ष 15 पी. एच. सी. और 10 सामुदायिक केन्द्र दे देंगे। इतने बड़े राजस्थान के अन्दर 25 पी. एच. सी.? पापूलेशन बढ़ती हुई, खान-पान, रहन-सहन हमारा बिगड़ता हुआ, उससे बीमारियां शरीर में होती हुई, स्वास्थ्य सेवाओं की परम आवश्यकता होते हुए ग्रामीण जनता को शहरों में तो आवागमन के साधन हैं, टैक्सी मिलती है, टैम्पो है, सड़कें हैं पर ग्रामीण क्षेत्र का वृद्ध व्यक्ति बीमार हो जाए तो (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्य बातें करते हैं, आपको भी बाधा होती होगी और मुझे भी बाधा होती है लेकिन मैं उनसे सीधी प्रार्थना नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, देखिये, आज एक बीमार आदमी की काली मिट्टी के गांव से खाट को चार आदमी कंधे पर लेकर अस्पताल पहुंचते हैं तो रास्ते में मौत होती है। बड़ी मुश्किल से वहां पहुंचता है। और शहर में 15 मिनट में किसी हास्पिटल में पहुंच जाएगा। तो ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाने के लिए जितना भी आप धन जुटा सकें, अधिक धन दे सकें तो आप

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

न्याय करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र का भला करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र की आशीष पाएंगे।

शिक्षा के बारे में एक बात बताऊं। एक नयी टेक्निक है जीरो बजट लाने की। यह वित्त प्रबंधकों की है कि घाटा दिखाकर बजट पेश किया जाए और साल के अन्त में कैसे उसको प्लस किया जाए। गत वर्ष के पांच सौ प्राथमिक विद्यालय जो स्वीकृत हुए थे, अब स्वीकृत हुए हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च में, वे भी पांच सौ पूरे नहीं हैं। अब ये कब खुलेंगे, कब खर्चा होगा ? इस तरह से जीरो बजट लाया जाता है। ऐसे कई सुविधाएं रोकी गयी हैं। मैं राज्य सरकार से प्रार्थना करूंगा कि ऐसी योजनाएं बनायी जाएं कि एक अप्रैल से बजट खर्च होना शुरू हो, शिक्षण संस्थाएं एक जुलाई से खुलें, बच्चों को भटकना न पड़े। अगस्त में जाकर स्कूल खुलते हैं, बच्चे दूसरे स्कूल में अपना एडमीशन ले लेते हैं। फिर अपने गांव में जब स्कूल अपग्रेड होते हैं तो भागकर वापस आते हैं। यह व्यवस्था होने से ग्रामीण क्षेत्र का क्या होगा ? जीरो बजट लाने की जो प्रवृत्ति है वह कृपया रोकी जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, किसान का दूसरा सबसे बड़ा आमदनी का सोर्स पशुधन है और इस वर्ष पशुधन में एक भी चिकित्सालय नहीं है। 50 लाख रुपये कहीं दिये हैं। मंत्री महोदय से वार्ता हुई थी। बताया कि गांव वाले मदद करें, हम चिकित्सक दे देंगे। जिस पशुधन से हमारा आधा पेट भरता है, किसान की आधी आर्थिक स्थिति रहती है, उसके स्वास्थ्य पर कोई ध्यान नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पशुधन, इन तीनों मदों में और धन की आवश्यकता है, और मैं मांग करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज आप कृषि को ले लीजिये। कृषि के आंकड़े जानने वाले, या इस बजट को देखकर पढ़ने वाले यह कह रहे थे कि कृषि के लिए बहुत कुछ दिया है। क्या दिया है, यह मैं आपको निवेदन करता हूं। उससे पहले उद्योग के सम्बन्ध में बजट का पृष्ठ 55 क्रमांक 109 पैरा की तीन लाइन पढ़ता हूं।

"औद्योगिक निवेश को बढ़ाने की दृष्टि से अगले वर्ष रीको के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र के विकास एवं रख-रखाव पर दो सौ करोड़ रुपये का विनियोजन किया जाएगा।" यह रीको का विनियोजन, अगर आप आंकड़े उठाएं तो कितनी इनकी फैक्ट्रियां फेल हुईं, कितने इनके ऋण वापस नहीं किये गये। और तो और अखबारों में इनकी फैक्ट्रीज की नीलामी के एडवरटाइजमेंट का खर्चा देखें तो आप अचम्भा करेंगे। हर अखबार में दो-दो, चार-चार पेज लिखे रहते हैं। यह फैक्ट्री फेल हो गयी, हम नीलाम कर रहे हैं। वहां तो दो सौ करोड़ का और विनियोजन है और कृषि में ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। कहावत ही गलत हो गयी है।

एक 'किसान सखा' योजना बनायी। उसके साथ किसान सेवा केन्द्र और नवीन गतिविधियों के विस्तार के लिए 1·5

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

करोड़, समस्याग्रस्त भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए एक करोड़, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को भवन बनाने के लिए 13 करोड़, किस किसान के पास वह भवन पहुंचता है? सबसे ज्यादा जिसमें घपला होता है, किसान को कुछ नहीं मिलता, व्यापारी और सरकारी कर्मचारी खाते हैं, उसमें दिया है-बूंद-बूंद सिंचाई, फव्वारा सिंचाई और भूतल से नीचे पाइप लगाने के लिए 40 करोड़। कुल मिलाकर आप देख लीजिये 45 या 50 करोड़ रुपये।

उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद उद्यमियों की संख्या और हमारी संख्या देख लीजिये। इसमें भी एक ओर चोट किसान के साथ हुई। कृषि आधारित जितने भी उद्योग हैं वे फिर अलग से पिसें। ये उद्योग तो खनिज आधारित हैं या फिर दूसरे उद्योग हैं जिनके लिए बात हो रही है।

मैंने यह बजट बनने से पूर्व हमारे माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय को पत्र लिखकर निवेदन किया था कि किसानों की उपज से जो आप कर लेते है, चाहे वह खरीद कर हो, चाहे बिक्री कर हो, उसको कम किया जाए। मिल की बात पर आ जाऊं, गत वर्ष 2 प्रतिशत परचेज टैक्स व्यापारी पर लगाया। तिलहन पर कोई व्यापारी बगैर पड़ते खाये धंधा नहीं करता। और पड़ता कहां से खाता है? किसान की जेब से एक। वह 2 परसेंट टैक्स अपने दिमाग में रखकर किसान की उपज की बोली लगाएगा तो किसान की उपज 2 परसेंट कम बिकी। उसको इस वर्ष 4 प्रतिशत बढ़ा दिया। इसके अलावा राहत दी। टैक्सों में ट्रैक्टर-ट्राली पर, तो बड़ी खुशी हुई थी। लेकिन पहली बात तो यह है कि कितने किसानों के पास ट्रैक्टर हैं? फिर मान लीजिये हैं भी तो फिर ट्राली के कितने टैक्स लगते हैं सिवाय व्यापारी वर्ग के हिसाब से? जो शहर में ट्रालियां बनाने की फैक्ट्रियां हैं, उन ट्रालियों पर टैक्स का आज तक हिसाब लगा सकते हैं। दूरदराज गांवों में हमारे लुहार ट्रालियां बनाते हैं, हमारे देशी कारीगर ट्रालियां बनाते हैं, कोई टैक्स नहीं देता है। न हमने आज तक दिया। लेकिन ट्रैक्टर पर 4 प्रतिशत आज भी कर है। मैं तो वहम कर रहा हूं कि आपने जो चार पहियों पर टैक्स लगाया है उसमें भी आप कहीं ट्रैक्टर को न घुसेड़ दें और ट्रैक्टर लेने की हमारी क्षमता ही न खतम हो जाए।

दूसरी रियायतें दीं स्प्रिंकलर के औजारों पर। उसमें पाइपों को छोड़कर और लगता ही क्या है? इनकी कीमत वन टैन भी नहीं लगती और उस पर रियायत दी है। ये दो रियायतें दी हैं।

अब मैं निवेदन कर दूं कष्ट कहां-कहां हैं। हमारे ट्रैक्टर में डालने वाला डीजल 16 परसेंट स्प्रिंकलर 6 परसेंट, डीजल इंजन 10 परसेंट। सारे राजस्थान में जहां कुएं खुले व कम गहरे हैं, छोटे किसान अपने इंजन लगाते हैं, उनको 6 परसेंट टैक्स देकर इंजन खरीदना पड़ता है।

(16.23)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन)

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

वाटर पंपिंग सैट जिसके साथ एक पम्प लगता है, उसके ऊपर ढाई परसेंट और बिजली की मोटर पर दस परसेंट। और हमारा पैदा किया हुआ गेहूं बेचें तो चार परसेंट, चना बेचें तो डेढ़ परसेंट, दालें बेचें तो चार परसेंट, रायड़ा बेचें तो चार परसेंट हो गया। मिर्च-मसाले तक को नहीं छोड़ा, छः परसेंट है। ये जितनी भी चीजें हमारे कृषि उत्पादन से होती है, कोई व्यापारी यह टैक्स अपनी जेब से नहीं देता है। किसान की जिस पर टैक्स लगता है और उसी भाव से वह लेता है। इनके टैक्स कम होने चाहिए। किसान को खुशहाल बनाने के लिये जितने भी इनपुट्स व पेस्टीसाइड्स हो जो कि खेती में किसान उपयोग लेता है, जिससे कि पैदावार बढ़ती है, उनके टैक्सेज को कम करने की आवश्यकता है। सभापति महोदया, कई सालों से बावजूद हमारे प्रयत्न के हमारे कृषि उत्पादन के मूल्य हमे प्राइस इनडेक्स क अनुसार नहीं मिले। जबकि किसान हर वस्तु चाहे वह इनपुट्स हों, चाहे वह खाने की दूसरी चीज ही ले लें, नमक तक प्राइस इनडेक्स के अनुसार लेता है। यह बड़ी विडम्बना है। एक चूड़ी बनाने वाला दो आने की चूड़ी बनाता है। वह अपनी कीमत कहता है कि मेरी दो आने की चूड़ी है, लेनी हो तो लो। और किसान अपना ढेर सामने रखता है और अगला कीमत बोलता है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। राज्य सरकार से समर्थन मूल्य की व्यवस्था होनी चाहिये। हमारी कृषि उपज की कीमत ऐसी लगानी चाहिये कि सब तरह से लाभप्रद हो काश्तकार को। उस समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार को खरीदनी चाहिये। तब जाकर किसान का भला होगा। वरना आप किसानों की बात करते रहें कि हम किसानों के हैं, सब हो किसानों के, किसानों के माई-बाप हो लेकिन आप क्या कृत्य करते हो, वह आपको देखना है।

सभापति महोदया, मैं इस आयल मिल वाली बात को लेकर एक बात और बताऊंगा। हमारी ऑयल मिल्स तेल उत्पादन करती हैं, वह यहां टैक्स देकर करती हैं तथा पड़ोसी प्रदेशों मे जहां टैक्स नहीं लगता उनका तेल सस्ता होता है और हमारा तेल महंगा होता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो दो साल में आपको ऑयल मिल बंद होती मिलेंगी। मैं आपको बता देता हूं। सभापति महोदया ने भी यह प्रश्न उठाया था और मैं मानता हूं कि यह बात सत्य है। इस सम्बन्ध में मैंने 10.3 और उसके पूर्व 4-3-97 को यह लिखा था कि इन टैक्सेज के ऊपर गौर किया जाए।

सभापति महोदया, मैं जल की बात पर आऊं। कोई कहते हैं कि हमारे यहां फ्लोराइड युक्त पानी है, कोई कहता है कि हमारे यहां टी. डी. एस. है। राजस्थान की पूरी धरती पर जहां फ्लो वाटर नहीं है वहां सारे ऐरिया में टी. डी. एस. और फ्लोराइड है। मैं हमारे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

मेरी प्रार्थना पर मेड़ता और उसके आस-पास के क्षेत्र को उन्होंने दो योजनाएं स्वीकृत करके पेयजल उपलब्ध कराया। परन्तु मैं दुःख के साथ निवेदन करता हूं कि पूरा नागौर शहर आज टी. पी. एस. फ्लोराइड का पानी पी रहा है। यह आवाज प्रथम अधिवेशन में मैंने उठायी थी, जो पेयजल समिति बनी थी उसका मैं सदस्य था। उस वक्त के अध्यक्ष और वर्तमान के उप मुख्य मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने एक सर्वे टीम स्वीडन से बुलाकर उसका सर्वे कराया। उस टीम ने कहा है कि राजस्थान कैनाल से नागौर जिले के 336 गांवों को पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। उस योजना पर कितना खर्च होगा, यह राज्य सरकार के विचाराधीन है। अभी कहीं आंकड़े देख रहा था, 22 अरब रुपये पानी के लिये बात कही थी। अगर आपके पास धन उपलब्ध हो तो नागौर की जनता को पीने का पानी राजस्थान नहर से उपलब्ध कराने की कृपा करें।

मैं धन्यवाद देता हूं सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय को कि बावजूद कठिनाइयों के इन्होंने यथेष्ट चेष्टा की सड़कें बनाने की। कठिनाई आयी थी बिटूमिन की सप्लाई की, डामर की सप्लाई की, डामर नहीं मिला था। लेकिन जब कल बजट पढ़ा तो रात को मैंने टेलीफोन करके अधिकारियों से पूछा कि हमारे पास सड़कों के रख-रखाव के लिये कितना पैसा है, हमने प्रपोज कितना किया है। उन्होंने कहा कि गत वर्ष से कम है। सड़कें अधिक बन गयीं, मरम्मत राशि कम। यदि चतुर्वेदी जी को उदारता से पैसा मिले, हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्री में कार्य करने की क्षमता है। पैसा नहीं होगा तो निर्माण हो चुकी सड़कें भी टूट जाएंगी। एक थोड़ा-सा निवेदन सड़क नीति में मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय को करूंगा, आपने सड़कें जिलों में बनायीं, गांव जोड़े आबादी के हिसाब से, पंचायत हैडक्वार्टर जोड़े, फिर आप कम आबादी के जोड़ेंगे, लेकिन आपने अन्तर जिले के गांव नहीं जोड़े। दो किलोमीटर नागौर जिले का आखिरी गांव जुड़ गया और दो किलोमीटर दूर जोधपुर जिले का आखिरी गांव जुड़ गया है, लेकिन चार किलोमीटर के कारण नागौर और जोधपुर के गांव नहीं जुड़े। इसका विशेष प्रावधान रखें। ज्यादा फासला नहीं हैं, चार-चार, पांच-पांच किलोमीटर का फासला है। उससे क्या होगा कि हमारे रास्ते छोटे बन जाएंगे। घूमकर नहीं आना पड़ेगा और आवागमन के साधन बढ़ेंगे। रिश्ते-रिवाज में आराम से आएंगे, भाईचारे में आराम होगा। इस नीति में थोड़ा-सा इतना संशोधन कर दें, यह मेरी प्रार्थना है।

विद्युत के लिये मुझे विश्वास है मैं घोषणा में विश्वास नहीं करता, मेरा मंत्री में विश्वास है, मेरा सरकार में विश्वास है। मैं ऐसी बात नहीं करता। विद्युत पर जो मैंने उस दिन चर्चा पर बातें कहीं, उनको मैं दोहराऊंगा नहीं और राज्य

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

सरकार को धन्यवाद दूंगा, खासकर ऊर्जा मंत्री जी को कि उन्होंने मेरी सारी बातें मानीं। इतना ही विद्युत के लिये कहूंगा।

उद्योग मंत्री जी विराजमान नहीं हैं, जो हमारे उप मुख्य मंत्री हैं, कृषि को भी उद्योगों में लाया जा रहा है। दो योजनाएं बनीं, राजस्थान सरकार की। माननीय सदस्यों के सुनने की बात है। कैसी योजनाएं बनीं? कम्पनियां रजिस्टर्ड हों, 15 हजार एकड़ जमीन उन कम्पनियों को रीको के माध्यम से मिलेगी। उन कम्पनियों को ऋण के रूप में रीको धन उपलब्ध कराएगा और वे कम्पनियां खेती करेंगी, वहीं उद्योग लगाएंगी। इसको मैं पुन: दोहराऊंगा, माननीय सभापति महोदया कि खेती को भी उद्योगों में ले जाया जा रहा है। कम्पनियां बनेंगी, 15 हजार एकड़ सिंचित जमीन इन्दरा गांधी नहर के ऊपर उन कम्पनियों को आवंटित की जाएगी।

एक माननीय सदस्य : कह दीजिये कि वहां फसल नहीं होगी।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : यह गलत है। कम्पनियों का एरिया दूर-दूर तक नहीं है।

श्री भंवरसिंह डांगावास : मैं अभी बात बताता हूं। मैं इसके बाद यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां कौन-सा उत्पादन होगा और कौन-सा प्रोड्यूस आप लेंगे। आगे यह लिखा है कि वे वहां उत्पादन करेंगे, उसी प्रोड्यूस का और उत्पादन के लिए रीको पैसा देगा। अगर नहीं है और मेरे सवाल का जवाब आ जाता तो मैं संतुष्ट हो जाता।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं इस बारे में आपको समझा देता हूं।

श्री भंवरसिंह डांगावास : मैं बाद में समझ लूंगा आपसे, हाउस में क्या समझूंगा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : एग्रो बेस इण्डस्ट्री लगेगी उसके साथ में।

श्री भंवरसिंह डांगावास : हां, एग्रो बेस इण्डस्ट्री लगेगी। यह दूसरा है, यह मेरे पास है। मैं आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं। यह दूसरा है, आप सुनिये, आपको ध्यान नहीं है। यह दूसरा है, यह और बताऊं आपको। इसका नाम है ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज। यह दूसरा है, आप जो कह रहे हो और यह मेरे पास दूसरा है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : एग्रो बेस है।

श्री भंवरसिंह डांगावास : नहीं, साहब, वह अलग है। काम्पेक्ट फार्मिंग वर्ड है। मेरे पास दोनों कापियां हैं, आपको दिखा दूंगा। ये मेरे दोनों अलग अलग प्रश्न थे, यह आप चिन्ता नहीं करें। आज राजस्थान में पानी की कमी और सबसे ज्यादा पानी को पीने वाला दरख्त लगाकर ग्रेसिम

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

इण्डस्ट्री लगेगी। वैसे ही पानी कम है, पीने के पानी की कमी आ रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा उप मुख्य मंत्री महोदय को कि इन दोनों योजनाओं को रोका जाए। ये दोनों ही किसान विरोधी योजनाएं हैं। (व्यवधान) मैं समझा या नहीं समझा, आप समझा देना, मैं तो समझता हूं काफी।

अंत में, मैं जब इस विधान सभा में आया था मैंने नागौर के बारे में एक बात कही थी कि सांभर से शुरू होता है और खींवसर से आगे जाकर नागड़ी पर यह जिला समाप्त होता है। जसनगर से शुरू होता है और नोखा मण्डी के पास जाकर खत्म होता है नागौर जिला। उस जिले के लिए यहां विचार नहीं हो रहा है। उसके दो टुकड़े करके एक मेड़ता और एक नागौर बनाया जाए।

एक माननीय सदस्य : जोर से मांग की जाए।

श्री भंवरसिंह डांगावास : मैं आपसे पुरजोर मांग कर रहा हूं और तीन साल से कर रहा हूं।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : उप मुख्य मंत्रीजी नागौर के हैं।

श्री भंवरसिंह डांगावास : इनका आशीर्वाद है, आप चिन्ता नहीं करें, ऐसी बात नहीं करें। मैं एक ही निवेदन करूंगा कि मैं मेड़ता के टुकड़े नहीं होने देना चाहता।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : नागौर के लिए यह जो लम्बा बता रहे हैं, इस तरह से करेंगे तो मेड़ता और नागौर के बीच और लम्बा हो जाएगा।

श्री भंवरसिंह डांगावास : यह समायोजन हो सकता है, आप बैठ कर नक्शा देख लें। वरना ब्यावर में हमें डाल दें या कहीं आप ले जाकर बीकानेर के किसी खण्ड में डाल देंगे तो यह बर्दाश्त नहीं होगा। मैं आशीर्वाद चाहूंगा, सभापति महोदया, कुछ पीड़ाएं हैं किसानों के सम्बन्ध की हैं, हमारे बच्चों के सम्बन्ध की हैं, हमारे गांवों के सम्बन्ध की हैं, हमारे स्वास्थ्य सम्बन्धी हैं। वे पीड़ाएं अगर हम हमारे दिल से बाहर निकाल नहीं सके तो रात को हमें नींद नहीं आती है। मैं आराम से सोऊंगा। धन्यवाद आपको।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का तेईसवां प्रतिवेदन

श्री सभापति : सरकारी मुख्य सचेतक श्री महावीर प्रसाद जैन, कार्य सलाहकार समिति के 23वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे। वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 23वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सभापति महोदया, मैं कार्य सलाहकार समिति के 23वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। कार्य सलाहकार समिति का 23वां प्रतिवेदन।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक मान-

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

नीय अध्यक्ष के वेश्म में आज दिनांक 14 मार्च, 1997 को मध्याह्न पश्चात 3:00 बजे हुई। समिति दिनांक 17 मार्च, 1997 से दिनांक 21 मार्च, 1997 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य के बारे में विचार-विमर्श कर सिफारिश करती है कि समय का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए:—

सोमवार, 17 मार्च, 1997	(1) आय-व्ययक, 1997-98 पर सामान्य वाद-विवाद और राज्य सरकार का उत्तर।
	(2) आय-व्ययक 1997-98 से सम्बन्धित अनुदान की मांगों पर विचार एवं पारण।
मंगलवार, 18 मार्च, 1997	आय-व्ययक 1997-98 से सम्बन्धित अनुदान की मांगों पर विचार एवं पारण।
बुधवार, 19 मार्च, 1997	आय-व्ययक 1997-98 से सम्बन्धित अनुदान की मांगों पर विचार एवं पारण।

नोट:-आय-व्ययक 1997-98 से सम्बन्धित अनुदान की शेष मांगें मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर दिनांक 19 मार्च, 1997 को सदन द्वारा पारित की जाएंगी।

गुरुवार, 20 मार्च, 1997	राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक पर विचार एवं पारण,
शुक्रवार, 21 मार्च, 1997	राजस्थान वित्त विधेयक, 1997 पर विचार एवं पारण।

माननीय सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 23वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 23 वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रकट की गयी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : सदन का समय एक घंटे बढ़ाये जाने की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

श्रीमती मीना अग्रवाल।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर): सभापतिजी, इस साल का बजट पिछले साल के बजट जैसा ही बहुत ही सुन्दर है। दसवीं विधान सभा में महिलाओं के लिए ध्यान रखा और महिलाओं के लिए भाजपा की सरकार ने सोचा, वह हिन्दुस्तान में एक उदाहरण के रूप में बना रहेगा, हमारे इतिहास में नाम रहेगा। 1994 में इसी विधान सभा में महिलाओं को आरक्षण नगरपालिका पंचायत में मिला। चालीस हजार के करीब महिलाएं इन नगरपालिका पंचायतों में हैं। इसके अलावा बच्ची या बच्चियों को निःशुल्क पुस्तकें भी स्कूलों के अन्दर दी गयीं। 1995 में हमारे यहां महिलाओं की सोनोग्राफी, जो टैस्ट करवाती हैं कि लड़का है या लड़की है, भ्रूण हत्या जो होती है, उसको रोकने के लिए कानून बनाया। 1996 में महिलाओं को राज्य सेवा में भागीदार बनाने के लिए 10 परसेंट पुलिस में और 20 परसेंट राज्य सेवा में हिस्सा दिया और 1997 में महिलाओं के लिए जयपुर में रोजगार कार्यालय खोलना है, ऐसा उन्होंने प्रावधान रखा है। इसके अलावा परिवार में कोई भी कमाने वाली विडो हो उसकी बच्ची को जैसा कि आप भी बोल चुकी हैं, शादी में तीन हजार रुपये देने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा हमारे यहां इसी बजट में 10वीं कक्षा में पास होने पर 75 परसेंट से ज्यादा अंक आने पर इसी साल में एक हजार रुपया बच्चियों को दिया जाएगा। विकलांगों के लिए कहीं 75 प्रतिशत किराया कम किया है, कहीं पूरी छूट है मानसिक वालों को, कहीं 50 प्रतिशत है। यह भी बहुत अच्छा विकलांगों के बारे में सोचा, इसके लिए मैं सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

मैं एक बात लाटरी के बारे में कहना चाहती हूं। पहले भी हमारी इसी विधान सभा में हुआ था कि लाटरी बंद हुई थी और अभी भी उन्होंने लाटरी के लिए रखा है कि अन्य राज्यों की लाटरी यहां नहीं बिकेगी। यह बहुत अच्छा सुधार उन्होंने रखा है, इसके लिए धन्यवाद।

इस विधान सभा में पिछली बार हनुमानगढ़ को जिला बनाया और इस बार करौली को जिला बनाया, इसके लिए सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

(श्रीमती मीना अग्रवाल)

जनजाति के छात्रावासों में 14 नये आश्रम बनाये जा रहे हैं जिनमें 10वीं और 12वीं क्लास की छात्राएं रहेंगी। वहां की छात्राओं को पोशाक, पुस्तकें, स्टेशनरी सामान मिलेगा, यह बहुत ही सुन्दर प्रावधान रखा है, इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद सरकार को दूंगी।

सरकार ने किसानों की बिजली के लिए बहुत सुन्दर प्रावधान रखे हैं, पड़ोसी राज्यों से महंगी बिजली लेकर किसानों को दी है। किसानों को औजार के लिए भी प्रावधान रखा है।

व्यापारियों के लिए इस बजट में कई कर माफ किये हैं, कइयों को कम किया है, यह भी जनता के लिए बहुत राहत है। मगर अभी हमारे मुख्य मंत्रीजी अलवर गये थे, कुछ शिष्टमण्डलों ने इनके सामने बिजली की समस्या रखी। वहां की सबसे बड़ी समस्या ट्रांसपोर्ट की है, जो ट्रक माल ले जाते हैं उनका अलवर में भाड़ा ज्यादा है। उसके बारे में मैं उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करूंगी, जिसे सोचें। अलवर में काफी फैक्ट्रीज पहले से ही बंद हैं, उन बीमार फैक्ट्रीज के बारे में भी सोचें कि वे क्यों बंद हुई, क्या सहयोग से उन्हें चलाया जा सकता है। ज्यादातर फैक्ट्रीज बाहर के लोगों ने यहां आकर खोली हैं, अब वे फैक्ट्री वाले बाहर के लोग वापस चले जाएं, इससे मुझे वेदना होती है क्योंकि बेरोजगारी भी बढ़ रही है, इसलिए मैं इनसे निवेदन करना चाहती हूं।

नयी स्कूलें खोलने के लिए और क्रमोन्नत करने के लिए इन्होंने बजट में जो प्रावधान रखा है, यह तो बहुत ही अच्छा है। मगर देखने में मौजूदा स्थिति यह आती है कि छात्राएं तो ज्यादा है, टीचर कम हैं। कहीं टीचर ज्यादा हैं तो छात्राएं कम हैं। तो यह बैलेंस होना चाहिए कि 40 छात्राओं पर एक टीचर होगा। देखा गया है कि शहर के अंदर 70 प्रतिशत के टीचर ही लगेंगे या उससे ऊपर अंक वाले लगेंगे मगर अलवर जो शहर नहीं महा शहर माना जाता है वहां 70 प्रतिशत से नीचे के भी टीचर लगे हुए हैं। आखिर में वे टीचर बच्चों के भविष्य का निर्माण करते हैं, तो मैं यह निवेदन करूंगी, शिक्षा मंत्रीजी तो हैं नहीं, लेकिन इस बात की नीति पर वे ध्यान दें। गुलाबचंदजी कटारिया यहां हैं नहीं फिर भी मैं कहना चाहूंगी उनको बहुत-बहुत धन्यवाद कि अलवर में जो स्कूलें पेड़ों के नीचे लग रही है, कई स्कूलों में शौचालय नहीं हैं, उनके लिए इन्होंने दो बार जिला कलेक्टर को लिखा। पर कलेक्टर साहब ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की। मैं उप मुख्य मंत्रीजी से यह कहती हूं कि वे ध्यान दें कि वहां का कलेक्टर क्यों नहीं सुन रहा है। मंत्री की बात नहीं सुन रहा है तो जनता की बात को कलेक्टर साहब कब सुनेंगे? इस तरह के लेटर का जवाब वे क्यों नहीं दे रहे है? मेरा इनसे निवेदन है कि वे गहराई से इस पर ध्यान दें।

इसके अलावा हमारे यहां कम्प्यूटर शिक्षा चालू की गयी, स्कूलों के अंदर सिलाई भी चालू है, ड्राइंग भी चालू है, ये

(श्रीमती मीना अग्रवाल)

टेम्परेरी पोस्ट्स है, हर साल बदली जाती हैं। किस नीति पर वे लगते हैं? किस आधार पर वे लगते हैं? वह नीति सामने नहीं है जिसके आधार पर वहां टीचर लगते हैं। इससे वहां की पब्लिक में रोष पैदा हो गया है, हमें बताया जाए कि किस नीति पर वे लगते हैं।

शिक्षा के नाम पर स्कूलों में फीस ली जाती है, विकास के नाम पर ली जाती है, भामाशाह योजना भी है, पर इस पैसे का कहीं पता नहीं है। मैं तो माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह कहती हूं कि वह राशि सरकार में जमा हो, जिससे उस पैसे का सदुपयोग हो।

एक बात और कहूंगी, उच्च शिक्षा मंत्रीजी यहां नहीं है, महिला कॉलेज के बारे में। बजट में महिला कॉलेज खोलने का दो साल से बराबर चला आ रहा है, कहीं खोले भी होंगे, कहीं नहीं भी खोले, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए कॉलेज खोलें।

हमारे सामने समस्या है कि जो हायर सैकण्डरी, या सैकण्डरी कर लेते हैं वे बच्चे इंजीनियरिंग, सी. ए., एलएल. बी., डाक्टर, पी. एम. टी. देकर एडमीशन ले लेते हैं और उस लाइन में चले जाते हैं। उसके बाद कुछ बच्चे बचते हैं तो वे बी. ए. में जाते हैं। बी. ए. से हमको यह फायदा है कि बैंक काम्पीटीशन, आर. ए. एस., बी. एड वगैरह वे कर लेते हैं। पर सवाल एम. ए. का आता है। कुछ छात्रों का कहना है कि एम. ए. या पोस्ट ग्रेजुएशन करके हम लेक्चरर ही बन सकते हैं या अन्य कोई खोज में चले जाएं, विज्ञान में पी. एच. डी. कर लें। मगर बाकी के छात्र जो लेक्चरर नहीं बनना चाहते हैं या पी. एच. डी. नहीं करना चाहते हैं वे कहते हैं कि यह पैसे की भी बरबादी है और समय की भी बरबादी है। तो क्यों नहीं उनसे नयी खोजें की जाएं जो आज की डिमाण्ड है, पर्यावरण की है, खनिज की है या इसी तरह की और है, कम्प्यूटर इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह खोलें, अपनी यह राशि वहां खर्च की जाए, यह मेरा उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है।

उच्च शिक्षा मंत्रीजी से ही एक सवाल और है, वे सार्वजनिक निर्माण मंत्री भी हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि सड़कों की हालत इतनी खराब है कि यह लगता ही नहीं कि यह सड़क कभी बनी थी। मैं आपको यह बताना चाह रही हूं कि वहां गांव से ज्यादा सड़कों की हालत खराब है जबकि अलवर शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में है। वहां कई एजेंसीज है—नगर परिषद है, यू. आई. टी है, पी. डब्ल्यू. डी, मगर वहां की सड़कों में गड्ढे इतने बड़े-बड़े हैं कि कोई आदमी गिरता है तो किसी के तो टांकें आएंगे चोट लगकर, किसी की हड्डी टूटेगी। यहां तक है कि अर्थी ले जाने वाले भी गिरते हैं। अर्थी पर जो लाश है उसको क्या मालूम कि दोबारा गिरूंगा धरती पर, वह भी धरती पर गिर जाता है उनके साथ, यह हालत वहां की सड़कों की है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महो-

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

दया, मैं चाहूंगा, क्योंकि वहां कई एजेन्सीज हैं, पी. डब्ल्यू. डी. की हो तो मुझे लिखकर दे दें, सात दिन में ही ठीक हो जाएगी, यह मेरी गारंटी है।

श्रीमती मीना अग्रवाल : धन्यवाद, मैं यही उम्मीद करती हूं। अब मेरे पास में सड़क के बारे में ज्यादा बोलने की बात ही समाप्त हो गयी।

श्री सभापति : आप भाग्यशाली हो, आपकी बात सुनकर उच्च शिक्षा मंत्री आ गये। आप बहुत भाग्यशाली हैं।

श्रीमती मीना अग्रवाल : महिलाओं की विधान सभा है, साहब। महिलाओं के लिए दूध की नदियां बहा रहे हैं हमारे मंत्रीजी, इसलिए महिलाओं के लिए तो आएंगे।

अब मैं आपको एक मंत्रीजी की कमी और बताती हूं। हमारे भंवरलालजी यहां नही हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (शिक्षा मंत्री) : उनसे भी यही करवा लेना।

श्रीमती मीना अग्रवाल : मैं भंवरलाल जी, मंत्रीजी को यह धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने अलवर में पानी की व्यवस्था के लिए साढ़े चौबीस करोड़ रुपये दिये हैं। मगर इतना रुपया देने के बाद भी वहां कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था के लिये अब सर्दी में भी प्रदर्शन किया जा रहा है, घेराव किया जा रहा है। यह अखबार की कटिंग मैं आपको दिखाना चाहती हूं, अभी 8-10 दिन पहले ही हुआ है। वहां की व्यवस्था कर्मचारियों-अधिकारियों के जरिये करवाएं, मैं ऐसी आशा करती हूं।....(व्यवधान)..... एस. ई. भी है, साहब। जबकि पहले अलवर में यह शिकायत थी कि भरतपुर में एस. ई. बैठता है, सारे आर्डर हमको एस. ई. से लेने पड़ते हैं, एक्स. ईएन. साहब बहाना लगाते थे। मगर हमारी दसवीं विधान सभा बनते ही वहां एस. ई. भी बैठा दिया। न जाने क्या हालत होगी गांव की क्योंकि शहर में ही यह हालत है, जहां सारे अफसर बैठते हैं।

आपको एक बात और कहना चाह रही हूं कि हमारी सरकार ने सबसे बड़ी सफलता विकास के बारे में प्राप्त की है। हमारा राज्य दसवें नम्बर पर था वह चौथे नम्बर पर आया है, इसके लिए मैं सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। हृदय से मैं चाहती हूं कि भाजपा की सरकार और उसके मुख्य मंत्री भैरोंसिंह शेखावत बने रहें और उनका स्वास्थ्य ठीक रहे।

चिकित्सा विभाग के मंत्रीजी यहां बैठे हैं, मैं इनको धन्यवाद देती हूं कि ये यहां बैठे हैं। इसी तरह मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगी कि हमारे गृह मंत्रीजी आफिस में भी बैठे रहते हैं और यहां भी बैठे रहते हैं मगर ये महिला विरोधी हैं, महिलाओं का थाना नहीं खोलते.... (व्यवधान).... बहन तो हूं।

श्री सभापति : आपने क्या कहा ? महिला विरोधी हैं कि नहीं हैं ?

श्रीमती मीना अग्रवाल : सभापति महोदया, पंचायत समिति में इस बजट में क्षय रोग और मोतियाबिंद के बारे में आपरेशन और खोज के लिए प्रावधान रखा है, इससे गांव वालों और बड़ी उम्र वालों को बहुत लाभ मिलेगा। मगर सरकार ने जो 15 शहरी तथा 15 ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रावधान किया है वह मेरे हिसाब से बहुत कम है तथा इनका बजट भी कम है। सभापति महोदया, मैं चाहती हूं कि अलवर की डिस्पेंसरी को क्रमोन्नत कर दें। लेकिन जब इनको बजट ही नहीं मिलेगा तो कहां से करेंगे ? मैं उप मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि स्वास्थ्य के लिए ज्यादा से ज्यादा बजट दें। इसके साथ-साथ आप हास्पिटल्स के लिए एक नीति भी बनाएं। हमारे पड़ौसी राज्य में भी ऐसी एक नीति है। आज गांवों में डाक्टर्स व स्टाफ जाना ही नहीं चाहते। चाहे वह शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो या और कोई विभाग हो, स्टाफ गांवों में जाना ही नहीं चाहता। गांवों में रोगियों के लिए अस्पताल खोल रहे हैं, लेकिन डाक्टर व स्टाफ जाना ही नहीं चाहता है।

हमारे पड़ौसी राज्य यू.पी. में यह नीति है कि नया डाक्टर सबसे पहले हिल स्टेशन पर लगेगा, फिर उसके बाद वह ढाणी में आएगा और उसके बाद मैदानी क्षेत्र में आएगा। कानपुर व लखनऊ का तो नाम ही मत लो, वहां बड़े-बड़े जिले हैं, जिला व तहसील मुख्यालय पर भी उनको नहीं लगाया जाता। आप इस तरह की नीति बनाइए कि इतने साल तक उनको वहां रहना होगा। अगर उनको सर्विस करनी होगी तो उस नीति के आधार पर रहना होगा। मेरे से ज्यादा मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी जानते हैं इसलिए मेरा यह सुझाव है कि ऐसा करना चाहिए।

मैं अलवर हास्पिटल के बारे में निवेदन करना चाहती हूं। अलवर हास्पिटल में जो ई.सी.जी. की मशीन है वह बराबर खराब कर देते हैं या हो जाती है। जब वह मशीन जयपुर की कंपनी को ठीक करने के लिए आई तो उसने लिखकर दिया यह जाहिर होता है कि 'यह मशीन मिस-हैंडल की जाती है।' यह जबाव मेरे पास है, मगर वहां उस बात की कोई परवाह नहीं कर रहे हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि राजस्थान में जब-जब भैरोंसिंह जी मुख्य मंत्री बनते हैं तब-तब बारिश बहुत होती है। उस बारिश के कारण अलवर में बाढ़ भी आ गई और उसके कारण मलेरिया भी फैल गया। मलेरिया होने पर खून टैस्ट करते हैं कि मलेरिया है या नहीं है और खून टैस्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टैक्निकल स्टाफ चाहिए। अलवर में 5-6 डिपार्टमेंट हैं, मलेरिया डिपार्टमेंट, जनरल हास्पिटल, महिला अस्पताल, टी. बी. हास्पिटल, डिस्पेंसरी, लेकिन सी.एम. एच.ओ. ने लिखकर दे दिया है कि मेरे पास कोई टैक्नीशियन नहीं है। यह लेटर में लिखा है जो मेरे पास है। कैसे हास्पिटल की व्यवस्था सुधरेगी ? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि हास्पिटल की तरफ भी आप ध्यान दें।

(श्रीमती मीना अग्रवाल)

एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगी । अलवर में जो हास्पिटल है उसमें वाटर वर्क्स के जरिए पानी की एक टंकी बनी हुई है जो 1995 में हम लोगों ने बनवाई है । उस टंकी का पानी महिला अस्पताल में सप्लाई नहीं हो रहा है । महिला अस्पताल की इंचार्ज ने लिखकर दे दिया है कि वाटर वर्क्स के एक्स ईएन. पानी दें, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है ।

इसके अलावा 2-7-96 को जिला कलक्टर ने हमारे निदेशक गर्ग साहब को लिखकर दिया कि हास्पिटल में पैसे की कमी है । हास्पिटल के चारों तरफ सड़क है, उस सड़क से लगी हुई जमीन को सेल करने के लिए एक योजना भी चली थी । उस योजना के आधार पर उन्होंने लिखा कि वहां नर्सिग स्टाफ के क्वार्टर्स बन सकें, डाक्टर्स के क्वार्टर्स बन सकें । महिला डाक्टर हास्पिटल से बाहर रहती हैं, नर्सिग स्टाफ इमरजेंसी में कैसे आए ? उसके बारे में मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वे इसको गहराई से लें ।

इसके अलावा हास्पिटल की एक बात और कहना चाहूंगी । अभी गत जनवरी महीने में दूरबीन के जरिये नसबंदी हुई । नसबंदी में इतनी लापरवाही हुई कि एक महिला मीनादेवी की डैथ हो गई । इससे वहां की महिलाओं में घबराहट हो गई कि नसबंदी करवाए या नहीं करवाए ? अगर दूरबीन नसबंदी से महिलाओं की डैथ होगी तो राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कैसे चलेगा ? आप इसकी जांच कराइए कि किस डाक्टर ने लापरवाही की है जिसके कारण से यह हुआ है । इसका वहां काफी विरोध हो रहा है ।

सभापति महोदया, बजट में दवाइयों पर जो टैक्स लगाया गया है उसके बारे में निवेदन करना चाहती हूं कि उस टैक्स को माफ कर दें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आज बच्चा पैदा होते ही दवाई लेता है । उसको पीने के लिए नकली दूध मिलता है जो केमिकल से बना होता है, मिलावट के खाद्य पदार्थ मिलते हैं । तो किसी उम्र में भी किसी का शरीर ठीक हो मैं नहीं मानती दवाई हर वर्ग को हर उम्र में लेनी पड़ती है, इसलिए दवाई पर टैक्स के बारे में दुबारा से सोचें और इस पर टैक्स नहीं लगाएं ।

दूसरा, आपने चाय पर जो टैक्स लगाया है उसके लिए भी मैं चाहूंगी कि चाय पर टैक्स बहुत कम मात्रा में लगाएं; क्योंकि आज चाय पीने और पिलाने के अलावा कुछ नहीं है । इसलिए उस पर लगाए गए टैक्स के बारे में भी आप सोचें ।

मैं हमारे गृह मंत्री जी से फिर मांग कर रही हूं कि अलवर में महिला थाना खोलें, जिससे अलवर की उन्नति बढ़े और महिला क्राइम कम हों । आखिर में मैं गृह मंत्री जी से यह उम्मीद करती हूं कि शराब बिलकुल बंद कर दें । चाय पर टैक्स लगाने की बजाय आप सिगरेट पर टैक्स लगाएं सिगरेट पर टैक्स बढ़ाएं । आप पुलिस

(श्रीमती मीना अग्रवाल)

थानों को सख्त आर्डर दें कि नियम विरूद्ध जो शराब की दुकानें खुली हुई है उनको हटा दें। मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि शराब बिलकुल बंद करनी चाहिए। महिलाओं के लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं तो महिलाओं के लिए इतना और कीजिए तथा शराब बंद कराइए। आपने बोलने के लिए मौका दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री कन्हैयालाल पाटीदार।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) : माननीय सभापति महोदया, 1997-98 का जो बजट सदन में पेश किया गया, जनहित वाला जो बजट माननीय मामड़ा साहब ने वित्त मंत्री के रूप में पेश किया, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय और मामड़ा साहब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बजट में समाज के सभी तबकों के हितों का ध्यान रखा गया है तथा सभी वर्गों के हितों का इस बजट में समावेश है।

माननीय सभापति महोदया, मनुष्य के जीवन में शिक्षा का विशेष महत्व है। बिना शिक्षा के मनुष्य का जीवन अधूरा है। यहां तक कि हमारे शास्त्रों में तो शिक्षाविहीन जन को पशुवत माना है। हमारी सरकार पिछले तीन वर्षों से लगातार शिक्षा के ऊपर अपने बजट की सर्वाधिक राशि खर्च कर रही है। इस वर्ष भी हमारी सरकार ने प्रदेश में 500 प्राथमिक विद्यालय, 400 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 178 सैकण्डरी स्कूल, और 100 सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल दिये हैं। इससे निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश उन्नति करेगा।

अब मैं अपने क्षेत्र के बारे में थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा। मेरे पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में सुमेल पंचायत समिति मुख्यालय है, जिसकी आबादी लगभग 14-15 हजार है। यह बहुत बड़ा कस्बा है, लेकिन यहां केवल कन्याओं का सैकण्डरी स्कूल ही है। पिछले दो वर्षों से मैं लगातार मांग करता आ रहा हूं कि हमारे पंचायत समिति मुख्यालय पर एक सीनियर कन्या स्कूल की स्वीकृति प्रदान करें, क्योंकि महिला शिक्षा को बढ़ावा देना भी हमारी सरकार का उद्देश्य है। इसके साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन पंचायत मुख्यालय शेष हैं जिनमें उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं खुल पाये हैं शेरपुरा, सरखड़ी और गोविन्दपुरा। पंचायती राज मंत्री महोदय से भी मेरा अनुरोध है कि इस वर्ष मुझे दो प्राइमरी स्कूल दिये हैं, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की दृष्टि से कन्या शालाएं मांग रहा हूं। दो कन्या शालाएं इस वर्ष दी हैं लेकिन दो कन्या शालाएं और हों। हमारे कोलिया, गूजड़ूक और कड़ोदिया बहुत बड़ी बस्ती है, वहां स्वीकृति प्रदान करें। साथ ही एक सैकण्डरी स्कूल कड़ोदिया पंचायत में मांगना चाहता हूं जिसके आस-पास 15-15 किलोमीटर तक कोई सैकण्डरी विद्यालय नहीं है और यह कड़ोदिया अपने आप में बहुत बड़ा गांव है।

(17.00)

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

माननीय सभापति महोदया, इसी तरह से मेरे पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र से विद्युत के सम्बन्ध में निरन्तर यह मांग चली आ रही है कि हेमाडा ग्राम में एक 132 के. वी. जी. एस. एस. की स्वीकृति प्रदान की जाए। मेरे पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र के लगभग 50-60 गांवों को मध्य प्रदेश से बिजली मिलती है और वे 50-60 गांव मध्य प्रदेश की दया पर निर्भर करते हैं। किसानों को सीजन के समय बिलकुल वोल्टेज नहीं मिलते, उनकी आये दिन मोटरें जलती रहती है। मैं माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि इस क्षेत्र को एक 132 के.वी., जी. एस. एस. प्रदान करें ताकि क्षेत्र के सभी गांवों को नियमित रूप से बिजली प्राप्त हो सके। साथ ही पिड़ावा में एक सब डिवीजन प्रपोज्ड है। पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र काफी लम्बा-चौड़ा क्षेत्र है जिसमें मात्र एक सब डिवीजन कार्यरत है। वह सब डिवीजन सम्पूर्ण क्षेत्र को वाच नहीं कर सकता ऐसी स्थिति में पिड़ावा में एक ए. ईएन. का आफिस होना अति आवश्यक है। दो 33 के. वी. जी. एस. एस. का काम सामान के अभाव में, मस्टररोल के अभाव में अधूरा पड़ा है। माननीय ऊर्जा मंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इन दो जी. एस. एस. के लिए शीघ्र ही पर्याप्त सामान की व्यवस्था करायी जाए ताकि ये दो सब स्टेशन चालू होने पर मेरे क्षेत्र के किसानों को काफी राहत महसूस हो सके।

मैंने विद्युत के ऊपर चर्चा की थी उस रोज भी माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय से अनुरोध किया था, आज भी अनुरोध कर रहा हूं कि किसानों के हित में टेम्परेरी कनेक्शन जारी किये जाएं। वैसे भी किसान बिजली तो ले ही रहे हैं और उनको चोरों के नाम से दंडित भी किया जाता है, तो क्यों नहीं हम उनको टेम्परेरी कनेक्शन दें और उसके बदले बिजली बोर्ड रेवेन्यू प्राप्त करे ?

माननीय सभापति महोदया, कृषि के क्षेत्र में इस बजट में काफी प्रावधान हैं। इस बार फव्वारा सिंचाई योजना के लक्ष्य बढ़ाये गये हैं लेकिन पिछले वर्ष और उससे पिछले वर्ष हमारे झालावाड़ जिले में फव्वारा सिंचाई योजना के लिए, ड्रिप सिंचाई योजना के लिए बहुत ही कम लक्ष्य थे अन्य जिलों की अपेक्षा। मैंने माननीय मंत्री महोदय से भी अनुरोध किया था, डायरेक्टर साहब से भी मिला हूं कि किसानों की इस पद्धति के बारे में ज्यादा डिमाण्ड है। डायरेक्टर साहब का कहना है कि पिछले साल जो हमने फव्वारा सिंचाई योजना के तहत स्कीम स्वीकृत की उसका पैसा भी हमें अभी तक केन्द्र सरकार से नहीं मिला है इसलिए नये लक्ष्य अधिक बढ़ाएं, इसमें हम सक्षम नहीं हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जो पैसा केन्द्र सरकार में रूका हुआ है उस पैसे को शीघ्र मंगवाकर उन स्कीम्स में दिया जाए और इस वर्ष के लिए पर्याप्त मात्रा में फव्वारा सिंचाई के लक्ष्य हमारे झालावाड़ जिले को भी आवंटित किये जाएं।

माननीय सभापति महोदया, सहकारी समितियां किसानों की हितकर संस्थाएं हैं। किसानों को खाद, बीज एवं ऋण इन्हीं के

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

माध्यम से मिलता है। निश्चित रूप से सहकारी समितियां किसानों में काफी लोकप्रिय हुई हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से एवं सहकारिता मंत्री महोदय से अनुरोध है कि एक पंचायत में एक सहकारी समिति दें ताकि किसान इन समितियों का ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। वर्तमान में 3-3 पंचायतें एक-एक सहकारी समिति में हैं और कर्मचारी बहुत कम मात्रा में हैं। ऐसी अवस्था में सारे किसान इन सहकारी समितियों को पूरा लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस वर्ष प्रामाणिक बीज की काफी कमी आयी है, खाद भी समय पर नहीं मिल पाया जिससे किसानों की फसलें काफी प्रभावित हुई हैं। मेरा माननीय सहकारिता मंत्री महोदय से अनुरोध है कि सहकारी समितियों को निर्देश दें कि समय पर प्रामाणिक बीज मंगवाएं। बुवाई के समय से 15 दिन पहले बीज एवं खाद सहकारी समितियों में उपलब्ध हो जाए ताकि किसान समय पर अपने बीज एवं खाद प्राप्त कर सकें और अपनी खेती में उपयोग कर सकें।

माननीय सभापति महोदया, मेरे पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में सरकार ने चंवली बांध स्वीकृत किया उसके लिए मैं सरकार का अत्यन्त आभारी हूं। इस बांध में एक परेशानी आ रही है कि किसानों को जमीन का उचित मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है। वहां पर एक सड़क का निर्माण हो रहा है, उसमें आने वाली जमीन का भी मुआवजा अभी तक नहीं चुकाया गया है। इसकी वजह से किसानों ने इस बांध के निर्माण को रोक रखा है। मेरा सिंचाई मंत्री महोदय से अनुरोध है कि मुआवजे का लफड़ा शीघ्र निपटाया जाकर किसानों को मुआवजा दिलाया जाए और इस बांध का निर्माण कार्य सुचारु रूप से प्रारम्भ करवाया जाए। साथ ही सिंचाई मंत्रीजी से मेरा यह भी अनुरोध है कि लघु सिंचाई योजना में कुछ ज्यादा स्कीम्स यदि हम पास करेंगे तो उससे हमें तुरन्त जल प्राप्त होगा। वृहत् सिंचाई योजनाओं में लगभग 5-5, 7-7 वर्ष लगते हैं जबकि लघु सिंचाई योजना मात्र एक वर्ष में तैयार हो जाती है। और उससे किसानों को त्वरित फायदा मिलना प्रारम्भ हो जाता है। जब माननीय सिंचाई मंत्रीजी हमारे इस बांध का उद्घाटन करने पधारे थे तो हमने यह मांग रखी थी कि हमारे क्षेत्र में 3-4 नदियां ऐसी बहती हैं जो काफी बड़ी नदियां हैं, इनके ऊपर यदि लघु सिंचाई योजनाएं स्वीकृत की जाएं तो निश्चित रूप से हमारे झालावाड़ जिले के किसानों को काफी फायदा होगा। ऐसी सिंचाई योजनाएं सिरपोई, सामरिया के बीच आहू नदी के ऊपर बन सकती हैं, रायपुर के पास कालीसिंध नदी पर बन सकती है और लालगांव के पास रीछड़ नदी पर बन सकती हैं जिससे किसानों को काफी फायदा हो सकता है।

सम्पूर्ण राजस्थान में हमारी सरकार ने बहुत ज्यादा सड़कें स्वीकृत कीं, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय एवं मुख्य मंत्रीजी का मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूं। इस वर्ष हमें मार्च, 1997 तक घोषणा के अनुसार पंचायत मुख्यालय की सड़कें

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

ग्रेवल करनी थीं लेकिन अभी हमारे जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के सारे काम एक्स. ईएन. साहब ने रुकवा रखे हैं। पता नहीं क्यों, क्या चाहते हैं एक्स. ईएन. साहब। हम सभी एम. एल. ए. कितनी ही बार मिल चुके हैं। लेकिन उन्होंने निर्माण के कार्य प्रारम्भ नहीं कराये हैं। चिकित्सा विभाग की पी. एच. सी. की बिल्डिंग भी हमारे यहां पी. डब्ल्यू. डी. के माध्यम से बनने जा रही है लेकिन उस पी. एच. सी. भवन का काम भी एक्स. ईएन. साहब ने रुकवाया हुआ है। मैंने माननीय ललितजी से इस बारे में शिकायत भी की थी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं एक्स. ईएन से पूछताछ करके इस बारे में जो भी होगा, शीघ्र ही निर्णय लूंगा।

इसी तरह ए. डी. पी., वर्ल्ड बैंक का एक्स. ईएन. भी हमारे झालावाड़ में बैठता है। इस विभाग की जितनी भी सड़कें हमारे यहां वर्तमान में बन रही हैं, सारी की सारी सड़कों की क्वालिटी इस एक्स. ईएन. ने खराब कर दी। बार-बार शिकायत करने के बावजूद ठेकेदारों से वह सही काम कराने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। जिन सड़कों के ऊपर डामर कर दिया, उनमें भी गिट्टियां उभरी हुई हैं। वाहन चलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कच्चे में चल रहे हों। जबकि वर्ल्ड बैंक की सड़कों के ऊपर पी. डब्ल्यू. डी. की सड़क से दो लाख रुपये प्रति किलोमीटर ज्यादा राशि मिलती है। उसके बावजूद पी. डब्ल्यू. डी. की सड़कों से इनकी क्वालिटी बिलकुल रद्दी करके इस एक्स. ईएन. ने रख दी है।

माननीय सभापति महोदया, चिकित्सा के क्षेत्र में मेरे पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में सभी पंचायत क्षेत्रों में उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति माननीय चिकित्सा मंत्रीजी ने कर दी है, इसके लिए मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं और बारम्बार धन्यवाद देता हूं। काफी समय से घरोनिया मेरे क्षेत्र का एक बहुत बड़ा गांव है, इसमें एक पी. एच. सी. की मांग करते आ रहे हैं लेकिन इस वर्ष के बजट में चिकित्सा विभाग ने मात्र 15 पी. एच. सी. ग्रामीण क्षेत्र में दी हैं जो बहुत ही कम हैं। मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से, वित्त मंत्रीजी से अनुरोध है कि पी.एच.सी. की संख्या बढ़ायी जाए और जितनी भी बढ़ें, उनको ग्रामीण क्षेत्र में ही दिया जाए ताकि ग्रामवासियों को उसका लाभ मिल सके। इस प्रदूषण में और मिलावटी खाद्य पदार्थों के चलते बहुत ज्यादा लोग अधिकतर बीमार रहते हैं इसलिए चिकित्सा सुविधा की बहुलता होना अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि पी. एच. सीज. की संख्या बढ़ायी जाए।

आयुर्वेद का एक भी औषधालय हम 2-3 सालों से नहीं दे रहे हैं। मेरा माननीय वित्त मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध है कि आयुर्वेद विभाग को भी बजट का कुछ हिस्सा देकर आयुर्वेद चिकित्सालय खुलवाये जाएं।

यातायात की दृष्टि से मैं निरन्तर दो साल से मांग करता आ रहा हूं कि जयपुर

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

से पिड़ावा, मेरे विधान सभा क्षेत्र को जयपुर से जोड़ने के लिए एक बस चलायी जाए। वह मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसी तरह से भवानी मंडी से इन्दौर रात्रिकालीन बस की मांग हम करते आ रहे हैं। हमारे क्षेत्र के व्यापारियों के लिए यह काफी सुविधाजनक साधन है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि यातायात मंत्री इन दोनों रूट्स के लिए ध्यान देकर ये बसें चलवाएं।

राजस्व मंत्री महोदय से भी मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरा पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र काफी लम्बा-चौड़ा क्षेत्र है। तहसील मुख्यालय से राजस्व ग्रामों की दूरी लगभग 40-45 किलोमीटर है। सुनेल में एक सब तहसील कार्यरत है। सम्पूर्ण पिड़ावा तहसील के दो हिस्से कर सुनेल तहसील को अपग्रेड किया जाए ताकि इस क्षेत्र के किसानों को ज्यादा लम्बी दूरी तक तहसील मुख्यालय नहीं जाना पड़े।

इसी तरह से मेरा पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र सम्पूर्ण रूप से ग्रामीण क्षेत्र है और पशुपालन विभाग को भी नई डिस्पेंसरी के लिए बजट नहीं मिल पा रहा है। मेरा अनुरोध है कि नई डिस्पेंसरीज के लिए पशुपालन विभाग को बजट दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्र में 5-5 किलोमीटर के एरिया में कम से कम एक-एक डिस्पेंसरी दी जाए चाहे कम्पोनेंट डिस्पेंसरी ही हो, ताकि किसानों को अपने पशुओं की चिकित्सा में सुविधा हो सके। अंत में एक बार मैं आपका और धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आपने बोलने का समय दिया।

श्री सभापति : श्री पराक्रम सिंह जी।

श्री पराक्रम सिंह (बनेड़ा) : माननीय सभापति महोदया, मैं वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने राजस्थान की जनता को राहत देने वाला एक बहुत ही अच्छा बजट प्रदान किया है लेकिन साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ कमियां रह गई हैं। जो बातें लोग कह चुके हैं उनको दुबारा नहीं कहूंगा। सभी विभागों के ऊपर लगभग सभी माननीय सदस्य बोल चुके हैं, पर हमारे खेल विभाग के लिए अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। अभी माननीय खेल मंत्रीजी बिराजे हैं, जब भी खेलों की समस्या उनके सामने लेकर जाते हैं तो मंत्रीजी यह कहते हैं कि तुम विधान सभा में बोलो और कुछ मेरे मंत्रालय का बजट बढ़ाओ। निश्चित रूप से मैं उनके आदेश की पालना करते हुए सरकार से मांग करूंगा कि राजस्थान के अन्दर खेलों के विकास के लिए यह जरूरी है कि इस ओर भी ध्यान दिया जाए। राजस्थान ने अच्छे-अच्छे खिलाड़ी इस राष्ट्र को दिये हैं और आज भी नई प्रतिभाओं को ठीक तरीके से ट्रेनिंग देकर उन्हें आगे लाया जाए तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राजस्थान का एक बार फिर खेलों के अन्दर नाम आ सकता है। लेकिन हमारी समस्या यह है कि हम खिलाड़ियों के लिए

(श्री पराक्रम सिंह)

खाने-पीने के लिए भी साधन नहीं जुटा सकते। मैं इस सरकार को धन्यवाद दूंगा कि पहले खिलाड़ियों को यह भत्ता कम मिलता था, माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत से हमने अनुरोध किया था और उन्होंने पिछले वर्ष खेल भत्ता बढ़ाया। सभापति महोदय, 35 रुपये के अन्दर आज एक खिलाड़ी तीन वक्त का भोजन नहीं कर सकता। कम से कम 55 रुपये भत्ता होना चाहिए ताकि खिलाड़ी....(व्यवधान) उन पहलवानों के लिए, उन लोगों को हम लोग राशि देकर प्रोत्साहन देते हैं। सरकार की तरफ से कम से कम 55 रुपये हो जाएं तो आप और मेरे जैसे आदमी खिलाड़ियों को ले आएंगे। हम भी उनके खाने-पीने का पूरा ध्यान रखते हैं, पर सरकार की तरफ से कम से कम 55 रुपये तक तो भत्ता हो जाना चाहिए। पर इसमें एक बात यह है कि...

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : 75 रुपये तो सरकारी कर्मचारी को मिलते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप क्यों उनको उकसा रहे हैं ? वे अपनी बात कह रहे हैं।

श्री पराक्रम सिंह : अगर सरकार 75 रुपये कर दे तो मुझे बहुत खुशी होगी।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : 75 रुपये आज सरकारी कर्मचारी को डी. ए. मिलता है एक दिन का।

श्री पराक्रम सिंह : नहीं, यह उकसाने की बात नहीं है। सभापति महोदय, इन्होंने अच्छा सुझाव दिया है पर मैं जानता हूं कि सरकार की इतनी सीमा नहीं है। मगर माननीय सदस्य ने अपनी राय प्रकट की है, मुझे सुझाव दिया है। अगर 75 रुपये सरकार कर दे तो मैं सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा लेकिन आज की तारीख में 35 से कम से कम 55 तक करने की तो मैं आपसे मांग करता हूं।

इस बजट के अन्दर मेवाड़ काम्प्लेक्स की बात कही गई और मुझे खुशी है कि महाराणा प्रताप की 400वीं पुण्य तिथि के ऊपर उनकी स्मृति में यह वर्ष समर्पित किया गया है। पर मुझे यह कहना पड़ेगा कि मेवाड़ काम्पलेक्स के अन्दर वे लोग जाकर उस योजना को बना रहे हैं जिन्हें न तो मेवाड़ से कुछ लेना-देना है, न मेवाड़ की परम्पराओं से वे वाकिफ है और यहां तक भी मैं कहने में संकोच नहीं करूंगा कि महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़ी हुई चीजों से वे वाकिफ नहीं। मैं यह अनुरोध करूंगा कि मेवाड़ काम्पलेक्स के लिए चाहे मुझे सभापति बना दें, हालांकि मुझे उसके लिए कोई आपत्ति भी नहीं है पर मैं सभापति बनने को तैयार नहीं हूं। जो कमेटी बनी हुई है, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि उसके अन्दर कम से कम उन लोगों को जरूर जोड़ा जाए जो मेवाड़ के इतिहास, मेवाड़ की संस्कृति, मेवाड़ की परम्पराओं से जुड़े हों और इसलिए (व्यवधान) उनसे जो भी सम्बन्धित हों

(श्री पराक्रम सिंह)

उनको भी लिया जाए। (व्यवधान) सम्बन्धित के अन्दर आप और हम सब आ गये, चिन्ता मत करो।

सभापति महोदय, शिक्षा के लिए सरकार ने एक बजट समर्पित किया था और महिला शिक्षा के लिए भी आज सरकार बड़ी जागरूक है। शिक्षा के लिए हमने एक नीति बनाई और नीति के अन्तर्गत कुछ फैसले लिये जैसे कि हर पंचायत हैडक्वार्टर के ऊपर एक मिडल स्कूल होना चाहिए, पंचायत समिति मुख्यालय के ऊपर सीनियर सैकण्डरी होना चाहिए। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज मेरे विधान सभा क्षेत्र में हुरड़ा के अन्दर बालिका सीनियर सैकण्डरी का अभाव है। आपकी नीति की घोषणा के बाद आज दो साल हो गये हैं। मैं पिछले बजट के अन्दर भी मांग कर चुका था क्योंकि सरकार की मंशा महिलाओं को आगे लाने की, बालिकाओं को शिक्षा देने की है। आज आगूचा गांव ऐसा है कि वहां हर साल कम से कम 70-80 बच्चियों को पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है क्योंकि वहां बारहवीं कक्षा नहीं है। उनको बारहवीं तक पढ़ने के लिए गुलाबपुरा या हुरड़ा जाना पड़ता है, तो वहां इतने यातायात के साधन नहीं हैं। अगर यातायात के साधन हैं तो रास्ते के अन्दर उन लड़कियों के साथ इस तरह की छेड़छाड़ की जाती है कि सभी परिवार वाले अपनी लड़कियों को पढ़ने से वंचित रखते हैं। तो जहां नीति के अनुरूप आप काम करना चाह रहे हैं वहां नीति बनाने से पहले आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए था कि कितनी ऐसी स्कूलें हैं जिनको हमें क्रमोन्नत करना है। नीति की घोषणा होने के साथ ही उन्हें एक साथ कर देना चाहिए था। नहीं करने से इसका राजनीतिक वातावरण भी बन रहा है और मैं इस चीज का भुक्तभोगी हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर दो तहसीलें हैं। एक मेरी स्वयं की बनेड़ा और दूसरी हुरड़ा। माननीय मंत्रीजी ने पहले सीनियर सैकण्डरी दी, वह बनेड़ा में दे दी। तो दूसरी तहसील वाले कहने लगे कि आप बनेड़ा के रहने वाले हो इसलिए आपने पहले बनेड़ा करवा ली, आपने हुरड़ा तहसील का ध्यान नहीं दिया। नीति के अन्दर दोनों के लिये ही स्कूलें आती हैं, यह किसी कारण वंचित रह गई हो तो माननीय शिक्षा मंत्रीजी कम से कम इस वर्ष के अन्दर इस समस्या का समाधान करें। आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री बाबूलाल वर्मा। श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री बाबूलाल वर्मा (डग) : मैं बोल रहा हूं, साहब, बोल रहा हूं। मैं तो अपने स्थान पर बैठा हूं।

श्री सभापति : अच्छा, अच्छा, बोलिये। सॉरी।

श्री बाबूलाल वर्मा (डग) : माननीय सभापति महोदया, वर्ष 1997-98 का माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो बजट पेश

(श्री बाबूलाल वर्मा)

किया उस बजट के लिए हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी को और सरकार को मैं बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इस प्रकार का बजट सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसमें सभी वर्गों के लोगों को प्राथमिकता दी गई है। सभापति महोदया, किसी भी देश की या प्रदेश के विकास की वह स्थिति मजबूत होती है जिसमें उस प्रदेश में उद्योग-धन्धे खोलने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो, एक आम आदमी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए उचित सुविधाएं प्राप्त हों, गांव में रहने वाले गांव वालों को चिकित्सा की आम सुविधाएं मिल सकें, सड़कों की उचित व्यवस्था हो, किसानों के लिए सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था हो। यदि इन सब चीजों को ध्यान में रखकर देश का या प्रदेश का बजट बनाया जाए तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उस प्रदेश का बजट एक अच्छा बजट होता है।

माननीय सभापति महोदया, मैं आज आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने भी अपने टाइम में बजट पेश किये लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार जब बजट पेश करती थी, बजट पेश करते टाइम न तो उनके पास कोई नीतियां थीं, न कोई योजना थी, सड़कों के मामले में ले लीजिये या सिंचाई के मामले या बिजली के मामले में। बिजली पैदा करने के लिए किसी भी प्रकार के कारखाने बनाने की न तो उनके पास कोई नीति थी, न कोई योजना थी। बड़ी-बड़ी सिंचाई योजनाएं जो भी बनीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनीं। इस अवस्था में जब सन् 1994 में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पहली बार बजट पेश किया तो, माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ऐसी दयनीय स्थिति को, ऐसी खराब स्थिति को सुधारने का संकल्प किया, आम आदमी को राहत देने का संकल्प किया और एक योजनागत तरीके से पूरे राजस्थान प्रदेश का विकास करने का संकल्प किया। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए 1994 में पहली बार बजट शिक्षा को समर्पित किया गया।

माननीय सभापति महोदया, शिक्षा को समर्पित बजट पेश करने का जो मूल कारण था उसके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूं। जिस देश में या जिस प्रदेश में शिक्षा की एक अच्छी, मजबूत स्थिति होती है, यह निश्चित रूप से मानिये कि उस देश या प्रदेश का विकास भी अच्छा होता है क्योंकि शिक्षा ही एक मूलभूत कारण है जिसकी वजह से उस देश या प्रदेश का विकास रुक जाता है। हमारे जो शिक्षा मंत्री माननीय श्री गुलाबचन्दजी कटारिया साहब हैं, बजट पेश करते टाइम उन्होंने ग्रामीण स्तर पर जो शिक्षा का केन्द्र बनाया, बालिकाओं को शिक्षा सही मिल सके, पर्याप्त मिल सके, उसके लिए जो प्रोविजन्स किये उसके लिए निश्चित रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बधाई की पात्र है। माननीय सभापति महोदया, अनुसूचित जाति और जनजाति के बालक-बालिकाओं को जो कमजोर वर्ग के हैं, उचित शिक्षा की

(श्री बाबूलाल वर्मा)

व्यवस्था हो, उसके लिए भी हमारी सरकार ने प्रोविजंस किये। आठवीं क्लास तक की बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा मिले, प्राथमिक स्तर तक शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था हो, पाठ्य पुस्तक वितरण निःशुल्क किया जाए, यह जो सोच बनी, यह भारतीय जनता पार्टी की सोच की एक प्रतीक है।

माननीय सभापति महोदया, दूसरा बजट जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पेश किया तो वह चिकित्सा को समर्पित था। चिकित्सा को समर्पित करने के टाइम यह भी एक हमारी सरकार की इच्छा थी कि आम आदमी को चिकित्सा के अभाव में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, चिकित्सा के पर्याप्त साधन मिलने चाहिए। इसी सोच के साथ शिक्षा को समर्पित करने के बाद चिकित्सा को समर्पित किया। माननीय सभापति महोदया, पिछले वर्ष का बजट पेयजल को समर्पित था। पेयजल को समर्पित करते टाइम हमारी सरकार की यह सोच थी कि कम से कम गांव के रहने वाले व्यक्तियों को, शहर में रहने वाले व्यक्तियों को पीने का पानी तो मिलना चाहिए। पीने का पानी ही यदि कोई सरकार उपलब्ध नहीं करा सकती है तो मैं समझता हू, यह कोई अच्छी बात नहीं है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने पेयजल को समर्पित किया।

माननीय सभापति महोदया, आज आपके माध्यम से एक बात मैं और कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक सोच थी। कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग, जो कि किसी सरकार के कार्यकाल में उपेक्षित रहा, कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से उनको अपना वोट बैंक मानकर, अपने वोटों का बहुत बड़ा हिस्सा मानकर अपना बताती रही लेकिन विकास के नाम पर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनके विकास के लिए कोई उन्होंने कारगर उपाय नहीं किये। आजादी की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर हमारी सरकार ने जो यह बजट कमजोर वर्ग को समर्पित किया है और अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग की प्राथमिकताओं का जो ध्यान इस बजट में रखा गया है इसके लिए भी मैं हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी को, हमारी सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। समाज कल्याण के क्षेत्र में जो योजनागत व्यय में वृद्धि की गई है। माननीय सभापति महोदया, 14 96 करोड़ का जो चालू वर्ष का बजट है उसको साढ़ें छब्बीस करोड़ तक पहुंचाया है। इस राशि को इतनी बड़ी मात्रा में वृद्धि करने के पीछे एक यही सोच थी कि इस वर्ग के लोगों को कम से कम मूलभूत आवश्यकताएं प्रदान की जाएं। आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार की विधवाओं की पुत्रियों के विवाह के लिए जो तीन हजार की राशि की घोषणा इस बजट में की गयी है, मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने इस राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। मैं भी आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम ऐसे परिवार के लोगों की बेटियों की शादी करने के लिए

(श्री बाबूलाल वर्मा)

इस राशि को बढ़ाना चाहिये। शारीरिक रूप से विकलांग, मंद बुद्धि के जो बालक होते हैं, उनकी तरफ से मैं समाज कल्याण मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उनको कम से कम एक रोजगार और प्रशिक्षण की पर्याप्त सुविधाएं मिल सकेंगी। यदि ऐसे वर्ग के बच्चों का जो कि सब तरह से विकलांग हैं या असहाय हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्राथमिकता देकर विकास करना चाहती है तो निश्चित रूप से हमारी सरकार बधाई की पात्र है। मैं आपके माध्यम से हमारी सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदया, बिजली की बात पर काफी चर्चा हुई। डिमाण्ड के टाइम में भी इस चीज को काफी डिस्कस किया गया। बजट की बात होती है, बजट हर सरकार ने पेश किया है, कांग्रेस पार्टी ने भी अपने टाइम में बजट पेश किए होंगे लेकिन आज मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जब बजट पेश किया तो उन्होंने कभी गांव के किसानों की चिन्ता की गांव के किसानों को बिजली कैसे दी जाए, उन्होंने कभी बिजली पैदा करने की बात नहीं की। यदि आज जितने भी कारखाने बनाने की बात हो रही है तो वह भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हो रही है। जितनी भी परियोजनाएं लागू करने के प्रयास हैं वे आज हमारी सरकार की देन हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस चीज का प्रयास कर रही है कि पड़ोसी राज्यों से तो महंगी दर पर बिजली खरीदे और हमारे राजस्थान प्रदेश के किसानों को ज्यादा से ज्यादा बिजली उपलब्ध कराएं। यह सोच इस बात को दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के लिए कितनी चिन्ता करती है।

माननीय सभापति महोदया, बात आयी थी मध्य प्रदेश की या दूसरे राज्यों की। मैं आज आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र चारों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। आज से साल भर पहले जब मैं गांव में जाता था तो लोग मुझे उदाहरण देते थे कि एम.एल.ए. साहब, देखिए राजस्थान में क्या है? राजस्थान में कोई बिजली नहीं है, एम.पी. में चारों तरफ बिजली जल रही है। मैंने कहा कि जिस घर की वित्तीय स्थिति मजबूत नहीं होती है और जो बिना सोचे समझे निर्णय लेता है उसका टेम्परेरी रूप में आपको लाभ मिलता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में जो काम कर रही है इसके लम्बे रूप में परिणाम मिलेंगे। बिजली आपको चाहे साल भर बाद मिले, चाहे दो साल बाद मिले, लेकिन आपको निश्चित रूप से परमानेंट बिजली मिलेगी। आज जब मैं गांव में जाता हूं तो लोग बोलते हैं कि साहब, राजस्थान में तो हमें अच्छी बिजली मिल रही है। चाहे छः घंटे बिजली मिली, चाहे आठ घंटे बिजली मिली लेकिन मजबूती से मिली और आज एम.पी. में सारे किसान अपनी सरकार को गालियां दे रहे हैं। यह नीति की बात है, यह व्यवस्था

(श्री बाबूलाल वर्मा)

की बात है कि आज हमारी राजस्थान सरकार कितनी व्यवस्था करके चल रही है, आज वित्त प्रबन्धन उसका कितना मजबूत है। इस चीज के लिए भी मैं आपके माध्यम से बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं।

मैं एक चीज के लिए और धन्यवाद देना चाहता हूं कि बिजली के क्षेत्र में मेरा डग विधान सभा क्षेत्र काफी पिछड़ा रहा है। इतना पिछड़ा कि सन् 1977 के पहले तो मैंने यहां भी चर्चा की थी कि मात्र 4 प्रतिशत विद्युतीकरण मेरे डग विधान सभा क्षेत्र में हुआ था। आदरणीय ललितकिशोर जी चतुर्वेदी साहब यहां बिराजे हुए हैं, रघुवीर सिंह जी कौशल साहब के नेतृत्व में आपके कार्यकाल में बिजली के क्षेत्र में जितना मेरे डग विधान सभा क्षेत्र में विकास हुआ, इसके लिए भी मैं आपके माध्यम से बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदया, किसी भी प्रदेश में यदि विकास का कोई पैरामीटर हम लें तो इसमें उद्योगों का बहुत बड़ा महत्व होता है यदि औद्योगिक दृष्टि से उस प्रदेश में संसाधन नहीं होंगे, यदि औद्योगिक दृष्टि से उस जगह इन्फास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं होगा तो मैं यह कहता हूं कि उस जगह नये उद्योग नहीं आएंगे और यदि नये उद्योग नहीं आएंगे तो आप यह मानकर चलिये कि उस प्रदेश में रहने वाले बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा। इन बेरोजगारों के बारे में व्यवस्था करने के लिए, इन बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक सोच बनी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस चीज पर विचार कर रही है कि राजस्थान प्रदेश में बेरोजगारों को कैसे रोजगार दिया जाए। आज रीको द्वारा, आदरणीय उप मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में बताया कि जगह-जगह अपने इण्डस्ट्रियल सैक्टर्स तैयार किए जा रहे हैं। आज जयपुर में ई.पी.आई.बी. डवलपमेंट हो रहा है, आज भिवाड़ी में हो रहा है। इस चीज के लिए मानिये कि राजस्थान में पूंजी का निवेश होगा और यदि पूंजी का निवेश होगा और उद्योग बढ़ेंगे तो हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इससे राजस्थान प्रदेश में रहने वाले बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। यह एक सोच है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। कांग्रेस पार्टी के राज में कभी इस तरह के उपाय नहीं किए गए, यह हम लोगों को अच्छी तरह पता है।

माननीय सभापति महोदया, मैं एक चीज के लिए और बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी, हमारे मुख्य मंत्री जी को कि उन्होंने उद्योग में दी जाने वाली सब्सिडी को 31 मार्च, 1998 तक कंटीन्यू किया। भारत एक कृषि प्रधान देश है और राजस्थान में भी अधिकांश लोग किसान हैं। लगभग 80 प्रतिशत लोग गांवों में निवास करते हैं। यदि किसानों की पर्याप्त सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा तो यह कोई प्रदेश के लिए

(श्री बाबूलाल वर्मा)

अच्छी बात नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, हमारी सरकार को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, हमारे राजस्थान प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किसानों को उनकी पैदावार का, फसल का उचित मूल्य मिलने के लिए जो नीति बनायी, जो उनकी व्यवस्था की यह बहुत अच्छी बात है। आज उनको सिंचाई करने के लिए आपका फव्वारा सिस्टम है, बूंद-बूंद सिंचाई योजना है। इनमें काफी अनुदान रहा है। यदि इन चीजों का उपयोग हमारे राजस्थान प्रदेश में किसान करेगा तो यह आप निश्चित रूप से मानिये कि राजस्थान प्रदेश का डवलपमेंट होगा, राजस्थान प्रदेश का विकास होगा। विकास चाहे किसी भी तरह मानिये, यदि उस किसान की पैदावार बढ़ती है तो हमारे राजस्थान प्रदेश की इनकम बढ़ती है और इनकम बढ़ेगी तो उस किसान का पर्याप्त मात्रा में स्तर बढ़ेगा। उस किसान का स्तर बढ़े यही हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस चीज को मानती है कि गांव में रहने वाले किसान अच्छी तरीके से अपना जीवनयापन करें, उस किसान के बेटे-बेटियों को शिक्षा की अच्छी व्यवस्था मिले। इन आदर्शों के साथ जो बजट पेश किया गया है इसके लिए मैं बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय समापति महोदया, मैं पांच मिनट ही बोला हूं। थोड़ा समय दीजिए। आप तो मुझे घंटी बजाकर डरा रही हो।

श्री सभापति : मैं आपके व्यवधान नहीं डाल रही हूं। बोलने वाले और भी हैं।

श्री बाबूलाल वर्मा : नहीं, आपने घंटी की तरफ इशारा किया इसलिए।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : सभापति महोदया, अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए बजट रखा है और माननीय सदस्य अनुसूचित जाति के हैं अतः इनको तो विशेष मौका दीजिए।

श्री सभापति : ठीक है, आप बोलें।

श्री बाबूलाल वर्मा : माननीय सभापति महोदया, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले इसके लिए हमारी राजस्थान सरकार ने एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य रखा है। मेरे इस विधान सभा क्षेत्र में सन्तरे काफी होते हैं। पिछले साल उन्होंने श्रीलंका में सन्तरा भेजा। अपने गंगानगर क्षेत्र से किन्नू का एक्सपोर्ट किया जा रहा है। हमारी सब्जियों का भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। यदि इस प्रकार की सोच हमारी सरकार की रहती है तो यह आप मानकर चलिये कि किसानों को निश्चित रूप से अच्छी कीमत मिलेगी।

माननीय सभापति महोदया, सिंचाई के साधन की बात आती है। सिंचाई के साधन के लिए कहा जाता है कि इसके लिए इतना कर्ज हो गया, वह हो गया। आज मैं

(श्री बाबूलाल वर्मा)

आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि कोई सिंचाई की सम्पत्ति का निर्माण किया जाए, यदि कोई बांध बनाया जाए या ऐसी योजना का निर्माण किया जाए जिससे किसानों की पैदावार बढ़ती है तो इसमें परेशानी किस बात की है ? इसमें कोई परेशानी तो होनी ही नहीं चाहिए। हमें तो चाहिए कि किसानों की सिंचाई ज्यादा से ज्यादा हो। किसानों की सिंचाई होगी तो पैदावार बढ़ेगी और पैदावार के लिए हमें कर्जा लेने से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है।

माननीय सभापति महोदया, सड़क निर्माण की बात में इस मौके पर जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि किसी भी देश में या प्रदेश में यदि ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था मजबूत नहीं हैं तो उस देश का विकास या उस प्रदेश का विकास पर्याप्त मात्रा में नहीं हो सकता। ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट हैं। जितना सुलभ यातायात होगा उतना अच्छा विकास उस प्रदेश का होगा। हमारे माननीय सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री जी बड़े एक्टिव हैं, मुझे कहीं कहने की गुंजाइश नहीं है और सड़क नीति बनाकर उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया है। आदर्श इस रूप में कि गांव में रहने वाला प्रत्येक नागरिक सड़क पर चलने की इच्छा रखता है। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने टाइम सड़क बनायी होगी। मुझे तो याद आता है, मेरे डग विधान सभा क्षेत्र में जब मैं पहली बार गया तो भवानीमण्डी से लेकर डग-चौमेला तक एक सड़क हैं 85 किलोमीटर, मैंने पूछा कि यह सड़क कब बनी। माननीया सभापति महोदया, पूरे गांव वालों का यही विचार है कि जब माननीय ललितकिशोर जी चतुर्वेदी पहली बार सड़क निर्माण विभाग मंत्री बने तो यह पहली सड़क इस डग विधान सभा क्षेत्र की बनी, पहली सड़क का निर्माण हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हुआ। मतलब डग से चौमेला यदि आदमी जाता तो कच्ची सड़क पर जाता। आज उसी लक्ष्य को बढ़ाते हुए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सम्बल गांवों को जोड़ने की योजना है। समाज कल्याण मंत्री महोदय भी यहां बैठे हुए हैं, सम्बल गांव वे गांव हैं जिसमें अनुसूचित जाति के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं; जिसमें 50 प्रतिशत से ज्यादा आबादी अनुसूचित जाति के लोगों की है। आज उन लोगों को सड़कों से जोड़ने के लिए, उन लोगों को आधारभूत सुविधाएं देने के लिए सम्बल गांव में पेयजल योजना को पहुंचाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए या उन्हें सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने के लिए यह योजना जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है इसके लिए भी मैं बहुत-बहुत आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को और आदरणीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदया, पेयजल की बात भी हमको आज इस बजट में करनी चाहिए। किसी गांव में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो, आज किसी शहर में गन्दा पीने का पानी पिलाया जा रहा हो ? मुझे ध्यान है, आप ही के माध्यम से यहां पर कहा जा रहा था, भगवान की देन हो

(श्री बाबूलाल वर्मा)

तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई पीने के पानी की वजह से विकलांग हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए ? मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि योजना तो हमारी सरकार ने बनायी लेकिन उन योजनाओं को तीव्र गति से लागू करना चाहिए। हमारे जो पी. एच. ई. डी. के मंत्री हैं, माननीय भंवरलाल जी शर्मा साहब बैठे हुए है, 1500 की आबादी वाले गांवों के लिए जो योजना बनी पिछले साल कि 1500 की आबादी जिस गांवों की है उस गांव में पेयजल योजना लागू की जाए, बहुत अच्छा कदम है। जिस तरह सड़क नीति बनायी उस हिसाब से आज पीने के पानी का लक्ष्य बनाकर भारतीय जनता पार्टी की यह सोच बनी है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीने का पानी पहुंचाना चाहती है, चाहे किसी भी रूप में पहुंचे, चाहे उसकी कीमत कितनी भी सरकार को वहन करनी पड़े। बजट की हमें कोई चिन्ता नहीं है, घाटे का बजट चाहे कितना ही हो जाए, हम इस चीज की परवाह नहीं करते। इस चीज की जो भारतीय जनता पार्टी की सोच बनी उसके लिए भी मैं आपके माध्यम से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

चिकित्सा की बात पर भी मैं आपके माध्यम से कुछ कहना चाहता हूं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चिकित्सालय खोलती है। चिकित्सालय खोलना कोई नयी बात नहीं है, कोई बड़ी बात मैं इस चीज को नहीं मानता लेकिन चिकित्सालय खोलकर वहां दवा उपलब्ध करवाना, वहां डाक्टर्स की व्यवस्था करवाना यह एक बहुत बड़ी बात है और यह हमारी भारतीय जनता पार्टी की सोच मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं। आज मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 4 पी. एच. सी. का निर्माण हो रहा है और सब गांव वाले कहते हैं कि साहब, इतना पैसा कहां से आया ? बोलते हैं कि आज तक तो कभी इतना निर्माण नहीं हुआ, कांग्रेस पार्टी ने भी इतने टाइम कितने बजट पेश किये, आज तक कभी वहां पी. एच सी. का निर्माण नहीं हुआ और आज तीन-तीन पी. एच. सी. का निर्माण हो रहा है। आज चार-चार जगह इतना काम हो रहा है तो इसके पीछे मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज हम लोग इस चीज की चिन्ता कर रहे हैं। आज हमारी सरकार इस बात के लिए ध्यान दे रही है कि आज डाक्टर वहां बिठाएंगे तो कहां बिठाएंगे, आज वहां दवा जाएगी तो कहां जाएगी और मरीजों को वहां पर्याप्त बैड व्यवस्था हो। आज जो छोटे चिकित्सालय हैं, उनको क्रमोन्नत बड़े रूप में कर रहे हैं। आज गांव-गांव एक्सरे की मशीन जा रही है। आज तक कभी गांव में जाकर एक्सरे की मशीन नहीं देखी। तो ये सुविधाएं यदि हमको गांवों में मिलेंगी तो निश्चित रूप से मानिये कि यह एक हमारे लिए अच्छी बात होगी।

माननीय सभापति महोदया, महिला बाल विकास के बारे में मैं आपके माध्यम से कुछ कहना चाहता हूं कि महिला बाल विकास के बारे में सरकार कितनी चिन्तित

(श्री बाबूलाल वर्मा)

है। हमारी सरकार ने चालू फाइनेंशल ईयर का जो 20 करोड़ 29 लाख का बजट था इसको 34 करोड़ 10 लाख का किया। इतनी आशातीत वृद्धि इस बात को दिखाती है कि आज महिलाओं का विकास करने के लिए हमारी सरकार जागरूक है। महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं के सामाजिक उत्थान के लिए, महिलाओं के सांस्कृतिक उत्थान के लिए कभी दूसरी सरकारों ने चिन्ता नहीं की। किशोरियों के व्यक्तित्व के लिए जो योजना बनी है, किशोर बालिका योजना, आप खुद भी महसूस करती होंगी, सभापति महोदया, कि यदि उस स्टेज पर किसी बालिका के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए कोई सरकार ध्यान देती है तो उस स्टेज पर जो कंट्रीब्यूशन होगा गवर्नमेंट का वह आगे जाकर कितना बड़ा रूप लेगा। यदि उस स्टेज पर रहने वाली बालिका का सरकार सही तरीके से व्यक्तित्व का डवलपमेंट करती है तो मैं आज आपके माध्यम से कह सकता हूं कि जब वह बालिका बड़ी होगी, जब एक महिला का रूप लेगी तो वह भारत देश का या राजस्थान प्रदेश का कितना बड़ा विकास करने में योगदान देगी। इसके लिए भी मैं आपके माध्यम से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

अंतिम स्थिति में आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगा लॉ-एण्ड-आर्डर की। लॉ-एण्ड-आर्डर का जब डिस्कशन चल रहा था उस टाइम कई तरह की बातें हुईं कि वह चीज नहीं है, यह चीज नहीं है, यह चीज अच्छी है। मैं तो आज आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कम से कम अनुसूचित जाति, जनजाति, कमजोर वर्ग और महिलाएं–इनकी रक्षा करने के लिए तो दृढ़ संकल्पित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे गृह मंत्री जी और हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात का संकल्प लिया है कि कम से कम कमजोर वर्ग के लोगों को किसी प्रकार की इस प्रदेश में परेशानी नहीं हो। उनको हर तरह से उचित सुरक्षा की जाएगी, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सोच है। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, माननीय सभापति महोदया, मैं उस किस्से को कहना चाहूंगा। यद्यपि मेरे क्षेत्र में लॉ-एण्ड-आर्डर की इतनी बढ़िया स्थिति नहीं है क्योंकि हमारे यहां अपराधी क्षेत्र है। कोटा में एक गांव में अनुसूचित जाति के कुछ लोगों के साथ बहुत बड़ी घटना हुई थी। बैरवा जाति के लोग थे वे, उनके चार परिवारों के लोग वहां उस गांव में रहते थे और उनके साथ किसी दूसरे वर्ग ने मतलब उच्च स्तरीय वर्ग के लोगों ने बहुत बड़ी ज्यादती की। उनके घरों में कूदकर दूसरे वर्ग के लोगों ने मारपीट की, तलवारें चलायीं, गण्डासे चलाये। मुझे याद आ रहा है, माननीया सभापति महोदया, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी का, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी का आप स्टेप देखिये कि दूसरे दिन हमारे गृह मंत्री जी उस जगह मौजूद थे। उन्होंने वहां जाकर कमजोर वर्ग के लोगों को ढांढस बंधाया। ढांढस बंधाने के टाइम का वह

(श्री बाबूलाल वर्मा)

वाक्य मुझे याद आ रहा है, उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, यह मानकर चलिये कि अनुसूचित जाति के लोग भारतीय जनता पार्टी के राज में बिलकुल सुरक्षित हैं। यह माननीय मुख्य मंत्री जी का दावा है, हमारे मुख्य मंत्री जी ने इस बात की घोषणा की है। उन्होंने सख्त स्टैप लिया, मेरे ख्याल में उसमें आगे जाकर काफी महत्व-पूर्ण कार्यवाही हुई है। उसके लिए मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीया सभापति महोदया, पांच मिनट में अपनी बात खतम करूंगा। अब डग क्षेत्र की बात मैं करना चाहता हूं।

श्री सभापति : पांच मिनट ही लें आप।

श्री बाबूलाल वर्मा : सिर्फ पांच मिनट ही लूंगा। डग क्षेत्र की बात मैं अभी शुरू कर ही रहा हूं।

श्री सभापति : आप तो अब अपना पूरा ही करें। 6 बजाओ आप तो।

श्री बाबूलाल वर्मा : माननीया सभापति महोदया, मेरे डग विधान सभा क्षेत्र में पर्यटन की काफी गुंजाइश है। किसी भी देश में पर्यटन का बढ़ावा होना, पर्यटन का विकास होना, यह उस देश को या प्रदेश की इनकम को बढ़ाते हैं। यदि पर्यटन का विकास होगा तो हमारे यहां रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, इनकम हमारे प्रदेश की बढ़ेगी। कोलवी में बुद्ध की गुफाएं हमारे यहां हैं, उनका विकास किया जाए। मैं आज आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पर्यटन मंत्री जी से हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी को, सभी हमारे हाड़ौती जिले के माननीय मंत्री महोदय और विधायकगण यहां बैठे हुए हैं, कि हाड़ौती सम्भाग में ट्यूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से पैकेज बनना चाहिए। माननीया सभापति महोदया, हमारे हाड़ौती सम्भाग में काफी प्रचुर मात्रा में ट्यूरिज्म के लिए प्लेसेज हैं। बूंदी जिले में आज ट्यूरिज्म का काफी स्कोप है, झालावाड़ में आज कई प्रकार के पर्यटन के स्थल हैं, कोटा, बारां और सवाई माधोपुर हैं। मैं आज आपके माध्यम से यह पुरजोर मांग करना चाहता हूं माननीय पर्यटन मंत्री जी से और आदरणीय मुख्य मंत्री जी से कि हाड़ौती में एक पैकेज ट्यूरिज्म का प्रोग्राम चलाया जाए जिससे कि उस क्षेत्र का विकास हो। बाहर से जब यहां ट्यूरिस्ट आएंगे तो निश्चित रूप से वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा और आगे बात बढ़ेगी।

माननीय सभापति महोदया, आदरणीय ललितकिशोर जी चतुर्वेदी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे डग क्षेत्र में सड़कों की व्यवस्था इतनी बढ़िया नहीं है। प्रदेश में निश्चित रूप से सड़कों का विकास हुआ है लेकिन डग क्षेत्र में वहां के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की वजह से सड़कों के विकास में बाधाएं आ रही हैं। आज कुछ काम अधूरे पड़े हुए हैं। वहां के एक्स. ईएन., ए. ईएन. बराबर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जिस क्षेत्र का विकास करने के लिये आपने जिम्मा लिया है; आज आपके कार्यकाल में

(श्री बाबूलाल वर्मा)

वह विकास हुआ है लेकिन उसको तीव्र गति से करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो लक्ष्य है कि 31 मार्च, 1998 तक सब पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ देंगे, सम्बल गांवों को जोड़ देंगे, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उन गांवों को जोड़ने के लिये तीव्र गति से काम करवाएं।

माननीय सभापति महोदया, मेरे क्षेत्र में सिंचाई के बहुत साधन हैं। पानी की कोई कमी नहीं है, पूरे झालावाड़ जिले में पानी है। पूरी चम्बल नदी, पार्वती नदी, कालीसिंध नदी या तो पिड़ावा क्षेत्र में बहती है या झालावाड़ जिले में कई जगह होकर घूमती है। लेकिन उन नदियों में जो उपलब्ध पानी है उसको हमारे किसान काम में नहीं ले पा रहे हैं। उसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि उस जगह पानी तो है लेकिन उस गांव का विद्युतीकरण नहीं हो पाया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि उन गांवों का स्पेशल तरीके से विद्युतीकरण कर दिया जाए, 10 या 12 गांव हैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में, तो यह मानकर चलिए कि उस ढंग विधान सभा क्षेत्र में अच्छी पैदावार होगी। अच्छी पैदावार होगी तो सारे किसानों का रहन-सहन अच्छा होगा और पूरा क्षेत्र अच्छा लगेगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम सिंचाई के साधनों की सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं। अभी इसी फाइनेंशल ईयर में मेरे विधान सभा क्षेत्र में जसवंतपुरा और पारलिया दो स्कीम्स मंजूर हुई हैं। जसवंतपुरा और पारलिया ऐसी स्कीम थीं जहां पानी की आवक तो बहुत थी लेकिन वह सारा पानी बेकार जाता था। इसके लिये मैं राजस्थान सरकार को, हमारे सिंचाई मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जसवंतपुरा और पारलिया स्कीम को स्वीकृत करके मेरे क्षेत्र के लोगों को लाभ दिया।

माननीय सभापति महोदया, मैं तकनीकी शिक्षा के बारे में भी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि तकनीकी शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। यदि तकनीकी शिक्षा किसी प्रदेश में उपलब्ध होगी तो उस प्रदेश में रहने वाले युवकों को रोजगार मिलेगा। युवकों को रोजगार देने के लिये यदि तकनीकी शिक्षा उपलब्ध नहीं होगी तो युवक बेरोजगार होंगे और बेरोजगार होंगे तो उनमें कई प्रकार की विसंगतियां बढ़ेंगी। माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री जी ने हमारे यहां भवानीमण्डी में आई. टी. आई. की स्थापना के लिये 65 लाख की मंजूरी दी, इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदया, मैं झालावाड़ जिले के बारे में भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। झालावाड़ जिला आज से पांच साल पहले एक बहुत पिछड़ा हुआ जिला था। झालावाड़ जिले को एक उपेक्षित जिले के नाम से जाना जाता था। झालावाड़ जिले का नक्शा किसी प्रकार से राजस्थान स्तर पर भी अच्छे तरीके से नहीं देखा जाता था। लेकिन आज मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के

(श्री बाबूलाल वर्मा)

शासन काल में झालावाड़ जिले का जो महत्व बना है, झालावाड़ जिले का जो स्थान बना है वह काबिले तारीफ है। मैं उद्योग मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वहां उन्होंने एक ग्रोथ सेंटर की स्थापना की। राजस्थान में मेरे खयाल से 5 या 7 ही ग्रोथ सेंटर होंगे, उसमें झालावाड़ में भी एक ग्रोथ सेंटर बन रहा है। झालावाड़ में ग्रोथ सेंटर बनने की वजह से वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। झालावाड़ जिले में आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने महिला कालेज की स्थापना की जो घोषणा की, उसके लिये भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदया, अंत में एक बात कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

श्री सभापति : अब तो आप पूरे चार मिनट और बोलो।

श्री बाबूलाल वर्मा : आपने जब इजाजत दे दी तो मैं बोल रहा हूं।

श्री सभापति : आप बोलते जाओ मैं अपने आप रोक दूंगी।

श्री बाबूलाल वर्मा : मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक आम आदमी की चिंता करती है, एक किसान की चिंता करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी भी किसानों पर कर नहीं लगाया। आज में टैक्सेशन के उस बहुत महत्वपूर्ण भाग के लिये आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश में यदि कोई इनकम बढ़ती है तो हमें सबसे पहले टैक्स लगाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जी ने कभी भी किसान पर टैक्स नहीं लगाया। आज किसान को जितनी राहत दी वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। बारानी भूमि का लगान माफ किया तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया। छोटे काश्तकारों को लाभ दिया तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया।

माननीय सभापति महोदया, एक बात मैं और कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर बजट में बात चली, मेरे से पूर्व एक-दो वक्ताओं ने चिंता व्यक्त की कि कर्जा बढ़ रहा है। आर. एस. ई बी. का कर्जा बढ़ रहा है, दूसरा कर्जा बढ़ रहा है। राजस्थान प्रदेश में घाटे का बजट है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप, हम या कोई भी व्यक्ति अपने घर को चलाता है तो उस घर को चलाने के लिये कुछ व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती है। यदि किसी आदमी को अपने घर को चलाने के लिये 10 रुपये की आय का साधन हो और यदि उसको 15 रुपये का खर्च करना पड़े तो उसको कहीं न कहीं से 5 रुपये का कर्जा लेना पड़ेगा, 5 रुपये की व्यवस्था जुटानी पड़ेगी। उसको वह चुकाएगा अपने साधन के हिसाब से। जब कभी उसकी एक्स्ट्रा इनकम होगी तब जाकर वह उस 5 रुपये की भरपूर्ति कर पाएगा। व्यवस्था चाहे आपके घर की हो, चाहे

(श्री बाबूलाल वर्मा)

व्यवस्था मेरे घर की हो, चाहे राजस्थान प्रदेश की हो बात हो, सबकी एक ही है। तो यदि राजस्थान सरकार कोई घाटे का बजट पेश करती है, यदि राजस्थान सरकार कर्जा लेकर कोई काम कर रही है तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार को कर्जा लेने से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कर्जा लेना कोई इतना बुरा काम नहीं है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार स्कूल खोलती है, स्कूल खोलने के बाद ही वह भवन बनाने की बात करती हैं, उस स्कूल में टीचर्स को पहुंचाने की बात करती है। यदि उनके लिये कर्जा लेने की जरूरत पड़ती हैं तो इसमें चिंता करने की क्या बात है ? इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। आज सरकार चिकित्सालय खोल रही है यदि उसमें डाक्टर या दवाई लाने के लिये कुछ पैसा लेना पड़े, व्यवस्था करनी पड़े तो चिंता करने की बात नहीं है। सभापति महोदय, आज बिजली की बहुत भारी समस्या है। बिजली की इतनी विकट समस्या, यदि आज हमें किसान को बिजली उपलब्ध कराने के लिये कर्जा लेने की जरूरत पड़ती हैं तो इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि सिंचाई के साधनों को जुटाने के लिये, यदि सिंचाई की योजनाओं को लागू करने के लिये राजस्थान सरकार को कर्जा लेने की जरूरत पड़ती है तो हमें पैसे की व्यवस्था करनी चाहिये। कर्ज आम आदमी को नहीं मिलता, कर्ज मिलता है जिस आदमी की क्रेडिट होती है, जिस आदमी की इज्जत होती है। आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक 17 मार्च, 1997 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 18·00 बजे सोमवार; 17-3-97 के 11·00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

———

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 51 व उसका उत्तर)

जिला बांसवाड़ा की सड़क सीमाओं में अवैध निर्माण

51. श्री जितेन्द्र नीनामा (घाटोल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में सड़क सीमाओं के मध्य से दोनों ओर 50 फीट सीमा के अन्दर सरकारी विभागों द्वारा निर्माण कार्य कराया गया है? यदि हां, तो क्या-क्या कार्य कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार नियम विरुद्ध निर्माण कार्य कराने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? सरकार अब उक्त अवैध अतिक्रमण हटाने का कब तक विचार रखती है?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में सड़क सीमा निर्धारित करने से पूर्व विभागों द्वारा सरकारी भवनों का निर्माण कराया गया जो वर्तमान में सीमा निर्धारित करने के उपरान्त सड़क सीमा में आ गये हैं। सूची परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) इस प्रकार के निर्मित भवन अतिक्रमण की परिभाषा में नहीं आने के कारण किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का राज्य सरकार का विचार नहीं है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

परिशिष्ट--3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

जोधपुर क्षेत्र की कच्ची बस्तियों का नियमन प्रकरण

67. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार ने 1991 से अब तक हुए अतिक्रमणों व कच्ची बस्तियों के नियमन करने के क्या प्रावधान किए है ? उनकी अब तक क्रियान्विति नहीं किए जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) कच्ची बस्तियों के वर्ष 1981 के सर्वेनुसार जोधपुर नगर सुधार न्यास व नगर निगम ने कितने लोगों को पट्टे किस दर से दिए तथा शेष को कब तक दे दिये जायेंगे ?

(3) क्या यह सही है कि जोधपुर नगर सुधार न्यास ने कच्ची बस्ती के प्लाटों को शास्त्रीनगर की कालोनी में स्थानान्तरित कर दिया ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत ? क्या इस सन्दर्भ में नगर सुधार न्यास के सदस्यों की जांच समिति बनाई गई है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) 1991 से अब तक हुए अतिक्रमणों के नियमन के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं किये हैं । प्रतिक्रमणों के नियमन का कोई वैधानिक अधिकार अतिक्रमणों को नहीं है, फिर भी राज्य सरकार द्वारा कच्ची बस्तियों की भूमि को रिक्त करवा कर उन्हें आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के स्तर का बना बनाया मकान निःशुल्क आवंटन कराने की योजना चयनित क्षेत्रों में लागू कराने पर विचार किया जायेगा ।

(2) 1981 के सर्वे अनुसार न्यास जोधपुर द्वारा 17,225 प्रकरणों का नियमन कर आय वर्ग के आधार पर 5/-, 10/-, 20/- व 50/- रुपये प्रति वर्ग गज की दर से पट्टे जारी किये हैं, 1107 प्रकरणों में राशि जमा नहीं होने, आय शपथ पत्र, राशनकार्ड आदि सबूत पेश नहीं करने से नियमन नहीं हो सका । नगर निगम जोधपुर 242 प्रकरणों में 3 रु., 5 रु., 10 प्रति वर्गगज की दर से राशि वसूल कर पट्टे जारी किये हैं । शेष प्रकरणों में दस्तावेजों एवम् तकनीकी कमियों की पूर्ति के बाद पट्टे जारी किये जायेंगे ।

(3) जी नहीं । न्यास के सदस्यों की कोई समिति नहीं बनायी गयी ।

विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में स्वीकृत इन्दिरा आवास एवं जीवनधारा योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य

68. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में कितनी ग्राम पंचायतें हैं ? प्रत्येक पंचायत में वर्ष 1993-94, 1994-95, 1995-96 एवं 1996-97 में कितने-कितने इन्दिरा

परिशिष्ट--2

(तारांकित प्रश्न संख्या 66 की सूची)

मलेरिया से मृत्यु प्रपत्र--पंचायत समिति डीग

क्र.सं.	रोगी का नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता	रक्त पटि्टकाएं संचय दिनांक	रक्त पटि्टकाएं परीक्षण दिनांक	जांच परिणाम	मृत्यु का स्थान	मृत्यु का दिनांक
1.	श्री राकेश	श्री गिर्राज	10 वर्ष	जाटव	ग्राम मोडाकी तह0डीग	10-10-96	10-10-96	पी.एफ.	प्रा.स्वा. केन्द्र,नगर	10-10-96
2.	श्री देवी सिंह	श्री मजकूराम	60 वर्ष	जाटव	ग्रऊ दरवाजा, डीग	26-10-96	26-10-96	पी.एफ.	सी एच. सी.डीग	28-10-96
3.	श्री मूलचन्द	श्री विजयसिंह उर्फ गुलशन	3वर्ष	जाटव	ग्रऊ दरवाजा, डीग	3-11-96	3-11-96	पी.एफ.	सी.एच. सी.डीग	3-11-96

(श्री रघुबीर सिंह)

आवास एवं कितने-कितने जीवनधारा कुएं स्वीकृत हुए हैं तथा इनकी स्वीकृत राशि क्या है ?

(2) क्या स्वीकृत आवास एवं कुएं पूर्ण हो चुके हैं ? यदि हां,तो कितने और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पूर्ण हो चुके आवास एवं कुओं के भुगतान हो चुके हैं ? यदि हां, तो कितनों के तथा नहीं, तो क्यों ? वर्ष-वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में कुल 51 ग्राम पंचायतें हैं। प्रत्येक पंचायत में वर्ष 1993-94 से 1996-97 तक की अवधि में स्वीकृत किये गये इन्दिरा आवास एवं जीवनधारा कूप तथा इन पर स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत कुल स्वीकृत 1785 आवासों में से 1137 आवास पूर्ण हो चुके हैं तथा जीवनधारा योजनान्तर्गत स्वीकृत 185 कुओं में से 20 कुएं पूर्ण हो चुके हैं। ग्रामवार पूर्ण तथा अपूर्ण आवासों एवं कुओं की सूचना परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

इन्दिरा आवास तथा जीवन धारा योजना की नियमावली के अनुसार स्वीकृत आवास एवं कुओं को पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व स्वयं लाभार्थी का ही है। इन्दिरा आवास तथा जीवनधारा कूप लाभार्थियों द्वारा पूर्ण नहीं कराने के कारण अभी तक भी अपूर्ण है।

इस सम्बन्ध में परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, उदयपुर ने सूचित किया है कि लाभार्थियों को अपूर्ण इन्दिरा आवास एवं जीवनधारा कूप शीघ्रतिशीघ्र पूर्ण करने हेतु सम्बन्धित पंचायत समिति द्वारा नोटिस दे दिया गया है।

(3) जी हां। पूर्ण हो चुके समस्त आवासों एवं कुओं का भुगतान किया जा चुका है। वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:—

वर्ष	भुगतान किये गये आवासों की संख्या	भुगतान किये गये जीवनधारा कुएं की संख्या
1993-94	499	13
1994-95	295	1
1995-96	343	6
1996-97	—	—

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

भूमि नियमन समितियों की बैठकें

69. श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रिछपाल सिंह)

(1) नियमानुसार भूमि नियमन कमेटी की बैठकें कब-कब होनी चाहिये ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि पिछले 15-20 वर्षों से भूमि नियमन कमेटी की मीटिंग्स बिलकुल नहीं बुलाई गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार नियमन कमेटी की बैठकें निकट भविष्य में बुलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) भूमि नियमन कमेटी की बैठक कब-कब होनी चाहिये के सम्बन्ध में अलग से कोई नियम नहीं हैं । राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 13 में कृषि भूमि आबंटन हेतु सलाहकार समिति का प्रावधान है । जिसमें उपखण्ड अधिकारी समिति की राय से आबंटन की कार्यवाही नियमानुसार करते हैं । इसी कमेटी के द्वारा नियमन के प्रकरणों का भी निस्तारण किया जाता है । सलाहकार समिति की बैठक आवश्यकता अनुसार प्रकरणों के आधार पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा आयोजित की जाती है ।

(2) जी नहीं । सलाहकार समिति की बैठकें समय-समय पर आवश्यकता के आधार पर बुलाई जाती हैं ।

(3) आबंटन सलाहकार समिति की बैठक उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा आयोजित की जाती हैं ।

विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा में घटित चोरी प्रकरण

70. श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा में पिछले दो वर्षों में चोरी की कितनी वारदातें हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(2) पिछले दो वर्षों में चोरी की वारदातों में कितनी जन व धन हानि हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) पुलिस द्वारा कितने मामलों में चोरी बरामद की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा में वर्ष 1995 में चोरी की 86 वारदातें तथा वर्ष 1996 में कुल 105 वारदातें हुईं, विवरण निम्न प्रकार है:—

वर्ष	दर्ज अपराध	जनहानि मरे/घायल	चोरी गई सम्पत्ति	चालान	एफ. आर. नतीजा	जेर तफतीश	बरामद सम्पत्ति
1995	86	— —	886015	35	51	—	571420/-
1996	105	— —	1553300	42	57	6	1293120/-

(2) सूचना बिन्दु "एक" में अंकित है।

(3) पुलिस द्वारा वर्ष 1995 में 35 तथा वर्ष 1996 में कुल 42 चोरी के प्रकरणों में चोरी गया कुल 18,64540 रुपये का माल बरामद किया गया।

अजमेर में हवाई अड्डा निर्माण हेतु भू-आबंटन प्रकरण

71. श्री गोविन्द सिंह : क्या मुख्य (नागरिक उड्डयन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य व केन्द्र सरकार यात्रियों को राज्य में हवाई सेवा की सुविधा देने के लिए अजमेर, जो विश्व के हिन्दु व मुस्लिम धर्मावलम्बियों का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, में हवाई अड्डा बनाने की योजना रखती है ?

(2) यदि हां, तो सरकार द्वारा हवाई अड्डा निर्माण हेतु भूमि आबंटन हेतु अब तक क्या-क्या प्रयास किए गए ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) हवाई अड्डे के निर्माण में देरी के क्या कारण हैं ?

(4) क्या केन्द्र सरकार ने हवाई अड्डे हेतु अजमेर में स्वीकृति देना इस शर्त पर स्वीकार कर लिया है कि इस हेतु भूमि राज्य सरकार निःशुल्क उपलब्ध करायेगी व समतल करने का व्यय भी वहन करेगी ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) अजमेर में हवाई अड्डे के निर्माण हेतु राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली की सर्वे टीम ने विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर अजमेर जिले में सराधना ग्राम के निकट हवाई अड्डा निर्माण हेतु साइट का चयन किया है। ग्राम सराधना के तीन खसरा नं. की कुल 345-15-00 किस्म चरागाह भूमि को चरागाह से खारिज करने तथा इसी ग्राम के एक खसरा नं. की 00-14-00 बीघा किस्मपाल सिवाय चक को इस प्रयोजनार्थ आरक्षित करने का आदेश दिनांक 14-9-95 को जिला कलक्टर द्वारा प्रसारित किये गये थे, जिसकी स्वीकृति भी राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त इस प्रयोजनार्थ 496 बीघा निजी खातेदारी की भूमि की भी आवश्यकता होगी, जिसके अलाइनमेंट की स्थिति स्पष्ट करने हेतु भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव क्षेत्र का निरीक्षण किया जा चुका है तथा उसका विवरण प्राप्त किया जा रहा है।

(3) हवाई अड्डे के निर्माण हेतु प्राथमिक रूप में उपलब्ध राजकीय चरागाह/सिवाय चक भूमियों का आरक्षण किया जा चुका है तथा हवाई अड्डे के निर्माण के लिए कुल आवश्यक भूमि का दिनांक 8-10-96 से 14-10-96 तक एयरपोर्ट अथोरिटी की सर्वे टीम द्वारा सर्वे किया जा चुका है, जिसकी रिपोर्ट प्राप्त होने का इन्तजार है।

(4) जी, हां।

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की सम्पर्क सड़क

72. श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह

(श्री रामचन्द्र रावत)

बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में कितने ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है तथा कितने शेष हैं तथा शेष रहने का कारण क्या है ?

(2) क्या सरकार कोटपूतली क्षेत्र के पंचायत मुख्यालय पनियाला, चतुर्भुज, तुलसीपुरा, फतेहपुरा, रामकरणपुरा, मालपुरा, रामसिंहपुरा आदि पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में कुल 52 ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं इनमें से 46 ग्राम पंचायत मुख्यालय डामर की सड़क से जुड़े हुए हैं। 6 पंचायत मुख्यालय सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं एवं इनमें से एक ग्राम पंचायत मुख्यालय का डामर की सड़क से जोडने का कार्य राज्य योजना मद के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में प्रगति पर है। इस प्रकार एक ग्राम पंचायत को डामर की सड़क से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। शेष 5 पंचायत मुख्यालयों में से 3 पर डी. आर. डी. ए., जयपुर द्वारा डब्ल्यू. बी. एम. सड़क बनाने का कार्य प्रगति पर है व इन सड़कों को डामर करने की स्वीकृति वार्षिक राज्य योजना मद 1996-97 में जारी कर दी गई है। एक पंचायत मुख्यालय को डामर की सड़क से जोड़ने की व एक पंचायत मुख्यालय को मेटल सड़क से जोड़ने की स्वीकृति भी वार्षिक राज्य योजना मद 1996-97 में जारी की जा चुकी है। इस प्रकार विधान सभा क्षेत्र, कोटपूतली के सभी पंचायत मुख्यालय को सड़क से जोड़ने की स्वीकृति विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जारी की जा चुकी है।

(2) जी, हां। कोटपूतली क्षेत्र के पंचायत मुख्यालय पनियाला व चतुर्भुज डामर की सड़क से जुड़े हुए हैं। पंचायत मुख्यालय मालपुरा, रामसिंहपुरा, व रामकरणपुरा को डब्ल्यू. बी. एम. सड़क से जोड़ने का कार्य डी आर. डी. ए. द्वारा पंचायत के माध्यम से प्रगति पर है। इन पंचायत मुख्यालयों की मेटल सड़क पर डामर करने की स्वीकृति विभाग की वार्षिक योजना मद 1996-97 में जारी की जा चुकी है। तुलसीपुरा, पंचायत मुख्यालय को डामर की सड़क से जोड़ने का व फतेहपुरा खुर्द को मेटल की सड़क से जोड़ने का कार्य विभाग की वार्षिक योजना मद 1996-97 में स्वीकृत किया जा चुका है। इन पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जून, 1997 तक जोड़ना प्रस्तावित है।

राज्य में एड्स रोग की जांच

73. श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा राज्य में अब तक एड्स रोग की जांच हेतु क्या व्यवस्था की गई है ? किस-किस अस्पताल में इसकी

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

जानकारी हेतु क्या-क्या संयंत्र उपलब्ध है ?

(2) राज्य में वर्तमान में कितने रोगी एड्स से ग्रसित हैं ? उसमें कितने एच. आई.वी. की पोजिटिव स्टेज पर हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) एड्स की रोकथाम एवं और जानकारी हेतु राज्य को कितनी राशि किस-किस फण्ड के तहत उपलब्ध कराई गई ? उसमें से कितनी राशि उपयोग की जा चुकी है ?

(4) क्या एड्स की बीमारी खून के प्रत्यावर्तन के कारण भी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम हेतु नवीन ब्लड बैंक की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक ?

(5) विगत दो वर्षों में एड्स के प्रिवेन्शन के लिए सरकार द्वारा विज्ञप्तियों/प्रचार प्रसार के पंत्रों, होर्डिंग्स/पम्पलेट्स आदि पर कितना व्यय किया गया ? जानकारी वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) एड्स रोग की जांच हेतु राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों व सभी जिला चिकित्सालयों में व्यवस्था उपलब्ध हैं।

एड्स की जांच में काम आने वाले संयंत्र "ऐलिसा रीडर" राज्य के सभी 6 मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध है तथा सभी जिला चिकित्सालयों में "रेपिड टेस्ट" की सुविधा उपलब्ध है।

(2) राज्य में वर्तमान में 5 रोगी एड्स रोग से ग्रसित पहचान किये गये हैं एवं एच. आई. वी. पोजेटिव की संख्या माह नवम्बर, 1996 तक 1245 है। जिलेवार प्रति संलग्न है।

(3) वर्ष 1992 से 1995-96 तक भारत सरकार से उपलब्ध कराई गई राशि व उपयोग में लाई गई राशि का वर्षवार विवरण संलग्न है।

इसके अलावा वर्ष 1996-97 में राज्य सरकार द्वारा ब्लड बैंकों के लाइसेंसीकरण के लिए निम्न प्रकार से राशि उपलब्ध कराई गई है :-

1. भवन निर्माण हेतु रु. 62.00 लाख
2. उपकरण क्रय करने हेतु रु. 38.40 लाख
3. मानव शक्ति उपलब्ध कराने हेतु रु. 12.30 लाख

इस राशि का उपयोग चालू वर्ष में किया जा रहा है।

(4) असुरक्षित रक्त के प्रत्यावर्तन से भी एड्स रोग होने की संभावना रहती है। इसकी रोकथाम के लिये सरकार सभी मेडिकल संस्था कॉलेज व जिला चिकित्सालय में लाइसेंसशुदा ब्लड बैंकों की

(217)

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

स्थापना कर रही है। राज्य में 12 ब्लड बैंकों को लाइसेंस प्रदान कर दिया गया है। जिनमें से 9 राजकीय क्षेत्र के हैं। शेष को लाइसेंस दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। (सूची संलग्न है)

(5) विगत दो वर्षों (1994-95 व 1995-96) में एड्स के प्रिवेंशन के लिये सरकार द्वारा विज्ञप्तियों/प्रचार-प्रसार पत्रों, होर्डिंग्स/पम्पलेट आदि पर निम्न प्रकार से व्यय किया गया है :-

1994-95	रुपये 38.85 लाख
1995-96	रुपये 39.97 लाख

क्र सं.	जिला	संख्या
1.	अजमेर	73
2.	अलवर	7
3.	बांसवाड़ा	2
4.	बाड़मेर	12
5.	बारां	11
6.	भीलवाड़ा	47
7.	भरतपुर	7
8.	बीकानेर	45
9.	बूंदी	20
10.	चित्तौड़गढ़	14
11.	चूरू	23
12.	दौसा	6
13.	धौलपुर	—
14.	डूंगरपुर	4
15.	श्रीगंगानगर	12
16.	जयपुर	180
17.	जैसलमेर	9
18.	जालोर	10
19.	झालावाड़	4
20.	झुंझुनूं	17
21.	जोधपुर	190
22.	कोटा	83
23.	नागौर	37
24.	पाली	58
25.	राजसमंद	9
26.	सवाईमाधोपुर	12
27.	सीकर	25
28.	सिरोही	2
29.	टोंक	4
30.	उदयपुर	68
31.	हनुमानगढ़	7
	कुल योग	1006
	विदेशी	13
	अन्य राज्यों के	60
	सूचना अप्राप्त	166
	कुल योग	1245

वर्ष 1992-93 से 1995-96 तक भारत सरकार द्वारा संघटकवार राशि का आबटन एवं राज्य सरकार द्वारा व्यय का ब्यौरा

(रु. लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	1992-93		1993-94		1994-95		1995-96		कुल योग	
		भारत सरकार द्वारा जारी की गई राशि	व्यय	भारत सकार द्वारा जारी की गई राशि	व्यय	भारत सरकार द्वारा जारी की गई राशि	व्यय	भारत सरकार द्वारा जारी की गई राशि	व्यय	भारत सरकार द्वारा जारी की गई राशि	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	कार्यक्रम प्रबन्धन	13.34	6.80	7.12	12.91	9.50	9.99		10.44	37.46	40.14
2.	ब्लड सेफ्टी हेतु ब्लड बैंकों का आधुनिकीकरण	6.00	3.81	4.50	4.67	15.63	3.70		12.44	43.63	24.62
3.	क्षेत्रीय ब्लड परीक्षण केन्द्र	4.00	0.94	3.75	2.54	5.00	0.58		0.70	15.25	4.76
4.	रक्त के अवयवों को पृथक करने हेतु सुविधा	—	—	—	—	—	—		—	5.50	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					33.80	36.80	30.70		31 74		
5.	सूचना, शिक्षा एवं प्रचार (प्रचार) एवं स्वयं सेवी संस्थान	10.00	9.56	18.75	21.24	20.00	8.15		8.23	121.55	109.62
6.	रति रोग नियंत्रण	7.50	3.21	5.63	8.58	7.50	4.77		5.98	24.38	22.54
7.	निगरानी	0.52	0.50	0.39	0.41	1.37	0.50		0.23	2.98	1.64
8.	सेन्टीनल साइट	—	—	—	—	2.00	—		—	2.55	—
9.	प्रशिक्षण	—	—	7.50	0.76	25.00	1.40		0.53	18.50	2.69
	योग :—	41.36	24.82	47.64	51.11	123.85	59.79		70.29	301.80	260.01

नोट :—भारत सरकार द्वारा वर्ष 1995-96 में एक मुश्त राशि रु. 90.00 लाख का आवंटन किया गया जिसे एड्स कार्यक्रम के सभी कम्पोनेन्ट्स आवश्यकतानुसार व्यय किया जाना है।

(219)

लाइसेन्स प्राप्त ब्लड बैंक

1.	सामान्य चिकित्सालय,	उदयपुर
2.	महिला चिकित्सालय,	जयपुर
3.	सवाई मानसिंह चिकित्सालय,	जयपुर
4.	जनाना चिकित्सालय,	जयपुर
5.	जवाहर लाल नेहरु चिकित्सालय,	अजमेर
6.	उम्मेद होस्पिटल,	जोधपुर
7.	एम. बी. एस. चिकित्सालय.	कोटा
8.	जिला चिकित्सालय,	बूंदी
9.	सादत चिकित्सालय,	टोंक

निजी क्षेत्र के ब्लड बैंक

10.	संतोकबा दुर्लभ जी होस्पिटल,	जयपुर
11.	स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक-टी. आर. सी.,	जयपुर
12.	तपोवन ब्लड बैंक	श्री गंगानगर

लाइसेन्स हेतु निरीक्षण के लिए तैयार है

1.	ए. के. होस्पिटल,	ब्यावर
2.	जिला चिकित्सालय,	चित्तौड़गढ़
3.	जिला चिकित्सालय,	श्रीगंगानगर
4.	जिला चिकित्सालय,	सिरोही
5.	जिला चिकित्सालय,	पाली
6.	जिला चिकित्सालय,	भीलवाड़ा

लाइसेन्स के लिए आवेदन प्राप्त हो गये है

1.	जिला	चिकित्सालय,	अलवर
2.	,,	,,	भीलवाड़ा
3.	,,	,,	भरतपुर
4.	,,	,,	चित्तौड़गढ़
5.	,,	,,	जैसलमेर
6.	,,	,,	सीकर
7.	,,	,,	जालौर
8.	,,	,,	पाली
9.	,,	,,	बीकानेर
10.	,,	,,	श्रीगंगानगर
11.	,,	,,	सवाईमाधोपुर
12.	,,	,,	ब्यावर
13.	,,	,,	सीरोही
14.	,,	,,	धौलपुर
15.	,,	,,	नागौर
16.	,,	,,	चूरू
17.	,,	,,	बारां
18.	,,	,,	डूंगरपुर
19.	,,	,,	राजसमंद
20.	,,	,,	बाड़मेर
21.	,,	,,	हनुमानगढ़
22.	,,	,,	झुन्झुनू

अभी तक आवेदन नहीं किया है

1.	जिला	चिकित्सालय	दौसा
2.	,,	,,	करौली
3.	,,	,,	रतनगढ़
4.	,,	,,	प्रतापगढ़
5.	,,	,,	बांसवाड़ा
6.	,,	,,	सोजत सिटी
7.	,,	,,	झालावाड़
8.	एम. जी हॉस्पिटल,		जोधपुर
9.	एम. डी. एम. चिकित्सालय		जोधपुर

नगर परिषद, पाली के सभापति के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

74. श्री भीमराज भाटी (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद पाली के सभापति के विरुद्ध कुछ पार्षदों द्वारा मुख्य मंत्री एवं स्वायत्त शासन मंत्री को शिकायतें प्रेषित की गई ? यदि हां, तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन शिकायतों की जांच हेतु मुख्य मंत्री कार्यालय से जिला कलक्टर, पाली को निर्देश दिये गये ? यदि हां, तो जांच आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि स्वायत्त शासन मंत्री को प्राप्त नगर परिषद, पाली के विरुद्ध शिकायतों पर कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गई ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों ? कार्यवाही का ब्योरा सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या मुख्य मंत्री के जांच आदेश के बाद जिला कलक्टर पाली ने जांच पूर्ण कर ली है ? यदि नहीं, तो कब तक जांच पूर्ण कर ली जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, प्राप्त शिकायतों की फोटो प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, जांच आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(3) जी नहीं, प्राप्त शिकायतों की जांच जिला कलक्टर पाली के माध्यम से कराई जा रही है।

(4) जी नहीं, जांच कार्यवाही अभी जारी है जो शीघ्र पूरी कर ली जावेगी।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

पंचायत समिति, जहाजपुर द्वारा जिला विकास प्राधिकरण को प्रेषित प्रस्ताव

75. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर): क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सभाओं तथा पंचायतों द्वारा इंदिरा आवास तथा अन्य योजनाओं बाबत प्रस्ताव पंचायत समिति के माध्यम से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को भेजे जाते हैं ? यदि हां, तो उसके दिशा निर्देश मानदंड क्या-क्या हैं तथा इनके अनुसार वर्ष 1995-96 व 1996-97 में पंचायत समिति, जहाजपुर से विभिन्न पंचायतों के क्या-क्या प्रस्ताव भेजे गये और उन पर क्या-क्या स्वीकृतियां दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, जहाजपुर में उक्त योजनाओं में भारी अनियमितता, पक्षपात तथा सौदेबाजी तथा धन के दुरुपयोग की आम शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां तो सरकार द्वारा इन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य सरकार द्वारा इंदिरा आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देश/मापदण्ड परिशिष्ट "अ" पर अंकित है। पंचायत समिति, जहाजपुर द्वारा ग्राम पंचायतों से इन्दिरा आवास, जीवनधारा, माडा, आई.आर.डी., जवाहर रोजगार योजना, सांराद, अपना गांव अपना काम तथा तीस जिला तीस काम योजनाओं के अन्तर्गत जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, भीलवाड़ा को वर्ष 1995-96 व 1996-97 में प्रेषित प्रस्ताव व जारी की गई स्वीकृतियां परिशिष्ट "ब" पर अंकित हैं।

(2) पंचायत समिति, जहाजपुर में जीवनधारा एवं इन्दिरा आवास योजनाओं में भ्रष्टाचार होने सम्बन्धी खबर "हिन्दुस्थान-दिल्ली" समाचार पत्र के दिनांक 14·10·96 के अंक में प्रकाशित हुई। जिसकी जांच हेतु उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा एवं सहायक अभियंता की एक समिति का गठन किया जाकर जांच करवाई गई। जांच के दौरान जिन मामलों में अनियमितताएं पाई गई उन मामलों में नियमानुसार दोषी व्यक्तियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

राज्य का लिग्नाइट भण्डार

76. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में पाये गये लिग्नाइट (भूरा कोयला) के भण्डारों में से पिछले 10 वर्षों में प्रति वर्ष कितने टन खनिज निकाला गया ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य में गलत नीतियों के कारण इसका दोहन नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो इस बाबत सरकार क्या योजना बना रही है ?

उत्तर

(1) राज्य में अब तक किये गये सर्वेक्षण कार्यों के आधार पर बाड़मेर, बीकानेर, नागौर एवं जैसलमेर जिलों में कुल लगभग 1350 मिलियन टन-भूरा कोयला के भण्डार अनुमानित किये गये हैं। इन जिलों में से, बाड़मेर जिले के गिराल क्षेत्र में मई, 95 से लिग्नाइट का खनन राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम के द्वारा प्रारम्भ किया गया है। मई, 95 से मार्च, 96 तक 62107 मैट्रिक टन एवं अप्रेल, 96 से दिसम्बर, 96 तक 54612 मैट्रिक टन लिग्नाइट का उत्पादन हो चुका है।

(2) जी, नहीं। यह सही है कि गलत नीतियों के कारण इसका दोहन नहीं किया जा रहा है। जब से राज्य में लिग्नाइट खनिज के इतनी मात्रा में विस्तृत भण्डार का अनुमान लगाया गया है तब से ही राज्य सरकार इसके दोहन के लिए सतत् प्रयत्नशील रही है। इस दिशा में सर्वप्रथम नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि0 (भारत सरकार का उपक्रम) के साथ बरसिंगसर क्षेत्र के भण्डार के उपयोग हेतु करार किया गया था किन्तु उक्त उपक्रम द्वारा वांछित उत्साह नहीं दर्शाया गया। इसके पश्चात अन्तरराष्ट्रीय निविदाएं आमंत्रित की गई एवं हाल ही में मैसर्स हिन्दुस्तान डवलपमेन्ट कारपोरेशन को बरसिंगसर क्षेत्र हेतु चयन किया गया एवं बरसिंगसर, पलाना, गुढ़ा व बिथनोक लिग्नाइट के भण्डारों के आधार पर 2×250 मेगावाट क्षमता के ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का करार किया गया है। इसी प्रकार कपूरड़ी एवं जालीपा के लिग्नाइट भण्डारों के आधार पर क्रमशः 2×300 मेगावाट एवं 2×300 मेगावाट क्षमता के ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु मैसर्स वेस्ट पावर का चयन किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य भण्डारों के दोहन हेतु भी राज्य सरकार पूर्णरूप से सजग है एवं उचित कार्यवाही की जा रही है।

पूरक सामग्री

राजस्थान में लिग्नाइट भण्डारों की सूची

क्रम सं0	क्षेत्र का नाम व जिला	जियोलोजिकल	रिजर्वस
1.	पलाना, बीकानेर	23·60	मिलियन टन
2.	बरसिंगसर, बीकानेर	78·00	"
3.	गुड़ा क्षेत्र, बीकानेर	80 00	"
4.	बिथनोक, बीकानेर	57·65	"
5.	कपूरड़ी, बाड़मेर	154·40	"
6.	जालिया, बाड़मेर	468·00	"
7.	गिराल, बाड़मेर	102·00	"
8.	कस्नऊ-इग्यार, नागौर	65·00	"
9.	मेड़तारोड, नागौर	83·20	"
10.	माडल चारण, बीकानेर	15 00	"
11.	मोखला, नागौर	36·50	"
12.	इन्दावर, नागौर	12·00	"
13.	गहियाला एवं बिथनोक, बीकानेर	40·11	"
14.	सोनारी क्षेत्र, बाड़मेर	43·52	"
15.	जोगेश्वरतला, बाड़मेर	34 52	"
16.	सच्चा-सौदा, बाड़मेर	28·70	"
17.	खुड़ी, जैसलमेर	13·80	"
18.	मारका, बाड़मेर	9·46	"
19.	गुना बोथिया, मारका क्षेत्र, बाड़मेर	10·40	"
	कुल योग—	1351·67	मिलियन टन
	या लगभग—	1350·00	मिलियन टन

जिला नागौर में विदेशी मदिरा के स्वीकृत ठेके

77. श्री रूपाराम (मकराना) : क्या मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1995-96 हेतु जिला नागौर में अंग्रेजी शराब के ठेके किस-किस को कितनी-कितनी राशि के दिये गये हैं ? ठेका क्षेत्र का विवरण मय गांवों के नाम की सूची के सदन की मेज पर रखें।

(2) नागौर जिले में ठेकेदारों की अधिकृत दुकानें कहां-कहां, किस-किस ग्राम में हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 95-96 हेतु जिला नागौर में अंग्रेजी शराब के ठेके निम्न प्रकार स्वीकृत किये गये हैं:—

क्र.सं.	समूह का नाम	पार्टी का नाम	राशि	मुख्य दुकान	उप दुकान
1.	नागौर-जायल	श्री जोराराम एंड पार्टी	1,38,51,106	नागौर	नागौर, खींवसर जायल, कुचेरा
2.	मेड़ता-डेगाना	ओमप्रकाश, मेघराजसिंह एण्ड पार्टी	1,92,61,158	मेड़तारोड मेड़ता-सिटी डेगाना।	बोटन, गोठन हरसोर, मेड़ता सिटी बाईपुरा डेगाना
3.	नावां-कुचामन	भागीरथसिंह एण्ड पार्टी	1,51,36,676	कुचामनसिटी	नावां चितावा
4.	परबतसर-मकराना	सूरजपालसिंह एण्ड पार्टी	2,76,52,076	मकराना	परबतसर रावड़
5.	डीडवाना-लाडनूं	चेतनदास, कला चौहान एण्ड पार्टी	2,07,33,000	डीडवाना लाडनूं	डीडवाना, भासोटा

(मुख्य (आबकारी) मंत्री)

(2) वर्तमान में (वर्ष 96-97) जिला नागौर में ठेकेदारों से अधिकृत स्वीकृत दुकानों का विवरण निम्न प्रकार है:—

नागौर-जायल समूह—

(ए) देशी मदिरा

1. मानासर चुंगी नाका
2. मूण्डवा,
3. कुचेरा
4. माही गेट नागौर,
5. दिल्ली गेट नागौर
6. कुम्हारी गेट नागौर
7. नकश गेट नागौर
8. तहसील चौक नागौर,
9. रेलवे स्टेशन नागौर
10. रोडवेज डिपो नागौर
11. नेहरू कालोनी नागौर
12. कुचेरा नं. 2
13. कुचेरा नं. 3
14. बाईपास चौराहा नागौर
15. खिवसर
16. जायल
17. रोल
18. हुरनऊ
19. डेह
20. खाटूबड़ी
21. बासनी
22. रेलवे स्टेशन खाटू बड़ी
23. खजवाना
24. बिलोका
25. कड़लू
26. मावण्डा
27. पचौड़ी
28. श्री बाला जी
29. अड़ियासन
30. अरूण
31. जायल सं0 2
32. जायल सं0 3
33. पांखवास
34. लूणसरा

(बी) भा.नि.वि. मदिरा

1. खींवसर
2. जायल
3. मूंडवा
4. कुचेरा
5. बड़ी खाटू

(सी) शहरी क्षेत्र की भा.नि.वि. मदिरा दुकानात

1. रेलवे स्टेशन नागौर
2. दिल्ली गेट नागौर

मेड़ता समूह

देशी मदिरा दुकानात

1. मेड़ता सिटी नं. 1

[redacted]

231

(229)

(मुख्य (आबकारी) मंत्री)

2. मेड़ता सिटी नं. 2
3. मेड़ता सिटी नं. 3
4. मेड़ता सिटी नं. 4
5. मेड़ता सिटी नं. 5
6. मेड़ता सिटी नं. 6
7. जसनगर
8. लाम्पोलाई
9. मेड़ता रोड
10. गंगराना
11. गोठन
12. रेण
13. पादूबड़ी
14. रियाबड़ी
15. गोठण नं.2
16. बाईपुरा मेड़ता रोड
17. नोखा चान्दावता
18. बीटन
19. डांगावास
20. लाम्बा
21. हुरसोलाव
22. छापरी
23. गुणीपोल
24. लीलिया
25. कुरडाया
26. भवालमाताजी
27. गोठन नं.3
28. गोठन नं.4

(बी.) भा.नि.वि. मदिरा

1. मेड़ता सिटी नं. 1,
2. मेड़ता सिटी नं. 2
3. मेड़ता रोड
4. गोठन
5. बीठन

डेगाना समूह

(अ) देशी मदिरा - दुकानात

1. बाईपुरा डेगाना
2. पालड़ी कांदा
3. बालनियावास
4. थावला
5. हुरसोर
6. चाँदारुन
7. बटाटी
8. डेगाना
9. साजू
10. डेगाना
11. मेवड़ा
12. ईडवा
13. थावला,
14, सारण्डा
15. थावला नं. 2
16. भैरून्दा
17. किरोदा
18. निम्बड़ीकलां

(मुख्य (आबकारी) मंत्री)

19. बेनीवालों की ढाणी
20. डेगाना गांव
21. थांवला नं. 3
22. हुरसोर

(बी) भारत निर्मित विदेशी मदिरा

1. बाईपुरा डेगाना नं. 1
2. डेगाना नं. 2
3. थांवला
4. हुरसोर

नावां—कुचामन समूह

(अ) देशी मदिरा दुकानात

1. नावां नं. 1
2. नावां न. 2
3. नावां नं. 3
4. नावां नं. 4
5. कुचामन सिटी नं. 1
6. कुचामन सिटी नं. 2
7. कुचामन सिटी नं. 3
8. कुचामन सिटी नं. 4
9. गढा
10. घाटवा
11. पांचवा
12. जोलिया
13. लिचाणा
14. चितावा
15. देवली
16. मारोठ
17. सिन्दा
18. नारायणपुरा
19. मीठड़ी
20. लूणवा
21. भगवानपुरा
22. जावदीनगर
23. राजास
24. परेवड़ी
25. पलाड़ा

(बी) भारत निर्मित विदेशी मदिरा दुकानात

1. नवयी
2. कुचामन सिटी
3. चितावा
4. राणासर

परबतसर-मकराना समूह

(अ) देशी मदिरा दुकानात

1. परबतसर नं. 1
2. परबतसर नं. 2
3. परबतसर नं. 3
4. परबतसर नं. 4
5. मकराना नं. 1
6. मकराना नं. 2
7. मकराना नं. 3
8. गणपति मकराना

(मुख्य (आबकारी) मंत्री)

9. वरुण
10. पीलवा
11. बोरावड़
12. बेसरोली
13. गच्छीपुरा
14. बडू
15. जावला
16. बुड़सू
17. मकरी
18. रीठ
19. कालेहड़ा
20. पट्टी डोबरिया
21. चावण्डिया
22. कालानाडा
23. कोलाडूंगरी
24. खोखर
25. पीपल्दा

(बी) भारत निर्मित विदेशी मदिरा दुकानात

1. परबतसर
2. बोरावड़
3. मंगलाना

(सी) शहरी क्षेत्र में भारत निर्मित विदेशी मदिरा दुकानात

1. मकराना

डीडवाना समूह

(अ) देशी मदिरा दुकानात

1. डीडवाना नं. 1
2. डीडवाना नं. 2
3. मोलासर
4. खुनखुना
5. बाढडी
6. छोटीखाटू
7. मारवाड़ बालिया
8. आकोदा
9. तोषिणा
10. कोलिया
11. खोखरों का वास
12. दौलतपुरा
13. सिंघाना
14. ललासरी
15. डाबड़ा
16. सुमका
17. कियक
18. निकोद
19. ठाकरियावास
20. डेगाना रोड, छोटी खाटू
21. डूंगोलाव की ढाणी
22. चोलूखां

(बी) भारत निर्मित विदेशी मदिरा दुकानात

1. डीडवाना नं. 1

(मुख्य (आबकारी) मंत्री)

2. डीडवाना नं. 2

3. छोटीखाटू

लाडनूं-समूह

(अ) देशी मदिरा दुकानात

1. लाडनूं नं. 1

2. लाडनूं नं.2

3. लाडनूं नं.3

4. मगरावास लाडनूं

5. मीठडी

6. जसवन्तगढ़

7. रोडू

8. बल्दू

9. निम्बीजोगा

10. कसुम्बी

11. सारडी

12. ध्रोडिट

13. च्याबा

14. सिलनवाद

15 सुनारी

16. लाबराद

17. बस स्टेण्ड लाबराद

(बी) भारत निर्मित विदेश मदिरा दुकानात

1. लाडनूं

2. आसोटा

परिशिष्ट-4

परिशिष्ठ-"क"

(तारांकित प्रश्न संख्या 56 की प्रति)

नतीजा चार्जशीट नं0 38 दिनांक 27-6-96

मु0 नं0 39/96 धारा 302, 201 ता0 हि. थाना मुकलावा जिला श्रीगंगानगर

महोदय,

निवेदन है कि मुकदमा हालात में मुस्मात सन्तोष पत्नी श्री गुरमीत सिंह जाति राय सिख निवासी 15 एनपी उम्र 25 वर्ष ने अपने चाचा हरनाम सिंह के साथ दिनांक 17-3-96 को हाजीर थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि 14 मार्च की रात करीब 9 बजे कोई अज्ञात व्यक्ति मेरी ढाई-तीन वर्षीय बच्ची को घर से उठा कर ले गया एवं उसकी निर्मम हत्या कर दी। बच्ची का शव हमें 15 मार्च को 2 बजे एन0पी0 माइनर की टेलो के पास पड़ा देखा जिसे हमने पहचान लिया की यह हमारी बच्ची है, हमें शव के बारे में गांव के 22 एन0पी0 के किशन लाल बावरी ने सूचना दी की अपने खेतों की ओर जा रहा था। हमने थाना मुकलावा में मौखिक सूना दी तेज आंधी की वजह से शव 15 मार्च को रात्रि करीब 10 बजे ग्रामवासियों की उपस्थिती में घर उठा लाये और 16 मार्च को कब्रिस्तान में दफना दिया। उसके सीर पर तेज धार हथियार से तीन चार चोटे लगी हुई थी जिसे हमारी बच्ची की हत्या होने का पूरा अंदेशा है। हमारे पढ़े-लिखे न होने तथा कानूनी प्रक्रिया का ज्ञान न होने के कारण हमने शव दफना दिया है। अतः आपसे निवेदन है कि बच्ची का शव निकाल कर उसका पंचायत नामा कर मामले की जांच की जावे आपकी अति कृपा होगी। मुस्मात संतोष ने मजीद पर बताया कि मेरी लड़की को घर से उठा कर मारने में मुझे भगवान सिंह पुत्र श्री लटकन सिंह व मख्त्यार सिंह पुत्र श्री बग्गा सिंह निवासी 15 एन0पी0 पर शक है क्योंकि भगवान सिंह जादू टोने करता है मुख्तायार सिंह के कोई बच्चा नहीं है मेरी चरणी मेरी पहली पैदाइश है। जादू टोने पहली पैदाइश पर ही सफल होते हैं। लड़की को पंचायत के कहने से दफना दिया। पंचायत ने लिखा पढ़ी की थी जो मैं पेश कर दूंगी वगैरा-वगैरा पर प्रमि0 सं0 39/96 धारा 302, 201 ता0 हि0 में दर्ज कर तफतीश शुरू की। मुस्मात संतोष से अनुसंधान

कर बयान लिखे । घटना स्थल पर पहुंचे जहां पर बच्ची की लाश मिली थी माइनर की टेल एवं जहां से जीत सिंह के घर से बच्ची गायब हुई थी दोनों घटना स्थल का नक्शा मोका, हालात मोका मुर्तिब किये । मुतलकीन जीत सिंह, गुरमीत सिंह रामकंवर, जगतार सिंह अमीर सिंह के बयान लिये गुरमीत सिंह के पिता जीत सिंह के पेश करने पर मुस्मात चरणी को दफनाने के सम्बन्ध में पंचायत द्वारा की गई लिखा पढ़ी को कब्जा पुलिस में जतरये फर्द ली गई । दिनांक 18-3-96 को एस. डी. एम. सा. राय सिंह नगर की मोजूदगी में मृतका चरणी की दफनाई हुई लाश जमीन में से निकलवा कर फर्द सूरत हाल नाश एवं पचायत नामा मुस्मात चरणी की लाश के साथ ही वाका के वक्त पहने पार्वति पजामी व कोटी जमीन में मिले जिन्हें जरिये फर्द कब्जा पुलिस में लिया गया शमशान घाट का नक्शा मोका हालात मोका मुर्तिब किये । मुस्मात चरणी की लाश अलग-अलग कोनो से फोटो कराये गये मेडिकल बोर्ड के मैम्बर मैम्बर डाक्टर श्री ओ पी अग्रवाल, श्री नरेडामक्कड़, डा. पी. आर. बंसल से चरणी की लाश का पोस्ट मार्टम कराया गया जिन्होंने लाश सली गली होने के कारण-कारण मौत अंकित नहीं किया । मगर मुस्मात चरणी के सिर में दो चोटे आना अंकित किया है । बाद पोस्ट मार्टम लाश को जरिये रसीद गुरमीत सिंह को सम्भलाई जिन्होंने श्री एस. डी. एम. सा. के समक्ष उसी खड्डा में दफना दिया । बाद अजा मुतलकीन किशन सिंह, बचन सिंह जीतो बाई, हरबंश कौर से तफ्तीश कर बयान लिये दिनांक 19-3-96 को सर्व-प्रथम लाश किशन सिंह ने देखी थी । उसके बयान लिये गये । मुस्तगीस पक्ष द्वारा इस घटना पर भगवान सिंह एवं मुख्त्यारसिंह पर शक किया जा रहा था । इस पर भगवान सिंह एवं मुख्त्यार सिंह से तफतीश की गई । भगवान सिंह के बारे में तस्दीक हुई की वह मामूली झाड-फोक जानता है जैसे डाढ़ का दर्द मेटना आदि इसके अलावा भगवान सिंह की यह भी तस्दीक हुई की बरोज वाका भगवान सिंह गगानगर में किसान सम्मेलन में गया हुआ था मुख्त्यार सिंह के बारे में भी तस्दीक हुई की उसे औलाद की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसने पांच-छ साल से अपनी साली का लड़का गोद ले रखा है इसके बाद मुस्तगीस पक्ष का शक गांव में तांत्रिक विद्या जानने वाले गुरदेव सिंह पुत्र श्री अर्जुन सिंह कापडिया निवासी 15 एन. पी. पर हुआ गुरदेव सिंह से अनुसंधान किया तो गुरदेव सिंह ने वाका के रोज गांव में नहीं होना बताया लेकिन बयान तितम्ब मुस्मात संतोष से यह बात स्पष्ट हुई की वाका की रात्री एवं दूसरे रोज गुरदेव सिंह गांव 15 एन. पी. अपने घर था मुस्तगीस पक्ष द्वारा पेश

करने पर स्वर्ण सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह से तफतीश कर बयान लिये अन्य मुतलकिन गंगा सिंह हरबंश सिंह, हरनाम सिंह, जगतार सिंह परमीत सिंह से पुनः तफतीश की गई। मृतका के दादा लालसिंह दादी बीरा बाई, अवतार सिंह, मस्मात राम कंवर, ओशन सिंह, पासो बाई से तफतीश की तो पाया की गुरदेव सिंह एक तांत्रिक व्यक्ति है गवाह गंगा सिंह ने वाका की रात गुरदेव सिंह के घर में बच्चे के रोने की आवाज सुनी थी। रात्री को गवाह स्वर्ण सिंह ने गुरदेव सिंह के पास कम्बल में एक बच्चे के लटकते पांव देखें बताये हैं इन परिस्थितियों में मुलजिम गुरदेव सिंह पुत्र अर्जुन सिंह कापडिया उम्र 40 वर्ष निवासी 15 एन. पी. को गिरफ्तार कर अनुसंधान किया मुलजिम गुरुदेव सिंह से रियायसी मकान का मुलायजा किया। फर्द रियायती मकान गुरदेव सिंह मुर्तिब की गई। गुरदेव सिंह के घर से गुरुदेव सिंह एवं अन्य सोताराम नामक व्यक्ति को एक फोटो जरिये फर्द कब्जा पुलिस में ली गई। मुस्मात चरणो की पारचात कोटी व पाजामा को परिक्षण हेतु एफ. एस. एल. जयपुर भिजवाया। मुतलकीन मक्खन सिंह, दीवान सिंह से तफतीश कर बयान लिये।

इस प्रकार तफतीश पुलिस बयानात गवाहान पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मुलजिम गुरदेव सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जाति कापडिया उम्र 40 वर्ष साकिन 15 एन. पी. ने अपनी तांत्रिक विद्या को सफल बनाने के लिए मुस्मात चरणो की हत्या की है जो जुर्म 302 आई. पी. सी. का दोषी है।

अतः गुरुदेव सिंह के खिलाफ चार्जशीट नं. 38/96 पेश कर निवेदन है कि समायत फरमायें।

हस्ता.

(नथमल मीणा),

थानाधिकारी पुलिस थाना

मुकलावा जिला गंगानगर।

सूची ज्यूडिशयल कागजात

1. चार्ज शीट हाजा 2. हसल परिवाद कायमी एफ. आई. आर
3. नक्शा मौका हालात मौका मायनर टैल 4. नक्शा मौका मकान जीत सिंह

जहां से बच्ची को उठाया गया 5. फर्द मकबूजरी एक बही 6. फर्द सूरत हाल नाश मुस्मात चरणी 7. पंचायत नामा 8. फर्द जब्ती कोटी एवं पाजामी 9. नक्शा मोका हालात मोका शमशान घाट 10. रसीद नाश 11. पोस्ट मार्ट रिपोर्ट मुस्मात चरणी 12. विधि विज्ञान प्रयोगशाला के नाम पत्र क्रमांक 124 दिनांक 2-4-96 13. रसीद एफ0 एस0 एल0 नं03192 दि0 6-4-96 14. फर्द स्थिति मकान मुलजिम गुरदेव सिंह 15. फोटो मुलजिम गुरदेव सिंह एवं एक अन्य व्यक्ति मय फोटो के 16. फोटो पोज शमशान घाट एवं मृतका चरणी 17. फर्द गिरफ्तारी मुल0 गुरुदेव सिंह 18. नकल रजिस्टर मालखाना 19. बयान गवाहान श्रीमती सन्तोष, हरनाम सिंह, जीत सिंह, गुरमीत सिंह, रामकंवर जगतार सिंह, अमीर सिंह किशन सिंह, बचन सिंह, श्रीमती गोलो बाई, श्रीमती हरवंश कौर, किशनसिंह बावरी, हरवंश सिंह तीतम्बा यान सन्तोष श्रवण सिंह गंगा सिंह तितम्बा, बयान हरबंश सिंह तीतम्बा बयान जगतार सिंह, तितम्बा बयान गुरमीत सिंह, लाल सिंह, श्रीमती बीरा बाई, अवतार सिंह तितम्बा बयान राम कंवर बिशन सिंह, कासी बाई मक्खन सिंह दिवान सिंह ।

सूची गवाहान :—

1. सन्तोष पत्नी गुरमीत सिंह राय सिख उम्र 25 वर्ष सा0 15 एनपी
2. हरनाम सिंह पुत्र श्री काला सिंह राय सिख उम्र 38 वर्ष नि0 15 एनपी
3. जीत सिंह पुत्र श्री काला सिंह राय सिख उम्र 50 वर्ष नि0 15 एनपी
4. गुरमीत सिंह पुत्र श्री लाल सिंह राय सिख उम्र 25 वर्ष नि0 15 एनपी
5 श्रीमती राम कंवर पत्नी जीत सिंह राय सिख उम्र 45 वर्ष नि0 15 एनपी
6. श्री जगतार सिंह पुत्र श्री काला सिंह राय सिख उम्र 40 वर्ष नि0 15 एन पी

7. अमीर सिंह पुत्र श्री काला सिंह राय सिख उम्र 33 वर्ष 15 एन पी
8. श्री किशन सिंह पुत्र श्री काला सिंह राय सिख उम्र 52 वर्ष नि0 15 एन पी
9. श्री बचन सिंह पुत्र काला सिंह —,,— उम्र 36
10. श्री जीतो बाई पत्नी हरनाम सिंह राय सिख उम्र 35 वर्ष 15 एन पी
11. श्रीमती हरबंस कौर पत्नी बचन सिंह राय सिख उम्र 35 वर्ष 15 एन पी
12. श्री किशन सिंह बावरी साकीन 22 एन पी
13. श्री हरबंश सिंह पुत्र हुक्म सिंह राय सिख 15 एन पी
14. ,, श्रवण सिंह पुत्र लछमण सिंह राय सिख 15 एन पी
15. ,, गंगा सिंह पुत्र उत्तम सिंह राय सिख 15 एन पी
16. ,, लाल सिंह पुत्र हुक्म सिंह राय सिख बडोपल (निवासी-बडोपल)
17. श्रीमती वीरो बाई पत्नी लाल सिंह राय सिख नि0 बडोपल
18. श्री अवतार सिंह पुत्र मक्खन सिंह राय सिख नि0 15 एनपी
19. ,, किशन सिंह पुत्र काला सिंह राय सिख नि0 गगूवाला सिखान
20. श्रीमती पासो बाई पत्नी श्रवण सिंह राय सिख 15 एनपी
21. श्री मक्खन सिंह पुत्र तेजा सिंह राय सिख नि0 एनपी
22. ,, दीवान सिंह पुत्र शेर सिंह राय सिख नि0 37 पीएस
23. ,, दीवान सिंह पुत्र ईसर सिंह राय सिख नि0 15 एन पी
24. ,, जोगेन्द्र सिंह पुत्र हरनाम सिंह राय सिख नि0 मोकी
25. ,, गुरदेव सिंह उर्फ बग्गर सिंह पुत्र दीवान सिंह राय सिख 15 एनपी
26. ,, गुरदीप सिंह पुत्र गजन सिंह राय सिख 15ए नपी
27. ,, प्रेम सुख एस0 डी0 एम0 रायसिंहनगर
28. श्री पी0 आर0 बंसल, रा0 चिकित्सालय रायसिंहनगर
29. डा0 नरेश मक्कड —,, —

30. डा0 प्रो0 पी0 अग्रवाल रा0 चि0 रायसिंहनगर
31. श्री हनुमान सिंह, एच0सी0 62 पी. ए. मकलावा
32. ;; राम लाल एलएचसी 623 पी, ए, मुकलावा
33. ;; रमेश कुमार कावेरी फोटो स्टुडियो रायसिंहनगर
34. नथमल, थानाधिकारी, पुलिस थाना मुकलावा

हस्ता0
नथ मल मीणा
उप0 निरी0
थानाधिकारी, थाना मुकलावा 2

परिशिष्ट-5 ANNEXURE 'क'

(तारांकित प्रश्न संख्या 57 का विवरण)

Statement Showing Financial performance (profit/Loss) of Public Enterprises in Rajasthan for the Period 1990-91 to 1994-95

(Rs. in lacs)

Profit/Loss

S. No.	Name of Enterprise	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5	6	7
A.	**Statutory Corporation/Board.**					
1.	Raj. State Electricity Board.	10124.21	2888.02	5804.58	5346.01	5729.66
2.	Rai State Road Transport Corporation.	— 859 28	1272.40	781.04	2380.16	2583.48
3.	Raj. Financial Corporation.	612 45	787.20	—1720.86	—818.94	—727.51

1	2	3	4	5	6	7
4.	Raj. State warehousing Corpn.	41.93	42.29	48.44	56.86	146.14
5.	Raj. Housing Board	249.62	761.65	1984.33	1241.06	427.61
6.	Raj. Land Development Corpn.	165.45	124.00	183.47	180.00	185.10
7.	Raj State Agriculture Mktg. Board.	52.40	178.24	217.78	248.34	244.40
B.	Registered Companies.					
8.	Raj State Ganganagar Sugar Mills Ltd.	4.01	—69.90	12.57	4.49	27.32
9.	Raj State Mines & Minerals Ltd.	538.28	897.16	5.86	819.63	1374.17
10.	Rajasthan State Industrial Development & Investment Corpn. Ltd.	248.23	840.64	761.02	829 96	1017 47

1	2	3	4	5	6	7
11.	Raj. State Mineral Development Corpn. Ltd.	86.75	197.62	88.38	—106.81	—295.01
12.	Raj. Small Industries Corpn. Ltd.	—29.62	47.99	53.76	—13.66	—21.78
13.	Raj. State Hotels Corporation Ltd.	3.53	6.76	11.77	14.84	—6.79
14.	Raj. Rajya Paryatan Vikas Nigam Ltd.	55.05	119.51	206.62	124.77	28.87
15.	Raj. State Seeds Corpn. Ltd	—85.61	—19.70	57.11	117.60	132.67
16.	Raj. State Agro Industries Corporation Ltd.	—224.72	—101.05	—65.85	—48.34	—80.60
17.	Raj. State Bridgs & Construction Corpn. Ltd.	98.67	91.04	131.46	176.92	312.41
18.	Raj. State Handloom Dev. Corpn. Ltd	—35.52	6.45	—69.68	—41.00	—65.00

1	2	3	4	5	6	7
19.	Raj. Jal Vikas Nigam Ltd.	—6.19	10.84	7.97	8.51	2.31
20.	The Raj. State Tanneries Ltd.	– 35.77	– 12.91	47.21	22.28	—
21.	Raj. Electronics Ltd.	39.32	15.32	—7.80	—9.76	—10 97
22.	Raj. State Thngsten Development Corpn. Ltd	23.86	—27.44	9.50	0.03	14.35
C.	**Registered Co-operative Societies.**					
23.	Sriganganagar Cooperastive Octtom Complex Ltd. Sriganganagar.	—	—	—372.02	—92.47	—169.05
24.	Raj. SC & ST Finance & Development Co-operative Corpn. Ltd.	112 30	101.81	202.27	199.112	57 02

1	2	3	4	5	6	7
25.	Raj. Tribal Area Dev. Coop. Federation Ltd.	—34.20	3.62	—35.28	—91.55	—156.35
26.	Raj. State Bunkar Sahkari Sangh Ltd.	55.96	79.87	45.26	18 60	11.95
27.	Raj. State Cooperative Sheep & Wool Marketing Federation Ltd	8.36	23.11	3.66	—0.94	—23.56
28.	Raj. Rajya Sahkari Upbhokta Sangh Ltd.	10 24	—1.29	11.35	—3.69	1.57
29.	Raj. State Co-operative Marketing Federation Ltd.	83.57	232.79	168.60	488.59	119.73
30.	Raj. State Co-operative Housing Fed. Ltd	10.15	—24.64	—24.67	—16.47	2.72

1	2	3	4	5	6	7
31.	Sri Keshoraipatan Sahkari Sugar Mills Ltd.	—73.25	2.87	35.24	0.81	44.49
32.	Raj. Rajya Sahkari Spinning & Ginning Mills Federation Ltd.	612.08	144.10	356.81	695 90	371 35
33.	Sriganganagar Coopera-tive Oil Seed Processing Mills Ltd. Gajsinghpur.	—34.48	—79.45	—33.32	—40.42	—
34.	Raj. State Coop. Oil Seed Growers Fed. Ltd. Jaipur	189.98	—530.17	—1679.77	1097.81	—1956.06
D.	Departmental Undertakings					
35.	Raj. State Chemical Works Didwana.	—13.73	—5.51	—4.09	—7.69	—

1	2	3	4	5	6	7
36.	Raj. State Chemical Works, Didwana.	19.49	42.76	13.06	17.99	4.70
37.	Raj. Govt. Salt Works, Didwana.	220.76	43.03	13.95	17.41	50.30
38.	Raj. Govt. Salt Works Pachpara.	—5.69	—13.34	—15.28	—	—
	Total :—	—8362.27	8075.69	7139.94	10548.43	9348.41

परिशिष्ट-6

(तारांकित प्रश्न संख्या 59 की सूचना)

संलग्नक-1

राजस्थान में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त फार्मेसी संस्थाओं की सूची। (भाग एक की सूची)

क्र0 सं0	संस्थान का नाम	बी. फार्मा की सीटें	डी. फार्मा की सीटें
	राजकीय संस्थान		
1.	डीप्लोमा फार्मेसी कोर्स, जनस्वास्थ्य प्रशिक्षण संस्थान भवन, जयपुर।	-	60
2.	मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर।	0	40
	निजी संस्थान		
1.	बी. आई. टी. एस. पिलानी (डीम्ड विश्वविद्यालय)	30	—
2.	बी. एन. फार्मेसी कालेज, उदयपुर।	40	60
3.	लाछू मेमोरियल विज्ञान एवं टेक्नोलोजी कालेज, जोधपुर।	40	60
4.	बाबा मूंगिया कालेज आफ फार्मेसी, पिलानी।	40	60
5.	लाल बहादुर शास्त्री कालेज, जयपुर।	-	60

6.	महर्षि अरविन्द कालेज आफ फार्मेसी, जयपुर।	—	60
7.	नेहरू मेमोरियल कालेज आफ फार्मेसी, हनुमानगढ़।	—	60
8.	परमानन्द डिग्री कालेज, गजसिंहपुर।	—	60
9.	महाराजा सूरजमल कालेज आफ फार्मेसी, भरतपुर।	—	60
10.	श्री बजरंग कालेज आफ फार्मेसी, डीग।	—	60
	योग	150	640

नोट :—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा चिन्हांकित कोर्सों में सत्र 1996–97 में प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी।

———

परिशिष्ट-7

(तारांकित प्रश्न संख्या 62 की प्रति)

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

क्रमांक/एफ-5 (ई) (   ) उपनि/91/बी-14677-685 दिनांक-18 जुलाई, 1981

1-- उपायुक्त उपनिदेशक
रा0न0यो0, समस्त 3 ....

2-- सहायक आयुक्त उपनिवेशन
रा0 न0यो0 समस्त 8 ....

विषय :- भूमि आबंटन एवं विक्रय नियम 1975 के नियम 14 के अनुसार छोटे भू-खण्डों के आबटन हेतु निर्देश

सूरतगढ़ दौरे के समय निम्नहस्ताक्षरकर्ता का ध्यान इस कार्यालय द्वारा पूर्व प्रसारित परिपत्र क्रमांक एफ-5 (ई) (63) उपनि/72/बी-3519-3535 दिनांक-8 मार्च, 1997 के बिन्दु संख्या 3 की ओर दिलाया गया जो निम्न प्रकार है :-

"छोटे भू-खण्ड के आबंटन हेतु जैसा कि पूर्व के निर्देशों में लिखा गया मुरब्बा दो ही यूनिट माना जावे। अगर उसी मुरब्बा में अन्य धारणकर्ता इस भू-खण्ड आबंटन में इच्छा जाहिर नहीं करे तो एमोपस्थ मुरब्बा में धारण करने वाले अन्य व्यक्तियों में भी जानकारी की जा सकती है जिनके धारण में भूमि ऐसे भू-खण्ड से चिपटी हुई हो।"

इस बिन्दु का अर्थ यहां पर वर्तमान में पदस्थापित अधिकारियों द्वारा यह लिया जा रहा था कि यदि किसी मुरब्बे में 5 बीघा का भू-खण्ड एक कोने में है और 2 बीघा का दूसरे कोने पर तो कुल 7 बीघा को एक भू-खण्ड माना जा रहा है,

(249)

क्योंकि इस बिन्दु में दिये गये निर्देशों के अनुसार छोटे भू-खण्ड हेतु मुरब्बा ही यूनिट माना है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि मुरब्बा यूनिट होने पर छोटे भू-खण्ड का इस प्रकार से अर्थ निकालना गलत है। भू-खण्ड एक ही हो सकता है। कई भू-खण्डों में विभाजित नहीं किया जा सकता। मुरब्बा में अगर 2-3अलग-अलग छोटे भू-खण्ड हैं तो वे छोटे भू-खण्ड अलग-अलग ही रहेंगे। अतः इस प्रकार एक ही मुरब्बे में सब भू-खण्डों को छोड़ कर एक बड़ा भू-खण्ड नहीं बनाया जा सकता।

(ए0 के0 आहूजा)
आयुक्त उपनिवेशन,
बीकानेर।

परिशिष्ट-8

(तारांकित प्रश्न संख्या 63 का विवरण)

खनिज नीति 1994 के पश्चात की महत्वपूर्ण उपलब्धियां

1. राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम द्वारा गिराल क्षेत्र जिला बाड़मेर में मई, 1995 से लिग्नाइट का उत्पादन प्रारम्भ एव अब तक 116719 मीट्रिक टन का उत्पादन।
2. बरसिंगसर, कपूरडी एवं जालीपा के लिग्नाइट भण्डारों पर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु अन्तरराष्ट्रीय निविदाओं द्वारा चयन।
3. जैसलमेर में गैस आधारित संयंत्र से ऊर्जा का उत्पादन प्रारम्भ।
4. खनिज तेल की खोज हेतु कई मल्टीनेशनल कम्पनियों द्वारा समझौते प्रपत्र पर हस्ताक्षर।
5. विदेशी कम्पनियों द्वारा खनिजों के हवाई सर्वेक्षण हेतु भारतीय कम्पनियों से अनुबन्ध।

6. 12 नये सीमेन्ट प्लान्ट्स की प्रबल सम्भावनाएं ।

7. नई संगमरमर एवं ग्रेनाइट नीतियों की घोषणाओं के पश्चात 364 प्लाट्स की सीमांकन करने के पश्चात अधिसूचना जारी एवं खनन पट्टे आवंटित ।

8. खनिज सर्वेक्षण के दौरान जैसलमेर में एस. एम. एस एवं सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के भण्डारों का मूल्यांकन। टांकला क्षेत्र जिला नागौर में भी एक सीमेन्ट प्लांट हेतु लाइमस्टोन भण्डारों का प्रमाणीकरण किया गया। बीकानेर एवं नागौर जिले में लिग्नाइट हेतु छिद्रण कार्य जारी। उग्डवाडा एवं सादडी क्षेत्र जिला बांसवाड़ा में सोने एवं चांदी के संकेत ।

9. खनिजों से प्राप्त आय व खानों में कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या में काफी वृद्धि ।

परिशिष्ट—II

खनिज नीति के प्रभाव में आने के पूर्व/पश्चात् की उपलब्धियों का तुलना पत्र

	खनिज नीति के पूर्व की उपलब्धियां		खनिज नीति के पश्चात् की उपलब्धियां	
	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
राजस्व (विभागीय आय) (करोड़ रु. में)	153.02	163.04	182.75	214.52
कामगारों की संख्या	281375	311009	356137	381912
मार्बल उत्पादन (000 टन)	2050.26	1875.40	2524.24	2840.80
ग्रेनाइट उत्पादन (000 टन)	22.76	39.57	37.44	55.26

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 86 का विवरण)

परिशिष्ट--"क"

वर्ष 1981 से अब तक राजस्थान राज्य पेंशनर चिकित्सा रियायत योजना के तहत विभिन्न न्यायालयों में दायर किये गये, निर्णित हुए एवं लंबित रहे प्रकरणों का विवरण।

(1) लंबित प्रकरणों का विवरण

क्रमांक	प्रकरण संख्या	परिवादी का नाम	न्यायालय
1	2	3	4
1.	2255/93	नवरतनमल मेहता, पेंशनर	राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2.	138/93	लक्ष्मीनारायण, पेंशनर	जिला मंच, चूरू।
3.	3338/94	के.एस.मेहता, पेंशनर	उच्च न्यायालय बैंच, जयपुर।
4.	183/93	जी.के.जोशी, पेंशनर	जिला मंच, उदयपुर।
5	2228/94	जनहित याचिका	उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6.	81/94	जयंतीलाल दवे, पेंशनर	जिला मंच, सुरेन्द्रनगर (गुजरात)
7.	4666/94	मनोज मेडीकल स्टोर, केकड़ी	उच्च न्यायालय बैंच, जयपुर।
8.	5977/95	गजराजचन्द भंडारी, पेंशनर	उच्च न्यायालय बैंच, जयपुर।
9.	983/95	मै.पन्नालाल गिरीज प्रसाद,	उच्च न्यायालय बैंच, जयपुर।

1	2	3	4
10.	3714/95	भंवरलाल वर्मा, पेंशनर	उच्च न्यायालय, जोधपुर।
11.	677/95	गोविन्ददयाल, पेंशनर	जिला मंच, कोटा।
12.	748/96	कृष्णदत्त शर्मा, पेंशनर	जिला मंच, गंगानगर।
13.	494/96	आर.पी.पारीक, पेंशनर	जिला मंच, जयपुर।
14.	242/96	के.एस.चपलोत, पेंशनर	जिला मंच, उदयपुर
15.	243/96	के.एस.चपलोत, पेंशनर	जिला मंच, उदयपुर।
16.	245/96	के.एस. चपलोत, पेंशनर	जिला मंच, उदयपुर।
17.	407/96	रूपरतनकुंवर, पेंशनर	जिला मंच, जोधपुर।
18.	421/96	नवरतनसिंह कोठारी, पेंशनर	जिला मंच, उदयपुर।
19.	92/96	आई.ए.कुरेशी, पेंशनर	जिला मंच, धौलपुर।
20.	496/96	डा.आर.एन.परिहार	जिला मंच, जोधपुर।
21.	1068/96	के.एन.पारीक, पेंशनर	जिला मंच, जयपुर।

(2) निर्णित प्रकरणों का विवरण

1.	612/93	मोहरचन्द, पेंशनर	जिला मंच, अलवर।
2.	228/94	अमरनाथ शर्मा, पेंशनर	जिला मंच, सीकर।
3.	286/96	कृष्णदत्त शर्मा, पेंशनर	जिला मंच, गंगानगर।
4.	62/96	खेमचन्द, पेंशनर	जिला मंच, सिरोही।
5.	96/95	मदनलाल गुप्ता, पेंशनर	जिला मंच, झालावाड़।
6.	67/96	नन्दलाल भाटिया, पेंशनर	जिला मंच, जैसलमेर।
7.	249/96	लालदास, पेंशनर	जिला मंच, उदयपुर।
8.	46/411/96	महेश चन्द मोदी, पेंशनर	मुंसिफ कोर्ट, अलवर।
9.	364/96	देवीलाल मेहरा, पेंशनर	जिला मंच, बीकानेर।
10.	46/249/96	निरंजन लाल, पेंशनर	मुंसिफ कोर्ट, अलवर।

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 90 की प्रति)

Extracts taken from Memorandum No. F. 20(9) Appointments (A)/57 dated 28-07-1959 issued by the Appointments (A) Department.

PART—I

X X X X X

PART—II

X X X X X

PART—III

1. X X X X X

2. (a) X X X X X

(b). When a report is built up on the individual opinions as noted by different departmental superiors in gradation, it is only the opinion as accepted by the highest authority which need be considered from the point of view of communication.

Extract taken from Circular No. F. 14(29) Karmik-ACR/73 dated 30-03-76 issued by the Department of Personnel (A-1/CR Cell) Part—I, Para—15

15. Responsibilities of the Reviewing Officer.

(i) While it might be difficult for the higher officer to get to know a large number of employees two gr ades below him, his

overall assessment of the character, performance and ability of the reported officer is vitally necessary as a built in corrective. The judgement of the immediate superior, even though completely fair in its intent might some times be too narrow and subjective to do justice to the employee reported upon. The officer superior to the reporting officer should, therefore, consider it his duty to personally know form his own judgement of the work and conduct of the officer reported upon He should accordingly exercise positive and independent judgement on the remarks of the reporting officer under the various detailed headings in the form of the report as well as on the overall assessment, and express clearly his agreement or disagreement with those remarks. This is particularly necessary in regard to adverse remarks, if any, where the opinion of the higher officer shall be construed as the correct assessment.

परिशिष्ट--11

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

(अतारांकित प्रश्न संख्या 96 का विवरण)

परिशिष्ट "एक"

अतारांकित प्रश्न संख्या 321

द्वारा— श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास

भाग - प्रथम प्रश्न सं. 1 की सूची

जोधपुर शहर क्षेत्र में माह जनवरी, 1994 से जनवरी, 1995 तक राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के सब स्टेशन अनुसार लगाई गई नयी सोडियम फिटिंग्स की संख्या सूची।—

क्र सं.	राज. राज्य विद्युत मण्डल के सब स्टेशन का नाम	लगाई गयी नई सोडियम फिटिंग्स की संख्या
1	2	3
1.	उम्मेद अस्पताल	5
2.	जालोरी गेट	8
3.	सोजती गेट/एम. जी. एच.	25
4.	सिटी नं. प्रथम	22
5.	सिटी न. द्वितीय	49
6.	कचहरी	14
7	नागोरी गेट	26
	कुल :--	149

भाग—द्वितीय

जोधपुर शहर क्षेत्र में माह फरवरी, 95 से दिसम्बर, 96 तक की अवधि में लगाई गई नई सोडियम फिटिंग्स की वार्ड-वार सूची निम्न है :--

क्र. सं.	वार्ड संख्या	लगाई गई नयी सोडियम फिटिंग्स की संख्या
1	2	3
1.	1	5
2.	2	11
3.	3	6
4.	4	6
5.	5	6
6.	6	5
7.	7	5
8.	8	7
9.	9	5
10.	10	12
11.	11	10
12.	12	12
13.	13	9
14.	14	10
15.	15	7
16.	16	5
17.	17	—
18.	18	15
19.	19	3
20.	20	2
21.	21	6
22.	22	7
23.	23	17
24.	24	6
25.	25	6
26.	26	16
27.	27	3
28.	28	8
29.	29	8
30.	30	12
31.	31	5
32.	32	10
33.	33	8
34.	34	6
35.	35	12
36.	36	6

1	2	3	1	2	3
37.	37	10	50.	50	5
38.	38	7	51.	51	10
39.	39	5	52.	52	9
			53.	53	6
40.	40	—	54.	54	1
41.	41	6	55.	55	5
42.	42	6	56.	56	9
43.	43	5	57.	57	14
44.	44	2	58.	58	15
45.	45	4	59.	59	8
46.	46	5	60.	60	5
47.	47	1			
48.	48	7		कुल योग :--	576
49.	49	5			

ह.

आयुक्त

नगर निगम, जोधपुर

——

261

(259)

परिशिष्ट—बो

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

प्रश्न संख्या 2 के प्रति उत्तर की सूची

जोधपुर शहर क्षेत्र में माह जून, 96 से दिसम्बर, 96 तक की अवधि में लगाये गये व बदले गये ट्यूब लाइट फिक्चर एवं ट्यूबरोड व बल्बों का वार्ड वार विवरण ।

क्र.सं.	वार्ड सं.	बल्बों की संख्या	ट्यूबरोड संख्या	लगाये गये नये ट्यूब लाइट फिक्चरों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	1	—	24	24
2.	2	10	18	20
3.	3	—	99	32
4.	4	—	26	18
5.	5	—	184	29
6.	6	—	15	15
7.	7	—	9	9
8.	8	12	18	12
9.	9	—	9	9
10.	10	—	18	5
11.	11	—	35	20
12.	12	10	33	9
13.	13	200	109	18
14.	14	29	82	27
15	15	160	179	27
16.	16	—	13	9

1	2	3	4	5
17.	17	—	—	—
18.	18	24	198	22
19	19	—	35	14
20.	20	—	—	—
21.	21	1	23	15
22.	22	10	70	18
23	23	128	196	27
24.	24	134	172	18
25.	25	37	100	15
26.	26	91	144	13
27.	27	90	102	17
28.	28	103	190	31
29.	29	21	114	13
30.	30	24	80	6
31.	31	31	53	8
32.	32	21	124	7
33.	33	49	67	24
34.	34	36	132	21
35.	35	67	184	24
36.	36	16	77	14
37.	37	20	61	20
38.	38	14	94	23
39.	39	33	28	5
40.	40	—	34	7
41.	41	5	25	6
42.	42	....	52	20
43.	43	....	39	11

1	2	3	4	5
44.	44	....	15	15
45.	45	—	34	19
46	46	....	63	48
47.	47	....	....	....
48.	48	....	24	24
49.	49	....	3	3
50.	50	....	38	37
51.	51	....	19	19
52.	52	9	73	11
53.	53	53	53	35
54.	54	—	15	15
55.	55	—	51	34
56.	56	—	52	51
57.	57	—	74	21
58.	58	15	110	27
59.	59	—	33	20
60.	60	—	....	—
		1400	3917	1051

प्रश्न संख्या 1 के लिये नोट—

जनवरी, 1994 से जनवरी, 95 तक की अवधि में सूचना का संकलन राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के क्षेत्राधिकार अनुसार रखा जाता था अतः उक्त अवधि की सूचना रा.रा.वि. मण्डल के सब स्टेशन अनुसार दर्शाई गई हैं। जबकि माह फरवरी, 95 से वार्डवार सूचना संकलित करनी प्रारम्भ कर दी गई अतः फरवरी, 95 के पश्चात् का विवरण वार्डवार दर्शाया गया हैं।

ह.
आयुक्त
नगर निगम जोधपुर

परिशिष्ट—12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 101 का विवरण)

सहभागी नगर विकास योजनान्तर्गत प्रस्तावित सड़कों की सूची

1. महावीर सर्कल से हरमिलापी कालोनी तक
2. बघवा चौक के पास सी.सी.रोड का निर्माण
3. आर्य समाज रोड पर रेल्वे स्टेशन से रविन्द्र पथ तक सड़क निर्माण
4. केदार स्मारक चौक पर सड़क निर्माण

प्रस्तावित पेचवर्क

जे.ब्लाक, एन.ब्लाक, इन्द्रा कालोनी एवं उक्त वर्णित क्षेत्र की सम्पूर्ण सड़कों तथा पुरानी आबादी क्षेत्र में पेचवर्क करवाया जाना है।

परिशिष्ट--13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 102 की सूची)

परिशिष्ट "क"

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 के अन्तर्गत जयपुर रीजन में अनुसूची एक में अंकित गांवों की सूची।

1.	घोरह वीर	10.	रामसिंहपुरा
2.	रामरतनपुरा	11.	हीगोनी
3.	हरचन्दपुरा	12.	भटेसरी
4.	हीरावाला	13.	बूरथल
5.	हरध्यानपुरा	14.	कानावास
6.	मुकन्दपुरा	15.	गीता वाला
7.	कानोता	16.	गिरधरपुरा
8.	मोहनपुरा	17.	श्री रामपुरा
9.	दूधावाला	18.	सिदोली

निम्नलिखित गांवों को अनुसूची-एक जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 के तहत सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया।

1.	दयारामपुरा	7.	कल्याण पुरा
2.	मानसरखेड़ी	8.	नीलवा खर्द
3.	खो-खा वाला	9.	किशन पुरा
4.	रामसर पाता वाला	10.	जोहूताल पुरा
5.	गायसर ईशर वाला	11.	किलमन, बिहारीपुरा
6	हरिराम पुरा		

परिशिष्ट--14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 103 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

क्र.सं.	तहसील	जलयोजना का नाम	स्वीकृत वर्ष	योजना की स्वीकृत राशि लाखों में।	टंकी का विवरण	लागत
1.	कोटपूतली	पम्प एवं टैंक योजना बनार	1994-95	6.41	भूतल जलाशय	0.75 लाख
2.	"	" पनियाला	" "	6.75	" "	1.12 " "
3.	" "	" " चिमनपुरा	1995-96	8.58	उच्च जलाशय	3.24 लाख

परिशिष्ट-15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 112 की सूची)

सूची सिवाय चक भूमि पर वर्ष 1995 से अब तक प्रतिक्रमियों को दी गई सिविल कारावास की सजा सम्बन्धी तहसील, निवाई जिला—टौंक राजस्थान

क्र. सं	मिसल नं.	निर्णय दिनांक	उनवान	प्रतिक्रमित रकबा	निर्णय का विवरण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	1448/1995	12-9-95	सरकार बनाम श्री भजन कालू पि. प्रताप गुजर सा. पीपली की ढाणी चुराबा	ख स.न, 936 रकबा 111 बीस्वा गै. मु. शमशान	पेनल्टी 47·00 बेदखल एवं प्रत्येक को 15-15 दिवस का सिविल कारावास	प्रकरण अपील में न्यायालय श्रीमान् कलक्टर महोदय में विचाराधीन है।
2.	1724/1995	26-9-95	सरकार बनाम श्री जगदीश फैलोराम पि. श्योनारायण मीणा, सा मूंडिया	2319·12 बंजड II29/11 गै. मु. नाला 30/1/1 बंजड--II 21·2	बेदखल पेनल्टी 446·00 एवं प्रत्येक को 15-15 दिवस का सिविल कारावास की सजा।	प्रकरण अपील में न्यायालय श्रीमान् कलक्टर, टौंक में विचाराधीन है।

1	2	3	4	5	6	7
3.	1768/1995	27-9-95	सरकार बनाम श्री मोजीराम पुत्र चन्द्रा मीणा जुगलपुराकला	139·2 गै. मु. श्मशान —— 52 139/4 गै. मु. श्मशान —— 52 155·1 —— ,, — 1·15	बेदखल शास्ति 50 00 एवं 15 दिवस को सिविल कारावास को सजा दी गई	निर्णय की क्रियान्वती के समय प्रतिक्रमी से अन्धे होने से प्रकरण रिव्यू कर सजा समाप्त की गई।

ह0
जिला कलक्टर, टोंक

परिशिष्ट-16

(अतारांकित प्रश्न संख्या 113 की सूची)

उदयपुर सम्भाग में पिछले वर्षों में घोषित राजस्व ग्रामों की सूची ।

जिला—बांसवाड़ा

क्रम. सं.	नाम तहसील		घोषित नये गांव का नाम
1	2		3
1.	गढ़ी	1. सांपेला	
2.	बागीडोरा	1. बेलारी	12. मंगला दयड़ा
		2. रतनपुरा	13. भेर
		3. गराड़िया	14. खोवड़ा
		4. चीवड़ा तलाई	15. तेलीया दयड़ा
		5. संग्रामपुरा	16. पटेलिया
		6. खारिया	17 रागेला पाड़ा
		7. ग्रामलिया	18. सागडूंगरी
		8. हमीरपुरा	19. बनेलापाड़ा
		9. मोयन	20. केवड़िया
		10. राखोपाड़ा	21. बारी
		11. कुण्डा	22. सोगपुरा
3.	बांसवाड़ा	1. बड़लीपाड़ा	
		2. भ्रमरकड़ा	

1	2	3	
4.	गढ़ी	1. मोटापाड़ा	
		2. लोहारिया पाड़ा	

जिला—डूंगरपुर

1.	डूंगरपुर	1. वजीपुरा	3. घसला तफला
		2. वाड़ा पुनाली	4. जेलाणा
2.	सागवाड़ा	1. फलातेड़	4. हुरजी का सरा
		2. फलातोरणियां	5. डेरीया
		3. फलाडोली	6. पापी

जिला—राजसमन्द

1.	भीम	1. पीपली का वाड़िया	
		2. हथूनगढ़	13. नगोती की गवार
		3. मायला खेत	14. चन्देलों का गवार
		4. घोरेला	15. डंगावास
		5. भोटा	16. ढाणी
		6. चतरपुरा	17. गोढ़ाजी का गांव
		7. रोहिड़ा	18. डूंगाजी का गांव
		8. ढाक का चौड़ा	19. बालातो की गवार
		9. तलाई	20. कुण्डालो की गवार
		10. मेड़िया	21. नेड़ी
		11. पायरी	22. पेलाडोल
		12. कानावास	23. वलालिया

1	2	3
2.	कुम्भलगढ़	24. मोपजी की नागल
		25. देवी का वास
		26. डांग का वास
		27. मेफावती का वास
3.	रेलमगरा	28. कांटिया का खेड़ा

जिला--उदयपुर

1.	वल्लभनगर	1. कछेर की ढाणी	
		2. चोड़ा	
		3. रजंका का कुवा	
		4. मूतपुरा	
		5. रतनपुर की सराय	
		6. गुमानपुरा	
		7. कालीपहाड़ी	
		8. उदाखेड़ा	
		9. खालातोड़	
		10. बड़लिया	
2.	गिर्वा	11. उमरड़ा	
3.	सराड़ा	12. उपलाकला सदकड़ी	16. ढाणी झेलाना
		13. निचलाकला सदकड़ी	17. बटूका
		14. खरवडचक (ए)	18. सरसिया काड
		15. खरवडचक (ब)	19. बगुऊवा
4.	खैरवाड़ा	20. खड़काया	
		21. मुण्डावाड़ा "बी"	

1	2	3
		जिला--चित्तौड़
1.	अरनोद	1. लालपुरा
		2. माटममारिया
		3. आजन्दा
		4. लहारखारी
		5. भैसों की नाल
2.	बेगू	1. बलवन्त नगर
		2. शम्भुपुरा
		3. खाल गांव
		4. रामनगर
		5. सेठाला
		6. नया गांव
3.	प्रतापगढ़	1. कमलाकुडी
		2. चीरवां
		3. रोहिणीखेड़ा
		4. बूजो का पर्व
		5. हनुमान चौराहा

परिशिष्ट-17

(अतारांकित प्रश्न प्रश्न संख्या 126 की सूची)

नसीराबाद विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1996-97 में स्वीकृत कार्यों की सूची।

क्रम संख्या	सड़क का नाम		जनसंख्या	स्वीकृत राशि लाखों में	विशेष विवरण
	(अ) एम0 एन0 पी0				
1.	सम्पर्क सड़क मावशिया प0 मु0		513	2·00	
2.	सम्पर्क सड़क पालरा प0 मु0		963	8·00	
3.	बीर लवेरा	बीर	1835	2·00	
		लवेरा	576		
4.	बीर कानाखेड़ी	बीर	1835	2·00	
		कानाखेड़ी	867		
5.	बाघसूरी बनवेड़ी अन्सारी	अन्सारी	512	7·00	
	(ब) बी0 एम0 एस0 पी0				
6.	साम्प्रोदा-गोठियाना प0 मु0		1328	9·00	
7.	सनोद तिलाना ढाल प0 मु0		1248	15·00	
8.	अजमेर-नसीराबाद सड़क किमी 10 से जाटिया-दांता प0 मु.		1032	7·00	

परिशिष्ट-18

(अतारांकित प्रश्न संख्या 127 की सूचना)

परिशिष्ट "क"

क्र. सं.	योजना	तहसील का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1	2	3	4
	1. सा0 नि0 विभाग, नागौर खण्ड		
1.	5054-स्टेट हाइवे	नागौर	8·00
2.	5054 बीएमएसपी	-,,-	188·50
3.	5054 शहरी सड़कें	-,,-	8·00
4.	5054 एम. एन पी.	-,,-	67·00
		योग	271·50
5.	5054 एम. एन. पी.	खींवसर	14·00
		योग	14·00
6.	5054 एम. एन. पी.	मेड़ता	2·00
		योग	2·00
7.	5054-बी. एम. एस. पी.	जायल	44·00
8.	5054-एम. एन. पी.	,,-	33·00
		योग	77·00
		मुख्य योग :-	364·50

(273)

1	2	3	4
	2. सा0 नि0 वि0, डीडवाना खण्ड		
1.	5054-एम. एन. पी.	मकराना	14·00
			योग 14·00
2.	5054-एम. एन. पी.	डीडवाना	35·00
3.	5054-स्टेट हाइवे	"	16·00
			योग 51·00
4.	5054-एम. एन. पी.	नावां	48·00
5.	5054-बी एम. एस. पी.	"	114·00
			योग 162·00
6.	5054-एम. एन. पी.	लाडनू	30·00
7.	5054-स्टेट हाइवे	"	7·00
8.	5054-एसएम एण्ड आर	"	14·00
			योग 51·00
			मुख्य योग 278·00
	3. सा0 नि0 वि0, मेड़तासिटी खण्ड		
1.	5054-एम. एन. पी.	डेगाना	30·00
2.	5054-बी. एम. एस पी.	"	37·50
			योग 67·50

1	2	3	4
3.	5054-एम. एन. पी.	परबतसर	39.00
4.	5054-बी एम. एस. पी.	-,,-	45.00
		योग	84.00
5.	5054-एम. एन पी.	मेड़ताशहर	64.50
		योग	64.50
6.	5054-एम. एन. पी.	मकराना	28.00
		योग	28.00
		मुख्य योग	244.00

परिशिष्ट "ख"

वर्ष 1996-97 में तहसील डेगाना में स्वीकृत डब्ल्यू. बी. एम. सड़कों की सूची।

क्र.सं.	सड़क का नाम	स्वीकृत लम्बाई	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1.	सम्पर्क सड़क हिम्मतनगर से जाम सुनानक 3/500 से 5/500	2	3·13
2.	सम्पर्क सड़क डाबोली मीठी 0/0 से 3/0	3	4·85
3.	सम्पर्क सड़क जायसू खुर्द 4/0 से 6/0	2	2·99
4.	सम्पर्क सड़क बोलियास	3	4·95
5.	रेण से सिरासना	3	4·38
6.	रियां से डोडियाना 8/0 से 11/0	3	4·60
		16 किमी.	24·90 लाख

वर्ष 1996-97 में तहसील डेगाना में स्वीकृत डामर की सड़कों की सूची

क्र. सं.	सड़क का नाम	स्वीकृत लम्बाई	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1.	निम्बड़ी कोठारिया राजलोता सड़क	2·00	4·00
2.	बंवरला से भांतरोली सड़क	2·00	4·00
3.	सम्पर्क सड़क सूदवाड़	3·00	6·00
4.	सम्पर्क सड़क सींवताना	2·00	4·00

1	2	3	4
5.	हिम्मतनगर से जाखसुनानक	2·00	4·00
6.	बुई से चुमा	1·00	2·00
7.	बामना से बरना	1·00	2·00
8.	सम्पर्क सड़क बिखरनियां कला	2·00	4·00
9·	रेग से सिरासना सड़क	7·500	37·50
		22·50	67·50

परिशिष्ट "अ"

परिशिष्ट--19

(अतारांकित प्रश्न संख्या 128 का विवरण)

बूंदी बाइपास पर कि. मी. 201/205 से 200/900 तक कटिंग का विवरण

कि. मी.	तखमीने के अनुसार मात्रा का विवरण	सम्पादित कार्य की मात्रा 12/96 तक	बकाया मात्रा (संभावित)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
202	7126 सी. यू. एम.	9943.69 सी. यू. एम.	....	
203	1676 ....".....	1592.46 ....".....	....	
204	4296 ....".....	996.89 ....".....	....	
205	12667 ....".....	1121.27 ....".....	....	
206	4373 ....".....	4803.01 ....".....	....	

1	2	3	4	5
207	17549 ...."....	17190 ...."....	6930 सी. यू. एम.	
208	33160 ...."....	32002 ...."....	1780 ...."....	
209	25676 ...."....	43433 ...."....	1765 ...."....	
	1,06,323 सी. यू. एम.	1,11,082 सी. यू. एम.	10,475 सी. यू. एम.	

परिशिष्ट—20

(अतारांकित प्रश्न संख्या 129 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

लूणकरणसर पंचायत समिति में वर्ष 1996–97 में स्वीकृत कार्यों का विवरण।

पंचायत मुख्यालय व अन्य सड़कों का कार्य।

क्र, स.	कार्य का नाम	स्वीकृति का विवरण	राशि (लाखों में)	लम्बाई (किमी. में)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
					(अपर्याप्त स्वीकृति)
1.	सम्पर्क सड़क (डामर) साबनिया	एफ. 2(28) पी. डब्लू./ए. एस/ 96/26-9-96 एम एन. पी. (करल)	16.00	4.00	साबनिया सम्बल ग्राम है जिसकी कुल दूरी 12 किमी. है तथा स्वीकृत राशि में डामरी छिपलाई

279

1	2	3	4	5	6
					3 तक डामर सड़क का कार्य प्रस्तावित है।
2.	निर्माण कार्य डामर सड़क रानेर (दामोलाई)	एफ. 2(29) पी. डब्लू/ए. एस./96/डी-2298 दिनांक 22-10-96 एम, ए, पी, (जनरल)	15.00	2.5	रानेर पंचायत मुख्यालय है तथा पूर्ण स्वीकृत डामर सड़क हेतु पर्याप्त है।
3.	डामर सड़क का कार्य राजासर करणीसर	एफ. 2(74) पी, डब्लू/ए. एस./96/दिनांक 5-11-96 (बी. एम. एस. पी.)	18.00	3.00	राजासर करणीसर पंचायत मुख्यालय व 1971 की जनगणना पर 1000 से ऊपर की आबादी वाला गांव है स्वीकृति डामर सड़क के लिये पर्याप्त है।

(281)

1	2	3	4	5	6
4.	सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण लूणकरणसर राजपुरिया	एफ. 2(27) पी. डब्लू/ए.एस./96/ दि. 29-8-96 (5054 चतुर्थ एस. एम. एण्ड आर)	12.00	8.00	क्र. सं. 4 से 5 की सड़कों पर कार्य एस. एच. डब्लू. प्लान में स्वीकृत है।
5.	सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण कालू से गुसाईसर	" " "	12.00	8.00	
			73.00		

परिशिष्ट--21

(अतारांकित प्रश्न संख्या 131 का विवरण)

परिशिष्ट--"अ"

वर्षवार सूची

क्रम संख्या	सड़क का नाम	लम्बाई किमी.
1	2	3
1.	भरतपुर डीग अलवर सड़क	14.000
2.	कुम्हेर सोंख सड़क	12.300
3.	कुम्हेर नदवई सड़क	14.000
4.	पपरेरा मटवाली सड़क	4.00
5.	कुम्हेर पपरेरा सड़क	12.00
6.	सेंत सिनसिनी सड़क	6.00
7.	सेवर हेलक सड़क	8.00
8.	असावन घनवाडा सड़क	6.00
9.	पपरेरा चितौकरी सड़क	7.00
10.	अस्तावन विरहरू महरावर साबोरा सड़क	11.00
11.	सम्पर्क सड़क कुम्हा	1.00
12.	सम्पर्क सड़क लखन	1.00
13.	गांगरोली भटावली सड़क	4.00
14.	हेलक से रूंध हेलक सड़क	4.00
15.	सम्पर्क सड़क अभोरा सड़क	3.00
16.	सम्पर्क सड़क रारह सातरूक	1.5
17.	सम्पर्क सड़क ताखा	4.00
18.	सम्पर्क सड़क दादू	1.00

1	2	3
19.	हेलक रेल्वे स्टेशन गांधीनगर सड़क	4.00
20.	सम्पर्क सड़क महुआ	2.00
21.	सम्पर्क सड़क कासोट	3.00
22.	सम्पर्क सड़क कुरवारा	1.00
23.	उसरानी से जनूथर सड़क	10.00
24.	सम्पर्क सड़क पला	2.6
25.	गोंती का नगला से भ्राजऊ	2.6
26.	सम्पर्क सड़क भ्राजऊ	1.00
27.	जहांगीरपुर से उसरानी	4.00
28.	बोरई से भवार	1.5
	योग :	146.5

परिशिष्ट-"ब"

वर्षवार व्यय सूची

क्र.सं.	सड़क का नाम	वर्षवार व्यय (लाखों में)			
		1993-94	94-95	95-96	96-97
1	2	3	4	5	6
1.	भरतपुर डीग अलवर सड़क (कुम्हेर सिटी क्षेत्र सहित)	4.86	0.05	5.10	38.40
2.	कुम्हेर सोंख सड़क	1.65	5.03	1.24	1.41
3.	कुम्हेर नदबई सड़क	0.97	0.75	0.79	0.01
4.	पपरेरा मटावाली सड़क	0.16	0.87	....	....
5.	कुम्हेर पपरेरा सड़क	1.63	2.86	2.83	0.06
6.	सेंत सिनसिनी सड़क	0.42	....	0.08	....
7.	सेवर हेलक सड़क	0.08	0.98	0.49	....
8.	पसावन घनवाड़ा सड़क	0.89	1.98	0.63	0.02

1	2	3	4	5	6
9.	पपरेरा चितीकरी सड़क	0.67	....	0.60	....
10.	प्रस्तावन विरहरू महुरावर साबौरा सड़क	1.80	....	1.44	....
11.	सम्पर्क सड़क कूजवां	0.70	0.50	....	....
12.	सम्पर्क सड़क लखन	0.40	....	....	....
13.	गांगरोली मटावली सड़क	0.56	....	....	0.07
14.	हेलक से रूंध हेलक	....	....	0.13	0.54
15.	सम्पर्क सड़क प्रमोरा	....	....	....	....
16.	सम्पर्क सड़क रारह सातरूक	....	....	....	....
17.	सम्पर्क सड़क ताखा	....	....	....	....
18.	सम्पर्क सड़क कुरवारा	....	....	....	....
19.	उसरानी से जनूथर सड़क	....	....	....	0.34
20.	सम्पर्क सड़क पला	....	....	....	....
21.	मोती का नगला से भाजऊ	....	....	....	1.37
22.	सम्पर्क सड़क दादू	....	....	....	....

1	2	3	4	5	6
23.	हेलक रेल्वे स्टेशन गांधीनगर गाँव	....	....	....	....
24.	सम्पर्क सड़क महुआ	....	....	....	....
25.	सम्पर्क सड़क कासोट	...	....	....	....
26.	सम्पर्क सड़क धाजऊ	....	....	...	....
27.	जहांगीरपुर से उसरानी	....	....	....	0,10
28.	बोरई से प्रवार	....	....	....	....
	योग :	13.99	13.02	13.33	42.32

(287)

परिशिष्ट-22

(अतारांकित प्रश्न संख्या 132 की प्रति)

राजस्थान सरकार

महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांक : प-19(271) मविका/96/ जयपुर, दिनांक 22-11-96

मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष 1996-97 के बजट भाषण के अनुच्छेद 77 में सामूहिक विवाह आयोजनों को प्रोत्साहित करने हेतु आर्थिक अनुदान देने की घोषणा की गई है। उक्त घोषणा की पालना एवं दिये जाने वाले अनुदान के वितरण, नियन्त्रण एवं अन्य प्रावधानों के लिए राज्य सरकार निम्नानुसार प्रशासकीय नियम बनाती है।

1. शीर्षक एवं आरम्भ

(1) यह नियम राजस्थान सामूहिक विवाह अनुदान नियम, 1996 के नाम से जाने जायेंगे।

(2) यह तुरन्त प्रभाव से प्रवृत होंगे।

2. परिभाषा :

जब तक कि विषय या सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में—

(1) राज्य से तात्पर्य राजस्थान राज्य से है।

(2) सरकार से तात्पर्य राजस्थान सरकार से है।

(3) निदेशालय से तात्पर्य महिला एवं बाल विकास निदेशालय से है।

(4) अभिकरण से तात्पर्य सम्बन्धित जिले के जिला महिला विकास अभिकरण से है।

(5) परियोजना निदेशक से तात्पर्य परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास अभिकरण से है। जिन जिलों में महिला विकास अभिकरण स्थापित नहीं किए गए हैं वहां इन नियमों के संदर्भ में परियोजना निदेशक जिला महिला विकास अभिकरण द्वारा किए जाने वाले समस्त कार्य जिले से संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशक (आई. सी. डी. एस.) द्वारा किये जायेंगे।

3. पात्रता

(1) यह अनुदान उन्हीं प्रकरणों में देय होगा, जहां संगठनों, संस्थाओं या आयोजकों द्वारा एक बार में एक साथ कम से कम 25 जोड़ों का सामूहिक विवाह राज्य में कराया जायेगा।

(2) विवाहित जोड़ों में लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र कम से कम 21 वर्ष होना अनिवार्य होगा।

4. आवेदन का तरीका

(1) आवेदन दो प्रतियों में आयोजन के कम से कम 15 दिन पूर्व जिला कलक्टर को निर्धारित प्रारूप प्रपत्र "अ" में प्रस्तुत करना होगा।

(2) जिला कलक्टर द्वारा प्रस्ताव परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास अभिकरण को सत्यापन एवं अनुशंसा हेतु प्रेषित किया जाएगा।

(3) आयोजन के पश्चात् परियोजना निदेशक द्वारा प्रस्ताव सत्यापित कर अनुशंसा सहित जिला कलक्टर को प्रस्तुत किये जायेंगे।

5. अनुदान की स्वीकृति

(1) प्रत्येक आयोजनकर्ता संस्था/संगठन/आयोजक को सामूहिक विवाह आयोजन में सम्मिलित दम्पत्तियों की संख्या के अनुसार प्रति दम्पत्ति एक हजार रुपये की धन राशि देय होगी। परन्तु प्रत्येक आयोजन पर अधिकतम पचास हजार रुपये की धनराशि से अधिक देय नहीं होगी।

(2) उक्त अनुदान राशि ड्राफ्ट/चैक के माध्यम से आयोजनकर्ता को आयोजन के उपरान्त देय होगी ।

(3) अनुदान राशि की स्वीकृति जिला कलक्टर द्वारा दी जायेगी ।

(4) यह राशि जिला महिला विकास अभिकरण के माध्यम से देय होगी ।

6. **वित्तीय प्रावधान**

(1) राज्य सरकार इस कार्य हेतु 3.00 लाख रुपये की राशि प्रत्येक जिला महिला विकास अभिकरण के निजी निक्षेप खाते में जमा करवायेगी । जिन जिलों में जिला महिला विकास अभिकरण की स्थापना नहीं हुई है; वहां यह राशि क्षेत्रीय उप निदेशक (आई. सी. डी. एस.) के निजी निक्षेप खाते में जमा करवाई जायेगी ।

(2) पचास प्रतिशत राशि के व्यय होने पर अभिकरण/क्षेत्रीय उप निदेशक (आई. सी. डी. एस.) द्वारा पुनर्भरण हेतु प्रस्ताव निदेशालय के माध्यम से राज्य सरकार के वित्त विभाग को प्रेषित किये जायेंगे ।

7 **शंकाओं एवं विवादों का निराकरण**

उपरोक्त नियमों के संदर्भ में यदि कोई शंका अथवा विवाद उत्पन्न हो तो उसे सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका, उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

आदेश से

ह.

विशिष्ट शासन सचिव

महिला एवं बाल विकास विभाग,

राजस्थान, जयपुर

प्रपत्र "अ"

सामूहिक विवाह अनुदान नियम 1996 के अन्तर्गत अनुदान हेतु आवेदन-पत्र

मैं/हम सामूहिक विवाह अनुदान नियम 1996 के अधीन अनुदान हेतु निम्न आवेदन करते हैं :—

1. आयोजक/संस्था/संगठन का नाम एवं पता :
2. आयोजन स्थल :
3. दिनांक एवं समय :
4. कितने जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया जाएगा (वर व वधू का नाम व पूरा पता आयु सहित परिशिष्ट में संलग्न करें) :
5. यदि पूर्व में इस प्रकार के आयोजन कराए हों तो संक्षिप्त विवरण :

उद्घोषणा

मैं उद्घोषणा करता हूं कि प्रस्तावित आयोजन में—

1. एक बार में कम से कम 25 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया जायेगा ।
2. प्रत्येक वैवाहिक जोड़े में लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम नहीं है ।

आयोजक के हस्ताक्षर

आयोजन का नाम एवं पद नाम

तिथि

आवेदन द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र आपको भेजकर लेख है कि आप आवेदन में तथ्यों की जांच कर वास्तविक आयोजित किये गये विवाहों की संख्या के अनुसार देय राशि की अनुशंसा इस कार्यालय को भिजवावे।

जिला कलक्टर

परियोजना निदेशक,

जिला महिला विकास अभिकरण............................

अनुशंसा

मेरे द्वारा आवेदन पत्र के तथ्यों को पूर्ण रूप से जांच कर ली गई है आवेदन में वर्णित तथ्य सही है। आवेदक द्वारा..दम्पतियों का सामूहिक विवाह दिनांक............................को आवेदक द्वारा आयोजित किया गया। इसके आधार पर कुल राशि रुपये.................................अनुदान की अभिशंसा की जाती है।

परियोजना निदेशक,
जिला महिला विकास अभिकरण
....

उक्त अनुशंसा के अनुसार राशि रुपये..................................अनुदान की स्वीकृति दी जाती है।

परिशिष्ट—23

(अतारांकित प्रश्न संख्या 133 की प्रति)

मुख्य मंत्री
राजस्थान

अ.शा.पत्र क्रमांक-मु.मं-5/प.67 (1) पशुपालन/91/450
जयपुर, दिनांक 18 जनवरी, 1991

प्रिय श्री शर्मा,

तहसील आमेर के ग्राम पूनाना एवं मानपुरा माचेड़ी में पशु चिकित्सालय खोले जाने के सम्बन्ध में आपका पत्र क्रमांक-भाजपा/आमेर/91/2, दिनांक 6 जनवरी, 1991 प्राप्त हुआ।

मैं इसे आवश्यक कार्यवाही हेतु पशुपालन राज्य मंत्रीजी को भिजवा रहा हूं।

सादर,

सद्भावी,
हस्ता/-
(भैरोंसिंह शेखावत)

श्री रतनलाल शर्मा,
अध्यक्ष,
भारतीय जनता पार्टी,
तहसील आमेर,
3000,हरिभवन, जाट के कुएं का रास्ता,
जयपुर।

(293)

परिशिष्ट-24

(अतारांकित प्रश्न संख्या 134 का विवरण)

परिशिष्ट-अ

उदयपुर जिले में गत पांच वर्षों से संचालित योजनाओं का विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	कब से चल रही है (पांच वर्ष या इससे अधिक) कम समय
1.	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	गत पांच वर्ष
2.	ट्राईसम	"
3.	जवाहर रोजगार योजना	"
4.	जीवनधारा	"
5.	इन्दिरा आवास योजना	"
6.	अपना गांव अपना काम	"
7.	तीस जिला तीस काम	"
8.	निर्बन्ध राशि योजना	"
9.	मैसिव योजना	"
10.	बायोगैस योजना	"
11.	डी.पी.ए.पी	"
12.	लिफ्ट सिंचाई योजना	"
13.	बंजर भूमि विकास	"
14.	आश्वासित रोजगार योजना	गत चार वर्ष
15.	मरू विकास योजना	गत दो वर्ष
16.	रूरल ग्रोथ सेन्टर	गत दो वर्ष
17.	जवाहर रोजगार योजना (द्वितीय)	गत दो वर्ष (किन्तु इस वर्ष से बंद)
18.	सांसद क्षेत्र का विकास	गत चार वर्ष

परिशिष्ट-ब

योजना वार एवं वर्ष वार भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा देय राशि का प्रतिशत का विवरण।

क्र.सं.	योजना का नाम	(अंश प्रतिशत में) केन्द्र सरकार	राज्य सरकार
1	2	3	4
1.	आई.आर. डीपी.	50	50
2.	ट्राईसम योजना	50	50
3.	जवाहर रोजगार योजना	80	20
4.	जीवनधारा	80	20
5.	इन्दिरा आवास योजना	80	20
6.	अपना गांव अपना काम	—	100
7.	तीस जिला तीस काम योजना	—	100
8.	अनटाइड फण्ड योजना	—	100
9.	आश्वासित रोजगार योजना	80	20
10.	बंजर भूमि विकास योजना	100	—
11.	मेसिव योजना	—	100
12.	बायोगैस योजना	67	33
13.	डी.पी.ए.पी.	50	50
14.	डी.डी.पी.	100	—

1	2	3	4
15.	लिफ्ट सिंचाई योजना	—	100
16.	रूरल ग्रोथ सेन्टर	—	100
17.	जवाहर रोजगार योजना (द्वितिय)	80	20 (वर्तमान में बंद)
18.	सांसद स्थानीय क्षेत्र का विकास	100	—

गत पांच वर्षों में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा देय राशि के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

———